

Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960

CONTENTS

Sections	Page
CHAPTER I	
PRELIMINARY	
1. Short title, extent and commencement	1
2. Definitions	1
CHAPTER II	
REGISTRATION	
3. Registrar and other officers	10
4. Societies which may be registered	10
5. Registration of societies with limited or unlimited liability	10
6. Conditions of registration	11
7. Application for registration	11
8. Power of Registrar to decide certain questions	12
9. Registration	12
10. Classification of Societies	13
11. Amendment of bye-laws of society	14
12. Power to direct amendment of bye-laws	14
13. Change of name	15
14. Certain certificates to be conclusive evidence	15
15. Change of liability of society from limited to unlimited or vice-versa	16
16. Reorganisation of Societies	16
16-A. Collaboration by Societies	19
16-B. Partnership of societies	19
16-C. Government's power to make scheme of reorganisation in the public interest	19
17. Compromise or arrangement for repayment of liabilities and reconstruction of societies	20

--: C-8 :-

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960

विषय-सूची

धाराएँ	पहला अध्याय प्रारम्भिक	दूसरा अध्याय रजिस्ट्रीकरण	पृष्ठ
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ	1		1
2. परिभाषाएँ	1		1
		रजिस्ट्रीकरण	
3. रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी		10	10
4. सोसाइटीयाँ जो रजिस्ट्रीकृत की जा सकेंगी		10	10
5. परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित सोसाइटीयों का रजिस्ट्रीकरण		10	10
6. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें		11	11
7. रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन		11	11
8. कतिपय प्रश्नों को विनिश्चित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति		12	12
9. रजिस्ट्रीकरण		12	12
10. सोसाइटीयों का वर्गीकरण		13	13
11. सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन		14	14
12. उपविधियों के संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति		14	14
13. नाम की तब्दीली		15	15
14. कतिपय प्रमाण-पत्रों का निश्चायक साक्ष्य होना		15	15
15. सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित से अपरिसीमित में या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील किया जाना		16	16
16. सोसाइटीयों का पुनर्गठन		16	16
16-क. सोसाइटीयों द्वारा सहयोग		19	19
16-ख. सोसाइटीयों की भागीदारी		19	19
16-ग. लोक हित में पुनर्गठन योजना बनाने की राज्य सरकार की शक्ति		19	19
17. दायित्वों के प्रतिसंदाय के लिये समझौता या उद्गव तथा सोसाइटीयों का पुनर्निर्माण		20	20

--: C-8 :-

Sections	Page
17-A. Action and liability of Banks under moratorium	22
17-B. Liability of new Bank to repay to the Deposit Insurance Corporation	23
18. Cancellation of registration	23
18-A. De-registration of Societies	23

CHAPTER III

MEMBERS, THEIR RIGHTS, LIABILITIES
AND PRIVILEGES

19. Persons who may become members	24
19-A. Disqualifications of member	26
19-AA. Disqualification for membership of Board and for representation	28
19-B. Effect of subsequent disabilities	28
19-C. Expulsion of members	29
19-D. [***]	30
19-E. Education of members, etc.	30
20. Nominal members	30
21. No rights of membership to be exercised till due payments are made	30
22. Votes of members	30
23. Manner of exercising vote	31
24. Restriction on holding of share capital by a member	32
25. Restrictions on transfer of shares or interest	33
26. Transfer of interest on death of member	33
27. Share or deposit or interest not liable to attachment	34
28. Rights of members to see books, etc.	34
29. Liability of a past member or estate of deceased member	35
30. Insolvency of members	35

CHAPTER IV

DUTIES, PRIVILEGES, PROPERTY
AND FUNDS OF SOCIETIES

31. Societies to be bodies corporate	35
32. Address of society and display of name	36
33. Register of members	36
34. Proof of entries in society's books	37
34-A. Societies to give pass books to member	38

धाराएँ	पृष्ठ
17-क. अधिष्ठाण के अधीन बैंकों की कार्यवाही तथा उनका दायित्व	22
17-ख. डिपॉजिट इन्श्योरेंस कारपोरेशन को प्रतिसंदाय करने का नवीन बैंकों का दायित्व	23
18. रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना	23
18-क. सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण का समाप्त किया जाना	23

तीसरा अध्याय

सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार

19. व्यक्ति, जो सदस्य हो सकेंगे	24
19-क. सदस्य की निर्हाताएं	26
19-कक. बोर्ड की सदस्यता के लिये और प्रतिनिधित्व के लिये निरर्हाता	28
19-ख. पश्चात्पूर्ती नियोगताओं का प्रभाव	28
19-ग. सदस्यों का निष्कासन	29
19-घ. [***]	30
19-ङ सदस्यों आदि की शिक्षा	30
20. नाममात्र के सदस्य	30
21. जब तक सम्यक् संदाय न कर दिये जाय, सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा	30
22. सदस्यों के मत	30
23. मत का प्रयोग करने की रीति	31
24. किसी सदस्य द्वारा अंशपूजी धारण करने पर निर्बन्धन	32
25. अंशों या हित अन्तरण पर निर्बन्धन	33
26. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर हित का अन्तरण	33
27. अंश या निक्षेप या हित कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगा	34
28. पुस्तकें आदि देखने के सदस्यों के अधिकार	34
29. भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व	35
30. सदस्यों का दिवाला	35

चौथा अध्याय

सोसाइटियों के कर्तव्य, विशेषाधिकार, उनकी सम्पत्ति तथा निधियां

31. सोसाइटियाँ निगमित निकाय होंगी	35
32. सोसाइटी का पता तथा नाम का संप्रदर्शन	36
33. सदस्यों का रजिस्टर	36
34. सोसाइटी की पुस्तकों में की प्रविष्टियों का सबूत	37
34-क. सोसाइटी सदस्यों को पासबुक देगी	38

Sections

	Page
35. Exemption from compulsory registration of instruments	38
36. Borrowings	39
37. Restrictions on loans	39
37-A. Society not to recover or receive interest greater than the principal	40
38. Restrictions on other transactions with non-members	41
39. Charge and set-off in respect of share or interest of members	41
40. Prior claim of society on certain assets	41
41. First charge of Co-operative societies on certain assets	42
41-A. Right of society to acquire and dispose of immovable property	43
42. Deduction from salary to meet society's claim in certain cases	45
43. Funds and profits	45
43-A. Appropriation of profits	46
43-B. Liability for deficit	47
44. Investment of funds	48
45. Grant of State aid to societies	49
46. Employees' Provident Fund	49
47. Power to direct affiliation to Federal Society	49
47-A. Apex Society	49

CHAPTER V

MANAGEMENT OF SOCIETIES

48. Final authority in society	51
48-A. Disqualifications for holding specified office	55
48-B. Representatives and delegates	55
48-C. Powers of Board	56
49. Annual General Meeting	57
49-A. [***]	61
49-B. Board Annulment of proceedings of society by successor Board	61
49-C. Government's powers to give directions in public interest, etc.	61
49-D. Registrar's power to give directions to make regulations	62
49-E. Appointment of Managing Director and Chief Executive Officer in certain circumstances	62
50. Special General Meeting	63

धाराएँ

पृष्ठ

35. लिखतों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से छूट	38
36. उधार लेना	39
37. उधारों के दिये जाने पर निर्बन्धन	39
37-क. सोसाइटी मूल से अधिक ब्याज वसूल या प्राप्त नहीं करेगी	40
38. सदस्यत्व व्यक्तियों के साथ अन्य संव्यवहारों पर निर्बन्धन	41
39. सदस्यों के अंश या हित की बाबत भार एवं मुजराई	41
40. कतिपय आस्तियों पर सोसाइटी का पूर्विक दावा	41
41. कतिपय आस्तियों पर सहकारी सोसाइटियों का प्रथम भार	42
41-क. स्थावर सम्पत्ति का अर्जन तथा व्ययन करने का सोसाइटी का अधिकार	43
42. कतिपय दशाओं में सोसाइटी के दावे की पूर्ति करने के लिये वेतन में से कटौती	45
43. निधियां तथा लाभ	45
43-क. लाभों का विनियोजन	46
43-ख. घाटे के लिये दायित्व	47
44. निधियों का विनियोजन	48
45. सोसाइटियों को राज्य सहायता का मंजूर किया जाना	49
46. कर्मचारियों को भविष्य निधि	49
47. संघीय सोसाइटी से सम्बद्ध किये जाने के निदेश देने की शक्ति	49
47-क. शीर्ष सोसाइटी	49

पांचवा अध्याय

सोसाइटियों का प्रबन्ध

48. सोसाइटी में का अन्तिम प्राधिकार	51
48-क. विनिर्दिष्ट पद धारण करने के लिए निरहताएं	55
48-ख. प्रतिनिधि एवं प्रत्यायुक्त	55
48-ग. बोर्ड की शक्तियां	56
49. वार्षिक साधारण सम्मेलन	57
49-क. [विलोपित]	61
49-ख. बोर्ड की कार्यवाहियों का उत्तराधिकारी बोर्ड द्वारा बातिलीकरण	61
49-ग. लोकहित आदि में निदेश देने की सरकार की शक्ति	61
49-घ. विनियम बनाने के निदेश देने की रजिस्ट्रार की शक्ति	62
49-ङ. कतिपय परिस्थितियों में प्रबंध संचालक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति	62
50. विशेष साधारण सम्मेलन	63

Sections	Page
50-A. Disqualification for being candidate or voter for election to Board or representative or delegate of society	64
50-B. State Election Commission	65
50-AA. [***]	66
51. Validation of acts	66
52. Power to appoint Government nominees	66
52-A. [***]	67
52-B. [***]	68
53. Supersession of Board	68
53-A. Taking over of charge	73
53-B. Powers of the Registrar to remove an Officer of a society in certain circumstances	74
54. Appointment of Managers, Secretaries and other officers	75
55. Registrar's power to determine conditions of employment in societies	76
56. Registrar's power to enforce performance of obligation	76
57. Registrar's power to seize records, etc.	77
57-A. Taking possession of record and property	78
CHAPTER V-A	
PROVISION REGARDING SHORT TERM CO-OPERATIVE CREDIT STRUCTURE SOCIETIES	
57-B. Management of short term Co-operative Credit Structure Societies	79
CHAPTER VI	
AUDIT, INQUIRY, INSPECTION AND SUPERVISION	
58. Audit of Accounts	86
58-A. Audit Board	88
58-B. Procedure for making good losses caused to a society	88
59. Inquiry	90
59-A. Duty of certain persons to assist enquiry	91
60. Inspection of books of society	91
61. Rectification of defects	92
62. Costs of inquiry	92
63. [***]	93
63-A. Expenditure on proceedings, etc.	93

धाराएँ	पृष्ठ
50-क. सोसाइटी की बोर्ड या प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त के निर्वाचन में अभ्यर्थी या मतदाता होने के लिये निरहता	64
50-ख. राज्य निर्वाचन आयोग	65
50-कक. [***]	66
51. कार्यों का विधिमन्यकरण	66
52. सरकारी नाम निर्देशितियों को नियुक्त करने की शक्ति	66
52-क. [विलोपित]	67
52-ख. [विलोपित]	68
53. बोर्ड का अतिष्ठान	68
53-क. कार्यभार ग्रहण किया जाना	73
53-ख. कतिपय परिस्थितियों में किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी को हटाने की रजिस्ट्रार की शक्ति	74
54. प्रबंधकों, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति	75
55. सोसाइटियों में के नियोजनों की शर्तों का अवधारण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति	76
56. बाध्यता का पालन कराने की रजिस्ट्रार की शक्ति	76
57. अभिलेखों आदि के अभिग्रहण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति	77
57-क. अभिलेख तथा संपत्ति का कब्जा लेना	78
पांच-क अध्याय	
अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटियों के संबंध में प्रावधान	
57-ख. अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटियों का प्रबंधन	79
छठवां अध्याय	
संपरीक्षा, जांच निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण	
58. लेखाओं की संपरीक्षा	86
58-क. संपरीक्षा बोर्ड	88
58-ख. किसी सोसाइटी को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए प्रक्रिया	88
59. जांच	90
59-क. जांच में सहायता करने का कतिपय व्यक्तियों का कर्तव्य	91
60. सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण	91
61. त्रुटियों की परिशुद्धि	92
62. जांच के खर्चे	92
63. [***]	93
63-क. कार्यवाहियों आदि पर व्यय	93

CHAPTER VII

DISPUTES AND ARBITRATION

64. Disputes	93
65. Limitation	95
66. Settlement of dispute	96
67. Procedure for settlement of disputes and power of Registrar, his nominee or board of nominees	97
68. Attachment before award	97

CHAPTER VIII

LIQUIDATION

69. Winding up of Societies	98
69-A. Winding up of Cooperative Bank	99
69-B. Reimbursement of Deposit Insurance Corporation in case of Insured Bank	99
70. Appointment of Liquidator	99
70-A. Control of liquidator	100
71. Powers of liquidator	100
72. Disposal of surplus assets of liquidated societies	102

CHAPTER IX

OFFENCES AND PENALTIES

73. Prohibition of use of word "Co-operative"	102
74. Offences	103
75. Penalties for offences	105
76. Cognizance of offences	107

CHAPTER X

CONSTITUTION OF TRIBUNAL

77. Chhattisgarh State Co-operative Tribunal	107
77-A. Review	113
77-B. Tribunal to exercise powers of a civil court	113
78. Appeals before the Registrar and Tribunal	114
78-A. Extension of period of limitation by appellate authority in certain cases	115
79. No appeal or review in certain cases	115
80. Transferor withdrawal of cases	115
80-A. Power of Registrar to call for proceedings of subordinate officers and board of a society and to pass order thereon	115

सातवां अध्याय

विवाद तथा माध्यस्थता

64. विवाद	93
65. परिसीमा	95
66. विवाद का निपटारा	96
67. विवादों के निपटारे के लिये प्रक्रिया तथा रजिस्ट्रार, उसके नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड की शक्ति	97
68. अधिनियम के पूर्व कुर्की	97

आठवां अध्याय

समापन

69. सोसाइटीयों का परिसमापन	98
69-क. सहकारी बैंक का परिसमापन	99
69-ख. बीमाकृत बैंक के मामले में डिपजिट इश्योरेंस कोरपोरेशन की प्रतिपूर्ति	99
70. समापक की नियुक्ति	99
70-क. समापक का नियंत्रण	100
71. समापक की शक्तियाँ	100
72. समापित सोसाइटीयों की अधिशेष आस्तियों का व्ययन	102

नवां अध्याय

अपराध तथा शास्तियाँ

73. शब्द 'सहकारी' के प्रयोग का प्रतिषेध	102
74. अपराध	103
75. अपराधों के लिये शास्तियाँ	105
76. अपराधों का संज्ञान	107

दसवां अध्याय

अधिकरण का गठन

77. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण	107
77-क. पुनर्विलोकन	113
77-ख. अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करना	113
78. रजिस्ट्रार तथा अधिकरण के समक्ष अपीलें	114
78-क. कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा परिसीमा-काल का बढ़ाया जाना	115
79. कतिपय मामलों में कोई अपील या पुनर्विलोकन न होना	115
80. मामलों का अन्तरण या प्रत्याहरण	115
80-क. बोर्ड एवं अधीनस्थ अधिकारियों की कार्यवाहियाँ मंगाने और उन पर आदेश पारित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति	115

Sections

80-B. Power to make interlocutory orders	Page
80-C. Stay of execution of orders	116
80-D. Transfer of pending cases	116

CHAPTER XI

MISCELLANEOUS

81. Recovery of sums due to Government	117
81-A. Power of financing bank to proceed against defaulting members of co-operative society	117
82. Bar of jurisdiction of Courts	118
83. Recovery of costs	118
84. Enforcement of charge	119
84-A. Recovery of sums due to certain societies	119
85. Execution of orders, etc.	120
85-A. Manner of executing order to deliver possession of immovable property	121
86. Service of notice	121
87. Registrar and other officers etc. to be public servants	122
88. Indemnity for acts done in good faith	122
89. Powers of civil courts	122
90. Registrar or person empowered by him to be a civil court for certain purposes	123
91. [***]	123
92. Companies Act not to apply	123
93. Certain other Acts not to apply to Co-operative Societies	123
94. Notice necessary in suits	123
95. Power to make rules	124
95-A. Removal of difficulties	128
96. Repeal and savings	129

धाराएँ

80-ख. अन्तर्वर्ती आदेश करने की शक्ति	पृष्ठ
80-ग. आदेशों के निष्पादन का रोका जाना	116
80-घ. लंबित मामलों का अंतरण	116

ग्यारहवां अध्याय

प्रकीर्ण

81. सरकार को शोध राशियों की वसूली	117
81-क. सहकारी सोसाइटी के व्यक्तिक्रमी सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने की किसी वित्तादायी बैंक की शक्ति	117
82. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन	118
83. खर्च की वसूली	118
84. भार का प्रवर्तन	119
84-क. कतिपय सोसाइटियों को शोध राशियों की वसूली	119
85. आदेशों आदि का निष्पादन	120
85-क. स्थावर संपत्ति का कब्जा देने के आदेश को निष्पादित करने की रीति	121
86. सूचना की तामील	121
87. रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी आदि, लोक सेवक होंगे	122
88. सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों के लिये परित्राण	122
89. सिविल न्यायालयों की शक्तियां	122
90. रजिस्ट्रार या उसके द्वारा सशक्त किया गया व्यक्ति कतिपय प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय होगा	123
91. [***]	123
92. कम्पनी अधिनियम लागू नहीं होगा	123
93. कतिपय अन्य अधिनियम सहकारी सोसाइटियों को लागू नहीं होंगे	123
94. वादों में सूचना देना आवश्यक होगा	123
95. नियम बनाने की शक्ति	124
95-क. कठिनाईयों का निराकरण	128
96. निरसन तथा व्यावृत्तियां	129

Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960

(Act No. 17 of 1961)

Received the assent of the President on 28-4-1961, the assent first published in M.P. Gazette on 12-5-1961.

¹[An Act to organize and develop Co-operatives as democratic instruments and people's institution based on the principles of voluntary formation, autonomous functioning, democratic member-control, member-economic participation and autonomous functioning.]

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Eleventh Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement — (1) This Act may be called the "Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960".

(2) It extends to the whole of Chhattisgarh².

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. Definitions — In this Act, unless the context otherwise requires—

(a) "Additional Registrar" means an Additional Registrar of Cooperative Societies appointed under Section 3;

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the words "An Act to organise and develop cooperatives as democratic instruments and people's institutions based on self help, and mutual aid and for curbing exploitation and ensuring socio-economic development of people with particular emphasis on weaker sections of society.", w.e.f. 13-2-2013.

2. As adapted by Adaption of Laws Order dated 13-6-2001. C.G. State came into existence on 1-11-2000 with Rule and Notification M.P. Co-operative Societies, the word "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted, w.e.f. 1-11-2000.

—:1:-

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960

(अधिनियम क्रमांक 17 सन् 1961)

दिनांक 28 अप्रैल, 1961 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति 'मध्यप्रदेश राजपत्र' में दिनांक 12 मई, 1961 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।

¹[लोकतांत्रिक साधन और जनता की संस्था के रूप में, स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्यों का नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता और स्वशासी क्रियाकरण के सिद्धांतों पर आधारित सहकारी संस्थाओं को संगठित और विकसित करने हेतु अधिनियम।]

भारत गणराज्य के ग्यारहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधानमण्डल द्वारा निम्न लिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

पहला अध्याय प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960" है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़² पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अपर रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार;

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्दों "लोकतांत्रिक साधन के रूप में और स्वयंसेवी तथा पारस्परिक सहायता पर आधारित लोक संस्थाओं के रूप में स्वैच्छिक सहकारी संस्थाओं को संगठित करने, उनका विकास करने और जनता के, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम।" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

2. दिनांक 1-11-2000 से छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया विधि अनुकूलन आदेश दिनांक 13-6-2001 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, नियम व अधिसूचना सहित, मध्यप्रदेश के स्थान पर छत्तीसगढ़ प्रतिस्थापित करके 1-11-2000 से छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है।

—:1:-

¹[(a-i) "Apex Society" means a society whose principal object is to provide facilities for the operation of other societies affiliated to it and whose area of operation extends to the whole State of Chhattisgarh;]

(b) "Assistant Registrar" means an Assistant Registrar of Cooperative Societies appointed under Section 3;

²[(b-i) "Area of operation" means the area from which the membership is drawn or as specified in the bye-laws of the society;]

³[(b-ii) "Authorized Person" means a person authorized by Registrar to act on his behalf under this Act;]

(c) "bye-laws" means the bye-laws registered or deemed to have been registered under this Act and for the time being in force, and includes a registered amendment of the bye-laws;

⁴[(c-i) "Central Society" means a District Co-operative Agriculture and Rural Development Bank or any other society, whose area of operation is confined to a part of the State and which has as its object the promotion of the objects of the member societies, and which has at least five societies as its members;]

⁵[(c-ii) "Central Co-operative Bank" means a resource society registered or deemed to be registered under this Act, which is either licensed under the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or permitted by the Reserve Bank of India to do banking business till so licensed, and—

1. Ins. by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970, w.e.f. 12-2-1970.
2. Added by Sec. 3(1) of M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.
3. Added by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013, w.e.f. 13-2-2013.
4. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 20 of 2003, w.e.f. 9-9-2003.
5. Subs. by M.P. Amendment Act No. 28 of 1982, w.e.f. 29-10-1982.

¹[(क-एक) "शीर्ष सोसाइटी" से अभिप्रेत है वह सोसाइटी जिसका प्रधान उद्देश्य उन अन्य सोसाइटियों को जो कि उससे संबद्ध हो, क्रियाकरण के लिये सुविधाएं देना हो और जिसके क्रियाक्षेत्र का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ पर हो;]

(ख) "सहायक रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का सहायक रजिस्ट्रार;

²[(ख-क) "कार्यक्षेत्र" से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जहां से सदस्यता ली जाती है या जैसा कि सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट है;]

³[(ख-ख) "प्राधिकृत व्यक्ति" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो;]

(ग) "उपविधियों" से अभिप्रेत है वे उपविधियां जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई हों या रजिस्ट्रीकृत की गयी समझी जाती हों तथा जो तत्समय प्रवृत्त हों, और उनके अन्तर्गत उपविधियों का कोई रजिस्ट्रीकृत संशोधन आता है;

⁴[(ग-एक) "केन्द्रीय सोसाइटी" से अभिप्रेत है, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या अन्य कोई सोसाइटी जिसका कार्यक्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो तथा जिसका उद्देश्य सदस्य सोसाइटियों के उद्देश्यों को संप्रवर्तित करना है और जिसकी कम से कम पांच सदस्य सोसाइटियाँ हैं;]

⁵[(ग-दो) "केन्द्रीय सहकारी बैंक" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई संसाधन सोसाइटी जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का सं. 10) के अधीन या तो अनुज्ञप्त हो या जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार अनुज्ञप्त किये जाने तक बैंककारी कारोबार करने के लिए अनुज्ञात हो; और—

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 12-2-1970 से प्रभावशील।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 की धारा 3(1) द्वारा जोड़ा गया दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।
3. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा जोड़ा गया दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
4. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 20 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 9-9-2003 से प्रभावशील।
5. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 28 सन् 1982 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 29-10-1982 से प्रभावशील।

- (i) has area of operation confined to part of the State; and
- (ii) has as its principal object, the creation of funds and the obtaining credit, goods or services for and providing credit, goods or services as loan to Cooperative Societies affiliated to it for agriculture, industrial and other allied purposes;]

¹[(c-iii) "Company" means a Company as defined in Section 3 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);]

²[(c-iv) "Co-operative Union" means a registered society which has as its principal object the undertaking of co-operative education, propaganda, training and extension of co-operative services;]

³[(d) "Board" means the board of directors or the governing body of a co-operative society, by whatever name called, to which the direction and control of the management of the affairs of a society is entrusted to;]

⁴[(d-i) "Co-operative Bank" means a State Co-operative Bank, a Central Co-operative Bank and a Primary Co-operative Bank, registered or deemed to be registered under this Act;]

(e) "Co-operative Society with limited liability" means a society having the liability of its members limited by its bye-laws to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them or to such amount as they may, respectively, undertake to contribute to the assets of the society in the event of its being wound up;

1. Ins. by M.P. Amendment Act No. 28 of 1982, w.e.f. 29-10-1982.
2. Ins. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988, w.e.f. 28-6-1988.
3. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the following clause (d), w.e.f. 13-2-2013 :-
(d) "Committee" means the Board of a management by whatever name called constituted under Section 48;
4. Ins. by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970.

- (एक) जिसका कार्य क्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो; और
- (दो) जिसका मुख्य उद्देश्य यह हो कि अपने से संबद्ध सहकारी सोसाइटियों के लिये निधियों का सृजन करें और कृषिक, औद्योगिक एवं अन्य सहबद्ध प्रयोजनों के लिये उन सहकारी सोसाइटियों के लिये क्रेडिट, माल या सेवाएं अभिप्राप्त करें और क्रेडिट, माल या सेवाएं या उधार के रूप में उनका प्रदाय उन सहकारी सोसाइटियों को करें।]

¹[(ग-तीन) "कम्पनी" से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) की धारा 3 में यथा परिभाषित कोई कंपनी;]

²[(ग-चार) "सहकारी संघ" से अभिप्रेत है कोई ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता शिक्षा देना, उसका प्रचार करना, सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देना और उनका विस्तार करना है;]

³[(घ) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अथवा सहकारी सोसाइटी का शासी निकाय जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसे सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का निदेशन एवं नियंत्रण का भार सौंपा गया हो;]

⁴[(घ-एक) "सहकारी बैंक" से अभिप्रेत है कोई ऐसा राज्य सहकारी बैंक, कोई ऐसा केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा कोई ऐसा प्राथमिक सहकारी बैंक जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाता हो;]

(ङ) "परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जिसके सदस्यों का दायित्व उसकी उपविधियों द्वारा उस रकम, यदि कोई हो, जो कि उनके द्वारा धारित अंशों पर अदत्त हो, तक परिसीमित हो या ऐसी रकम जिसका कि, उस सोसाइटी का परिसमापन हो जाने की दशा में, उसकी आस्तियों के प्रति अभिदाय करने का जिम्मा वे अपने ऊपर लें, तक परिसीमित हो;

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 28 सन् 1982 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 29-10-1982 से प्रभावशील।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 28-6-1988 से प्रभावशील।
3. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा निम्नलिखित खण्ड (घ) के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील—
(घ) "समिति" से अभिप्रेत है धारा 48 के अधीन गठित किया गया प्रबन्ध बोर्ड, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो;
4. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा अन्तःस्थापित।

¹[(e-i) "Chief executive" means an individual appointed under Section 49-E and who subject to superintendence, control and direction of the Chairman of the ²[Board] has been entrusted by the ³[Board] with the management of the affairs of the co-operative;

(f) ³[***]

(g) "Consumers' Society" means a society formed with the object of obtaining or producing and processing and distributing goods to or performing other services for its members, as well as for other customers and dividing among its members and customers in a proportion as may be laid down in the bye-laws of such society, the profits accruing from such supply, production, processing and distribution;

⁴[(g-i) "delegate" means a person elected by a group of individual members to represent them in the general body of the society in accordance with the bye-laws of the society;]

⁴[(g-ii) "Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation" means the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation established under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (No. 47 of 1961);]

(h) "Deputy Registrar" means a Deputy Registrar of Cooperative Societies appointed under Section 3;

⁵[(hh) "Development Bank" means a District Co-operative Agriculture and Rural Development Bank or the Chhattisgarh State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank registered or deemed to be registered under this Act;]

1. Added by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.
2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
3. Omitted by Co-operative Society (Amendment) Act No. 25 of 1988.
4. Subs. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988.
5. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 20 of 2003, w.e.f. 9-9-2003.

¹[(ड-एक) "मुख्य कार्यपालक" से अभिप्रेत है धारा 49 (ड) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति और जिसे ²[बोर्ड] के अध्यक्ष के अधीक्षण, नियन्त्रण और निदेशन के अधीन रहते हुए ³[बोर्ड] द्वारा सहकारी सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा गया है;]

(च) ³[***]

(छ) "उपभोक्ता सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो अपने सदस्यों तथा साथ ही अन्य ग्राहकों के लिए माल अभिप्राप्त करने या उसका उत्पादन करने तथा प्रसंस्करण करने एवं उन्हें उसका वितरण करने या उनके लिए अन्य सेवाएँ करने के तथा ऐसे प्रदाय, उत्पादन, प्रसंस्करण एवं वितरण से प्रोद्भूत होने वाले लाभों को अपने सदस्यों तथा ग्राहकों के बीच उस अनुपात में, जो कि ऐसी सोसाइटी की उपविधियों में अधिकथित किया जाये, वितरण करने के उद्देश्य से बनाई गई हो;

⁴[(छ-एक) "प्रत्यायुक्त" से अभिप्रेत है व्यक्ति सदस्यों के समूह द्वारा सोसाइटी के साधारण निकाय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार निर्वाचित कोई व्यक्ति;]

⁴[(छ-दो) "डिपॉजिट इश्योरेन्स एण्ड गारण्टी कोर्पोरेशन" से अभिप्रेत है डिपॉजिट इश्योरेन्स एण्ड गारण्टी कोर्पोरेशन एक्ट, 1961 (1961 का सं. 47) के अधीन स्थापित डिपॉजिट इश्योरेन्स एण्ड गारण्टी कोर्पोरेशन;]

(ज) "उप रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटीयों का कोई उप रजिस्ट्रार;

⁵[(जज) "विकास बैंक" से अभिप्रेत है, ऐसा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाए;]

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा जोड़ा गया दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।
2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
3. सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा विलोपित।
4. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 20 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 9-9-2003 से प्रभावशील।

¹[(i) "Family" means a person, his spouse, his children, dependent on him and his other relations dependent on him and jointly residing with him;]

(j) "Farming Society" means a society formed with the object of promoting development of land and better methods of cultivation and includes a better farming society, tenant farming society, collective farming society, joint farming society, irrigation society and a crop protection society;

²[(k) "Federal Society" means a society of which not less than fifty per cent¹ of the share capital, excluding Government share capital is held by Societies;]

(l) "Financing Bank" means a Society, the objects of which include the creation of funds to be lent to other societies or its individual members, and includes a ³[Development Bank] and the State Co-operative Bank;

(m) "General Society" means a society not falling under any of the heads (i) to (ix) specified in sub-section (1) of Section 10;

(n) "Housing Society" means a society formed with the object of providing its members with residential accommodation;

⁴[(n-i) "Industrial Society" means a Society formed with life objects of promoting development of weavers, carpenters, metal workers, shoe makers or any other Society which aims at producing finished goods from raw materials of any kind;]

(o) "Joint Registrar" means a Joint Registrar of Co-operative Societies appointed under Section 3;

(p) "Liquidator" means a person appointed under Section 70;

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988.
2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970.
3. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 20 of 2003, w.e.f. 9-9-2003.
4. Ins. by Amendment Act No. 20 of 1999, w.e.f. 7-8-1999.

¹[(झ) "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी, उस पर आश्रित उसकी संतान और उस पर आश्रित तथा उसके साथ संयुक्त: निवास करने वाले अन्य नातेदार;]

(ज) "कृषि फर्म सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो भूमि के विकास तथा खेती की अधिक अच्छी पद्धतियों को संप्रवर्तित करने के उद्देश्य से बनाई गई हो और उसके अंतर्गत आती हैं बेहतर कृषि फर्म सोसाइटी, अभिधारी कृषि फर्म सोसाइटी, सामूहिक कृषि फर्म सोसाइटी, संयुक्त कृषि फर्म सोसाइटी, सिंचाई सोसाइटी तथा फसल संरक्षण सोसाइटी;

²[(ट) "संघीय सोसाइटी" से अभिप्रेत है वह सोसाइटी जिसकी अंशपूजी का, सरकारी अंशपूजी को अपवर्जित करते हुए, कम से कम पचास प्रतिशत सोसाइटियों द्वारा धारित हो;]

(ठ) "वित्तदायी बैंक" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जिसके उद्देश्यों के अंतर्गत अन्य सोसाइटियों को या उसके वैयक्तिक सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजित किया जाना आता है, और उसके अंतर्गत आते हैं कोई ³[विकास बैंक] तथा राज्य सहकारी बैंक;

(ड) "साधारण सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो धारा 10 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किए गए शीर्ष (एक) से (नौ) तक में से किसी भी शीर्ष के अंतर्गत न आती हो;

(ढ) "गृह निर्माण सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो इस उद्देश्य से बनाई गई हो कि वह अपने सदस्यों के लिये निवास स्थान की व्यवस्था करें;

⁴[(ढ-एक) "औद्योगिक सोसाइटी" से अभिप्रेत है बुनकर, बढ़ई, धातुकर्मकारों, मोची या कोई अन्य सोसाइटी, जिसका लक्ष्य किसी भी प्रकार के कच्चे माल से परिष्कृत माल निर्मित करना है, के विकास को संप्रवर्तित करने के उद्देश्य से विरचित कोई सोसाइटी;]

(ण) "संयुक्त रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का कोई संयुक्त रजिस्ट्रार;

(त) "समापक" से अभिप्रेत है धारा 70 के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 20 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 9-9-2003 से प्रभावशील।
4. संशोधन अधिनियम क्र. 20 सन् 1999 द्वारा अन्तः स्थापित दिनांक 7-8-99 से प्रभावशील।

(q) "Marketing Society" means a society formed for the purpose of marketing agricultural or other produce and including among its objects, the supply of the requisites of such production;

(r) "Member" means a person joining in the application for the registration of a society or a person admitted to membership after registration in accordance with this Act, the rules and the bye-laws applicable to such society and includes the State Government when it subscribes to the share capital of a society;

(s) "Multi-purpose Society" means a society which includes amongst its objects any of the primary objects specified in any two or more of the clauses (g), (n), (v) and (y);

(t) "Nominal Member" means a person admitted to membership of a society under Section 20;

¹[(t-i)] "Officer" means a person appointed by the society to discharge the function assigned by the society and includes any officer posted on deputation;]

²[(t-ia)] "Office bearer" means a President, Vice-President, Chairperson, Vice-Chairperson, Secretary or Treasurer of a co-operative society and includes any other person to be elected by the board of any co-operative society;]

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the following clause (t-i), w.e.f. 13-2-2013 :—

(t-i) "Officer" means a person elected or appointed by a society according to its bye-laws to any office of such society and includes a Chairman, Vice Chairman, President, Vice-President, Managing Director, Manager, Secretary, Treasurer, Member of the Committee and any other person elected or appointed under this Act, the rules or the bye-laws to give directions in regard to the business of such society;

2. Ins. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013, w.e.f. 13-2-2013.

(थ) "विपणन सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो कृषि या अन्य उपज का विपणन करने के प्रयोजन के लिए बनाई गई हो और जिसके उद्देश्यों में ऐसी उपज के लिये अपेक्षित वस्तुओं का प्रदाय करना सम्मिलित हो;

(द) "सदस्य" से अभिप्रेत है किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन में संयोजित होने वाला कोई व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, इस अधिनियम तथा उन नियमों एवं उपविधियों के, जो कि ऐसी सोसाइटी को लागू हों, अनुसार सदस्यता प्रदान कर दी गई हो और उसके अन्तर्गत राज्य सरकार, जब वह किसी सोसाइटी को अंशपूजी के प्रति अभिदाय करती हो, आती है;

(ध) "बहुप्रयोजन सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जिसके उद्देश्यों में उन प्राथमिक उद्देश्यों में से, जो कि खण्ड (छ), (ड), (फ) तथा (म) में से किन्हीं भी दो या अधिक खण्डों में विनिर्दिष्ट किए गये हैं, कोई प्राथमिक उद्देश्य सम्मिलित हो;

(न) "नाममात्र का सदस्य" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 20 के अधीन किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया गया हो; ¹[(न-एक) "अधिकारी" से अभिप्रेत है, व्यक्ति जिसे सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन के लिए सोसाइटी द्वारा नियुक्त किया गया हो, तथा सहकारी सोसाइटी द्वारा जिसमें कोई अधिकारी जिसकी पदस्थापना प्रतिनियुक्ति पर हुई है, भी सम्मिलित है;]

²[(न-एक क) "पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सचिव या कोषाध्यक्ष, और जिसमें कोई भी अन्य व्यक्ति, जो सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के द्वारा निर्वाचित किया जाता हो, भी सम्मिलित है;]

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा निम्नलिखित खण्ड (न-एक) के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील—

(न-एक) "अधिकारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सोसाइटी द्वारा ऐसी सोसाइटी के किसी पद पर ऐसी सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो और उसके अन्तर्गत कोई सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष, समिति का सदस्य तथा कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे ऐसी सोसाइटी के कारोबार के संबंध में निर्देश देने के लिये इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो, आता है;

2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

(u) "Other backward classes" means category of persons belonging to backward classes as notified by the State Government;

¹[(u-i) "Primary Society" means a society which is neither an Apex Society nor a Central Society;]

²[(u-ii) "Primary Agriculture Credit Co-operative Society" means a society organised with the main objective of making credit available for agriculture production and includes Primary, Service Cooperative Society and Adim Jati Sewa Sahakari Samiti;]

³⁴[(u-iii)] "Primary Co-operative Bank" means a resource society other than a village or urban resource society not registered as bank, the objects of which include creation of funds to be lent to and obtaining credit to be extended to its Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or permitted by the Reserve Bank of India to do banking business till so licensed;]

(v) "Producers' Society" means a society formed with the object of producing and disposing of goods as a collective property of its members and includes a society formed with the object of the collective disposal of the labour of its members;

(w) "Processing Society" means a society formed with the object of producing goods by mechanical or manual process and includes an industrial society and a society for the processing of agricultural commodities;

(x) "Registrar" means the Registrar of Co-operative Societies appointed under Section 3;

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970.
2. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1990.
3. Renumbering by M.P. Amendment Act No. 14 of 1990, w.e.f. 31-7-1990.
4. Subs. by M.P. Amendment Act No. 28 of 1982.

(प) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है ऐसे पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का प्रवर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

¹ [(प-एक) "प्राथमिक सोसाइटी" से अभिप्रेत है वह सोसाइटी जो न तो शीर्ष सोसाइटी हो और न केन्द्रीय सोसाइटी;]

² [(प-दो) "प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है ऐसी सोसाइटी जो कृषि उत्पादन के लिये उधार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से संगठित की गई है और उसके अंतर्गत प्राथमिक सेवा सहकारी सोसाइटी, कृषक सेवा सहकारी सोसाइटी, वृहत्ताकार सहकारी सोसाइटी और आदिम जाति सेवा सहकारी सोसाइटी है;]

³⁴ [(प-तीन)] "प्राथमिक सहकारी बैंक" से अभिप्रेत है बैंक के रूप में रजिस्ट्रीकृत न की गई नगरीय या ग्राम संसाधन सोसाइटी से भिन्न कोई सोसाइटी, जिसके उद्देश्यों के अन्तर्गत उसके सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजित किया जाना और उसके सदस्यों को दिए जाने हेतु क्रेडिट अभिप्राप्त करना आता हो और जो या तो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का सं. 10) के अधीन अनुज्ञप्त हो या जो इस प्रकार अनुज्ञप्त किये जाने तक बैंककारी कारोबार करने के लिए अनुज्ञात है;]

(फ) "उत्पादक सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन तथा व्ययन अपने सदस्यों की सामूहिक संपत्ति के रूप में करने के उद्देश्य से बनाई गई है और उसके अन्तर्गत कोई ऐसी सोसाइटी आती है जो उसके सदस्यों के श्रम के सामूहिक उपयोग के उद्देश्य से बनाई गई है;

(ब) "प्रसंस्करण सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन यांत्रिक या शारीरिक प्रक्रिया द्वारा करने के उद्देश्य से बनाई गई हो और उसके अन्तर्गत कोई औद्योगिक सोसाइटी तथा कोई ऐसी सोसाइटी, जो कृषि उपज का प्रसंस्करण करने के लिए हो, आती है;

(ध) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार;

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1990 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1990 द्वारा पुनः क्रमांकित दिनांक 31-7-1990 से प्रभावशील।
4. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 28 सन् 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹[(x-i)] "Representative" means a member of the society to represent the society in other societies;]

²[(x-ii)] "Reserve Bank" means the Reserve Bank of India established under the Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 2 of 1934);]

(y) "Resource Society" means a society formed with the object of obtaining for its members the credit, goods or services required by them and includes a service society and a primary credit society;

³[(y-i)] "Returning Officer" means an officer appointed by the ⁴[State Election Commission] by general or special order for performing the duties of a Returning Officer under this Act or the rules made thereunder and includes an officer subordinate to the Returning Officer nominated in writing by him to perform the duties of Returning Officer;]

¹[(y-ii)] "Scheduled area" means the area which has been declared under the Scheduled Area (State of Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh and Orissa) Order, 1977;]

⁵[(z)] "Co-operative Society" means a Co-operative society registered or deemed to be registered under this Act;]

1. Ins. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.
2. Ins. by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970 and Renumbering by M.P. Amendment Act No. 14 of 1990, w.e.f. 31-7-1990.
3. Ins. by M.P. Amendment Act No. 3 of 1985.
4. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the words "Registrar", w.e.f. 13-2-2013.
5. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the following clause (z), w.e.f. 13-2-2013 :—
(z) "Society" means a co-operative society registered or deemed to be registered under this Act;

¹[(भ-एक)] "प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है किसी सोसाइटी का कोई ऐसा सदस्य जो उस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटी में करे;]

²[(भ-दो)] "रिजर्व बैंक" से अभिप्रेत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 (क्रमांक 2 सन् 1934) के अधीन स्थापित किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया;]

(म) "संसाधन सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो इस उद्देश्य से बनाई गई हो कि वह अपने सदस्यों के लिए उधार (क्रेडिट), माल या सेवाएँ, जो कि उनके द्वारा अपेक्षित हों, अभिप्राप्त करें और उसके अन्तर्गत कोई सेवा सोसाइटी तथा कोई प्राथमिक साख सोसाइटी आती हैं;

³[(म-एक)] "रिटर्निंग अधिकारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा अधिकारी जिसे ⁴[राज्य निर्वाचन आयोग] ने, साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस हेतु नियत किया हो कि वह अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन रिटर्निंग अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करे और उसके अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी के अधिनस्थ कोई ऐसा अधिकारी आता है जिसे उसने इस हेतु लिखित में नाम निर्दिष्ट किया हो कि वह रिटर्निंग अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करे;]

¹[(म-दो)] "अनुसूचित क्षेत्र" से अभिप्रेत है कि वह क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 के अधीन घोषित किया गया है;]

⁵[(य)] "सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली सहकारी सोसाइटी;]

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील ।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा अन्तःस्थापित तथा म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1990 द्वारा पुनःक्रमांकित दिनांक 31-7-1990 से प्रभावशील ।
3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 3 सन् 1985 द्वारा अन्तःस्थापित ।
4. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्दों "रजिस्ट्रार" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील ।
5. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा निम्नलिखित खण्ड (य) के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील—
(य) "सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई सहकारी सोसाइटी जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुई समझी जाती हो;

¹[(z-i) "Specified Office" means the office of the President or Chairman;]

(aa) "State Co-operative Bank" means the Chhattisgarh State Co-operative Bank Limited;

(bb) "Student" means a person studying in any educational, vocational or training institution;

²[(cc) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(dd) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(ee) "Tribunal" means the Chhattisgarh State Co-operative Tribunal constituted under Section 77;

(ff) "Multi-State co-operative society" means a society registered or deemed to be registered under the Multi-State co-operative societies Act 2002 (No. 39 of 2002);

(gg) "State level co-operative society" means a co-operative society having its area of operation extending to the whole of the State;

(hh) "Administrator" means a person appointed by Registrar with such terms and conditions to manage the affairs of the societies during the period in which the board of society is kept under supersession or suspension;

(ii) "Functional Director" means a Director other than elected and co-opted of the board, having functional responsibilities but re-presenting the board of directors, such as Managing Director, Additional Managing Director, Director Finance, Director Marketing, Secretary and other functional Officer etc.;

(jj) "State Election Commission" means an authority or body referred to in article 243K of Constitution of India, for the purpose of superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to a co-operative society;]

1. Ins. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

2. New clause (cc) to (jj) added by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013, w.e.f. 13-2-2013.

¹[(य-एक) "विनिर्दिष्ट पद" से अभिप्रेत है कि अध्यक्ष या सभापति का पद;]

(क) "राज्य सहकारी बैंक" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित;

(ख) "विद्यार्थी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी शैक्षणिक, व्यावसायिक या प्रशिक्षण संस्था में अध्ययन कर रहा है;

²[(ग) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(घ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ङ) "अधिकरण" से अभिप्रेत है, धारा 77 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण;

(च) "बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई सहकारी सोसाइटी जो बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (क्र. 39 सन् 2002) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, या रजिस्ट्रीकृत समझी जाती हो;

(छ) "राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटी जिसके कार्यक्षेत्र का विस्तार संपूर्ण राज्य में हो;

(ज) "प्रशासक" से अभिप्रेत है, व्यक्ति जिसे सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के निलंबन अथवा अधिकरण के अधीन रखे जाने की कालावधि के दौरान, सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का प्रबंधन करने के लिए ऐसे निबंधन एवं शर्तों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया हो;

(झ) "कार्यकारी संचालक" से अभिप्रेत है, बोर्ड के निर्वाचित और सहयोजित संचालक को छोड़कर ऐसे संचालक जो संचालक मण्डल का प्रतिनिधित्व करते हों, जैसे प्रबंधक संचालक, अतिरिक्त प्रबंध संचालक, संचालक वित्त, संचालक विपणन और अन्य कार्यकारी अधिकारी इत्यादि, जिन पर कार्यकारी उत्तरदायित्व हो;

(ज) "राज्य निर्वाचन आयोग" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के में निर्दिष्ट प्राधिकारी या निकाय, जिसका प्रयोजन सभी सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन का संचालन, निर्वाचक नामावली तैयार करने पर अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण;]

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।

2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा नवीन खण्ड (ग) से (ज) तक जोड़ा गया, दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

CHAPTER II REGISTRATION

3. Registrar and other officers — (1) The State Government shall appoint a person to be the Registrar of Co-operative Societies for the State and may appoint one or more officers of the following categories to assist him, namely :—

- (a) Additional Registrar of Co-operative Societies;
- (b) Joint Registrar of Co-operative Societies;
- (c) Deputy Registrar of Co-operative Societies;
- (d) Assistant Registrar of Co-operative Societies;
- (e) such other categories of officers as may be prescribed.

(2) The officers appointed to assist the Registrar shall, within such areas as the State Government may specify, exercise such powers and perform such duties conferred and imposed on the Registrar by or under this Act as the State Government may, by special or general order, direct:

¹[Provided that no officer other than the Additional Registrar or the Joint Registrar shall be directed to exercise the powers to hear appeals under Section 78.]

(3) The Officers appointed to assist the Registrar shall be subordinate to him and shall work under his general guidance, supervision and control.

4. Societies which may be registered — Subject to the provisions of this Act, a society which has as its objects the promotion of the economic interest of its members or their general welfare in accordance with co-operative principles or a society established with the object of facilitating the operations of such a society, may be registered under this Act.

5. Registration of societies with limited or unlimited liability — A society may be registered with limited or unlimited liability :

Provided that unless the State Government by a general or special order otherwise directs, the liability of a society of which another society is a member shall be limited.

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

दूसरा अध्याय रजिस्ट्रीकरण

3. रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी—(1) राज्य सरकार राज्य के किसी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटीयों का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी और निम्नलिखित प्रवर्गों के एक या अधिक अधिकारियों को इस हेतु नियुक्त कर सकेगी कि वे उसकी सहायता करें, अर्थात्—

- (क) सहकारी सोसाइटीयों का अपर रजिस्ट्रार;
- (ख) सहकारी सोसाइटीयों का संयुक्त रजिस्ट्रार;
- (ग) सहकारी सोसाइटीयों का उप रजिस्ट्रार;
- (घ) सहकारी सोसाइटीयों का सहायक रजिस्ट्रार;
- (ङ) अधिकारियों के ऐसे अन्य प्रवर्ग जो कि विहित किये जायें।

(2) रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त किये गये अधिकारी, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त की गई ऐसी शक्तियों का तथा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन रजिस्ट्रार पर अधिरोपित किये गये ऐसे कर्तव्यों का, जैसा कि राज्य सरकार, विशेष या साधारण आदेश, द्वारा निर्देश दे, प्रयोग तथा पालन ऐसे क्षेत्रों के भीतर करेंगे जैसे कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें :

¹[परन्तु अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न किसी भी अधिकारी को इस बात के लिये विनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा कि वह धारा 78 के अधीन अपीलों की सुनवाई करने की शक्तियों का प्रयोग करें।]

(3) रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिये नियुक्त किये गये अधिकारी रजिस्ट्रार के अधीनस्थ होंगे और उसके साधारण मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।

4. सोसाइटीयों जो रजिस्ट्रीकृत की जा सकेंगी—इस अधिनियम के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, किसी भी ऐसी सोसाइटी को, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हित या उनके साधारण कल्याण को सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार संप्रवर्तित करना हो, या किसी ऐसी सोसाइटी को, जो कि किसी ऐसी सोसाइटी की संक्रियाओं को सुकर बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।

5. परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित सोसाइटीयों का रजिस्ट्रीकरण—

कोई सोसाइटी परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी: परन्तु जब तक कि राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अन्यथा निर्देशित न करे, किसी ऐसी सोसाइटी का, जिसकी कि सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो, दायित्व परिसीमित होगा।

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹[6. Conditions of registration — (1) No society, other than a society of which another society is a member, shall be registered under this Act unless it consists of at least twenty persons competent to contract under Section 11 of the Indian Contract Act, 1872 (IX of 1872) and belonging to ²[twenty] different families, not being near relations and, where the objects of the society include the creation of funds to be lent to its members, unless such persons, save where the Registrar by general or special order otherwise directs, reside in the same town or village or in a compact group of villages:]

Provided that a society formed exclusively for the benefit of students may be registered, notwithstanding that the members of such society may not have attained the age of majority according to the law to which they are subject:]

²[Provided further that the Registrar may relax the condition of minimum membership to that society which is organized for the welfare of the employees of any organisation/establishment:]

³[Provided also that in case of a primary society, there shall be atleast 33 per cent women members at the time of registration:]

Provided also that the Registrar may, for sufficient reasons, relax the conditions of the prescribed percentage of women members.]

(2) The word "limited" or its equivalent in any Indian language shall be the last word in the name of every society registered with limited liability under this Act.

7. Application for registration — (1) For purposes of registration, an application to register a society shall be made to the Registrar in the prescribed form and shall be accompanied by four copies of the proposed bye-laws of the society. The person by whom or on whose behalf such application is made, shall furnish such information in regard to the society, as the Registrar may require.

(2) The application shall be signed—

(a) in the case of a society of which no other society is a member, by at least ten persons qualified in accordance with the requirements of Section 6; and

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

2. Subs. by M.P. Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

3. Ins. by M.P. Amendment Act No. 33 of 1998.

¹[6. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें—(1) जिस सोसाइटी की सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो, उस सोसाइटी से भिन्न कोई भी सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जायेगी, यदि वह कम से कम ऐसे बीस व्यक्तियों से मिलकर न बनी हो, जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (क्रमांक 9 सन् 1872) की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिये सक्षम हो तथा जो निकट के नतेदार न होकर ²[बीस] भिन्न-भिन्न कुटुम्बों के हों, और उस दशा में जबकि सोसाइटी के उद्देश्यों में उसके सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजित किया जाना सम्मिलित हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जायेगी यदि ऐसे व्यक्ति, उस दशा में के सिवाय जबकि रजिस्ट्रार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दे, उसी नगर या ग्राम में या ग्रामों के किसी समूह में निवास न करते हो:]

परन्तु अनन्ततः विद्यार्थियों के फायदे के लिये बनाई गई कोई सोसाइटी इस बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी कि ऐसी सोसाइटी के सदस्यों ने उस विधि, जिसके कि अधधीन वे हैं, के अनुसार वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है:]

²[परन्तु यह और भी कि रजिस्ट्रार न्यूनतम सदस्यता की शर्त को, ऐसी सोसाइटी के लिए, जो किसी संगठन/स्थापना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए संगठित की गई है, शिथिल कर सकेगा।]

³[परन्तु यह और भी कि किसी प्राथमिक सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रीकरण के समय कम से कम 33 प्रतिशत महिला सदस्य होंगे:]

परन्तु यह और भी कि रजिस्ट्रार पर्याप्त कारणों से महिला सदस्यों की विहित प्रतिशतता की शर्तों को शिथिल कर सकेगा।]

(2) शब्द 'परिसीमित' या किसी भारतीय भाषा में उसका पर्याय प्रत्येक ऐसी सोसाइटी के, जो कि इस अधिनियम के अधीन परिसीमित दायित्व सहित रजिस्ट्रीकृत की गई हो, नाम में अंतिम शब्द होगा।

7. रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन—(1) रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए, किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन विहित प्ररूप में रजिस्ट्रार को किया जायेगा और उसके साथ सोसाइटी की प्रस्थापित उपविधियों की चार-चार प्रतिलिपियां संलग्न होंगी। वह व्यक्ति, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसा आवेदन किया जाय, सोसाइटी के बारे में ऐसी जानकारी देगा जैसी कि रजिस्ट्रार अपेक्षित करें।

(2) आवेदन—

(क) किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कि सदस्य कोई अन्य सोसाइटी न हो, कम से कम दस ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो धारा 6 की अपेक्षाओं के अनुसार अर्हित हों, और

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. म.प्र. अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित, दिनांक 8-5-1994 से प्रभावी।

3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 33 सन् 1998 द्वारा अन्तः स्थापित।

(b) in the case of a society of which a member is a registered society, by a duly authorised person on behalf of every such registered society and where all the members of the society are not registered societies, by ten other members, or when there are less than ten other members, by all of them.

¹[8. Power of Registrar to decide certain questions — Where in connection with the formation, registration or continuance of a society or the admission of a person as a member of a society any question arises whether a person is an agriculturist or not or whether any person resides in a particular area or not or whether any person belongs to any particular class or occupation or not or such other question pertaining to the eligibility of any person to become a member of a society, such question shall be decided by the Registrar and his decision shall be final.]

9. Registration — (1) If the Registrar is satisfied that a society has complied with the provisions of this Act and the rules and that its proposed bye-laws are not contrary to this Act or the rules, he may register the society and its bye-laws with such modifications as he may consider necessary:

Provided that no society shall be registered, if in the opinion of the Registrar, it is likely to be economically unsound or is likely to have an adverse effect upon any other society.

(2) Where the Registrar refuses to register a society or its bye-laws he shall communicate the order of refusal together with reasons therefor to the first signatory to the application.

²[(3) The Registrar shall take a decision within ninety days from the date of receipt of an application for registration of a society:

Provided that where there is a failure on the part of the Registrar to dispose of such application within the period aforesaid the Registrar shall within the period of fifteen days from the date of expiration of that period, refer the application to the next higher officer and where the Registrar himself is the registering officer to the State Government, who

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970.

2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

(ख) किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कि सदस्य कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो, प्रत्येक ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो सम्यकरूपेण प्राधिकृत किया गया हो, और जहाँ उस सोसाइटी के समस्त सदस्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां न हों, वहाँ दस अन्य सदस्यों द्वारा या, जब अन्य सदस्य दस से कम हों, तो उन सबके द्वारा, हस्ताक्षरित किया जायेगा।

¹[8. कतिपय प्रश्नों को विनिश्चित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति—जहाँ किसी सोसाइटी के बनाये जाने, उसका रजिस्ट्रीकरण किया जाने या उसके बने रहने के संबंध में या किसी व्यक्ति को किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृत किये जाने के संबंध में कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत हो कि कोई व्यक्ति कृषक है या नहीं अथवा कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है या नहीं अथवा कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट वर्ग या उपजीविका से संबंधित है या नहीं अथवा जहाँ किसी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में ऐसा ही कोई अन्य प्रश्न उद्भूत हो, वहाँ ऐसा प्रश्न रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।]

9. रजिस्ट्रीकरण—(1) यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाए कि किसी सोसाइटी ने इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों का अनुपालन किया है और यह कि उसकी प्रस्थापित उपविधियाँ इस अधिनियम या नियमों के प्रतिकूल नहीं हैं, तो वह उस सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा:

परन्तु किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा यदि, रजिस्ट्रार की राय में, उसके आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाने की संभावना हो या यह संभावना हो कि उसका किसी अन्य सोसाइटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(2) जहाँ रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी को या उसकी उपविधियों को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर देता है, वहाँ वह इंकार संबंधी आदेश उस इंकार के कारणों सहित आवेदन के प्रथम हस्ताक्षरकर्ता को संसूचित करेगा।

²[(3) रजिस्ट्रार, किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से, नब्बे दिन के भीतर, विनिश्चय करेगा:

परन्तु यदि रजिस्ट्रार, पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है, तो वह ऐसी कालावधि का अवसान होने की तारीख से, पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे आवेदन को अगले उच्च अधिकारी को, और जहाँ रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रीकरण

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।

or which, as the case may be, shall dispose of the application within two months from the date of its receipt and on the failure of such higher officer or State Government, as the case may be, to dispose of the application within that period, the society and its bye-laws shall be deemed to have been registered.]

¹[(4) The Registrar shall maintain register of societies registered or deemed to be registered under this Act.]

10. Classification of Societies — ²[(1) The Registrar shall classify all societies under one or more of the following heads, namely :—

- (i) Consumers' Society;
- (ii) Farming Society;
- (iii) Federal Society;
- (iv) Central Society;
- (v) Housing Society;
- (vi) Marketing Society;
- (vii) Multipurpose Society;
- (viii) Producers' Society;
- (ix) Processing Society;
- (x) Resource Society;
- (xi) General Society;
- ³[(xii) Industrial Society:]

Provided that a society formed with the object of facilitating the operations of any particular class of societies shall be classified as a society of that class.]

⁴[(1-a) The Registrar may further classify the societies falling under any of the heads specified in sub-section (1) under the following heads, namely :—

- (a) Apex Society;
- (b) Central Society;
- (c) Primary Society.]

1. Ins. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976, w.e.f. 7-8-1999.

3. Ins. by Act No. 20 of 1999, w.e.f. 7-8-1999.

4. Ins. by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970.

अधिकारी है, वहां राज्य सरकार को निर्देशित करेगा, यथास्थिति जो या जिसके द्वारा, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर निपटारा किया जाएगा और यथास्थिति, ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहने पर सोसाइटी और उसकी उपविधियां रजिस्ट्रीकृत कर दी गई समझी जाएगी।]

¹[(4) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा रजिस्ट्रीकृत समझी गयी सोसाइटियों का एक रजिस्टर रखेगा।]

10. सोसाइटियों का वर्गीकरण—²[(1) रजिस्ट्रार समस्त सोसाइटियों का वर्गीकरण निम्नलिखित एक या अधिक शीर्षों के अधीन करेगा, अर्थात्—

- (एक) उपभोक्ता सोसाइटी;
- (दो) कृषि कर्म सोसाइटी;
- (तीन) संघीय सोसाइटी;
- (चार) केन्द्रीय सोसाइटी;
- (पांच) गृह निर्माण सोसाइटी;
- (छ) विपणन सोसाइटी;
- (सात) बहुप्रयोजन सोसाइटी;
- (आठ) उत्पादक सोसाइटी;
- (नौ) प्रसंस्करण सोसाइटी;
- (दस) संसाधन सोसाइटी;
- (ग्यारह) साधारण सोसाइटी;
- ³[(बारह) औद्योगिक सोसाइटी :]

परन्तु किसी विशिष्ट वर्ग की सोसाइटियों की संक्रिया को सुकर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई सोसाइटी उस वर्ग की सोसाइटी के रूप में वर्गीकृत की जायेगी।]

⁴[(1-क) रजिस्ट्रार उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किये गये शीर्षों में से किसी शीर्ष के अधीन आने वाली सोसाइटियों का निम्नलिखित शीर्षों के अधीन और भी वर्गीकरण कर सकेगा, अर्थात्—

- (क) शीर्ष सोसाइटी,
- (ख) केन्द्रीय सोसाइटी,
- (ग) प्राथमिक सोसाइटी।]

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।

2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 7-8-1999 से प्रभावशील।

3. म.प्र. अधिनियम क्र. 20 सन् 1999 द्वारा अन्तःस्थापित, दिनांक 7-8-1999 से प्रभावी।

4. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा अन्तःस्थापित।

(2) The Registrar for reasons to be recorded in writing may alter the classification of any society from one head to another.

(3) The decision of the Registrar in respect of classification of societies shall be final.

11. Amendment of bye-laws of society — ¹[(1) No amendment of the bye-laws of a society shall be valid until the same has been registered under this Act, for which purpose four copies of the proposed amendment shall be forwarded in the prescribed manner to the Registrar.

(2) If the Registrar is satisfied that the proposed amendment is not contrary to this Act or the rules and is not against the aims and objects of the Society or any of its existing bye-laws, he may register the amendment.]

²[(3) The Registrar shall not refuse to register an amendment of the bye-laws without giving an opportunity to the applicant society, for being heard. If he decides to refuse to register an amendment, he shall communicate the order of refusal together with reasons therefor to the society within forty-five days from the date of receipt of the proposal:

Provided that, where there is a failure on the part of the Registrar to dispose of such application within the period aforesaid, the Registrar shall within a period of fifteen days from the date of expiration of that period, refer the application to the next higher officer and where the Registrar himself is the registering officer, to the State Government, who or which, as the case may be, shall dispose of the application within two months from the date of its receipt and on the failure of such higher officer or the State Government, as the case may be, to dispose of the application within that period, the amendment of the bye-laws shall be deemed to have been registered.]

12. Power to direct amendment of bye-laws — ²[(1) Notwithstanding anything contained in this Act, or the rules or bye-laws, on the request of more than fifty per cent of the members of the society or if the Registrar considers that an amendment of the bye-laws of society is necessary or desirable in the interest of such society, he may, by an order in writing to be served on the society in the prescribed manner, require the society to make the amendment within sixty days.]

³[(2) If the society fails to make the amendment within the time specified by the Registrar, the Registrar may after giving the society an

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

3. Subs. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988.

(2) रजिस्ट्रार, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, किसी सोसाइटी के वर्गीकरण को एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में परिवर्तित कर सकेगा।

(3) सोसाइटीयों के वर्गीकरण के बारे में रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम होगा।

11. सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन—¹[(1) किसी सोसाइटी की उपविधियों का कोई भी संशोधन तब तक विधिमन्य नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर में दर्ज न किया गया हो, जिस प्रयोजन के लिये उस प्रस्तावित संशोधन की चार प्रतियाँ विहित रीति में रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी।

(2) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों के प्रतिकूल नहीं है तथा सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के या उसकी विद्यमान उपविधियों में से किसी भी उपविधि के प्रतिकूल नहीं है तो वह उस संशोधन को रजिस्टर में दर्ज कर सकेगा।]

²[(3) रजिस्ट्रार, आवेदक सोसाइटी को सुनवाई का अवसर दिए बिना, उपविधियों के किसी संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इंकार नहीं करेगा। यदि वह किसी संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इंकार करने का विनिश्चय करता है तो वह इंकार संबंधी आदेश उस इंकार के कारणों सहित प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर सोसाइटी को संसूचित करेगा:

परन्तु यदि रजिस्ट्रार, पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है तो वह ऐसी कालावधि का अवसान होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर ऐसे आवेदन को अगले उच्च अधिकारी को, और जहाँ रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, वहाँ राज्य सरकार को निर्देशित करेगा, यथास्थिति, जो या जिसके द्वारा, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर निपटारा किया जाएगा और यथास्थिति, ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहने पर उपविधियों का संशोधन रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया समझा जाएगा।]

12. उपविधियों के संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति—²[(1) इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सोसाइटी के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्यों के अनुरोध पर या यदि रजिस्ट्रार यह समझता है कि किसी सोसाइटी की उपविधियों में कोई संशोधन किया जाना ऐसी सोसाइटी के हित में आवश्यक या वांछनीय है, तो वह उस सोसाइटी पर विहित रीति में तामील किए जाने वाले लिखित आदेश द्वारा उस सोसाइटी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह साठ दिन के भीतर, ऐसा संशोधन करे।]

³[(2) यदि वह सोसाइटी, रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर संशोधन करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार, उस सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावी।

3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित।

opportunity of being heard and after soliciting the opinion of such Apex Federal Society, as may be notified by the State Government, register such amendment and issue a certified copy thereof to such society:]

¹[Provided that the provisions of this section shall not apply in the case of Urban Co-operative Banks.]

13. Change of name — A society may, by an amendment of its bye-laws, change its name, but such change shall not affect any right or obligation of the society, or of any of its members, or past members, or deceased members, or render defective any legal proceedings by or against the society, and any legal proceedings which might have been continued or commenced by or against the society by its new name.

14. Certain certificates to be conclusive evidence — ²[(1) Where a society is registered or deemed to be registered under this Act, the Registrar shall issue a certificate of registration signed by him and such certificate shall be conclusive evidence that the society therein mentioned has been duly registered unless it is proved that the registration of the society has been subsequently cancelled :

Provided that where a society is deemed to be registered under this Act, the Registrar shall issue a certificate of registration within sixty days from the date on which it was deemed to be registered.]

(2) No society shall commence business unless it has obtained a certificate of registration under sub-section (1) and every member of such society carrying on business in contravention of this subsection shall be severally liable for all liabilities incurred in such business.

(3) When the Registrar registers an amendment of the bye-laws of a society under Section 11 or Section 12, he shall issue to the society a copy of the amendment registered by him, which shall be conclusive evidence that the same is duly registered.

(4) Where a society changes its name under Section 13, the Registrar shall amend the certificate of registration accordingly which shall be conclusive evidence that the change of name is duly registered.

1. Added by M.P. Amendment Act No. 7 of 1997, w.e.f. 6-2-1997.

2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

पश्चात् और ऐसी शीर्ष/संघीय सोसाइटी की, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, राय मांगने के पश्चात् ऐसा संशोधन रजिस्टर कर सकेगा और उसकी एक प्रमाणित प्रति ऐसी सोसाइटी को जारी कर सकेगा:]

¹[परन्तु इस धारा के उपबन्ध नगरीय सहकारी बैंकों के मामलों में लागू नहीं होंगे।]

13. नाम की तब्दीली—कोई सोसाइटी, अपनी उपविधियों में संशोधन करके, अपना नाम तब्दील कर सकेगी, किन्तु ऐसी तब्दीली उस सोसाइटी के या उसके सदस्यों में से किसी सदस्य के, या भूतपूर्व सदस्यों के, या मृत सदस्यों के किसी अधिकार या उनकी किसी बाध्यता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी या ऐसी तब्दीली उस सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को नुपटिपूर्ण नहीं बनायेगी, और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाहियाँ, जो उस सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध उसके पूर्ववर्ती नाम से जारी रखी जा सकती हों या प्रारम्भ की जा सकती हों, उसके नवीन नाम से उसी प्रकार जारी रखी जायेगी या प्रारम्भ की जायेगी।

14. कतिपय प्रमाण-पत्रों का निश्चायक साक्ष्य होना—²[(1) जहाँ कोई सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाती है, या रजिस्ट्रीकृत की गयी समझी जाती है, वहाँ रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा और ऐसा प्रमाण-पत्र इस बात का कि उसमें वर्णित सोसाइटी सम्यकरूपेण रजिस्ट्रीकृत है, निश्चायक साक्ष्य होगा जब तक कि यह न साबित कर दिया जाए कि उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण बाद में रद्द कर दिया गया है:

परन्तु जहाँ कोई सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाती है, वहाँ रजिस्ट्रार उसके रजिस्ट्रीकृत किए गये समझे जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।]

(2) कोई भी सोसाइटी तब तक कारोबार प्रारम्भ नहीं करेगी जब तक कि उसने उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो और ऐसी सोसाइटी का प्रत्येक ऐसा सदस्य, जो इस उपधारा के उल्लंघन में कारबार कर रहा है, ऐसे कारबार में उपगत किये गये समस्त दायित्वों के लिये पृथक्-पृथक् दायी होगा।

(3) जब रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी की उपविधियों के किसी संशोधन को धारा 11 या धारा 12 के अधीन रजिस्टर में दर्ज करता है, तो वह, उस संशोधन की, जो उसके द्वारा रजिस्टर में दर्ज किया गया हो, एक प्रतिलिपि उस सोसाइटी को देगा जो कि इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह संशोधन रजिस्टर में सम्यकरूपेण दर्ज कर लिया गया है।

(4) जहाँ कोई सोसाइटी अपना नाम धारा 13 के अधीन तब्दील करती है, वहाँ रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को तदनुसार संशोधित करेगा जो कि इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि नाम की वह तब्दीली रजिस्टर में सम्यकरूपेण दर्ज कर ली गई है।

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 7 सन् 1997 द्वारा जोड़ा गया दिनांक 6-2-97 से प्रभावशील।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।

15. Change of liability of society from limited to unlimited or vice-versa — (1) Subject to the provisions of Section 11, a society may by an amendment of its bye-laws change its liability from limited to unlimited or from unlimited to limited.

(2) No such amendment shall be registered by the Registrar unless he is satisfied that—

- (i) twenty-one days' notice has been given to every member of the society and to any person or class of persons whose interest may, in the opinion of the Registrar, be affected by the change; and
- (ii) with respect to every such member or person who, in the opinion of the Registrar, is entitled to notice—
 - (a) either his assent has been obtained to the change or is deemed to have been obtained by virtue of his failure to object within twenty one days from the date of the notice,
 - (b) if he objects—
 - (i) he is allowed to withdraw his share, if he is a member, or
 - (ii) that his debt or claim has been discharged or has been determined or has been secured to the satisfaction of the Registrar within three months from the date of receipt of objection if he is a creditor :

Provided that the Registrar may in the case of any person or class of persons, for special reasons, to be recorded, dispense with the notice required by this sub-section.

16. Reorganisation of Societies — (1) In this section—

- (a) "affected society" means a society which decides to reorganise itself in any of the manners specified in sub-section (2); and
- (b) "resulting society" means a society—
 - (i) which is formed as a result of amalgamation under clause (a) of sub-section (2); or

15. सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित से अपरिसीमित में या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील किया जाना—(1) धारा 11 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन करके अपने दायित्व को परिसीमित से अपरिसीमित में या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील कर सकेगी।

(2) कोई ऐसा संशोधन रजिस्ट्रार द्वारा तब तक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाय कि—

(एक) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को तथा किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, जिसके कि हित पर, रजिस्ट्रार की राय में, उस तब्दीली का प्रभाव पड़ सकता है, इक्कीस दिन की सूचना दी जा चुकी है; और

(दो) प्रत्येक ऐसे सदस्य या व्यक्ति के मामले में जो, रजिस्ट्रार की राय में सूचना पाने का हकदार है;

(क) उस तब्दीली के लिये या तो उसकी अनुमति अभिप्राप्त कर ली गई है या सूचना की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर उसके द्वारा आपत्ति न किये जाने के आधार पर अभिप्राप्त हो गई समझी जाती है;

(ख) यदि उसने आपत्ति की है, तो—

(एक) उस दशा में, जबकि वह सदस्य है, यह अनुज्ञा दे दी गई है कि वह अपना अंश वापस ले लें; या

(दो) उस दशा में, जबकि वह लेनदार है, आपत्ति प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर उसके ऋण या दावे को रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में उन्मोचित कर दिया गया है या समाप्त कर दिया है या प्रतिभूत कर दिया गया है;

परन्तु रजिस्ट्रार, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की दशा में इस उपधारा द्वारा अपेक्षित की गई सूचना दिये जाने से अभिमुखित, अभिलिखित किये जाने वाले विशेष कारणों से, प्रदान कर सकेगा।

16. सोसाइटियों का पुनर्गठन—(1) इस धारा में—

(क) 'प्रभावित सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट की गई रीतियों में से किसी भी रीति में स्वयं का पुनर्गठन करने का विनिश्चय करती है; और

(ख) 'परिणामी सोसाइटी' से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी—

(एक) जो उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन समांमेलन के परिणामस्वरूप बनी हो; या

- (ii) to which the assets and liabilities of the affected societies are transferred in whole or in part under clause (b) sub-section (2); or
- (iii) which is formed as a result of division under clause (c) of sub-section (2); or
- (iv) which is the result of change of class as provided in clause (d) of sub-section (2).

(2) A society may, by resolution passed by two-third majority of the members present and voting at a special general meeting held for the purpose decide to reorganise itself by—

- (a) amalgamating itself with another society; or
- (b) transferring its assets and liabilities in whole or in part to any other society; or
- (c) dividing itself into two or more societies; or
- (d) converting itself into a class of society, the object of which is materially different from that under which it has been classified under this Act :

Provided that no such decisions shall take effect unless it is approved by the Registrar :

¹[Provided further that in case of a Co-operative Bank, the Registrar shall not give his approval save with the previous sanction in writing of the Reserve Bank.]

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) where the Registrar is satisfied that it is essential in the public interest or in the interest of the members of the affected societies or necessary to secure the proper management of any society, he may direct that any society or societies shall reorganise itself or themselves in any one or more of the modes indicated in sub-section (2) :

¹[Provided that, in the case of a Co-operative Bank, the Registrar shall not issue any direction save with the previous sanction in writing of the Reserve Bank:]

Provided further that before a final order under this sub-section is passed by the Registrar every society concerned shall be given an opportunity of expressing its opinion on the reorganisation proposals.]

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970.

(दो) जिसको कि प्रभावित सोसाइटियों की आस्तियां तथा उनके दायित्व उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन पूर्णतः या भागतः अन्तरित किये गये हों; या

(तीन) जो उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन विभाजन के परिणामस्वरूप बनी हों; या

(चार) जो उपधारा (2) के खण्ड (घ) में यथा उपबोधित वर्ग की तब्दीली के परिणामस्वरूप बनी हों।

(2) कोई सोसाइटी—

(क) स्वयं को किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलित करके; या

(ख) अपनी आस्तियों तथा दायित्वों को किसी अन्य सोसाइटी को पूर्णतः या भागतः अन्तरित करके; या

(ग) स्वयं को दो या अधिक सोसाइटियों में विभाजित करके; या

(घ) स्वयं को किसी ऐसे वर्ग की सोसाइटी के, जिसका कि उद्देश्य सोसाइटी के उस वर्ग से तत्त्वतः भिन्न न हो जिसके कि अधीन उसका वर्गीकरण इस अधिनियम के अधीन किया गया है, रूप में संपरिवर्तित करके स्वयं को पुनर्गठित करने का विनिश्चय उस प्रयोजन के लिये आयोजित किये गये विशेष साधारण सम्मेलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित किये गये संकल्प द्वारा कर सकेगी:

परन्तु कोई भी ऐसा विनिश्चय तब तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक कि रजिस्ट्रार द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाये:

¹[परन्तु यह और भी कि किसी सहकारी बैंक के मामले में, रजिस्ट्रार अपना अनुमोदन रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से ही देगा, अन्यथा नहीं।]

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि लोकहित में या प्रभावित सोसाइटियों के सदस्यों के हित में यह अत्यावश्यक है, या किसी सोसाइटी के उचित प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है, तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि कोई सोसाइटी या सोसाइटियां उपधारा (2) में उपदर्शित की गई रीतियों में से किसी भी एक या अधिक रीतियों में स्वयं को पुनर्गठित करें/करे:

¹[परन्तु किसी सहकारी बैंक के मामले में, रजिस्ट्रार कोई निर्देश रिजर्व बैंक कि लिखित पूर्व मंजूरी से ही जारी करेगा, अन्यथा नहीं:]

परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अंतिम आदेश दिया जाने के पूर्व, संबंधित प्रत्येक सोसाइटी को पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जायेगा।]

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) The procedure for reorganisation of a society in accordance with the decision under sub-section (2) or the direction of the Registrar under sub-section (3), as the case may be, shall be such as may be prescribed.

(5) If any such reorganisation under sub-section (2) or (3) is likely to affect in any manner the interest of any person, notice thereof shall be given to all such persons and every such person shall be given an option, to be exercised within a month from the date of the issue of such notice, of either becoming a member of the resulting society or societies or of demanding the payment of the share or interest or dues in respect of the affected society, as the case may be.

(6) No reorganisation shall be final until the assent of every such person whose interest is likely to be affected, has been obtained or deemed to have been obtained by virtue of his failure to exercise the option given to him, and further, unless all the claims of persons who have exercised the option of demanding the payment of their shares or interests or dues under sub-section (5) have been met in full.

(7) Every resulting society under this section shall have such constitution, property, powers, rights, interests, authorities, duties and obligations as may be specified in the scheme of reorganisation and every such scheme of reorganisation may contain such consequential, incidental and supplemental provisions as may, in the opinion of the Registrar, be necessary to give effect to such scheme.

(8) Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (IV of 1882) or the Indian Registration Act, 1908 (XVI of 1908), a resolution of a society approved by the Registrar under sub-section (3) shall be sufficient conveyance to vest the assets and liabilities of each affected society in the resulting society or societies concerned, such vesting being subject only to the provisions of the scheme of reorganisation.

(9) The reorganisation of societies shall not in any manner, whatsoever affect any right or obligation of the resulting society or societies or render defective any legal proceedings by or against the society or societies and any legal proceedings that might have been continued or commenced by or against the society or the societies, as the case may be,

(4) यथास्थिति उपधारा (2) के अधीन विनिश्चय या उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार के निर्देश के अनुसार किसी सोसाइटी के पुनर्गठन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी कि विहित की जाय।

(5) यदि उपधारा (2) या (3) के अधीन के किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उसकी (ऐसे पुनर्गठन की) सूचना ऐसे समस्त व्यक्तियों को दी जायेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को यह विकल्प दिया जायेगा कि वह या तो परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसाइटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करे, और इस विकल्प का प्रयोग ऐसी सूचना के जारी होने की तारीख से एक मास के भीतर किया जायेगा।

(6) कोई भी पुनर्गठन तब तक अंतिम नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की, जिसके कि हित पर प्रभाव पड़ना संभाव्य है, अनुमति अभिप्राय न कर ली गई हो या उसे दिये गये विकल्प का उसके द्वारा प्रयोग न किये जाने के आधार पर अभिप्राय हो गई न समझी जाती हो, और इसके अतिरिक्त, जब तक कि उन व्यक्तियों के, जिन्होंने उपधारा (5) के अधीन अपने अंशों या हितों या शोध्यों के संदाय की मांग करने के विकल्प का प्रयोग किया हो, समस्त दावों की पूर्णतः पूर्ति न कर दी गई हो:

(7) इस धारा के अधीन प्रत्येक परिणामी सोसाइटी का गठन, उसकी संपत्ति, शक्तियाँ, अधिकार, हित, प्राधिकार, कर्तव्य तथा बाध्यताएं ऐसी होगी, जैसी कि पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाये और पुनर्गठन की प्रत्येक स्कीम में ऐसे परिणामिक, आनुवंशिक तथा अनुपूरक उपबन्ध होंगे जैसे कि, रजिस्ट्रार की राय में, ऐसी योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो।

(8) संपत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 (1882 का अधिनियम सं. 4) या भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का अधिनियम सं. 16) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सोसाइटी का कोई ऐसा संकल्प, जो रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (2) के अधीन अनुमोदित कर दिया गया हो या कोई ऐसा आदेश, जो रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (3) के अधीन पारित किया गया हो, प्रत्येक प्रभावित सोसाइटी की आस्तियों तथा दायित्वों को संबंधित परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों में निहित करने के लिये पर्याप्त हस्तान्तरण होगा और ऐसा निहित किया जाना पुनर्गठन के स्कीम के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुये ही होगा।

(9) सोसाइटियों के पुनर्गठन का परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी अधिकार या बाध्यता पर किसी भी रीति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या ऐसा पुनर्गठन उस सोसाइटी या उन सोसाइटियों द्वारा अथवा उसके या उनके विरुद्ध किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को झुटिपूर्ण नहीं बनायेगा और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाहियाँ, जो कि पुनर्गठन के पूर्व यथास्थिति उस सोसाइटी या उन सोसाइटियों द्वारा अथवा उसके या

before the reorganisation may be continued or commenced by or against the resulting society or societies.

(10) Where any two or more societies have been amalgamated or a society has been divided or converted, the registration of such society or societies shall be deemed to have been cancelled on the date of registration of the amalgamated society or of the converted society or of the new societies into which the society may have been divided.

(11) Where a land mortgage bank has been reorganised by amalgamation with a central bank, the amalgamated bank shall in respect of all transactions relating to the land mortgage bank business made on and after such amalgamation be deemed to be a land mortgage bank within the meaning of the law relating to Land Mortgage Banks for the time being in force.

Explanation — For the purposes of this section “Central Bank” means a society with the words “Central Bank” or “District Bank” as part of its name and whose main object is to finance societies which are members of it and lie within a specified area.

(12) Every scheme of such reorganisation shall be published in the official Gazette for general information.

¹[16-A. Collaboration by Societies — Any society may, enter into the collaboration with any Government Undertaking or any undertaking approved by the State Government for carrying on any specific business including industrial investment, financial aid or marketing and management expertise.]

¹[16-B. Partnership of societies — Any two or more societies may by resolution passed at general meeting by a majority of members present and voting in each such society enter into a contract of a partnership for carrying out any specific business permissible under the bye-laws on such terms and conditions as may be mutually agreed upon. Where such partnership requires creation of a new organisation, the participating society shall be its members.]

²[16-C. Government's power to make scheme of reorganisation in the public interest — (1) Notwithstanding anything contained in this Act or the Rules made thereunder, if the State Government, on receipt of

1. Added by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

2. New Sec. 16-C added by Chhattisgarh Act No. 11 of 2001, w.e.f. 14-9-2001; Notification published in Chhattisgarh Rajpatra dt. 14-9-2001, page 407.

उनके विरुद्ध चालू रखी जा सकती थी या प्रारम्भ की जा सकती थी, परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों द्वारा अथवा उसके या उनके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी या प्रारंभ की जा सकेगी।

(10) जहाँ कोई दो या अधिक सोसाइटियाँ समामेलित की गई हों या कोई सोसाइटी विभाजित या संपरिवर्तित की गई हो, वहाँ ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह समामेलित सोसाइटी के या संपरिवर्तित सोसाइटी के या उन नवीन सोसाइटियों के, जिनमें कि वह सोसाइटी विभाजित की गई है, रजिस्ट्रीकरण की तारीख को रद्द कर दिया गया है।

(11) जहाँ किसी भू-बन्धक बैंक को किसी केन्द्रीय बैंक के साथ समामेलित करके पुनर्गठित किया जाता हो वहाँ उस समामेलित बैंक को उस भू-बन्धक बैंक के कारोबार सम्बन्धी उन समस्त संव्यवहारों के सम्बंध में, जो कि ऐसे समामेलन पर और उसके पश्चात् किये जाने हैं, भू-बन्धक बैंकों से संबंधित तत्समय प्रवृत्तिविधि के अंतर्गत भू-बन्धक बैंक समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिए, ‘केन्द्रीय बैंक’ से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जिसके नाम के भाग के रूप में शब्द ‘केन्द्रीय बैंक’ या ‘जिला बैंक’ जुड़े हुए हों और जिसका मुख्य उद्देश्य उन सोसाइटियों का, जो कि उसकी सदस्य हों, और किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर स्थित हों, वित्तपोषण करना हो।

(12) ऐसे पुनर्गठन की प्रत्येक स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी।

¹[16-क. सोसाइटियों द्वारा सहयोग—कोई भी सोसाइटी किसी भी सहकारी, किसी भी सरकार के उपक्रम या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम के साथ किसी विशेष कारबार के लिए, जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबंधन विशेषज्ञता सम्मिलित है, सहयोग कर सकेगी।]

¹[16-ख. सोसाइटियों की भागीदारी—कोई भी दो या अधिक सोसाइटियाँ ऐसी प्रत्येक सोसाइटी के साधारण सम्मिलन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, उपविधियों के अधीन किसी भी अनुज्ञेय विशिष्ट कारबार में भागीदारी की संविदा ऐसे निबन्धन तथा शर्तों पर जो कि पारस्परिक रूप से करार पाए जाएं, कर सकेगी। जहाँ इस प्रकार की भागीदारी कोई नया संगठन बनाने की अपेक्षा करती है, वहाँ भाग लेने वाली सोसाइटियाँ उसकी सदस्य होगी।]

²[16-ग. लोक हित में पुनर्गठन योजना बनाने की राज्य सरकार की शक्ति— (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा जोड़ा गया दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।

2. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्र. 11 सन् 2001 द्वारा नवीन धारा 16 ग जोड़ी गई एवं 14-9-2001 से प्रभावशील, अधिसूचना छ. ग. राजपत्र 14-9-2001 को पृष्ठ 407 पर प्रकाशित।

a report from the Registrar or otherwise, is satisfied that in the public interest it is necessary to reorganise any society or societies for the purpose of securing proper implementation of development programmes the State Government, as it may deem necessary, may make such scheme of reorganisation and issue orders to implement above scheme:

¹[Provided that in case of a Cooperative Bank, prior sanction in writing of the Reserve Bank shall be necessary.]

(2) There shall be the provisions in scheme of reorganisation regarding—

- (a) Method of reorganisation;
- (b) Procedure for reorganisation;
- (c) To the membership, powers, rights, interests, duties, staff and liabilities, management, assets and conditions of employment of such society or societies which are made after reorganisation;
- (d) Such other consequential, incidental and supplementary provisions as may be necessary;
- (e) Any other subject as may be deemed necessary by the State Government.

(3) The State Government may modify or cancel any reorganisation scheme made or issued any orders under sub-section (1).

(4) The provisions regarding every reorganisation scheme and the orders issued by the State Government shall be binding upon the interested parties.

(5) Every scheme of such reorganisation shall be published in the official Gazette for general information.]

17. Compromise or arrangement for repayment of liabilities and reconstruction of societies — (1) Notwithstanding anything contained in this Act, or the rules made thereunder where a compromise or arrangement is proposed between—

- (a) a society and its creditors or any class of them, and
- (b) a society and its members, the Registrar may on the application of the society or of any member or of any creditor of the society or, in the case of a society which is being wound up of the liquidator, order a meeting of the

1. Added by Chhattisgarh Amendment Act No. 20 of 2003, w.e.f. 9-9-2003.

होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का, रजिस्ट्रार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में विकास कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी सोसाइटी या सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है, तो राज्य सरकार, ऐसी पुनर्गठन स्कीम बना सकेगी जैसी कि वह आवश्यक समझे और उपरोक्त स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी कर सकेगी।

¹[परन्तु यह भी कि, किसी सहकारी बैंक के मामले में, रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी।]

(2) पुनर्गठन स्कीम में निम्नलिखित के संबंध में उपबन्ध होंगे—

- (क) पुनर्गठन की रीति;
- (ख) पुनर्गठन की प्रक्रिया;
- (ग) सदस्यता, रजिस्ट्रेशन, प्रबंध, आस्तियां और दायित्व, शक्तियां अधिकार, हित, कर्तव्य, कर्मचारीवृन्द ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियों की सेवा की शर्तें जो पुनर्गठन के पश्चात् बनाए गए हों;
- (घ) ऐसे अन्य पारिणामिक, आनुषांगिक और अनुपूरक उपबंध जैसे कि आवश्यक हो;
- (ङ) अन्य ऐसे विषय जैसे कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाएं।

(3) राज्य सरकार उप-धारा (1) के अधीन जारी किन्हीं आदेशों या बनाई गई किसी पुनर्गठन स्कीम को उपात्तरित या निरस्त कर सकेगी।

(4) प्रत्येक पुनर्गठन स्कीम के संबंध में उपबंध और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश हितबद्ध पक्षकारों पर आबद्धकर होंगे।

(5) ऐसे पुनर्गठन की प्रत्येक स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी।]

17. दायित्वों के प्रतिसंदाय के लिये समझौता या ठहराव तथा सोसाइटियों का पुनर्निर्माण—(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां—

- (क) किसी सोसाइटी तथा उसके लेनदारों या उनके किसी वर्ग के, और
- (ख) किसी सोसाइटी तथा उसके सदस्यों के बीच किसी समझौते या ठहराव की प्रस्थापना की जाये, वहां रजिस्ट्रार उस सोसाइटी के या उस सोसाइटी के किसी सदस्य के या उसके किसी लेनदार के या किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में जिसका कि परिसमापन किया जा रहा है, समापक के आवेदन पर, यथास्थिति सदस्यों या लेनदारों या

1. छत्तीसगढ़ अधिनियम 20 सन् 2003 द्वारा जोड़ा गया दिनांक 9-9-2003 से प्रभावी।

members, or creditors or both, as the case may be, to be called, held and conducted in such manner as may be prescribed :

Provided that the Registrar may, on his own motion, order such a meeting to be called for the purpose of affecting a compromise or arrangement.

(2) If a majority in number representing three-fourth of the members or three-fourth of the total amount of valuation due to the creditors, as the case may be, present and voting in person at the meeting agree to any compromise or arrangement the compromise or arrangement shall, if confirmed by the Registrar, be binding on all members or all the creditors as the case may be, and also on the society, or in the case of a society which is being wound up, on the liquidator :

Provided that the Registrar shall not confirm a compromise or arrangement unless he is satisfied that all the members or creditors, as the case may be, whose interests are affected by such compromise or arrangement, had notice of such meeting :

¹[Provided further that in case of a Cooperative Bank the Registrar shall not confirm the compromise, or arrangement, save with the previous sanction in writing of the Reserve Bank.]

(3) When an order cancelling a meeting is passed under sub-section (1) or the proviso thereof for considering any compromise or arrangement between a society and its creditors or any class of them, the Registrar may give notice of such order to a Civil Court in which proceedings, whether instituted before or after the order, in respect of any liability of the society due to a creditor to whom a copy of the order is posted, are pending and on receipt of such notice the Civil Court shall stay the proceedings. If no such compromise of arrangement is confirmed under sub-section (2), the Registrar shall inform the Civil Court accordingly and the proceedings which may have been stayed, shall be resumed.

(4) If a compromise or arrangement between a society and its creditors or any class of them is confirmed under sub-section (2) the proceedings, if any, stayed under sub-section (3) shall abate and no proceedings shall lie in a Civil Court in respect of any liability of the society to which the compromise or arrangement relates.

1. Ins. by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970.

दोनों का सम्मिलन ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, बुलाये जाने, आयोजित किये जाने तथा संचालित किये जाने का आदेश दे सकेगा :

परन्तु रजिस्ट्रार, कोई समझौता या ठहराव कराने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से भी ऐसा सम्मिलन बुलाए जाने का आदेश दे सकेगा।

(2) यदि ऐसी बहुसंख्या, जो सम्मिलन में उपस्थित तथा व्यक्तिशः मतदान करने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई के या मूल्यांकन की कुल रकम के, जो कि सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले लेनदारों को शोध्य हो, तीन-चौथाई के, जैसी भी कि दशा हो, बराबर है, किसी समझौते या ठहराव के लिए सहमत हो जाती है, तो वह समझौता या ठहराव रजिस्ट्रार द्वारा पुष्टि कर दिए जाने पर, यथास्थिति, समस्त लेनदारों पर तथा सोसाइटी पर भी, या किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में जिसका परिसमापन किया जा रहा है, समापक पर आबद्धकर होगा :

परन्तु रजिस्ट्रार किसी समझौते या ठहराव की तब तक पुष्टि नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाय कि यथास्थिति उन समस्त सदस्यों या लेनदारों को, जिनके कि हित ऐसे समझौते या ठहराव से प्रभावित हुए हैं, ऐसे सम्मिलन की सूचना प्राप्त हो चुकी थी :

¹[परन्तु यह और कि किसी सहकारी बैंक के मामले में, रजिस्ट्रार समझौते या ठहराव की पुष्टि रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से ही करेगा अन्यथा नहीं।]

(3) जब किसी सोसाइटी तथा उसके लेनदारों या उनके किसी वर्ग के बीच किसी समझौते या ठहराव पर विचार करने के लिए सम्मिलन बुलाने का कोई आदेश उपधारा (1) या उसके परन्तुक के अधीन पारित किया जाय, तो रजिस्ट्रार ऐसे आदेश की सूचना उस सिविल न्यायालय को दे सकेगा जिसमें उस सोसाइटी के किसी ऐसे दायित्व के, जो कि किसी ऐसे लेनदार को शोध्य हो जिसे कि उस आदेश की प्रतिलिपि भेजी गई है, संबंध में कार्यवाहियां, चाहे वे उक्त आदेश के पूर्व संस्थित की गई हों या उसके पश्चात्, लम्बित हो, और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर वह सिविल न्यायालय उन कार्यवाहियों को रोक देगा। यदि किसी ऐसे समझौते या ठहराव की पुष्टि उपधारा (2) के अधीन न की जाये तो रजिस्ट्रार सिविल न्यायालय को तदनुसार इत्तिला देगा और वे कार्यवाहियां, जो रोक दी गई हों, पुनः चालू की जायेंगी।

(4) यदि किसी सोसाइटी तथा उसके लेनदारों या उनके किसी वर्ग के बीच किसी समझौते या ठहराव की पुष्टि उपधारा (2) के अधीन कर दी जाये, तो उन कार्यवाहियों का, यदि कोई हों, जो उपधारा (3) के अधीन रोक दी गई है, उपशमन हो जायेगा और उस सोसाइटी के किसी भी ऐसे दायित्व, जिससे कि वह समझौता या ठहराव संबंधित है, के संबंध में कोई भी कार्यवाहियां किसी सिविल न्यायालय में नहीं हो सकेंगी।

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा अन्तःस्थापित।

(5) The Registrar may, with the previous approval of the State Government, exempt any class of creditors from the operation of this section or any provisions thereof.

(6) A compromise or arrangement confirmed by the Registrar shall not be called in question in any Civil Court.

(7) If a creditor in respect of whom a compromise or arrangement has been confirmed by the Registrar under sub-section (2), fails to receive the amount payable to him under such compromise or arrangement after due notice to do so within the period specified in such notice, the society or the liquidator, as the case may be, shall deposit the amount in such manner as may be directed by the Registrar. On the making of such deposit the amount payable to the creditor under the compromise or arrangement shall be deemed to have been paid to the extent of the deposit.

(8) A compromise or an arrangement between a society and its creditors or any class of them confirmed by the Registrar under sub-section (2) shall cease to be in force as soon as the whole amount of the liability determined thereunder has been or is deemed to have been paid whether under the provisions of this section or otherwise notwithstanding that the period originally stipulated for the discharge of such liability has not expired.

(9) After such compromise or arrangement has ceased to be in force no further claim shall remain against the society, or against any property, movable or immovable which it may acquire thereafter, in respect of the liability which had been the subject of the compromise or arrangement, and the society shall be free to conduct its normal business.

¹[17-A. Action and liability of Banks under moratorium — Where an order of moratorium has been made by the Central Government under sub-section (2) of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (No. 10 of 1949) in respect of Co-operative Bank, the Registrar with the previous approval of the Reserve Bank in writing, may, during the period of moratorium, prepare a scheme—

- (i) for the reconstruction or reorganisation of the Co-operative Bank; or
- (ii) for the amalgamation of the Cooperative Bank with any other Bank.

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

(5) रजिस्ट्रार, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, लेनदारों के किसी वर्ग को इस धारा या उसके किन्हीं भी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(6) किसी ऐसे समझौते या ठहराव को, जिसकी कि पुष्टि रजिस्ट्रार द्वारा कर दी गई हो, किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

(7) यदि कोई लेनदार, जिसके कि संबंध में किसी समझौते या ठहराव की पुष्टि रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (2) के अधीन कर दी गई हो, ऐसे समझौते या ठहराव के अधीन उसको देय रकम, बैसा करने के लिए सम्यक् सूचना दे दी जाने के पश्चात्, उस कालावधि के भीतर, जो कि ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, प्राप्त नहीं करता तो यथास्थिति वह सोसाइटी या समापक उस रकम को ऐसी रीति में निक्षिप्त करेगा जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा निर्देशित की जाय, ऐसा निक्षेप कर दिया जाने पर, उस रकम के, जो कि उस समझौते या ठहराव के अधीन लेनदार को देय हो, संबंध में यह समझा जायेगा कि उसकी अदायगी निक्षेप की सीमा तक कर दी गई है।

(8) किसी सोसाइटी तथा उसके लेनदारों या उनके किसी वर्ग के बीच हुआ कोई समझौता या ठहराव, जिसकी कि पुष्टि रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (2) के अधीन कर दी गई हो, जैसे ही उस दायित्व की, जो उसके अधीन अवधारित किया गया है, सम्पूर्ण रकम, चाहे इस धारा के उपबन्धों के अधीन या अन्यथा, चुका दी जाय या चुका दी गई समझी जाये, प्रवृत्त नहीं रहेगा, भले ही ऐसे दायित्व के उन्मोचन के लिये मूलतः नियत की गई कालावधि का अवसान न हुआ हो।

(9) ऐसे समझौते या ठहराव के प्रवृत्त न रह जाने के पश्चात्, उस दायित्व के, जो कि उक्त समझौते या ठहराव का विषय रहा था, संबंध में कोई और दावा ऐसी सोसाइटी के विरुद्ध या किसी ऐसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के, जिसे कि वह सोसाइटी तत्पश्चात् अर्जित करे, विरुद्ध शेष नहीं रह जायेगा और वह सोसाइटी अपना सामान्य कारोबार चलाने के लिए स्वतंत्र होगी।

¹[17-क. अधिस्थान के अधीन बैंकों की कार्यवाही तथा उनका दायित्व— जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) की धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन अधिस्थान का आदेश सहकारी बैंक के संबंध में किया गया हो, वहां रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक के लिखित पूर्व अनुमोदन से, अधिस्थान की कालावधि के दौरान—

- (एक) सहकारी बैंक के पुनः निर्माण या पुनर्गठन के लिए; या
- (दो) सहकारी बैंक का किसी अन्य बैंक के साथ सामेलन किया जाने के लिये स्कीम तैयार कर सकेगा।

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।

17-B. Liability of new Bank to repay to the Deposit Insurance Corporation — Notwithstanding anything contained in this Act, where a Co-operative Bank being an insured bank within the meaning of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 (No. 47 of 1961) is amalgamated or in respect of which a scheme of compromise or arrangement or of reconstruction or reorganisation has been sanctioned and the Deposit Insurance Corporation has become liable to pay to the depositors of the insured bank under subsection (2) of Section 16 of that Act, the bank with which such insured bank is amalgamated or the new co-operative bank formed after such amalgamation or as the case may be, the insured bank or transferee bank shall be under an obligation to repay to the Deposit Insurance Corporation in the circumstances, to the extent and in the manner referred to in Section 21 of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 (No. 47 of 1961).]

18. Cancellation of registration — ¹[(1) The Registrar shall make an order cancelling the registration of a society, if it transfers the whole of its assets and liabilities to another society, or amalgamates with another society, or divides itself into two or more societies or it is de-registered under the provisions of sub-section (1) of Section 18-A or it is wound up under Section 69. The society shall, from the date of such order of cancellation, be deemed to be dissolved and shall cease to exist as a corporate body.]

(2) Notwithstanding anything contained in this Act if any proceedings relating to the winding up or dissolution of a society are pending immediately before the commencement of this Act, such proceedings shall after such commencement be disposed of in accordance with the provisions of the law under which such society was registered or deemed to be registered.

²[18-A. De-registration of Societies — (1) If the Registrar is satisfied that any society is registered on misrepresentation made by applicants, or where the work of the society is completed or the purposes for which the society has been registered are not served, he may, after

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.
2. Added by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

17-ख. डिपॉजिट इन्श्योरेंस कारपोरेशन को प्रतिसंदाय करने का नवीन बैंकों का दायित्व—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई ऐसा सहकारी बैंक, जो डिपॉजिट इन्श्योरेंस कारपोरेशन एक्ट, 1961 (क्रमांक 47 सन् 1961) के अर्थ के अन्तर्गत बीमाकृत बैंक हो, समामेलित किया जाय या जिसके संबंध में समझौते या ठहराव को अथवा पुनर्निर्माण या पुनर्गठन की स्कीम मंजूर की गई हो और डिपॉजिट इन्श्योरेंस कारपोरेशन बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं को उस एक्ट की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन भुगतान करने के लिए दायी हो गया हो, वहाँ वह बैंक जिसके कि साथ ऐसे बीमाकृत बैंक का समामेलन किया गया हो, या वह नवीन सहकारी बैंक, जो ऐसे समामेलन के पश्चात् बनाया गया हो, या यथास्थिति, बीमाकृत बैंक या अन्तरिती बैंक उन परिस्थितियों में डिपॉजिट इन्श्योरेंस कारपोरेशन की उस सीमा तक तथा उस रीति में, जो कि डिपॉजिट इन्श्योरेंस कारपोरेशन एक्ट, 1961 (क्रमांक 47 सन् 1961) की धारा 21 में निर्दिष्ट की गई है, प्रति संदाय करने की बाध्यता के अधीन होगा।]

18. रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना—¹[(1) यदि कोई सोसाइटी अपनी संपूर्ण आस्तियाँ और दायित्व किसी अन्य सोसाइटी को हस्तांतरित कर देती है या, किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलन कर लेती है या, स्वयं को दो या अधिक सोसाइटियों में विभाजित कर लेती है या धारा 18-क की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उसका रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया जाता है या, धारा 69 के अधीन सोसाइटी का परिसमापन हो जाता है तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने वाला आदेश करेगा, सोसाइटी रद्दकरण के ऐसे आदेश की तारीख से विघटित समझी जाएगी और वह निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।]

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सोसाइटी के समापन या विघटन से संबंधित कोई भी कार्यवाहियाँ इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व लंबित हों, तो ऐसी कार्यवाहियाँ, ऐसे प्रारंभ के पश्चात् उस विधि के उपबन्धों के अनुसार निपटाई जाएँगी जिसके कि अधीन ऐसी सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की गई थी या रजिस्ट्रीकृत की गई समझी गई थी।

²[18-क. सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण का समाप्त किया जाना—(1) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि कोई सोसाइटी उसके आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर रजिस्ट्रीकृत कर दी गई है या जहाँ सोसाइटी का कार्य पूर्ण हो चुका है, या जिन प्रयोजनों के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की गई है, उनकी पूर्ति नहीं हो

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा जोड़ा गया दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।

giving an opportunity of being heard to the chief promoter, the ¹[Board] and the members of the society, de-register the society :

Provided that, where the number of members of the society is so large and it is not possible to ascertain the correct addresses of all such members from the records in the office of the Registrar and, in the opinion of the Registrar it is not practicable to serve a notice of hearing on all such individual members, a public notice of the proceedings of the de-registration shall be given in the prescribed manner and such notice shall be deemed to be notice to all the members of the society, including the chief promoter and the members of the ¹[Board] of the society, and no proceeding in respect of the de-registration of the society shall be called in question, merely on the ground that individual notice is not served on any member.

(2) When a society is de-registered under the provisions of sub-section (1), the Registrar may, notwithstanding anything contained in this Act, make such incidental and consequential order including appointment of official assignee as the circumstances may require.

(3) Subject to the rules made under this Act, the official assignee shall realise the assets and liquidate the liabilities within a period of one year from the date he takes over the charge of property, assets, books, records and other documents. The period aforesaid may, at the discretion of the Registrar, be extended from time to time, so however, that the total period does not exceed three years in the aggregate.

(4) The official assignee shall be paid such remuneration and allowances as may be prescribed.

(5) The powers of the Registrar under sub-sections (1) and (2) shall not be exercised by any officer below the rank of a Joint Registrar of Co-operative Societies.]

CHAPTER III

MEMBERS, THEIR RIGHTS, LIABILITIES AND PRIVILEGES

19. Persons who may become members — ²[(1) No person shall be admitted as a member of a society except the following, namely :—

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970.

रही है, तो वह, उसके प्रमुख संप्रवर्तक, ¹[बोर्ड] और सोसाइटी के सदस्यों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर सकेगा :

परन्तु जहां सोसाइटी की सदस्य संख्या इतनी अधिक है और रजिस्ट्रार के कार्यालय के अभिलेखों से ऐसे समस्त सदस्यों का सही पता अभिनश्चित करना संभव नहीं है, और रजिस्ट्रार की राय में व्यक्तिगत रूप से ऐसे समस्त सदस्यों को सुनवाई की सूचना देना व्यवहार्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रीकरण के समाप्त किए जाने की कार्यवाही की लोक सूचना विहित रीति में दी जायेगी और ऐसी सूचना सोसाइटी की ¹[बोर्ड] के सदस्यों और प्रमुख संप्रवर्तक सहित सोसाइटी के सभी सदस्यों को दी गई सूचना समझी जाएगी और सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के समाप्त किए जाने के संबंध में किसी कार्यवाही को केवल इस आधार पर, कि किसी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से सूचना नहीं दी गई है, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया गया है, वहां रजिस्ट्रार इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शासकीय समनुदेशिती की नियुक्ति को सम्मिलित करते हुए ऐसे आनुबंगिक और पारिणामिक आदेश कर सकेगा जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधधीन रहते हुए, शासकीय समनुदेशिती, संपत्तियों, आस्तियों, पुस्तकों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों का प्रभार लेने की तरीख से, एक वर्ष की कालावधि के भीतर आस्तियों की वसूली और दायित्वों का परिसमापन करेगा । पूर्वोक्त कालावधि रजिस्ट्रार के विवेकानुसार समय-समय पर इस प्रकार बढ़ाई जा सकेगी, कि जिससे ऐसी कालावधि कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक न हो जाए ।

(4) शासकीय समनुदेशिती को ऐसे पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए ।

(5) रजिस्ट्रार की उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग सहकारी सोसाइटियों के संयुक्त रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा ।]

तीसरा अध्याय

सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार

19. व्यक्ति, जो सदस्य हो सकेगा — ²[(1) निम्नलिखित के सिवाय किसी भी व्यक्ति को किसी सोसाइटी सदस्य के रूप में स्वीकृत नहीं किया जायेगा, अर्थात्—

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील ।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (a) an individual competent to contract under Section 11 of the Indian Contract Act, 1872 (No. IX of 1872);

(b) any other society;

- (c) a public trust registered under the Chhattisgarh Public Trusts Act, 1951 (No. 30 of 1951);

¹[(d) a firm, company or any other body corporate, not having minors as partners or directors, registered, established or constituted, as the case may be, under any law for the time being in force;]

- (e) a society registered under the Chhattisgarh Societies Registration Act, 1959 (No. 1 of 1960), as may be approved by the State Government in this behalf by general or special order;

(f) the State Government:

Provided that the provisions of clause (a) shall not apply to:—

- (i) an individual seeking admission to a society exclusively formed for the benefit of students;
- (ii) a minor acting through a guardian appointed by the Court.]

(2) Notwithstanding anything to the contrary in this Act or rules or in the bye-laws of a society, where the State Government has contributed to the share capital of a society, the liability of the State Government shall be limited to the face value of the shares held by it.

²[(2-A) Notwithstanding anything contained in this Act or rules made thereunder or in the bye-laws of a resource Society or consumers society, as the case may be, if any person duly qualified for admission as a member under the provisions of this Act and the bye-laws of that Society makes an application for membership of such Society, he shall be deemed to have been admitted as a member of such Society from the date of receipt of the application in the office thereof:

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 20 of 1999, w.e.f. 7-8-1999.

- (क) कोई व्यक्ति, जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (क्रमांक 11 सन् 1872) की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिये सक्षम हो;

(ख) कोई अन्य सोसाइटी;

- (ग) कोई लोक न्यास जो छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, 1951 (क्र. 30 सन् 1951) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो;

¹[(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत, स्थापित या गठित कोई ऐसी फर्म, कम्पनी या कोई अन्य निगमित निकाय जिसमें उसके भागीदारों या निर्देशकों के रूप में कोई अवयस्क व्यक्ति न हो;]

- (ङ) छत्तीसगढ़ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1959 (क्रमांक 1 सन् 1960) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी जो कि राज्य सरकार द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस संबंध में अनुमोदित कर दी जाय;

(च) राज्य सरकार :

परन्तु खण्ड (क) के उपबन्ध—

- (एक) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अनन्यतः विद्यार्थियों के लिये बनाई गई किसी सोसाइटी में प्रवेश चाहता हो;

- (दो) किसी ऐसे अवयस्क को, जो न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये संरक्षक के मार्फत कार्य कर रहा हो,

लागू नहीं होंगे।]

(2) इस अधिनियम या नियमों में या किसी सोसाइटी की उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यहां राज्य सरकार ने किसी सोसाइटी की अंशपूजी में अभिदाय किया हो, वहां राज्य सरकार का दायित्व उसके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होगा।

²[(2-क) इस अधिनियम में या उसके अधीन बनाए गए नियमों में या यथास्थिति, किसी संसाधन सोसाइटी या उपभोक्ता सोसाइटी की उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों तथा उस सोसाइटी की उपविधियों के अधीन सदस्य के रूप में स्वीकृत किया जाने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित हो, ऐसी सोसाइटी की सदस्यता के लिए कोई आवेदन करे, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसे ऐसी सोसाइटी के कार्यालय में वह आवेदन प्राप्त होने की तारीख से ऐसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है:

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 20 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थापित 7-8-1999 से प्रभावी।

Provided that the Registrar may either on his own motion at any time or on an application by the society or any aggrieved person made within fifteen days from the aforesaid date and after giving reasonable opportunity to the society or person concerned by order, declare such person as not eligible for membership of such society for the reasons mentioned therein, within forty five days from the date of receipt of application by the Registrar.]

(3) Where a student, who is not competent to contract under Section 11 of the Indian Contract Act, 1872 (IX of 1872), desires to become a member of a society formed exclusively for the benefit of students, his application for the registration of a society or his application for membership shall be accompanied by a written undertaking from his guardian or other person competent to contract under Section 11 of the said Act in the prescribed form, in respect of the liability of the student as a member.

(4) Where a person is refused admission as a member in a society, the decision refusing admission shall be communicated by the society to that person within '[thirty days] of the date of such decision.

²[(5) No society shall, without sufficient cause, refuse admission to membership to any person, duly qualified therefor under the provisions of this Act and the bye-laws of the society.

(6) Any person aggrieved under sub-section (4) or sub-section (5) may appeal to the Registrar within ninety days of the date of rejection.

(7) The decision of the Registrar in appeal shall be final and the Registrar shall communicate his decision to the parties within '[thirty] days from the date thereof.]

⁴[19-A. Disqualifications of member —⁵[No person shall be eligible, for admission as member and any member shall cease to be a member of a society, if—]

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988, for the word "7 day".
2. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.
3. Subs. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988, for the word "fifteen".
4. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.
5. Subs. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988.

परन्तु रजिस्ट्रार या तो स्वप्रेरणा से किसी भी समय या सोसाइटी या किसी व्यक्ति के ऐसे आवेदन पर, जो कि पूर्वोक्त तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर किया गया हो, तथा सोसाइटी या संबंधित व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उस तारीख से, जिसको कि रजिस्ट्रार को आवेदन प्राप्त हुआ हो, पैंतालीस दिन के भीतर, आदेश द्वारा उस व्यक्ति के संबंध में यह घोषित कर सकेगा कि वह उसमें (आदेश में) वर्णित कारणों से ऐसी सोसाइटी की सदस्यता का पात्र नहीं है।]

(3) जहां कोई ऐसा विद्यार्थी, जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (क्र. 11 सन् 1872) की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिए सक्षम न हो, किसी ऐसी सोसाइटी का, जो अनन्ततः विद्यार्थियों के फायदे के लिये बनाई गई हो, सदस्य होने की वांछा करे, वहां किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिये उसके आवेदन या सदस्यता के लिये उसके आवेदन के साथ उस विद्यार्थी के संरक्षक का या अन्य व्यक्ति का, जो उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिये सक्षम हो, एक ऐसा वचनबंध, जो सदस्य के रूप में उस विद्यार्थी के दायित्व के बारे में हो, विहित प्ररूप में संलग्न होगा।

(4) जहां किसी व्यक्ति को किसी सोसाइटी में सदस्य के रूप में प्रवेश देने से इंकार कर दिया जाय, वहां प्रवेश देने से इंकार करने संबंधी विनिश्चय, ऐसे विनिश्चय की तारीख से '[तीस दिन] के भीतर, उस सोसाइटी द्वारा उस व्यक्ति को संसूचित किया जायेगा।

²[(5) कोई भी सोसाइटी, पर्याप्त कारण के बिना, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो कि इस अधिनियम के उपबंधों के तथा सोसाइटी की उपविधियों के अधीन सदस्यता प्राप्त करने के लिये सम्यकरूपेण अर्हित हो, सदस्यता प्रदान करने से इंकार नहीं करेगी।

(6) उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन व्यर्थित कोई भी व्यक्ति इंकार की तारीख से नब्बे दिन के भीतर रजिस्ट्रार को अपील कर सकेगा।

(7) अपील में रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम होगा तथा रजिस्ट्रार अपना विनिश्चय उसकी (विनिश्चय की) तारीख से ³[तीस] दिन के भीतर पक्षकारों को संसूचित करेगा।]

⁴[19-क. सदस्य की निहंताएं—⁵[(1) कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होगा और कोई भी सदस्य किसी सोसाइटी का सदस्य नहीं रहेगा, यदि—]

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा शब्द "7 दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा शब्द "पन्द्रह" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।
5. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित।

- (a) he is an applicant to be adjudicated or is an undischarged insolvent;
 - (b) he has been sentenced for an offence involving moral turpitude and a period of five years has not elapsed from the date of expiry of sentence;
- ¹[(bb) he has been sentenced for an offence under the provisions of the Protection of Civil Rights Act, 1955 (No. 22 of 1955) and a period of six years has not elapsed from the date of expiry of sentence;]
- (c) he or any member of his family, having common interest with him, carries on business similar to one carried on by the society:

Provided that the provisions of clause (b) shall not apply to a person seeking admission as member of a society exclusively formed or to be formed for the reclamation of Vimukta Jatis.

²[(d) If he is disqualified under Section 48-A of the Act;

(e) If he is a person who has been dismissed from the service of any co-operative institution or Government service;]

³[(f) In case of a Primary Agriculture Credit Co-operative Society, he is not a Bhumiswami, occupancy tenant or a Government lessee holding agricultural land :

Provided that a member of such society on the 26th day of April, 1990 who is not a Bhumiswami, occupancy tenant or a Government lessee shall as from such date be a nominal member of such society.]

Explanation — For the purposes of this subsection—

(i) "Vimukta Jatis" means such tribes as the State Government may, from time to time, by general or special order, declare as Vimukta Jatis for the purposes of this sub-section;

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 23 of 1986.
2. Ins. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988.
3. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1990, w.e.f. 26-4-1990.

(क) वह अनुमोचित दिवालिया न्याय निर्णीत किया जाने के लिये आवेदक हो या अनुमोचित दिवालिया हो;

(ख) वह किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्विलित हो, दण्डादिष्ट किया गया हो और दण्डादेश के अवसान की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि न बीत गई हो;

¹[(खब) वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 22) के अधीन के किसी अपराध के लिये दण्डादिष्ट किया गया हो और दण्डादेश का अवसान होने की तारीख से छह वर्ष की कालावधि न बीत गई हो;]

(ग) वह या उसके कुटुम्ब का कोई ऐसा सदस्य, जो कि उसके साथ सामान्य हित रखता है, ऐसा कारोबार करता हो जो कि सोसाइटी द्वारा किये जा रहे कारोबार के समरूप हों;

परन्तु खण्ड (ख) के उपबंध ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे जो कि विमुक्त जातियों के उद्धार के लिये अनन्य रूप से बनाई गई या बनाई जाने वाली किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश चाहता हो।

²[(घ) यदि वह इस अधिनियम की धारा 48-क के अधीन निरहित है;

(ङ) यदि वह ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी सहकारी संस्था की सेवा या सरकारी सेवा से हटा दिया गया है;]

³[(च) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की दशा में, वह कृषि भूमि धारित करने वाला भूमिस्वामी, मौरसी कृषक या सरकारी पट्टेदार न हों:

परन्तु 26 अप्रैल, 1990 को ऐसी सोसाइटी का कोई सदस्य, जो भूमिस्वामी, मौरसी कृषक या सरकारी पट्टेदार नहीं हैं, ऐसी तारीख से ऐसी सोसाइटी का नाममात्र का सदस्य होगा।]

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये—

(एक) 'विमुक्त जातियों' से अभिप्रेत है ऐसी जनजातियाँ जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस उपधारा के प्रयोजन के लिये विमुक्त जातियों के रूप में घोषित करे;

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 23 सन् 1986 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1990 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 26-4-1990 से प्रभावशील।

- (ii) the business carried on by a trader including that of money lending shall be deemed to be similar to the business carried on by a marketing society.]

¹[19-A.A. Disqualification for membership of ²[Board] and for representation — No person shall be eligible for election as a member of the ²[Board] of a society and shall cease to hold his office as such if he suffers from such disqualification as may be prescribed. No society shall elect any member as its representative to the ²[Board] of any other society or to represent the society in other society, if he suffers from such disqualification, as may be prescribed :

Provided that, if a member suffers from any of the disqualifications prescribed under this section—

- (i) it shall be lawful for the ²[Board] of the society to disqualify such member where he is elected as a Director being a member of that society, after giving him a reasonable opportunity of being heard, within two months from the, date of coming to the notice of the society from holding the post,
- (ii) if, the member incurs a disqualification, in the higher level society, for his actions as a representative, such higher level society shall take action to disqualify him for holding the post in the higher level society,

If the society fails to take action, the Registrar shall disqualify such member from holding such post by an order in writing after giving him reasonable opportunity of being heard.]

³[19-B. Effect of subsequent disabilities — If any person having been admitted as a member of a society subsequently becomes subject to any of the disqualifications specified in Section 19-A, such person shall cease to be a member of the society and the Registrar shall declare his seat to be vacant.]

1. Ins. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988, w.e.f. 28-6-1988.
2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
3. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

- (दो) किसी व्यापारी द्वारा चलाये गये कारोबार, जिसके अंतर्गत साहूकारी का कारोबार आता है, के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह उस कारोबार के समरूप है जो कि किसी विपणन सोसाइटी द्वारा चलाया जाता हो।]

¹[19-कक. ²[बोर्ड] की सदस्यता के लिये और प्रतिनिधित्व के लिये निरर्हता—कोई भी सोसाइटी की ²[बोर्ड] के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा और उस रूप में अपने पद पर नहीं रह जाएगा, यदि वह ऐसी निरर्हता से ग्रस्त है जो विहित की जाए; कोई भी सोसाइटी किसी सदस्य को किसी अन्य सोसाइटी की ²[बोर्ड] में अपने प्रतिनिधि के रूप में या अन्य सोसाइटी में सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित नहीं करेगी, यदि वह ऐसी निरर्हता से ग्रस्त है जो विहित की जाए;

परन्तु यदि कोई सदस्य इस धारा के अधीन विहित निरर्हताओं में से किसी निरर्हता से ग्रस्त है तो—

- (एक) सोसाइटी की ²[बोर्ड] के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह यह बात उसकी जानकारी में आने की तारीख से दो मास के भीतर, ऐसे सदस्य को, जहां वह उस सोसाइटी का सदस्य होने के नाते संचालक के रूप में निर्वाचित हो जाता है, उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, वह पद धारण करने से निरर्हित कर दें।

- (दो) यदि वह सदस्य, प्रतिनिधि के रूप में अपने कार्यों के कारण, उच्च स्तरीय सोसाइटी में निरर्हता उपगत कर लेता है, तो ऐसी उच्च स्तरीय सोसाइटी उसे उच्च स्तरीय सोसाइटी में पदधारण करने के लिए निरर्हित करने हेतु कार्यवाई करेगी।

यदि सोसाइटी कार्यवाही करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसे सदस्य को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उसे ऐसा पद धारण करने से, लिखित आदेश द्वारा, निरर्हित कर देगा।]

³[19-ख. पश्चात्पूर्ती नियोजताओं का प्रभाव—यदि कोई व्यक्ति, जिसे किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया गया हो, बाद में उन निरर्हताओं में से, जो कि धारा 19-क में विनिर्दिष्ट की गई है, किसी भी निरर्हता के अधधीन हो जाय, तो ऐसा व्यक्ति उस सोसाइटी का सदस्य नहीं रह जायेगा तथा रजिस्ट्रार उसके स्थान को रिक्त घोषित करेगा।]

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 28-6-1988 से प्रभावशील।
2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।

¹[19-C. Expulsion of members — ²[(1) The ³[Board] may, by a resolution passed by three-fourth majority of the members present and voting at a meeting held for the purposes, expel a member if he :—

- (a) intentionally does any act likely to injure the credit of the society or bring it to disrepute; or
- (b) wilfully deceives the society by false statements; or
- (c) carries on any business which comes or is likely to come into conflict with the business carried on by the society; or
- (d) persistently makes default in payment of his dues or fails to comply with any provisions of the bye laws :

Provided that no such resolution shall be valid unless the member concerned has been given seven days' notice, either personally or by registered post, of the proposal to expel him and has been given an opportunity to represent his case to the ³[Board].]

²[(1-A) Any person aggrieved by the resolution of the ³[Board] under sub-section (1) may appeal before the Registrar within 30 days of the communication of such resolution.]

⁴[(2) Notwithstanding anything contained in this Act or rules or bye-laws made thereunder, where it appears to the Registrar that it is necessary and desirable in the interest of the society to expel a member from the society for his indulging in any of the activities specified in sub-section (1), he may call upon such member and the society, to explain within a period to be specified by him, why such member should not be expelled from the society. If the member or society fails to furnish his or its explanation, within the specified period or after considering the explanation, if received, the Registrar may pass an order expelling a member from the society.]

1. Renumbered by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.
2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 30 of 1994.
3. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
4. Subs. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988, w.e.f. 28-6-1988.

¹[19-ग. सदस्यों का निष्कासन—²[(1) ³[बोर्ड], निष्कासन के प्रयोजन के लिये किये गये सम्मेलन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत से पारित किये गये संकल्प द्वारा किसी सदस्य को निष्कासित कर करेगी, यदि वह—

- (क) कोई ऐसा कार्य, जिससे कि सोसाइटी की साख को क्षति पहुंचने की संभावना हो या जिससे उसकी कुख्याति होने की संभावना हो, साशय करता है; या
- (ख) मिथ्या कथनों द्वारा सोसाइटी को जानबूझकर प्रवर्चित करता है; या
- (ग) कोई ऐसा कारोबार करता है जो सोसाइटी द्वारा किये गये कारोबार की प्रतिद्वंद्विता में आता हो या जिसके संबंध में यह संभावना हो कि वह सोसाइटी द्वारा किये गये कारोबार की प्रतिद्वंद्विता में आवेगा; या
- (घ) अपने द्वारा, देय धनों का भुगतान करने में बार-बार व्यतिक्रम करता है या उपविधियों के किन्हीं भी उपबन्धों का अनुपालन करने में चूक करता है :

परन्तु कोई भी ऐसा संकल्प तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि संबंधित सदस्य को उसे निष्कासित करने संबंधी प्रस्थापना की सात दिन की सूचना या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा न दे दी गई हो और जब तक कि उसे अपने मामले के संबंध में ³[बोर्ड] के समक्ष अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो।]

²[(1-क) उपधारा (1) के अधीन ³[बोर्ड] के संकल्प से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की संसूचना के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष अपील कर सकेगा।]

⁴[(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि सोसाइटी के हित में यह आवश्यक और वांछनीय है कि किसी सदस्य को इस कारण कि वह उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप में लिप्त है, सोसाइटी से निष्कासित कर दिया जाये. वहां वह ऐसे सदस्य और सोसाइटी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली कालावधि के भीतर, इस संबंध में स्पष्टीकरण दे कि ऐसे सदस्य को सोसाइटी से निष्कासित क्यों न कर दिया जाए, यदि वह सदस्य या सोसाइटी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने में असफल रहती है तो, या स्पष्टीकरण पर, यदि प्राप्त हुआ हो, विचार करने के पश्चात् रजिस्ट्रार उस सदस्य को सोसाइटी से निष्कासित करने का आदेश पारित कर सकेगा।]

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा पुनःक्रमांकित।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 30 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
4. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 28-6-1988 से प्रभावशील।

¹[(3) No person who has been expelled shall be eligible for re-admission as a member of the co-operative for a period of one year from the date of such expulsion.]

²[(4) Expulsion of a member from a society may involve forfeiture of shares held by the member in such society.]

19-D. ³[***]

⁴[19-E. Education of members, etc. — (1) Every Co-operative society shall include in its budget in every financial year, provisions for expenses on the Education and Training of Members, including office bearer, other officer and Staff.]

20. Nominal members — Notwithstanding anything contained in Section 19, a society may admit any person as a nominal member who shall no share either in the management or profits of a society and shall not be subject to any contributory liability in the case of winding up of the society.

21. No rights of membership to be exercised till due payments are made — No member shall exercise the rights of a member unless he has made such payment to the society in respect of membership or acquired such interest in the society as may be prescribed or as may be specified in the bye-laws of such society.

22. Votes of members — (1) Every member of the society shall have one vote in the affairs of the society.

(2) (a) The voting right of federal society shall be so regulated that the members, which are societies, do not have less than four-fifth of the total number of votes in the general meeting of such society,

(b) In case of federal society the voting rights of individual members (which term shall include public trust, firm,

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

2. Ins. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988.

3. Omitted by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988.

4. Added by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013, w.e.f. 13-2-2013.

¹[(3) कोई व्यक्ति जिसे निष्कासित कर दिया गया है, ऐसे निष्कासन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक किसी भी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में पुनः प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।]

²[(4) किसी सोसाइटी से किसी सदस्य के निष्कासन में, उस सदस्य द्वारा ऐसी सोसाइटी में धारित अंशों का सम्पहरण अंतर्बलित हो सकेगा।]

19-घ. ³[***]

⁴[19-ङ सदस्यों आदि की शिक्षा—प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने बजट में, सदस्यों जिसमें पदाधिकारी, अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे, की शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर व्यय के लिए प्रावधान का समावेश करेगी।]

20. नाममात्र के सदस्य—धारा 19 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सोसाइटी किसी भी व्यक्ति को नाममात्र के सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकेगी जिसका या तो सोसाइटी के प्रबंध में या उसके लाभों में कोई अंश नहीं होगा और वह उस सोसाइटी के परिसमापन की दशा में किसी भी योगदायी दायित्व के अध्यधीन नहीं होगा।

21. जब तक सम्यक् संदाय न कर दिये जाय, सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा—कोई भी सदस्य, सदस्य के अधिकारों का तब तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि उसने सदस्यता के संबंध में सोसाइटी को ऐसा संदाय न कर दिया हो या जब तक कि उसने सोसाइटी में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो जैसा कि विहित किया जाये या जैसा कि ऐसी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाय।

22. सदस्यों के मत—(1) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के कार्यकलापों में एक मत देने का अधिकार होगा।

(2) (क) संघीय सोसाइटी का मतदान संबंधी अधिकार इस प्रकार विनियमित किया जायेगा कि सदस्यों को, जो कि सोसाइटियां हों, ऐसी सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में मतों की कुल संख्या के चार पंचमांश से कम मत प्राप्त न हों।

(ख) संघीय सोसाइटी के मामले में, वैयक्तिक सदस्यों (जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत लोक न्यास, फर्म, कम्पनी या निगमित निकाय, छत्तीसगढ़

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।

2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा अन्तःस्थापित।

3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा विलोपित।

4. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

company or body corporate, society registered under the Chhattisgarh Society Registration Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973), and State Government, but shall not include a Co-operative society shall be regulated in such manner as may be prescribed.

(3) Every affiliated Co-operative society through its properly authorised representative and every delegate referred to in clause (b) of sub-section (2) shall have one vote in the general meeting.

(4) The quorum for the meeting shall, unless otherwise provided in the byelaws of a society, be one-fifth of the total number of delegates and representatives of the societies:

Provided that the delegates shall not at any time in the meeting exceed one-fifth of the member representatives of the societies.

(5) The elections of delegates shall be held in accordance with the provisions prescribed for election of the members of the ¹[Board].

²[(6) Any vacancy of a delegate caused on account of cessation of membership or otherwise, shall be filled in by delegates by co-opting one of the individual members of the group to which the vacancy relates.]

(7) Unless otherwise directed by the Registrar in respect of any particular society the delegates on the ¹[Board] shall not at any time exceed one-third of the number of representatives of societies (fractions being neglected).

(8) In the case of equality of votes the Chairman shall have a second or casting vote.

23. Manner of exercising vote — (1) Every member of a society shall exercise his vote in person and no member shall be permitted to vote by proxy:

Provided that subject to any rules made under this Act—

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 28 of 1982.

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई सोसाइटी तथा राज्य सरकार आवेगी किन्तु उसके अंतर्गत सहकारी सोसाइटी नहीं आवेगी) के मतदान संबंधी अधिकार ऐसी रीति में विनियमित किये जायेंगे जैसी कि विहित की जाय।

(3) प्रत्येक संबद्ध सहकारी सोसाइटी को उचित रूप से प्राधिकृत किये गये प्रतिनिधि के माध्यम से तथा उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये प्रत्येक प्रत्यायुक्त को साधारण सम्मेलन में एक मत देने का अधिकार होगा।

(4) जब तक कि किसी सोसाइटी की उपविधियों में अन्यथा उपबंधित न हो, सम्मेलन के लिए गणपूर्ति सोसाइटियों के प्रत्यायुक्तों तथा प्रतिनिधियों की कुल संख्या के पंचमांश से होगी:

परन्तु सम्मेलन में किसी भी समय प्रत्यायुक्तों की संख्या सोसाइटियों के सदस्य-प्रतिनिधियों की संख्या के पंचमांश से अधिक नहीं होगी।

(5) प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन उन उपबंधों के अनुसार किये जायेंगे, जो कि ¹[बोर्ड] के सदस्यों के निर्वाचन के लिये विहित किये गये हों।

²[(6) किसी प्रत्यायुक्त की कोई भी रिक्ति, जो सदस्यता की समाप्ति के कारण या अन्यथा हुई हो, उस समूह के, जिससे कि ऐसी रिक्ति संबंधित है, वैयक्तिक सदस्यों में से एक को सहयोजित करके प्रत्यायुक्तों द्वारा भरी जायेगी।]

(7) जब तक कि किसी विशिष्ट सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाये, ¹[बोर्ड] में प्रत्यायुक्तों की संख्या किसी भी समय सोसाइटियों के प्रतिनिधियों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी (अपूर्णाकों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा)।

(8) मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में सभापति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

23. मत का प्रयोग करने की रीति— (1) किसी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य अपने मत का प्रयोग स्वयं करेगा और किसी भी सदस्य को परोक्षी द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परंतु इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यक्षीन रहते हुए—

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 28 सन् 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹[(i) (a) a society which is a member of another society may appoint one of its members as a representative to vote on its behalf;

(b) a group of individual members formed by the society in accordance with its bye-laws may elect one of the members in the group as a delegate to vote on their behalf.]

(ii) the State Government may nominate one of its officers as its representative, to vote or otherwise participate in its behalf in the affairs of the society of which such society or the State Government is a member;

²[(iii) a public trust which is a member of a society may appoint, in writing, any one of its trustees to vote on its behalf;

(iv) a firm which is a member of a society may appoint, in writing, any one of its major partners to vote on its behalf; and

(v) a company or any other body corporate which is a member of a society may appoint, in writing, any of its directors or officers to vote on its behalf.]

(2) Where a share is held jointly by more than one person and if—

(i) in respect of such share a share certificate is issued by the society, the person whose name stands first in such share certificate; and

(ii) in respect of such share no share certificate is issued by the society, the person whose name stands first in the register of members maintained by such society;

shall have the right to vote.

24. Restriction on holding of share capital by a member — In any society, no member, other than the State Government or any other society, shall—

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1990, w.e.f. 31-7-1990.
2. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

¹[(एक) (क) कोई सोसाइटी, जो किसी अन्य सोसाइटी की सदस्य है, अपने सदस्यों में से एक सदस्य की प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त इस हेतु से कर सकेगी कि वह उसकी ओर से मत दें;

(ख) सोसाइटी द्वारा अपनी उपविधियों के अनुसार बनाया गया व्यष्टिक सदस्यों का कोई समूह, समूह के सदस्यों में से किसी एक सदस्य का प्रत्यायुक्त के रूप में निर्वाचन इस हेतु से कर सकेगा कि वह उनकी ओर से मत दे।]

(दो) राज्य सरकार अपने अधिकारियों में से एक को उस सोसाइटी के, जिसका कि सदस्य ऐसी सोसाइटी या राज्य सरकार हो, कार्यकलापों में अपनी ओर से मत देने या अन्यथा भाग लेने के लिये नाम निर्देशित कर सकेगी; ²[(तीन) कोई लोक न्यास, जो किसी सोसाइटी का सदस्य हो, अपने न्यासियों में से किसी एक को अपनी ओर से मत देने के लिये लिखित में नियुक्त कर सकेगी;

(चार) कोई फर्म, जो किसी सोसाइटी की सदस्य हो, अपने वयस्क भागीदारों में से किसी एक को अपनी ओर से मत देने के लिये लिखित में नियुक्त कर सकेगी; और

(पांच) कोई कम्पनी या कोई अन्य निगमित निकाय, जो किसी सोसाइटी का सदस्य हो, अपने निदेशकों में से या अपने अधिकारियों में से किसी को अपनी ओर से मत के लिये लिखित में नियुक्त कर सकेगा/सकेगी।]

(2) जहाँ कोई अंश एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारण किया जाता हो, और—

(एक) उस दशा में जबकि ऐसे अंश के बारे में सोसाइटी द्वारा अंश प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, तो उस व्यक्ति को, जिसका कि नाम ऐसे अंश प्रमाण-पत्र में पहले आया हो; और

(दो) उस दशा में जबकि ऐसे अंश के बारे में सोसाइटी द्वारा कोई अंश प्रमाण-पत्र जारी न किया गया हो, तो उस व्यक्ति को, जिसका नाम ऐसी सोसाइटी द्वारा रखे गये सदस्यों के रजिस्टर में पहले आया हो; मत देने का अधिकार होगा।

24. किसी सदस्य द्वारा अंशपूजी धारण करने पर निर्बन्धन— किसी भी सोसाइटी में, राज्य सरकार या किसी अन्य सोसाइटी से भिन्न कोई भी सदस्य—

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1990 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 31-7-1990 से प्रभावशील।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।

- (a) hold more than such portion of the total share capital of the society not exceeding one-fifth thereof as may be prescribed; or
- (b) have or claim any interest in the shares of the society exceeding ¹[twenty thousand rupees]:

Provided that the State Government may, by notification, specify in respect of any class of societies a maximum exceeding one-fifth of the share capital or ¹[twenty thousand rupees], as the case may be.

25. Restrictions on transfer of shares or interest — (1) The transfer of a share or interest of a member in the share capital of a society shall be subject to the restrictions as to the maximum holdings specified in Section 24.

(2) No transfer by a member of his share or interest in a society shall be valid unless —

- (a) the member has held such share or interest for not less than one year;
- (b) the transfer is made to the society or to a member of the society; and
- (c) the transfer is approved by the ²[Board].

26. Transfer of interest on death of member — (1) On the death of a member, a society may transfer the share or interest of the deceased member to the person nominated in accordance with the rules made in this behalf, or, if there is no person so nominated, to such person as may appear to the ²[Board] to be the heir or legal representative of the deceased member, or pay to such nominee, heir or legal representative, as the case may be, a sum representing the value of such member's interest, as ascertained in accordance with rules or bye-laws.

(2) A society may pay all other moneys due to the deceased member from the society to such nominee, heir or legal representative, as the case may be.

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.

- (क) सोसाइटी की कुल अंश पूंजी के एक पंचमांश से अनधिक, उसके ऐसे भाग से अधिक धारण नहीं करेगा जैसा कि विहित किया जाय; या
- (ख) सोसाइटी के अंशों में ¹[बीस हजार रुपये] से अधिक का कोई हित नहीं रखेगा या उसका दावा नहीं करेगा:

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सोसाइटियों के किसी वर्ग की बाबत ऐसा अधिकतम परिमाण विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो यथास्थिति अंशपूंजी के एक पंचमांश से या ¹[बीस हजार रुपये] से अधिक होगा।

25. अंशों या हित अन्तरण पर निर्बंधन — (1) किसी सदस्य के किसी ऐसे अंश या हित का, जो कि किसी सोसाइटी की अंश पूंजी में उसका हो, अन्तरण उन निर्बंधनों के अधधीन रहते हुए होगा जो कि अधिकतम अंश धारण के बारे में धारा 24 में विनिर्दिष्ट है।

(2) किसी सदस्य द्वारा किसी सोसाइटी में के अपने अंश या हित का कोई अन्तरण तब तक विधिमन्य नहीं होगा जब तक कि—

- (क) वह सदस्य ऐसा अंश या हित कम से कम एक वर्ष तक धारण न कर चुका हो;
- (ख) वह अन्तरण उस सोसाइटी को या उस सोसाइटी के किसी सदस्य को न किया जाय; और
- (ग) वह अन्तरण ²[बोर्ड] द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाय।

26. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर हित का अन्तरण — (1) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, कोई सोसाइटी मृत सदस्य का अंश या हित उस व्यक्ति को अन्तरित कर सकेगी जिसे कि उन नियमों के अनुसार नामनिर्दिष्ट किया गया हो, जो कि इस संबंध में बनाये गये हैं, या, उस दशा में जबकि इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति न हो तो ऐसे व्यक्ति को, जिसके कि बारे में ²[बोर्ड] को यह प्रतीत हो कि वह व्यक्ति उस मृत सदस्य का वारिस या विधिक प्रतिनिधि है, अन्तरित कर सकेगी या यथास्थिति ऐसे नाम निर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को ऐसे सदस्य के हित के मूल्य के समतुल्य ऐसी राशि का, जैसी कि वह नियमों या उपविधियों के अनुसार अभिनिश्चित की गई हो, संदाय कर सकेगी।

(2) कोई सोसाइटी ऐसे समस्त अन्य धनों का, जो कि उस मृत सदस्य को उस सोसाइटी द्वारा शोध्य हों, यथास्थिति ऐसे नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को संदाय कर सकेगी।

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।

2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

(3) All transfers and payments made by a society in accordance with the provisions of this section shall be valid and effectual against any demand made upon the society by any other person.

¹[27. Share or deposit or interest not liable to attachment — Subject to the provisions of Section 39, the share or interest or deposit of a member in the capital or working capital of society or in the loan stock issued by a housing society or in the funds raised by a society from its members by way of savings deposit or by compulsory deductions made by it from wages or in the form of surcharge on the value of sale or supply of goods to members, shall not be liable to attachment or sale under any decree or order of a Court for or in respect of any debt or liability incurred by the members or past members and accordingly neither a Receiver under the Provincial Insolvency Act, 1920 (No. 5 of 1920), nor any such person or authority under any corresponding law for the time being in force shall be entitled to, or have any claim on such share or interest or deposit.]

28. Rights of members to see books, etc. — (1) Every society shall keep open to inspection for its members free of any charge, at all reasonable times at the registered address of the society—

- (a) a copy of this Act;
- (b) a copy of the rules;
- (c) a copy of the bye-laws of the society;
- (d) a register of members.

²[(e) the last audited annual balance sheet, the profit and loss account; and

(f) the minutes of the general meetings.]

(2) All registers and record of a society except books and other documents relating to accounts other than one's own shall be open to inspection in the office of the society by any member of such society on payment of such fee as may be specified in the bye-laws.

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1990.

2. Added by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

(3) ऐसे समस्त अंतरण तथा संदाय, जो कि किसी सोसाइटी द्वारा इस धारा के उपबंधों के अनुसार किये गये हों, किसी भी ऐसी मांग के संबंध में विधिमान्य तथा प्रभावी होंगे जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस सोसाइटी पर गई हो।

¹[27. अंश या निक्षेप या हित कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगा—धारा 39 के उपबन्धों के अध्वधीन रहते हुए, किसी सोसाइटी की पूंजी या कामकाज पूंजी में, या किसी गृह निर्माण सोसाइटी द्वारा जारी किये गये उधार स्टाक (लोन स्टाक) में, या किसी सोसाइटी द्वारा की गई अनिवार्य कटौतियां करके या सदस्यों को किये गये माल के विक्रय या प्रदाय के मूल्य पर अधिभार के रूप में इकट्ठा की गई निधियों में का किसी सदस्य का अंश या हित या निक्षेप सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों द्वारा उपगत किये गये किसी ऋण या दायित्व के कारण या के संबंध में किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश की अधीन कुर्की या विक्रय के दायित्वाधीन नहीं होगा और तदनुसार प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (क्रमांक 5 सन् 1920) के अधीन कोई प्रापक या तत्समय प्रवृत्त किसी तत्सम विधि के अधीन कोई ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसे अंश या हित या निक्षेप का हकदार नहीं होगा या ऐसे अंश या हित या निक्षेप के संबंध में कोई दावा नहीं रखेगा।]

28. पुस्तकें आदि देखने के सदस्यों के अधिकार—(1) प्रत्येक सोसाइटी—

- (क) इस अधिनियम की प्रति;
- (ख) नियमों की प्रति;
- (ग) सोसाइटी की उपविधियों की प्रति;
- (घ) सदस्यों का रजिस्टर;
- ²[(ङ) अंतिम संपरीक्षित वार्षिक तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता; और
- (च) साधारण सम्मेलनों की कार्यवाही;]

अपने सदस्यों के निःशुल्क निरीक्षण के लिये सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत पते पर समस्त युक्तियुक्त समयों पर उपलब्ध रखेगी।

(2) किसी सोसाइटी के समस्त रजिस्टर तथा अभिलेख, उन पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों को छोड़कर, जो किसी सदस्य के स्वयं के लेखाओं से भिन्न लेखाओं से संबंधित हों, ऐसी फीस का, जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाय, संदाय किया जाने पर ऐसी सोसाइटी के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिये उस सोसाइटी के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे।

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1990 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा जोड़ा गया दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।

(3) Subject to such conditions and on payment of such fees as may be specified in the bye-laws, the society shall, on an application made by any member thereof grant him a certified copy of such records or registers or extracts thereof.

¹[29. Liability of a past member or estate of deceased member — (1) Subject to the provisions of sub-section (2), the liability of a past member or of the estate of a deceased member of a society for the debts of the society as they stood—

- (a) in case of a past member, on the date on which he ceased to be a member; and
- (b) in case of a deceased member, on the date of his death; shall continue for a period of two years from such date.

(2) Where a society is ordered to be wound up under any provisions of this Act, the liability of a past member or of the estate of a deceased member who ceased to be a member or died, within two years immediately preceding the date of the order for winding up shall continue until the entire liquidation proceedings are completed :

but such liability shall extend only to the debts of the society as they stood on the date of his ceasing to be a member or of his death as the case may be.]

30. Insolvency of members — Notwithstanding anything contained in the Provincial Insolvency Act, 1920 (V of 1920), in an insolvency proceeding against a member of a society, the dues of the society shall have priority over all other dues except those payable to Government.

CHAPTER IV

DUTIES, PRIVILEGES, PROPERTY AND FUNDS OF SOCIETIES

31. Societies to be bodies corporate — The registration of a society shall render it a body corporate by the name under which it is registered, having perpetual succession and a common seal, and with power to hold property, enter into contracts, institute and defend suits and other legal proceedings and to do all things necessary for the purposes for which it was constituted.

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

(3) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसी फीस का संदाय कर दिया जाने पर जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाय, सोसाइटी, अपने किसी सदस्य द्वारा आवेदन किया जाने पर, उसे ऐसे अभिलेखों या रजिस्ट्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि या उनके उद्धरण प्रदान करेगी।

¹[29. भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व—(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सोसाइटी के उन ऋणों के लिये, जो कि—

- (क) किसी भूतपूर्व सदस्य के मामले में, उस तारीख को हों, जिसको कि वह सदस्य न रह गया हो; और
- (ख) किसी मृत सदस्य के मामले में, उसकी मृत्यु की तारीख को हों, किसी सोसाइटी के किसी भूतपूर्व सदस्य का अथवा किसी सोसाइटी के मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व ऐसी तारीख से दो वर्ष की कालावधि तक बना रहेगा।

(2) जहां इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन किसी सोसाइटी का परिसमापन किया जाने का आदेश दिया जाय, वहां किसी भूतपूर्व सदस्य का, जो कि परिसमापन के आदेश की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष के भीतर सदस्य न रह गया हो या किसी मृत सदस्य की, जो कि परिसमापन के आदेश की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष के भीतर मर गया हो, सम्पदा का दायित्व तब तक बना रहेगा जब तक कि समापन की कुल कार्यवाहियां पूर्ण न हो जाय;

किन्तु ऐसा दायित्व सोसाइटी के उन ऋणों तक ही विस्तारित होगा जो कि उस तारीख को हों जिसको कि वह यथास्थिति सदस्य न रह गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो।]

30. सदस्यों का दिवाला—प्राविन्शियल इन्साल्वेंसी एक्ट, 1920 (क्रमांक 5 सन् 1920) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सोसाइटी के किसी सदस्य के विरुद्ध दिवाला विषयक किसी कार्यवाही में, उस सोसाइटी के शोध्यों को समस्त अन्य शोध्यों पर, सिवाय उन शोध्यों के जो कि सरकार को देय हों, पूर्विकता प्राप्त होगी।

चौथा अध्याय

सोसाइटियों के कर्तव्य, विशेषाधिकार,

उनकी सम्पत्ति तथा निधियां

31. सोसाइटियाँ निगमित निकाय होंगी—किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन उसे उस नाम से, जिसके कि अधीन वह रजिस्ट्रीकृत की गई है, एक ऐसा निगमित निकाय बना देगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकारी होगा तथा जिसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और जिसे संपत्ति धारण करने, संविदाएं करने, वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करने तथा उनमें प्रतिरक्षा करने एवं ऐसी समस्त बातें, जो कि उन प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों जिनके लिये उसका गठन किया गया था, करने की शक्ति होगी।

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹[32. Address of society and display of name — (1) Every society shall have an address registered in accordance with the rules to which all notices and communications may be sent, and shall send a notice in writing to the Registrar of any change therein within thirty days of the change.

(2) Every society shall display its name and the address of its registered office and the words "Registered under Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960" in legible characters in conspicuous position—

- (a) at every office or place at which it carries on business;
- (b) in all notices and other official publications;
- (c) on all its contracts, business letters, orders for goods, invoices, statements of account, receipts and letters of credit; and
- (d) on all bills of exchange, promissory notes, endorsements, cheques and orders for money it signs or that are signed on its behalf.

(3) The name of every society shall contain the words "Co-operative" and "limited" or their equivalent in official language of the State.]

²[(4) Every society shall carry on day to day business by its registered address and shall maintain records pertaining to the society at its registered address if the society does not—

- (i) communicate the changed address to the Registrar, or
- (ii) carry on the business at its registered address, or
- (iii) maintain the records at its registered address.

The Registrar may impose penalty not exceeding fifty thousand rupees on the officer responsible after giving a reasonable opportunity of being heard.]

¹[33. Register of members — (1) Every society shall keep a register of its members and enter therein the following particulars, namely—

- (a) the name, address and occupation of each member;

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

2. Added by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013, w.e.f. 13-2-2013.

¹[32. सोसाइटी का पता तथा नाम का संप्रदर्शन—(1) प्रत्येक सोसाइटी का नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया गया एक पता होगा जिस पर कि समस्त सूचनाएं तथा संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी और वह उस पते में होने वाली किसी भी तब्दीली की लिखित सूचना, ऐसी तब्दीली होने के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजेगी।

(2) प्रत्येक सोसाइटी—

- (क) अपने प्रत्येक कार्यालय या स्थान पर, जहां पर वह कारबार करती है;
- (ख) समस्त सूचनाओं और अन्य आधिकारिक प्रकाशनों में;
- (ग) अपनी समस्त संविदाओं पर, कारोबारी पत्रों, माल के लिये आदेशों में, बीजकों, लेखाओं की विवरणियों, प्राप्तियों और साख पत्रकों में; और
- (घ) समस्त विनियम पत्रों में, वचन पत्रों, पृष्ठांकनों, चेकों और धन के आदेश, जिस पर वह हस्ताक्षर करती है, या जिन पर उसकी ओर से हस्ताक्षर किए जाते हैं,

अपना नाम और अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता, और शब्द 'छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत' सुवाच्य अक्षरों में सहज दर्शनीय स्थान पर संप्रदर्शित करेगी।

(3) प्रत्येक सोसाइटी के नाम में शब्द 'सहकारी' और 'सीमित' या उसके समतुल्य शब्द राज्य की राजभाषा में अन्तर्विष्ट होंगे।]

²[(4) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, अपने रजिस्टर्ड पते पर दैनिक कारोबार क्रियान्वित करेगी तथा अपने रजिस्टर्ड पते पर सहकारी सोसाइटी से संबंधित अभिलेख संधारित करेगी और यदि सहकारी सोसाइटी—

- (एक) रजिस्ट्रार को परिवर्तित पते की संसूचना नहीं देती है; या
- (दो) उसके रजिस्टर्ड पते पर कारोबार नहीं करती है; या
- (तीन) उसके रजिस्टर्ड पते पर अभिलेख संधारित नहीं करती है,

तो रजिस्ट्रार जिम्मेदार अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पचास हजार रुपये से अनधिक की शक्ति अधिरोपित कर सकेगा।]

¹[33. सदस्यों का रजिस्ट्रार—(1) प्रत्येक सोसाइटी अपने सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगी और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियों की प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात्—

- (क) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा उसकी उपजीविका;

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।

2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा जोड़ा गया, दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

- (b) the share held by each member in the case of a society having share capital;
- (c) the date on which each person was admitted as a member;
- (d) the date on which any person ceased to be a member; and
- (e) such other particulars as may be prescribed:

Provided that, where a society has under this Act, permitted a member to transfer his share or interest on death, to any person, the register shall also show against the member concerned the name of the person entitled to the share or interest of the member and the date on which the nomination was recorded.

(2) The register shall be *prima facie* evidence of the date on which any person was admitted to the society as a member and of the date on which he ceased to be a member.]

34. Proof of entries in society's books — (1) A copy of any entry in a book of a society regularly kept in the course of its business, shall, if certified in such manner as may be prescribed, be received, in any suit or legal proceedings or for any other purposes as *prima facie* evidence of such entry and shall be admissible in evidence in respect of the matters, transactions and accounts therein recorded in the same manner and to the same extent as the original entry.

(2) Copies given by a society of any document obtained and kept by it in the course of its business or any entries in such document shall, if certified in the prescribed manner, be admissible in evidence in any suit or legal proceedings or for any other purpose in the same manner and to the same extent as the original document, or the entries therein, as the case may be.

(3) No officer of a society and no officer, in whose office the books of a society are deposited after liquidation shall, in any legal proceedings to which the society or the liquidator is not a party, be compelled to produce any of the society's books or documents, the contents of which can be proved under this section or to appear as a witness to prove the matters, transactions and accounts therein recorded, except under order of the Court, or the arbitrator, made for special cause.

- (ख) उस दशा में, जहां कोई सोसाइटी अंशपूजी रखती है, के प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित अंश;
- (ग) वह तारीख जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सदस्य के रूप में प्रविष्ट किया गया था;
- (घ) वह तारीख जिसको कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रह गया है; और
- (ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं:

परन्तु जहां किसी सोसाइटी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी सदस्य को उसकी मृत्यु होने पर अपने अंश या हित, किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने के लिये अनुज्ञात किया गया है, वहां रजिस्टर में संबंधित सदस्य के सम्मुख उस व्यक्ति का नाम जो उस सदस्य के अंश या हित का हकदार होगा और वह तारीख जिस पर नामांकन अभिलिखित किया गया था, भी दर्शाई जाएगी।

(2) रजिस्टर उस तारीख के, जिसमें कोई व्यक्ति किसी सोसाइटी में सदस्य के रूप में प्रविष्ट किया गया था और उस तारीख के, जिसको वह सदस्य नहीं रह गया है, संबंध में प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य होगा।]

34. सोसाइटी की पुस्तकों में की प्रविष्टियों का सबूत — (1) किसी सोसाइटी की किसी ऐसी पुस्तक, जो कि उसके कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई हो, में की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, यदि वह ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाये, प्रमाणित हो, किसी भी वाद या विधिक कार्यवाहियों में या किन्हीं भी अन्य प्रयोजनों के लिये, ऐसी प्रविष्टि के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ली जायेगी और उसमें अभिलिखित किये गये विषयों, संव्यवहारों तथा लेखाओं की बाबत, साक्ष्य उसी रीति में तथा उसी सीमा तक ग्राह्य होंगी जिस सीमा तक कि मूल प्रविष्टि ग्राह्य होती है।

(2) किसी सोसाइटी द्वारा अपने कारबार के अनुक्रम में अभिप्राप्त की गई तथा रखी गई किसी दस्तावेज की अथवा ऐसी दस्तावेज में की किन्हीं प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां, जो कि ऐसी सोसाइटी द्वारा दी गई हों, यदि वे विहित रीति में प्रमाणित हों, किसी भी वाद या विधिक कार्यवाही में या किन्हीं भी अन्य प्रयोजनों के लिये साक्ष्य में उसी रीति में तथा उसी सीमा तक ग्राह्य होंगी जिस रीति में तथा जिस सीमा तक कि यथास्थिति मूल दस्तावेज अथवा उसकी प्रविष्टियां ग्राह्य होती हैं।

(3) किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी को तथा किसी ऐसे अधिकारी को, जिसके कि कार्यालय में सोसाइटी की पुस्तकें समापन के पश्चात् निक्षिप्त की जाती हैं, किन्हीं भी ऐसी विधिक कार्यवाहियों में, जिनमें की वह सोसायटी या समापक पक्षकार न हो, सोसाइटी की किन्हीं भी ऐसी पुस्तकों या दस्तावेजों को, जिनकी कि विषय-वस्तु इस धारा के अधीन साबित की जा सकती है, पेश करने के लिये या उनमें अभिलिखित किये गये विषयों, संव्यवहारों तथा लेखाओं को साबित करने के लिये साक्षी के रूप में उपसंजात होने के लिये न्यायालय के, या मध्यस्थ के आदेश, जो कि विशेष कारण से किया गया हो, के अधीन ही विवश किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

¹[34-A. Societies to give pass books to member— (1) A society which gives loans to its members or a society or class of societies which the State Government may notify in the official Gazette, from time to time, shall furnish to each member a pass book, which shall contain an account of the transactions with the member, such as, the date of the transaction, the amount of loan advanced, the rate of interest, the repayment made by the member, the amount of the principal and interest due and such other particulars as may be prescribed. The necessary entries shall be made in the pass book from time to time which shall be counter-signed by such office-bearer of the society as may be authorised in this behalf by the ²[Board]. For this purpose, the member shall be bound to present the pass book to such office bearer and if the pass book is required to be kept for some time for making the necessary entries, the member shall be granted a receipt therefor, by such office-bearer.

(2) The entries in the pass book duly made shall, until the contrary is proved, be *prima facie* evidence of the account of transactions of the society with the member.]

35. Exemption from compulsory registration of instruments — Nothing in clauses (b) and (c) of sub-section (1) of Section 17 of the Indian Registration Act, 1908 (XVI of 1908) shall apply to—

- (a) any instrument relating to shares in a society notwithstanding that the assets of the society consist in whole or in part of immovable property; or
- (b) any debentures issued by any such society and not creating, declaring, assigning, limiting or extinguishing any right, title or interest to or in immovable property except in so far as it entitles the holder to the security afforded by a registered instruments whereby the society has mortgaged, conveyed or otherwise transferred the whole or part of its immovable property or any interest therein to trustees upon trust for the benefit of the holders of such debentures; or

1. Ins. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.

¹[34-क. सोसाइटी सदस्यों को पासबुक देगी— (1) कोई सोसाइटी जो अपने सदस्यों को उधार देती है या कोई सोसाइटी या सोसाइटियों का कोई वर्ग जिसे राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित करे, अपने प्रत्येक सदस्य को एक पास-बुक देगी, जिसमें सदस्य के साथ हुये संव्यवहारों का लेखा जैसे कि संव्यवहार की तारीख, दिए गये उधार की रकम, ब्याज की दर, सदस्य द्वारा किया गया प्रतिसंदाय, शोध्य मूल तथा ब्याज की रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जैसी कि विहित की जाएं, अन्तर्विष्ट होगा। पास-बुक में समय-समय पर आवश्यक प्रविष्टियां की जाएगी, जिन पर सोसाइटी के ऐसे पदधारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसे ²[बोर्ड] इस निमित्त प्राधिकृत करे इस प्रयोजन के लिये, सदस्य इस बात के लिये बाध्य होगा कि ऐसे पदधारी को पासबुक प्रस्तुत करे और यदि पास बुक आवश्यक प्रविष्टियां करने के लिये कुछ समय तक रखी जाने के लिए अपेक्षित है, तो सदस्य को ऐसे पदधारी द्वारा उसके लिये एक रसीद प्रदान की जाएगी।

(2) पासबुक में सम्यक् रूपेण की गई प्रविष्टियां, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, सदस्य और सोसाइटी के बीच संव्यवहारों के लेखाओं का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य होंगी।]

35. लिखतों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से छूट— भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्रमांक 16 सन् 1908) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा (ग) में की कोई भी बात—

(क) किसी सोसाइटी के अंशों से संबंधित किसी लिखत को लागू नहीं होगी भले ही उस सोसाइटी की आस्तियां पूर्णतः या भागतः स्थावर सम्पत्ति से मिलकर बनी हो; या

(ख) ऐसी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये ऐसे डिबेन्चरों को लागू नहीं होगी जो स्थावर संपत्ति पर या ऐसी संपत्ति में कोई अधिकार, हक या हित सृजित, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या निर्वाचित नहीं करते हैं, उस सीमा तक के सिवाय, जहां तक कि वे धारक को उस प्रतिभूति के लिये हकदार बनाते हैं जो कि किसी ऐसी रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा दी गई है जिसके द्वारा उस सोसाइटी ने अपनी संपूर्ण स्थावर सम्पत्ति या उसका कोई भाग या उसमें का कोई हित ऐसे डिबेन्चरों के धारकों के फायदे के लिये न्यासियों को न्यास पर बन्धक कर दिया है, हस्तांतरित कर दिया है या अन्यथा अन्तर्गत कर दिया है; या

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।

2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

- (c) any endorsement upon, or transfer of, any debenture issued by any such society; or
- (d) any declaration made by a member in favour of a society for creating a charge on land under Section 41 and its assignment by the said society in favour of the financing bank or the federal society to which it is affiliated and further assignment by such financing bank or federal society in favour of the Chhattisgarh State Co-operative Bank Ltd., or any other federal society.

¹[Explanation — For the purposes of this section, a financing bank shall include the Reserve Bank of India, the State Bank of India, the corresponding new bank specified in First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (No. 5 of 1970), and such other Bank as the State Government may, from time to time, by notification, specify in this behalf.]

²[36. Borrowings — A society may receive deposits and loans from the State Government, Banks, Financing Bodies, Corporate Bodies under any law, operating in the State and individuals under the provision of the bye-laws of the society. It may also receive funds as a share capital under-specific agreement or approved project by way of granting nominal membership.]

37. Restrictions on loans — (1) No society shall make a loan to—

- (a) any person who is not a member;
- (b) any member on the security of its own shares;
- (c) any member on the security of a non-member:

²[Provided that a society may make loans to another society and/or nominal member as provided in the bye-laws of the society.]

³[(1-A) A society making a loan to its members who have been provided with "Bhoo-Adhikar Avam Rin Pustika" prescribed under Section 114-A of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) shall enter all transactions of loans; advances and recoveries thereof in the aforesaid Bhoo-Adhikar Avam Rin Pustika.

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 4 of 1971.
2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.
3. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

(ग) किसी ऐसी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये किसी डिबेंचर पर के किसी पृष्ठांकन को या उसके अन्तर्ण को लागू नहीं होगी; या

(घ) किसी ऐसी घोषणा को, जो भूमि पर धारा 41 के अधीन कोई भार सृजित करने हेतु किसी सदस्य द्वारा किसी सोसाइटी के पक्ष में की गई हो, तथा उसके ऐसे समुनदेशन को, जो कि उक्त सोसाइटी द्वारा उस वित्तदायी बैंक या संघीय सोसाइटी के, जिससे कि वह सम्बद्ध हो, पक्ष में किया गया हो, तथा ऐसे और समुनदेशन को, जो ऐसे वित्तदायी बैंक या ऐसी संघीय सोसाइटी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित या किसी अन्य संघीय सोसाइटी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित या किसी अन्य संघीय सोसाइटी के पक्ष में किया गया हो, लागू नहीं होगी।

¹[स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये वित्तदायी बैंक के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजिशन एण्ड ट्रांसफर ऑफ अण्डरटेकिंग्स) एक्ट 1970 (क्रमांक 5 सन् 1970) को प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी नया बैंक तथा ऐसा अन्य बैंक जिसे राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करें, आते हैं।]

²[36. उधार लेना—कोई सोसाइटी राज्य सरकार, राज्य में कार्य कर रहे किसी विधि के अधीन बैंक, वित्तीय निकायों, निगमित निकायों और व्यक्तियों से, सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों के अधीन निक्षेप और उधार प्राप्त कर सकेगी। वह नाममात्र की सदस्यता प्रदान करके विशिष्ट करार या अनुमोदित परियोजना के अधीन अंशपूजी के रूप में निधि भी प्राप्त कर सकेगी।]

37. उधारों के दिये जाने पर निर्बंधन—(1) कोई भी सोसाइटी—

- (क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो सदस्य न हो;
- (ख) किसी सदस्य को उसके स्वयं के अंशों की प्रतिभूति पर;
- (ग) किसी सदस्य को किसी सदस्येतर व्यक्ति की प्रतिभूति पर; उधार नहीं देगी :

²[परन्तु सोसाइटी, अपनी उपविधियों में उपबंधित किए गए अनुसार किसी अन्य सोसाइटी और/या नाममात्र के सदस्य को उधार दे सकेगी।]

³[(1-क) अपने ऐसे सदस्यों को, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लेण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 114-ए के अधीन विहित की गई 'भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका' दी गई हो, उधार देने वाली सोसाइटी उधारों, अग्रिमों तथा उनकी वसूली के समस्त संव्यवहार पूर्वोक्त भू-अधिकार एवं ऋण-पुस्तिका में दर्ज करेगी।

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 4 सन् 1971 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।
3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।

(1-B) Notwithstanding anything contained in this Act, rules made thereunder and bye-laws of the society, in case of an omission in making entry of a loan or advance made to members of the society, it shall be presumed that no such loan or advances has been made unless proved otherwise by the society.]

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a society may make a loan to a depositor on the security of his deposit.

(3) The Registrar may, by general or special order, prohibit or restrict the lending of money on the security of movable property or on the mortgage of immovable property by any society or class of societies.

¹[(4) If an officer or employee of a society entrusted with the work of making an entry of any transaction of loans, advances and recoveries thereof in the "Bhoo-Adhikar Avam Rin-Pustika" referred to in sub-section (1-A) fails to make such entry in the said Pustika, the Registrar may by order impose a penalty on him of any amount not exceeding rupees five hundred. The order imposing a penalty shall be enforced in accordance with the provisions of Section 85.]

²[37-A. Society not to recover or receive interest greater than the principal — Notwithstanding anything contained in any agreement or any law for the time being in force, no society shall, in respect of any loan advanced by it to a member belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe or other members owing 5 acre irrigated or 10 acre un-irrigated land, whether before or after commencement of the Chhattisgarh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1979, which is repayable within a period not exceeding ten years from the date of its advance charge, recover or receive towards interest thereon during the currency of such loan a sum greater than the Principal and any sum charged, recovered or received in excess thereof shall, if the loan is subsisting be adjusted, towards repayment of the Principal till it is fully repaid and in any other case, shall be refunded to the debtor member within sixty days of the date on which the payment towards interest exceeds the limit aforesaid :

Provided that nothing in this Section shall apply to loans advanced by a Development Bank and an Urban Cooperative Bank.]

1. Added by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.
2. Subs. by M.P. Act No. 20 of 1999, w.e.f. 7-8-1999.

(1-ख) इस अधिनियम में, उसके अधीन बनाये गये नियमों में तथा सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में जब कि सोसाइटी के सदस्यों को दिये गये किसी उधार या अग्रिम की प्रविष्टि की जाने से छूट गई हो, यह उपधारणा की जायेगी कि कोई भी ऐसा उधार या अग्रिम नहीं दिया गया है परन्तु यह उपधारणा तब नहीं की जायेगी जबकि सोसाइटी द्वारा अन्यथा साबित कर दिया जाय।]

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सोसाइटी किसी निक्षेपकर्ता को उसके निक्षेप के प्रतिभूति पर उधार दे सकेगी।

(3) रजिस्ट्रार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग द्वारा जंगम संपत्ति की प्रतिभूति पर या स्थावर सम्पत्ति के बंधक पर धन के उधार दिये जाने को प्रतिबद्ध या निर्बन्धित कर सकेगा।

¹[(4) यदि किसी सोसाइटी का कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी, जिसे कि उधारों, अग्रिमों तथा उनकी वसूली की प्रविष्टि उपधारा (एक-ए) में निर्दिष्ट की गई 'भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका' में करने का कार्य सौंपा गया हो, उक्त पुस्तिका में ऐसी प्रविष्टि करने से चूक जाय तो रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, उस पर पांच सौ रुपये से अनाधिक किसी रकम की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश धारा 85 के उपबन्धों के अनुसार प्रवर्तित किया जायेगा।]

²[37-क. सोसाइटी मूल से अधिक ब्याज वसूल या प्राप्त नहीं करेगी— तत्समय प्रवृत्त किसी करार या किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी सोसाइटी किसी ऐसे उधार के संबंध में, जो उनके द्वारा किसी सदस्य जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के या 5 एकड़ सिंचित या 10 एकड़ असिंचित भूमि का स्वामित्व रखने वाले किसी अन्य सदस्य को चाहे छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1979 के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात् दिया गया हो और जो उसके दिये जाने की तारीख से दस वर्ष से अनाधिक कालावधि के भीतर प्रतिसंदेय हो, उस दौरान, जब कि ऐसा उधार चालू रहे, कोई भी ऐसी राशि जो मूल से अधिक हो, उस पर (मूल पर) ब्याज के लेखे प्रभारित नहीं करेगी, वसूल नहीं करेगी या प्राप्त नहीं करेगी और मूल से अधिक प्रभारित की गई, वसूल की गई या प्राप्त की गई कोई भी राशि, यदि उधार शेष रह गया हो, मूल के प्रतिसंदाय के लेखे उसका पूरी तरह से प्रतिसंदाय होने तक समायोजित की जायेगी और किसी अन्य दशा में वह राशि ऋणी सदस्य को उस तारीख से साठ दिन के भीतर वापिस कर दी जायेगी जिसको कि ब्याज के लेखे किया गया संदाय पूर्वोक्त सीमा से अधिक हो जाय:

परन्तु इस धारा की कोई भी बात किसी विकास बैंक या किसी नगरीय सहकारी बैंक द्वारा दिए गए उधारों की लागू नहीं होती।]

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा जोड़ा गया।
2. म.प्र. अधिनियम क्र. 20 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थापित, दिनांक 7-8-99 से प्रभावी।

38. Restrictions on other transactions with non-members — Save as provided in Sections 36 and 37, the transactions of a society with persons other than members shall be subject to such restrictions, if any as may be prescribed.

39. Charge and set-off in respect of share or interest of members — A society shall have a charge upon the share or interest in the capital and on the deposits of a member, past member or deceased member and upon any dividend, bonus or profits payable to a member, past member or deceased member, in respect of any debt or outstanding demand owing to the society from such member or past member or deceased member and may set-off any sum credited or payable to a member, past member or deceased member in or towards payment of any such debt or outstanding demand :

Provided that no financing bank shall have a charge upon any sum invested in such bank by a society as reserve fund if such bank is not the sole creditor of the society or upon any sum invested in such bank from any Provident Fund nor shall such bank be entitled to set-off any such sum credited or payable to the society in or towards payment of any debt or outstanding demand owing to such bank from such society.

40. Prior claim of society on certain assets—¹[(1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, but subject to any prior claim of the State Government in respect of land revenue or any money recoverable as arrears of land revenue and to any claim of a development bank arising out of a loan granted at any time whatsoever under the ²[Chhattisgarh Sahkari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Adhiniyam, 1999 (20 of 1999)], any debt or outstanding demand owing to a society by any member or past member or deceased member, shall be a first charge upon the crops and other movable property belonging to such member, past member or forming part of the estate of the deceased member, as the case may be :

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 1 of 1968.

2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 20 of 2003, w.e.f. 6-6-2009.

38. सदस्येतर व्यक्तियों के साथ अन्य संव्यवहारों पर निर्बंधन—धारा 36 तथा 37 में यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी सोसाइटी के वे संव्यवहार, जो सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के साथ किये जायें, ऐसे निर्बंधनों के, यदि कोई हों, अधधीन रहते हुए होंगे जैसे कि विहित किये जाये।

39. सदस्यों के अंश या हित की बाबत भार एवं मुजराई—किसी सोसाइटी का किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के पूंजी में के अंश या हित पर तथा उस निक्षेपों पर तथा किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य को देय किसी लाभांश, बोनस या लाभों पर, किसी ऐसे ऋण या बकाया मांग, जो कि ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य को ओर से उस सोसाइटी को देय हो, के संबंध में भार होगा और वह किसी भी ऐसी राशि को, जो कि किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के नामे जमा की गई हो या उसको देय हो, किसी ऐसे ऋण या बकाया मांग के भुगतान में अथवा उसके लेखे मुजरा कर सकेगी:

परन्तु किसी वित्तदायी बैंक का किसी ऐसी राशि, जो किसी सोसाइटी द्वारा ऐसे बैंक में आरक्षित निधि के रूप में विनिहित की गई हो, पर उस दशा में कोई भार नहीं होगा जबकि ऐसा बैंक उस सोसाइटी का एकमात्र लेनदार न हो अथवा किसी ऐसी राशि, जो कि ऐसे बैंक में किसी भविष्य निधि से विनिहित की गई हो, पर उसका कोई भार नहीं होगा और न ऐसा बैंक किसी ऐसी राशि को, जो कि उस सोसाइटी के नामे जमा की गई हो या उसे देय हो, किसी ऐसे ऋण या बकाया मांग के जो कि ऐसी सोसाइटी की ओर से ऐसे बैंक को देय हो, भुगतान में या उसके लेखे मुजरा करने का हकदार ही होगा।

40. कतिपय आस्तियों पर सोसाइटी का पूर्विक दावा—¹[(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु भू-राजस्व के बाबत या भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य किसी धन के बाबत राज्य सरकार के किसी पूर्विक दावे के अधधीन रहते हुए तथा विकास बैंक के किसी दावे के, जो कि ²[छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 (क्रमांक 20 सन् 1999)] के अधधीन किसी भी समय मंजूर किये गये उधार में से उद्भूत हो, अधधीन रहते हुए, किसी भी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा सोसाइटी को देय कोई भी ऋण या शेष निकलने वाली मांग ऐसी फसलों या अन्य जंगम सम्पत्ति पर, जो कि ऐसे सदस्य, भूतपूर्व सदस्य की हो, या जो मृत सदस्य की सम्पदा का भाग हो, जैसी भी दशा हो, प्रथम भार होगी:

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 1 सन् 1968 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. छ.ग. अधिनियम 20 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित 6-6-2009 से प्रभावी।

Provided that where any prior claim of the State Government arises out of a loan granted under the Land Improvement Loans Act, 1883 (XIX of 1883) or the Agriculturists Loans Act, 1884 (XII of 1884) and such loan is granted after the grant of loan by a society the loan granted by the society shall, notwithstanding anything contained in the said enactments, have priority over such claim of the Government.]

(2) No person shall transfer any property which is subject to a charge under sub-section (1) except with the previous permission in writing of the society which holds the charge :

Provided that it shall always be lawful for a member or past member to create a charge in favour of a Development Bank under the ¹[Chhattisgarh Sahkari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Adhiniyam, 1999 (20 of 1999)] for the dues thereof.

(3) Notwithstanding contained in any law for the time being in force any transfer of property made in contravention of the provisions of sub-section (2) shall be void as against any claim of the society in respect of any debt or outstanding demand owing to it which is a first charge on such property under sub-section (1).

²[41. First charge of Co-operative societies on certain assets — (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, but subject to any prior claim of the State Government in respect of land revenue or any money recoverable as arrears of land revenue or to any of claim of a development bank arising out of a loan granted at any time whatsoever under the ¹[Chhattisgarh Sahkari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Adhiniyam, 1999 (20 of 1999)], or by a bank under the Chhattisgarh Krishi Udhhar Pravartan Tatha Prakirn Upbandh (Bank) Adhiniyam, 1972 (No. 32 of 1973), any debt or outstanding demand owing to a society by a member or past member or deceased member shall be first charge in favour of the society on—

- (a) the land owned by such member or past member or forming part of the estate of the deceased member, as the case may be; and
- (b) his interest in any land as a tenant if such member owns such interest;

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 20 of 2003, w.e.f. 6-6-2009.
2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1990.

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का कोई पूर्विक दावा लेण्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स एक्ट, 1983 (क्रमांक 19 सन् 1883) या एग्रीकल्चरिस्ट्स लोन्स एक्ट, 1884 (क्रमांक 12 सन् 1884) के अधीन मंजूर किये गये उधार में से उद्भूत होता है और ऐसा उधार किसी सोसाइटी द्वारा उधार के मंजूर किये जाने के पश्चात् मंजूर किया गया हो वहाँ सोसाइटी द्वारा मंजूर किये गये उधार को, उक्त अधिनियमितियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार के ऐसे दावे पर पूर्विकता प्राप्त होगी।]

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसी सम्पत्ति को, जो कि उपधारा (1) के अधीन भार के अध्वधीन हो, उस सोसाइटी की, जो कि भारधारण करती हो, लिखित पूर्व अनुज्ञा से ही अन्तर्गत करेगा, अन्यथा नहीं:

परन्तु किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के लिये यह सदैव विधिपूर्ण होगा कि वह ¹[छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 (क्रमांक 20 सन् 1999)] के अधीन किसी विकास बैंक के पक्ष में, उसके शोध्यों के लिये भार सृजित करें।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संपत्ति का कोई भी ऐसा अन्तरण, जो उपधारा (2) के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो, सोसाइटी को देय किसी ऐसे ऋण या बकाया मांग जो कि उपधारा (1) के अधीन ऐसी सम्पत्ति पर प्रथम भार हो, की बाबत् सोसाइटी के किसी भी दावे के विरुद्ध शून्य होगा।

²[41. कतिपय आस्तियों पर सहकारी सोसाइटियों का प्रथम भार—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु भू-राजस्व की बाबत् या भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य किसी धन की बाबत् राज्य सरकार के किसी पूर्विक दावे के अध्वधीन रहते हुए या किसी विकास बैंक के किसी दावे के, जो कि ¹[छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 (क्रमांक 20 सन् 1999)] के अधीन या छत्तीसगढ़ कृषि उधार प्रवर्तन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध (बैंक) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 32 सन् 1973) के अधीन किसी बैंक द्वारा किसी भी समय मंजूर किये गये किसी उधार में से उद्भूत होता हो, अध्वधीन रहते हुए, कोई भी ऋण या बकाया मांग, जो किसी सदस्य ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा सोसाइटी को देय हो,—

- (क) उस भूमि पर, जो यथास्थिति ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के स्वामित्व की हो या मृत सदस्य की संपदा की भाग रूप हो; और
- (ख) अभिधारी के रूप में किसी भूमि में के उसके हित पर, यदि ऐसा सदस्य ऐसे हित का स्वामित्व रखता है;

1. छ.ग. अधिनियम 20 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित 6-6-2009 से प्रभावी।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1990 द्वारा प्रतिस्थापित।

against which such debt was granted or such outstanding demand stands, for and to the extent of the debt, or outstanding demand owing by him:

Provided that where any prior claim of the State Government arises out of the loan granted under the Land Improvement Loans Act, 1883 (No. 19 of 1884), and such loan is granted after the grant of loan by a society, the loan granted by the society shall notwithstanding anything contained in the said enactment, have priority over such claim of the Government.

(2) No member shall alienate the whole or any part of the land or interest therein which is subject to charge under sub-section (1) until the whole amount borrowed by the member together with interest is paid in full:

Provided that it shall be lawful for a member or a past member to mortgage in favour of—

- (i) a Co-operative Land Development Bank; or
- (ii) a bank under the Chhattisgarh Krishi Udhhar Pravartan Tatha Prakirn Upbandh (Bank) Adhiniyam, 1972 (No. 32 of 1973); or
- (iii) the State Government; such land or any part thereof under the rules made under the Chhattisgarh Irrigation Act, 1931 (No. 3 of 1931), for supply of water from a canal to such land or any part thereof.

(3) Any alienation made in contravention of the provisions of sub-section (2) shall be void as against any claim of the society in respect of the loan taken from it under this section.

(4) Intimation in writing shall be given to the Tahsildar about the details of the debt or outstanding demand owing to the society from a member, past member or deceased member in the prescribed manner and the Tahsildar shall on receipt of such information, have it entered in the Record of Rights.]

¹[41-A. Right of society to acquire and dispose of immovable property — (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, a society shall have power to itself to acquire agricultural land or interest therein, or any immovable property which

1. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

जिसके कि विरुद्ध ऐसा ऋण मंजूर किया गया था या ऐसी बकाया मांग विद्यमान है, उस ऋण या बकाया मांग, जो कि उसके द्वारा देय हो, के लिये तथा वैसे ऋण या बकाया मांग की सीमा तक सोसाइटी के पक्ष में प्रथम भार होगी:

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का कोई पूर्विक दावा भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 (क्रमांक 19 सन् 1883) के अधीन मंजूर किये गये उधार में से उद्भूत होता है और ऐसा उधार किसी सोसाइटी द्वारा किसी उधार के मंजूर किये जाने के पश्चात् मंजूर किया गया हो, वहाँ सोसाइटी द्वारा मंजूर किये गये उधार को, अधिनियमिति के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार के ऐसे दावे पर पूर्विकता प्राप्त होगी।

(2) कोई भी सदस्य ऐसी सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग को या उसमें के किसी हित को, जो कि उपधारा (1) के अधीन भार के अध्यक्षीन हो, तब तक अन्य संक्रमण नहीं करेगा जब तक कि उस सदस्य द्वारा उधार ली गई सम्पूर्ण रकम ब्याज सहित पूरी न चुका दी जाय:

परन्तु किसी सदस्य या किसी भूतपूर्व सदस्य के लिये यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसी भूमि या उसके किसी भाग को—

- (एक) किसी सहकारी भूमि विकास बैंक; या
- (दो) छत्तीसगढ़ कृषि उधार प्रवर्तन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध (बैंक) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 32 सन् 1973) के अधीन किसी बैंक; या
- (तीन) राज्य सरकार के पक्ष में ऐसी भूमि या उसके किसी भाग को किसी नहर से जल-प्रदाय के लिए छत्तीसगढ़ इरीगेशन एक्ट, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन बन्धकित करें।

(3) ऐसा अन्य संक्रामण, जो उपधारा (2) के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो, सोसाइटी के किसी भी ऐसे दावे के, जो इस धारा के अधीन उससे (सोसाइटी से) लिये गये उधार के संबंध में हो, विरुद्ध शून्य होगा।

(4) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य से सोसाइटी को देय ऋण या बकाया मांग के व्यौरों के बारे में लिखित संसूचना विहित रीति में तहसीलदार को दी जायेगी और तहसीलदार ऐसी संसूचना के प्राप्त होने पर उसे अधिकार अभिलेख में दर्ज करवायेगा।]

¹[41-क. स्थावर सम्पत्ति का अर्जन तथा व्ययन करने का सोसाइटी का अधिकार—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सोसाइटी को यह शक्ति होगी कि वह स्वयं उस कृषि का या उसमें के हित का या किसी भी स्थावर सम्पत्ति का, जो कि किसी सदस्य ने किसी ऐसी वित्तीय सहायता के संबंध में, जिसका कि उसके द्वारा उपभोग किया गया हो, सोसाइटी के पक्ष में भारित

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।

has been charged or mortgaged to it by a member in respect of any financial assistance availed of by him, provided the said land or interest therein or any other immovable property has been sought to be sold by public auction and no person has offered to purchase it for a price which is sufficient to pay to the society the money due to it:

Provided that only such portion of the property shall be sold as may be reasonably sufficient to satisfy the ¹[debt and interest thereon].

(2) A society which acquires land or interest therein or any other immovable property in exercise of the power vested in it under sub-section (1) may dispose of it by sale within a period to be specified by the Registrar in this behalf.

(3) If the society has to lease out any land acquired by it under sub-section (1) pending sale thereof as indicated in sub-section (2), the period of lease shall not exceed one year at a time and the lessee shall not acquire any interest in that property, notwithstanding any provisions to the contrary in any other law for the time being in force.

(4) A sale by a society of land or interest therein in terms of this section shall be subject to the provisions of any other law for the time being in force providing for restrictions on purchase of land by non-agriculturists or in excess of ceiling limits or involving fragmentation of land below a specified limit.

(5) Nothing in this section shall be construed to empower the society to sell any land or interest therein of a person belonging to an aboriginal tribe which has been declared to be an aboriginal tribe by the State Government by notification under sub-section (6) of Section 165 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) to a person not belonging to such tribe.

(6) Nothing in the Chhattisgarh Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1960 (No. 20 of 1960) shall apply to a society acquiring land under sub-section (1) and holding such land till such time as the society is in a position to sell the land in the manner provided in this section or otherwise, at a price which is adequate to cover its dues.]

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988, for the word "interest".

या बन्धकित कर दी/दिया हो, अर्जन करें, परन्तु यह तब जब कि वह उक्त भूमि का या उसमें के हित का या किसी अन्य स्थावर संपत्ति का विक्रय लोक नीलाम द्वारा किया जाना चाहा गया हो, और किसी भी व्यक्ति ने उसका क्रय उस कीमत पर करने की प्रस्थापना न की हो, जो कि सोसाइटी को उस धन का, जो कि उसे शोध्य हो, भुगतान करने के लिये पर्याप्त हो:

परन्तु भूमि या संपत्ति के केवल ऐसे भाग का विक्रय किया जायेगा जो कि ¹[ऋण और उस पर का ब्याज] चुकाने के लिये युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त हो।

(2) कोई सोसाइटी, जो उपधारा (1) के अधीन उसमें निहित की गई शक्ति का प्रयोग करते हुये, भूमि या उसमें के हित का या किसी भी अन्य स्थावर संपत्ति का अर्जन करें, उसका व्ययन विक्रय द्वारा ऐसी कालावधि के भीतर कर सकेंगी जो कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जायेगी।

(3) यदि सोसाइटी को उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा अर्जित की गई कोई भूमि, उपधारा (2) में उपदर्शित किये गये अनुसार उसका विक्रय होने तक के लिये पट्टे पर देनी है, तो पट्टे की कालावधि एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और पट्टेदार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किन्हीं प्रतिकूल उपबन्धों के होते हुए भी, उस भूमि या संपत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा।

(4) इस धारा के शब्दों में, भूमि का या उसमें के हित का किसी सोसाइटी द्वारा कोई विक्रय तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उन उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए होगा जो कि अक्रुषकों द्वारा किये जाने वाले भूमि के क्रय पर या उच्चतम सीमा से अधिक भूमि के क्रय पर या भूमि के ऐसे क्रय पर, जिससे कि भूमि के खण्ड किसी विनिर्दिष्ट सीमा से कम के बनते हों, निर्बन्धन लगाते हों।

(5) इस धारा में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह सोसाइटी को इस बात के लिये सशक्त करती है कि वह किसी ऐसी आदिवासी जनजाति के, जिसे कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन अधिसूचना द्वारा आदिवासी जनजाति होना घोषित किया हो, किसी व्यक्ति की किसी भूमि का या उसमें के उसके हित का विक्रय किसी ऐसे व्यक्ति को करे, जो कि ऐसी जनजाति का न हो।

(6) छत्तीसगढ़ सीलिंग आन एग्रीकल्चर एक्ट 1960 (क्रमांक 20 सन् 1960) में की कोई भी बात किसी सोसाइटी को लागू नहीं होगी जो उपधारा (1) के अधीन भूमि का अर्जन करती हो और ऐसी भूमि को उस समय तक धारण किये रहती हो जब तक कि वह सोसाइटी उस भूमि को इस धारा में उपबन्धित की गई रीति में या अन्यथा ऐसी कीमत पर, जो कि उसके शोध्यों के चुकारे के लिये पर्याप्त हो, बेचने की स्थिति में न हो।]

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा शब्द "ऋण" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

42. Deduction from salary to meet society's claim in certain cases — (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, a member of a society may execute an agreement in favour of such society providing that his employer shall be competent to deduct from the salary or wages payable to him by the employer, such amount, as may be specified in the agreement and to pay the amount so deducted to the society in satisfaction of any debt or other demand owing by the member to the society.

¹[(2) On the execution of such agreement, it shall not be necessary to have the debt or claim adjudged by any authority, and the employer shall, if so required by the society, by a requisition in writing and so long as the society does not intimate that the whole of such debt or demand has been paid, make the deduction in accordance with the agreement and pay the amount so deducted to the society, as if it were a part of the salary, or wages payable on the day as required under the Payment of Wages Act, 1936 (No. 4 of 1936).]

(3) If after the receipt of a requisition, made under sub-section (2), the employer at any time fails to deduct the amount specified in the requisition from the salary or wages payable to the members concerned or makes default in remitting the amount deducted to the society, the society shall be entitled to recover any such amount from the employer as an arrear of land revenue and the amount so due from the employer shall rank in priority in respect of the liability of the employer equal to that of the wages in arrears.

(4) The provisions of this section shall also apply to all such agreements of the nature referred to in sub-section (1) as were in force on the date of the commencement of this Act.

(5) Nothing contained in this section, shall apply to persons employed in railways, mines and oil-fields.

(6) For the purposes of this section, Drawing and Disbursing Officer shall be deemed to be an employer in respect of a Government servant.

43. Funds and profits — (1) No part of the funds of a society other than the net profits shall be paid by way of bonus or dividend or otherwise distributed among its members :

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

42. कतिपय दशाओं में सोसाइटी के दावे की पूर्ति करने के लिये वेतन में से कटौती — (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सोसाइटी का कोई भी सदस्य ऐसी सोसाइटी के पक्ष में एक ऐसा करार निष्पादित कर सकेगा जिसमें यह उपबंध होगा कि उसका नियोजक इस बात के लिये सक्षम होगा कि वह उस वेतन या मजदूरी में से जो कि ऐसे नियोजक द्वारा उसे देय हो, उतनी रकम की कटौती कर ले जो कि उस करार में निर्दिष्ट की जाय, और इस प्रकार काटी गई रकम का या उस सोसाइटी को भुगतान किसी ऐसे ऋण या मांग की तुष्टि के रूप में कर दे जो कि उस सदस्य की ओर से उस सोसाइटी को देय हो।

¹[(2) ऐसे करार का निष्पादन कर दिया जाने पर, यह आवश्यक नहीं होगा कि वह ऋण या दावा किसी प्राधिकारी द्वारा न्यायनिर्णित कराया जाय, तथा नियोजक, यदि सोसाइटी द्वारा लिखित अपेक्षा द्वारा ऐसी अपेक्षा की गई हो और जब तक कि सोसाइटी यह प्रज्ञापित न करे कि ऐसे संपूर्ण ऋण या मांग का भुगतान कर दिया गया है, उस करार के अनुसार कटौती करेगा और इस प्रकार काटी रकम सोसाइटी को संदत्त करेगा मानो कि वह रकम मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (क्रमांक 4, सन् 1936) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार उस दिन देय वेतन या मजदूरी का भाग हो।]

(3) यदि, उपधारा (2) के अधीन की गई अपेक्षा के प्राप्त हो जाने के पश्चात् नियोजक, किसी भी समय अपेक्षा में विनिर्दिष्ट रकम की, कटौती संबंधित सदस्यों को देय वेतन या मजदूरी में से नहीं करता है, या काटी गई रकम उस सोसाइटी को विप्रेषित करने में व्यतिक्रम करता है तो वह सोसाइटी ऐसी रकम नियोजक से भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल करने की हकदार होगी और उस रकम को, जो कि नियोजक से इस प्रकार शोध्य है, नियोजक के दायित्व के संबंध में वही पूर्विकता प्राप्त होगी जो कि बकाया मजदूरी को प्राप्त होती है।

(4) इस धारा के उपबन्ध उपधारा (1) के निर्दिष्ट किये गये प्रकार के उन समस्त करारों को भी लागू होंगे जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से प्रवृत्त थे।

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात रेल्वे, खानों तथा तेल क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों को लागू नहीं होगी।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, आहरण तथा संवितरक अधिकारी को किसी सरकारी सेवक के संबंध में नियोजक समझा जायेगा।

43. निधियां तथा लाभ — (1) किसी सोसाइटी की ऐसी निधियों का, जो शुद्ध लाभों से भिन्न हो, कोई भी भाग उसके सदस्यों को बोनस या लाभांश के रूप में संदत्त नहीं किया जायेगा और न ही उसके सदस्यों में उसका अन्यथा वितरण ही किया जायेगा:

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

Provided that a member may be paid remuneration on such scale as may be laid down by the bye-laws for any services rendered by him to the society.

(2) A society shall, out of its net profits in any year—

- (a) transfer an amount not being less than twenty-five per cent of such profits to the reserve funds unless such society has been, by general or special order, partially or wholly exempted in this behalf by the Registrar; and
- (b) pay to the Chhattisgarh Co-operative Union Ltd. and to such other institutions or unions as may be specified by the Registrar in this behalf, such contribution as may be prescribed; and]

¹[(c) transfer at least twenty per cent to an equity redemption fund by such societies which have Government equity participation.]

²[(3) No society shall pay dividend to its members at the rate exceeding twenty five per cent except with the prior approval of the Registrar.]

³[(4) A society may, with the sanction of the Registrar, after one fourth of the net profit in any year has been carried to the reserve fund, contribute not exceeding five per cent of the remaining net profits to any purpose connected with the development of co-operative movement or charitable purpose as defined in Section 2 of the Charitable Endowments Act, 1890 (No. 6 of 1890).]

¹[(5) No society shall make a contribution either in money or in kind, either directly or indirectly to an organisation that has an object the furtherance of the interest of a political party or of any religious faith.]

⁴[43-A. Appropriation of profits — (1) A society earning profit shall calculate the net profit by deducting from the gross profits for the year the following—

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.
2. Ins. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.
3. Subs. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.
4. Ins. by M.P. Amendment Act No. 28 of 1982.

परन्तु किसी सदस्य को, किन्हीं ऐसी सेवाओं, जो कि उसके द्वारा सोसाइटी के लिये की गई हो, के लिये पारिश्रमिक का भुगतान ऐसे मापमान से किया जा सकेगा जो कि उपविधियों द्वारा अधिकृत किया जाय।

(2) कोई सोसाइटी किसी वर्ष के अपने शुद्ध लाभों में से—

- (क) यदि रजिस्ट्रार ने, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, सोसाइटी को इस निमित्त भागतः या पूर्णतः छूट न दे दी हो तो ऐसी रकम आरक्षित निधियों में अन्तर्गत करेगी जो ऐसे लाभों के पच्चीस प्रतिशत से कम न हो; और

- (ख) छत्तीसगढ़ सहकारी संघ मर्यादित को तथा ऐसी अन्य संस्थाओं या संघों को, जो कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किये जायें, ऐसे अभिदाय का भुगतान करेगी जो कि विहित किया जाय।

¹[(ग) ऐसी सोसाइटी, जिसमें सरकार की साधारण अंशपूजी की भागीदारी है साधारण अंशपूजी मोचन निधि में कम से कम बीस प्रतिशत राशि अन्तर्गत करेगी।]

²[(3) कोई भी सोसाइटी रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन के बिना अपने सदस्यों को पच्चीस प्रतिशत से अधिक की दर से लाभांश नहीं देगी।]

³[(4) कोई भी सोसाइटी, रजिस्ट्रार की मंजूरी से, किसी वर्ष के शुद्ध लाभ का एक-चौथाई भाग आरक्षित निधि में रख दिया जाने के पश्चात् अवशिष्ट शुद्ध लाभों के पांच प्रतिशत से अनधिक भाग का अभिदाय किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिये कर सकेगी जो कि सहकारिता-आंदोलन के विकास से संबंधित हो या पूर्ण विन्यास अधिनियम, 1890 (क्र. 6 सन् 1890) की धारा 2 में यथा परिभाषित, पूर्ण प्रयोजन से संबंधित है।]

¹[(5) कोई भी सोसाइटी किसी ऐसे संगठन में जिसका उद्देश्य किसी राजनैतिक दल या किसी धार्मिक आस्था को अग्रसर करना है न तो प्रत्यक्षतः और न अप्रत्यक्षतः धन के या वस्तु के रूप में अभिदाय करेगी।]

⁴[43-क. लाभों का विनियोजन—(1) लाभ अर्जित करे वाली कोई सोसाइटी वर्ष के सकल लाभों में से निम्नलिखित की कटौती करके शुद्ध लाभ की संगणना करेगी—

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।
3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 28 सन् 1982 द्वारा अन्तःस्थापित।

¹[(a) all overdue interest accrued on loan account;]

- (b) management charges;
- (c) interest payable on loans and deposits;
- (d) audit fee;
- (e) working expenses, including repairs, rent, taxes;
- (f) depreciation;
- (g) bonus payable to employees under the Payment of Bonus Act, 1965 (No. 21 of 1965);
- (h) provision for payment of income-tax;
- (i) provision for payment of subscription to the State/District Co-operative Union as may be notified;
- (j) provision for development fund, bad debt fund, price fluctuation fund, dividend equalisation fund, investment fluctuation fund and such other funds as may be specified by the Registrar in this behalf;
- (k) provision for retirement benefits to employees and in the case of societies engaged in consumer goods business, provision for purchase rebate to be paid to the members; and
- (l) provision for writing off bad debts and losses not adjusted against any fund created out of profits.

(2) A society may, however, add to the net profits of the year, interest accrued in the preceding years but actually recovered during the year; the net profits thus arrived at, together with the amount of the profits brought forward from the previous year, shall be available for appropriation for the purposes of Section 43.]

²[43-B. Liability for deficit — (1) Where a society has an operational deficit in any year, the ³[Board] shall place before the general body the reasons therefor.

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.
2. Ins. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.
3. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.

¹[(क) उधार लेखाओं पर प्रोद्भूत समस्त अतिशोध्य ब्याज;]

- (ख) प्रबंध-प्रभार;
- (ग) उधारों (लोन्स) तथा निक्षेपों पर देय ब्याज;
- (घ) संपरीक्षा (ऑडिट) फीस;
- (ङ) कामकाज संबंधी खर्चें जिसके अंतर्गत है मरम्मत, भाटक, कर; (च) अवक्षयण;
- (छ) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का सं. 21) के अधीन कर्मचारियों को देय बोनस;
- (ज) आयकर के संदाय के लिये प्रावधान;
- (झ) राज्य/जिला सहकारी संघ, जो कि अधिसूचित किया जाय, को अभिदाय के भुगतान के लिये प्रावधान;
- (ञ) विकास-निधि, डूबन्त ऋण निधि, मूल्य उतार-चढ़ाव निधि, लाभांश समानीकरण निधि, विनिधान उतार-चढ़ाव निधि और ऐसी अन्य निधियों के लिये प्रावधान जो कि रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जायें;
- (ट) कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के लिये प्रावधान और उन सोसाइटीयों की दशा में, जो उपभोक्ता माल का कारबार करती हैं, सदस्य को संदत्त किये जाने वाले क्रय रिबेट के लिये प्रावधान; और
- (ठ) डूबन्त ऋण को और ऐसी हानियों को जो लाभों में से सृजित किसी भी निधि के प्रति समायोजित नहीं किये गये हैं, बट्टे खाते डाले जाने के लिये प्रावधान।

(2) तथापि, कोई भी सोसाइटी वर्ष के शुद्ध लाभों से उस ब्याज को जोड़ सकेगी जो पूर्ववर्ती वर्षों में प्रोद्भूत हुआ है, किन्तु वर्ष के दौरान वास्तव में वसूल किया गया है। इस प्रकार निकाले गये शुद्ध लाभ पूर्व वर्ष से आगे ले गये लाभों की रकम सहित धारा 43 के प्रयोजनों के लिये विनियोजित किये जाने हेतु उपलब्ध रहेंगे।]

²[43-ख. घाटे के लिये दायित्व—(1) जहां किसी सोसाइटी को किसी वर्ष में परिचालन घाटा होता है, वहां ³[बोर्ड] उसके कारणों को साधारण निकाय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।
3. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

(2) The general body shall examine the reasons and where the deficit has arisen in the normal course of business of the society, the general body based on its examination may resolve to make good the operational deficit wholly or partially from members and or its reserves.]

44. Investment of funds — (1) Subject to the provisions of sub-sections (2) and (3), a society may invest or deposit its funds—

- (a) in Government Savings Bank; or
- ¹[(aa) in a Co-operative Bank; or]
- (b) in any of the securities specified in Section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 (II of 1882); or
- (c) with the federal society of which it is a member or in the purchase of the share thereof; or
- (d) with the approval of the Registrar, with any other society with limited liability or in the purchase of the shares or securities or debentures thereof; or
- ²[(e) with any bank approved for this purpose by the Registrar and on such terms and conditions, if any, as may be laid down by him in this behalf:]

(f) ³[***]

Provided that the approval of the Registrar shall not be necessary under clause (d) if shares are to be purchased to become a member thereof according to the bye-laws of such society.

(2) The reserve fund of a society shall be invested or utilised only in such manner and on such terms and conditions as may be laid down by Registrar in this behalf.

⁴[(3) No investment of any of its funds in immovable property, other than funds created for specified purposes, shall be made by a society other than a housing society without the approval of the Registrar.]

1. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.
2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988.
3. Omitted by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.
4. Subs. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

(2) साधारण निकाय, जहां सोसाइटी के कारबार के सामान्य अनुक्रम में घाटा हुआ है वहां उसके कारणों का परीक्षण करेगा और साधारण निकाय अपने परीक्षण के आधार पर परिचालन घाटे को उसके सदस्यों से और या आरक्षितियों से पूर्णतः या भागतः पूरा करने हेतु संकल्प कर सकेगा।]

44. निधियों का विनियोजन—(1) उपधारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुये, कोई सोसाइटी अपनी निधियों को—

- (क) सरकारी बचत बैंकों में; या
- ¹[(कक) किसी सहकारी बैंक में; या]
- (ख) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (क्रमांक 1 सन् 1882) की धारा 20 के विनिर्दिष्ट की गई प्रतिभूतियों में से किसी प्रतिभूति में; या
- (ग) उस संघीय सोसाइटी, जिसकी कि वह सदस्य हो, के पास या उसके अंशों के क्रय में; या
- (घ) रजिस्ट्रार के अनुमोदन से, परिसीमित दायित्व वाली किसी अन्य सोसाइटी के पास या उसके अंशों या प्रतिभूतियों या डिबेन्चरों के क्रय में; या

²[(ङ) किसी ऐसे बैंक पास, जो इस प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया गया हो, और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, यदि कोई हों, जो उसके द्वारा इस निमित्त अधिकथित की जाएं;]

(च) ³[***]

विनिहित या निक्षिप्त कर सकेगी :

परन्तु खण्ड (घ) के अधीन रजिस्ट्रार का अनुमोदन उस दशा में आवश्यक नहीं होगा जबकि ऐसी सोसाइटी का सदस्य होने के लिये ऐसी सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार अंशों का क्रय किया जाना हो।

(2) सोसाइटी की आरक्षित निधि का विनिधान या उपयोग केवल ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर किया जायेगा जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में अधिकथित की जाय।

⁴[(3) गृह निर्माण सोसाइटी से भिन्न किसी सोसाइटी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सृजित निधियों से भिन्न अपनी निधियों में से किसी निधि का स्थावर संपत्ति में विनिधान, रजिस्ट्रार के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।]

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा विलोपित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।
4. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।

(4) A society accepting deposits shall maintain, as a cover against such deposits, fluid resources to such extent and in such manner as may be specified by the Registrar from time to time.

45. Grant of State aid to societies — (1) Any society desirous of having State aid otherwise than by way of contribution towards share capital may apply to the Registrar stating the reasons for seeking such State aid.

(2) On receipt of an application under sub-section (1) or otherwise, the Registrar may, if he is satisfied that such aid is necessary in the interest of the society recommend to the State Government the grant of such aid. The State Government may thereupon grant such aid to the society as it may deem fit on such terms and conditions as may be prescribed.

46. Employees' Provident Fund — (1) A society may establish a contributory Provident Fund for the benefit of its employees to which shall be credited all contributions made by the employees and the society in accordance with the bye-laws of the society.

(2) A contributory Provident Fund established by a society under sub-section (1) —

- (a) shall not be used in the business of the society;
- (b) shall not form part of the assets of the society;
- (c) shall not be liable to attachment or be subject to any other process of any Court or other authority; and
- (d) shall be administered in such manner as may be prescribed.

47. Power to direct affiliation to Federal Society — The State Government may, by a general or special order, direct that all or any of the societies situated within a specified area shall be affiliated to the Chhattisgarh Co-operative Union or to a [the District Co-operative Union] or to any other union in such manner and on such conditions as the State Government may specify.

²[47-A. Apex Society — (1) The Apex society may, for servicing its constituents and in accordance with its byelaws, perform the following functions :—

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988.
2. Ins. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

(4) निक्षेप प्रतिग्राहित करने वाली कोई सोसाइटी, ऐसे निक्षेपों की रक्षा राशि के रूप में संपरिवर्ती संसाधनों को ऐसी सीमा तक तथा ऐसी रीति में बनाये रखेगी जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये।

45. सोसाइटीयों को राज्य सहायता का मंजूर किया जाना—(1) कोई ऐसी सोसाइटी, जो अंशपूजी के प्रति अभिदाय से भिन्न किसी रूप में राज्य सहायता प्राप्त करना चाहती हो, ऐसी राज्य सहायता चाहने के लिये कारण कथित करते हुए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा, रजिस्ट्रार, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसी सहायता उस सोसाइटी के हित में आवश्यक है, ऐसी सहायता मंजूर की जाने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकेगा। राज्य सरकार तदुपरि उस सोसाइटी को ऐसी सहायता जैसी कि ठीक समझे, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर मंजूर कर सकेगी जैसी कि विहित की जाय।

46. कर्मचारियों को भविष्य निधि—(1) कोई सोसाइटी अपने कर्मचारियों के फायदे के लिये एक अभिदायी भविष्य निधि की स्थापना कर सकेगी जिसमें ऐसे समस्त अभिदाय जमा किये जायेंगे जो कि उस सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार कर्मचारियों तथा सोसाइटी द्वारा किये गये हों।

(2) किसी सोसाइटी द्वारा उपधारा (1) के अधीन स्थापित की गई अभिदायी भविष्य निधि—

- (क) उस सोसाइटी के कारबार के उपयोग में नहीं लाई जायेगी;
- (ख) उस सोसाइटी की आस्तियों का भागरूप नहीं होगी;
- (ग) कुर्क किये जाने में दायित्वाधीन नहीं होगी या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी अन्य आदेशिका के अध्यक्षीन नहीं होगी; और

(घ) ऐसी रीति में प्रशासित की जायेगी जैसी कि विहित की जाय।

47. संघीय सोसाइटी से सम्बद्ध किये जाने के निदेश देने की शक्ति—राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर स्थित समस्त सोसाइटीयां या उनमें से कोई सोसाइटी छत्तीसगढ़ सहकारी संघ से या किसी ¹[जिला सहकारी संघ] से या किसी अन्य संघ से ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों पर सम्बद्ध की जाये जैसी कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।

²[47-क. शीर्ष सोसाइटी—(1) शीर्ष सोसाइटी अपने संघटकों की सेवा के लिये और अपनी उपविधियों के अनुसार निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगी—

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।

- (a) safeguard the observance of the co-operative principles;
- (b) promote and organise co-operative societies and for this purposes, frame model byelaws and guidelines for making various regulation and policies for consideration by the societies;
- (c) provide co-operative training, education and information, and propagate co-operative principles;
- (d) undertake research and evaluation and assist in preparation of perspective development plans of member societies;
- (e) promote harmonious relations between member societies;
- (f) help member societies in the settlement of disputes among themselves and between a society and its members;
- (g) represent the interest of member societies and lobby for policies and legislation favourable to societies;
- (h) undertake business services on behalf of its members;
- (i) provide co-operation and management of development services to member societies including participation in board meetings where member societies are invited;
- (j) ensure timely conduct of annual audit in member societies;
- (k) ensure timely conduct of elections in member societies;
- (l) assist member societies in regular conduct of general meetings;
- (m) evolve code of conduct for observance by member societies;
- (n) evolve viability norms for member societies;
- (o) provide legal aid and advice to member societies;
- (p) provide any other service in the interest of member societies.]

- (क) सहकारी सिद्धान्तों का पालन हो, इसके सुरक्षा उपाय करना;
- (ख) सहकारी सोसाइटियों को संप्रवर्तित करना और इस प्रयोजन के लिए आदर्श उपविधियां विरचित करना और सोसाइटियों के विचारण हेतु विभिन्न विनियम और नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाना;
- (ग) सहकारिता के प्रशिक्षण, शिक्षण और जानकारी की व्यवस्था करना और सहकारी सिद्धान्तों का प्रचार करना;
- (घ) अनुसंधान और मूल्यांकन करना तथा सदस्य सोसाइटियों के लिए भावी विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना;
- (ङ) सदस्य सोसाइटियों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध विकसित करना;
- (च) सदस्य सोसाइटियों के बीच आपस में के तथा सोसाइटी और उसके सदस्यों के बीच के विवादों को निपटाने में सहायता करना;
- (छ) सदस्य सोसाइटियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना और सोसाइटियों के अनुकूल नीतियों और विधान के लिए अभिमत प्राप्त करने के प्रयास करना;
- (ज) अपने सदस्यों की ओर से कारबारी सेवाएं हाथ में लेना;
- (झ) बोर्ड के सम्मिलनों में, जिनमें सदस्य सोसाइटियां आमंत्रित की जाती हैं, में भाग लेने के साथ ही सदस्य सोसाइटियों को सहयोग एवं प्रबंधकीय विकास संबंधी सेवाएं प्रदान करना;
- (ञ) सदस्य सोसाइटियों में यथासमय वार्षिक संपरीक्षा का संचालन सुनिश्चित करना;
- (ट) सदस्य सोसाइटियों के यथासमय निर्वाचन का संचालन सुनिश्चित करना;
- (ठ) सदस्य सोसाइटियों के साधारण सम्मिलनों के नियमित संचालन हेतु सहायता करना;
- (ड) सदस्य सोसाइटियों के पालन हेतु आचार संहिता विकसित करना;
- (ढ) सदस्य सोसाइटियों की सक्षमता के मापदण्ड विकसित करना;
- (पी) सदस्य सोसाइटियों को विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान करना;
- (त) सदस्य सोसाइटियों के हित में कोई भी अन्य सेवा प्रदान करना।]

CHAPTER V

MANAGEMENT OF SOCIETIES

¹[48. Final authority in society — (1) The final authority in a society shall vest in the general body of members :

²[Provided that the byelaws of a society may provide for the constitution of a smaller body consisting of delegates elected in accordance with such byelaws to exercise powers of the general body or as may be specified in the byelaws of the society.]

(2) Subject to sub-section (1), the management of every society shall vest in a ³[Board] constituted in accordance with this Act or rules made thereunder or byelaws of the ³[Board] and it shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed respectively by the Act or rules made thereunder or byelaws of the society.

⁴[(3) The reservation of the seats on the board of the society from among its members belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be in proportion to their membership.

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

2. Ins. by M.P. Amendment Act No. 28 of 1982.

3. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.

4. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the following sub-section (3), w.e.f. 13-2-2013 —

(3) (a) On the committee of primary society—

(i) in which half or more than half the members belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other backward classes, not less than half the total number of seats, shall be reserved for the members belonging to such castes, tribes and backward classes in such proportion as may be prescribed;

(ii) in which one fourth or more than one fourth, but less than half the members belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes, three seats shall be reserved for the members belonging to such castes, tribes and backward classes of which one seat each shall be reserved for each class;



पांचवा अध्याय

सोसाइटीयों का प्रबन्ध

¹[48. सोसाइटी में का अन्तिम प्राधिकार—(1) किसी सोसाइटी में का अन्तिम प्राधिकार सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होगा:

²[परन्तु साधारण निकाय की शक्तियों का या उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिये जो कि सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी सोसाइटी की उपविधियों में एक ऐसे छोटे निकाय के गठन के लिये उपबंध हो सकेगा जिसमें ऐसी उपविधियों के अनुसार निर्वाचित किये गये प्रत्यायुक्त होंगे।]

(2) उपधारा (1) के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक सोसाइटी का प्रबंध इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के या सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार गठित की गयी ³[बोर्ड] में निहित होगा तथा वह ³[बोर्ड] ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो कि इस अधिनियम या उसके बनाये गये नियमों या सोसाइटी की उपविधियों द्वारा क्रमशः उसे प्रदत्त की जाय या उस पर अधिरोपित किये जायें।

⁴[(3) सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में उनके सदस्यों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के स्थान का आरक्षण उनकी सदस्यता के अनुपात में किया जाएगा :

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 28 सन् 1982 द्वारा अन्तःस्थापित।

3. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

4. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा निम्नलिखित उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील—

“(3) (क) प्राथमिक सोसाइटी की समिति में—

(एक) जिसमें आधे या आधे से अधिक सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हैं, स्थानों की कुल संख्या के कम से कम आधे स्थान ऐसे जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए ऐसे अनुपात में आरक्षित रखे जाएंगे जो विहित किया जाए;

(दो) जिसमें एक चौथाई या एक चौथाई से अधिक किन्तु आधे से कम सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हैं, तीन स्थान ऐसी जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे;

जिनमें से प्रत्येक एक स्थान प्रत्येक वर्ग के लिए आरक्षित रखा जाएगा;



Provided that such reservation shall not exceed 50% of membership of the board.

Provided further that one seat shall be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be.]

(4) ¹[***]

(5) There shall be a President/Chairman and two Vice-Presidents/Vice-Chairman in a resource society. Out of the two offices of Vice-Presidents/Vice-Chairman—

- ⇒ (iii) in which the number of members belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other backward classes is less than one fourth of total number of members, one seat shall be reserved for a member belonging to such castes, tribes and other backward classes, which has the larger number of members in the society.
- (iv) which is operating in a Scheduled Area, the number of seats to be reserved for Scheduled Tribes shall bear as nearly as may be the same proportion as members belonging to Scheduled Tribes bear to the total memberships of the society.

Explanation — For the purpose of this clause the Co-operative Land Development Bank shall be deemed to be a primary society.

(b) On the committee of such Central or Apex Society or class of Central or Apex societies as the State Government may having regard to the total membership of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes in the Primary Societies affiliated to such Apex or Central Society, by general or special order, direct, such number of seats as may be specified in the order shall be reserved for the members belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes :

Provided that the number of seat so reserved shall not exceed two for each category of members:

Provided further that on the Committee of every Central or Apex Society of the Resource class at least one seat each shall be reserved for the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes.

(c) In the event of society falling to elect requisite number of members or to elect less than such number of members, as is specified in clauses (a) and (b), the members of the committee shall co-opt the requisite number of members from amongst members of such society eligible for such representation and in the event of the committee failing to do so, Registrar shall nominate the requisite number of members from amongst members of such society eligible for such representation.

1. Omitted by M.P. Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

परन्तु यह कि ऐसा आरक्षण बोर्ड की कुल सदस्यता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि एक स्थान (सीट) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रहेगी।]

(4) ¹[***]

(5) संसाधन सोसाइटी में एक अध्यक्ष/सभापति और दो उपाध्यक्ष/ उपसभापति होंगे, उपाध्यक्षों/उपसभापतियों के दो पदों में से—

- ⇒ (तीन) जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों की संख्या सदस्यों की कुल संख्या के एक-चौथाई से कम है, एक स्थान ऐसी जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित रखा जाएगा जिसके सदस्य सोसाइटी में अधिक संख्या में हों।
- (चार) जो अनुसूचित क्षेत्र में काम कर रही है, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के रूप में उसी अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी जो किसी सोसाइटी की कुल सदस्य संख्या के साथ है।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए सहकारी भूमि विकास बैंक एक प्राथमिक सोसाइटी समझी जाएगी।

(ख) ऐसी केन्द्रीय या शीर्ष सोसाइटी या ऐसे वर्ग की केन्द्रीय या शीर्ष सोसाइटियों की समिति में जो राज्य सरकार, ऐसी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटी में संबद्ध प्राथमिक सोसाइटियों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की कुल सदस्य संख्या को ध्यान में रखते हुए साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निर्देशित करें, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए उतनी संख्या में स्थान आरक्षित रखें जाएंगे जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं:

परन्तु इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या सदस्यों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए दो से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और भी कि संसाधन वर्ग की प्रत्येक केन्द्रीय या शीर्ष सोसाइटी की समिति में कम से कम एक-एक स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

(ग) किसी सोसाइटी द्वारा अपेक्षित संख्या में सदस्यों का निर्वाचन करने में असफल रहने पर खण्ड या (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट संख्या से कम संख्या में सदस्यों का निर्वाचन करने में की दशा में समिति के सदस्य अपेक्षित संख्या में सदस्यों का सहयोजन ऐसी सोसाइटी के उन सदस्यों में से करेंगे जो ऐसे प्रतिनिधित्व के पात्र हैं, और समिति द्वारा ऐसा करने में असफल रहने की दशा में रजिस्ट्रार अपेक्षित संख्या में सदस्यों का नामनिर्देशन ऐसी सोसाइटी के उन सदस्यों में से करेगा जो ऐसे प्रतिनिधित्व के लिए पात्र हैं।¹

1. म.प्र. अधिनियम क्र. 12 सन 1994 द्वारा विलोपित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।

(i) One shall be held by a woman member; and

¹[(ii) One shall be held, if the Chairman is not elected from amongst persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes, by a person belonging to these categories and otherwise, by any person:]

Provided that in case of such Resource Society other than a Nagrik Cooperative Bank or Urban Co-operative Credit Society or Thrift society, operating in a Scheduled area, the Chairman or President shall be elected only from amongst persons belonging to Scheduled Tribes.]

Explanation — For the purpose of this section —

(i) "Scheduled Caste" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as such in relation to the State of Chhattisgarh under Article 341 of the Constitution of India;

(ii) "Scheduled Tribe" means any Tribe, Tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such in relation to the State of Chhattisgarh under Article 342 of the Constitution of India.]

²[(5-A) There shall be a President or Chairman and Vice-President or Vice Chairman in consumer society of whom one shall be a woman.]

³[(6) No person who is individual member in a Central Co-operative bank shall hold any specified office in the Central or Apex Society.]

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 20 of 2003, w.e.f. 9-9-2003.
2. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1990, w.e.f. 26-4-1990.
3. Ins. by M.P. Amendment Act No. 5 of 1978.

(एक) एक पद स्त्री सदस्य द्वारा धारित किया जाएगा; और

¹[(दो) एक पद, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से निर्वाचित न हो तो इनमें से किसी वर्ग के व्यक्ति द्वारा और अन्यथा किसी भी वर्ग के व्यक्ति द्वारा धारित किया जाएगा;

परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में संचालित नागरिक सहकारी बैंक या नगरीय सहकारी साख सोसाइटी या बचत सोसाइटी से भिन्न ऐसी संसाधन सोसाइटी की दशा में अध्यक्ष या सभापति का निर्वाचन केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों में से किया जाएगा।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(एक) 'अनुसूचित जाति' से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में उस रूप में विनिर्दिष्ट है;

(दो) 'अनुसूचित जनजाति' से अभिप्रेत है कोई जनजाति, जनजाति समुदाय या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ के संबंध में उस रूप में विनिर्दिष्ट है।

²[(5-क) उपभोक्ता सोसाइटी में एक अध्यक्ष या सभापति और एक उपाध्यक्ष या उपसभापति होगा जिनमें से एक महिला होगी।]

³[(6) कोई भी व्यक्ति, जो किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक में वैयक्तिक सदस्य है, केन्द्रीय या शीर्ष सोसाइटी में कोई भी विनिर्दिष्ट पद धारण नहीं करेगा।]

1. छ.ग. अधिनियम क्र. 20 सन 2003 द्वारा प्रतिस्थापित 9-9-2003 से प्रभावशील।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1990 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 26-4-1990 से प्रभावशील।
3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 5 सन् 1978 द्वारा अन्तःस्थापित।

¹[(7) (a) A member who absents himself willfully in three consecutive meetings without reasonable cause, and which is proved after giving him reasonable opportunity, shall be ceased to be a member of the board, and is debarred from all consequential benefits.

(b) In a Co-operative society, no member shall qualified for election as member of the board, delegate or representative and entitled to vote in any election of the board, delegate or representative of the co-operative society unless he has availed minimum level of services by such society as may be prescribed in this regard from time to time.]

²[(8) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder or bylaws of the societies total number of members of the board shall not exceed twenty-one, of which two shall be women :

Provided further that co-opted specialist member appointed under provisions of sub-section (9) of this Section and ex-officio member, and Government nominee appointed under provisions of sub-section (1) of Section 52 and functional director(s) shall be excluded from the maximum number of members for the purpose of this sub-section.

(9) Notwithstanding anything contained in this Act or rules made thereunder, Board shall co-opt those persons as members of the board having experience in the field of banking management, finance or specialization in any other field relating to the objects and activities undertaken by the co-operative society, as member of the board of such society :

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the following sub-section (7), w.e.f. 13-2-2013 —

“(7) In a resource society, no person who is a non-borrowing member shall be qualified for election as member of the committee, delegate, or representative nor shall he be entitled to vote in any election of the committee, delegate or representative of the society.

Explanation — A non-borrowing member shall be one who never borrowed from such a Bank or a society in which he is a member:

Provided that the provisions of this sub-section shall apply to the society from the date it commences its lending operations :

Provided further that the provisions of this sub-section shall not apply to the society in so far as its first provisional committee/nominated committee is concerned.”

2. Added by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013, w.e.f. 13-2-2013.

¹[(7) (क) सदस्य जो बिना किसी उचित कारण के लगातार तीन सभाओं में जानबूझकर अपने आपको अनुपस्थित रखता है और जो उसको सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर प्रदान के पश्चात् प्रमाणित हो गया है, बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने से परिवर्तित हो जायेगा और सभी पारिणामिक लाभों से वंचित हो जायेगा।

(ख) किसी सहकारी सोसाइटी में, कोई भी सदस्य, बोर्ड के सदस्य के रूप में, प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं होगा और न ही ऐसी सहकारी सोसाइटी के प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि को, बोर्ड के किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकार होगा, जब तक कि वह ऐसी सहकारी सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के न्यूनतम स्तर जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा सभी प्रकार की सोसाइटियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर विहित किया जाए, का उपभोग नहीं कर लिया हो।]

²[(8) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों और सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या, इक्कीस से अधिक नहीं होगी, जिनमें से दो महिलायें होंगी :

परन्तु इस धारा की उपधारा (9) के उपबंधों के अधीन नियुक्त सहयोजित विशेषज्ञ सदस्य एवं पदेन सदस्य और धारा 52 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन नियुक्त शासकीय नामित और कार्यकारी संचालकों को बोर्ड के ऐसे इक्कीस सदस्यों की गणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।

(9) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गये नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड उन व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित करेगा जिन्हें ऐसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र में अनुभव हो अथवा ऐसे अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता हो जो ऐसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किए जा रहे उद्देश्यों और क्रियाकलाप से संबंधित हो :

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा निम्नलिखित उपधारा (7) के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील—

“(7) किसी संसाधन सोसाइटी में, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उधार न लेने वाला सदस्य है, समिति के सदस्य के रूप में, प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं होगा और न ही वह ऐसी सोसाइटी की समिति, उसके प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण—उधार न लेने वाला सदस्य वह होगा जिसने ऐसे किसी बैंक या किसी सोसाइटी से, जिसमें वह सदस्य है, कभी उधार न लिया हो:

परन्तु इस उपधारा के उपबंध सोसाइटी को उस तारीख से लागू होंगे जिसको वह उधार देने की संक्रियाएँ प्रारंभ करती है:

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा के उपबन्ध सोसाइटी को, जहां तक उसकी प्रथम अन्तिम समिति/नामनिर्दिष्ट समिति का संबंध है, लागू नहीं होंगे।”

2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा जोड़ा गया दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

Provided that the number of such co-opted member shall not exceed two in addition to twenty-one members specified in sub-section (8) of this Section :

Provided further that such co-opted members shall not have the right to vote in any election of the co-operative society in their capacity as such member or to be eligible to be elected as office bearers of the board.]

¹[48-A. Disqualifications for holding specified office — (1) No person shall at the same time hold the specified office of more than one Apex Society, one Central Society and one Primary Society :

Provided that the provisions of this sub-section shall be applicable in case of societies of the same classification.

(2) If any person who is holding a specified office in one Apex Society, one Central Society and one Primary Society is elected or appointed to a specified office in any other Apex or Central or Primary society, he may, by a letter in writing signed by him and addressed to the registrar, within a period of one month from the date of his election or appointment to such specified office resign from the specified office in all except one Apex Society and or one Central Society and or one Primary Society as the case may be.

(3) If any person required to resign under sub-section (2), fails to resign within the period specified therein, then at the expiration of such period he shall be deemed to have resigned from the specified office in all except one Apex Society and one Central Society and one Primary Society, as the case may be, in which he was already holding the specified office prior to such subsequent election or appointment to specified office in other Apex or Central or Primary Society.]

¹[48-B. Representatives and delegates — (1) Every ²[Board] of society shall at the time of election of Chairman or Vice-Chairman, also

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.

परन्तु ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या इस धारा की उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट इक्कीस सदस्यों के अतिरिक्त दो से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि ऐसे सहयोजित सदस्य सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन में ऐसे सदस्य की हैसियत से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे और न ही बोर्ड के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होंगे।]

¹[48-क. विनिर्दिष्ट पद धारण करने के लिए निर्द्धारण—(1) कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक शीर्ष सोसाइटियों का, एक से अधिक केन्द्रीय सोसाइटियों का तथा एक से अधिक प्राथमिक सोसाइटियों का विनिर्दिष्ट पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु इस उपधारा के उपबन्ध एक ही वर्गीकरण वाली सोसाइटियों पर लागू होंगे।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जो एक शीर्ष सोसाइटी, एक केन्द्रीय सोसाइटी तथा एक प्राथमिक सोसाइटी में कोई विनिर्दिष्ट पद धारण कर रहा है, किसी अन्य शीर्ष सोसाइटी या केन्द्रीय सोसाइटी या प्राथमिक सोसाइटी के ऐसे विनिर्दिष्ट पद पर निर्वाचित या नियुक्त हो जाता है, तो वह लिखित पत्र द्वारा जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित और रजिस्ट्रार को संबोधित होगा, किसी विनिर्दिष्ट पद पर, अपने निर्वाचित या नियुक्त हो जाने की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर, यथास्थिति एक शीर्ष सोसाइटी तथा या एक केन्द्रीय सोसाइटी तथा या एक प्राथमिक सोसाइटी के सिवाय ऐसी अन्य सभी शीर्ष सोसाइटियों, केन्द्रीय सोसाइटियों तथा प्राथमिक सोसाइटियों के विनिर्दिष्ट पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन त्यागपत्र देने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर त्यागपत्र देने में असफल रहता है, तो ऐसी कालावधि का अवसान हो जाने पर उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति एक शीर्ष या केन्द्रीय या प्राथमिक सोसाइटी, जिसमें वह ऐसे पश्चात्पूर्ती निर्वाचन या नियुक्ति के पूर्व पहले से ही विनिर्दिष्ट पद धारण किए हुए था, के सिवाय अन्य सभी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटियों या प्राथमिक सोसाइटियों के विनिर्दिष्ट पद से त्यागपत्र दे दिया है।]

¹[48-ख. प्रतिनिधि एवं प्रत्यायुक्त—(1) प्रत्येक सोसाइटी की ²[बोर्ड] सभापति या उप सभापति के निर्वाचन के समय ऐसे प्रतिनिधि को भी निर्वाचित करेगी

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।

2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

elect representative who shall represent it in other society and the representative so elected shall not be withdrawn by the ¹[Board] till the next election of the ¹[Board].

²[(2) (a) In a society where not less than half of the members belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the representative shall be only from amongst the members belonging to such castes or tribes; and (b) In a society where not less than two-third of the members belong to other Backward Classes, the representative shall be from amongst the members belonging to such classes.]

(3) If the byelaws of a society provide for the constitution of its general body by the elections of the delegates, the society shall reserve seats in the general body for the members belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes in such a manner that the number of seats so reserved for each category shall as far as possible, be in the same proportion in which members of each category, shall bear to the total membership of the society].

48-C. Powers of ¹[Board] — The Board or the ¹[Board] of a society shall in accordance with the byelaws, have power to—

- (a) admit and terminate membership;
- (b) elect the Chairman and other office bearers;
- (c) remove from office the Chairman and office bearers;
- (d) fix staff strength with the approval of the Registrar;
- (e) frame policies concerning—
 - (i) organisation and provisions for services to members;
 - (ii) qualifications, recruitment, service conditions of the staff and other matters relating to staff with the approval of the Registrar;
 - (iii) mode of custody and investment of funds;
 - (iv) manner of keeping accounts;
 - (v) mobilisation, utilisation and investment of funds;
 - (vi) monitoring and management of information system including statutory returns to be filed;

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.

2. Subs. by M.P. Act No. 22 of 1995, M.P. Rajpatra (Ext.) dated 22-6-95 page 564.

जो उसका प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटियों में करेंगे और ¹[बोर्ड] द्वारा ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधि को तब तक वापस नहीं बुलाया जाएगा, जब तक कि ¹[बोर्ड] का आगामी चुनाव नहीं हो जाता है।

²[(2) (क) किसी सोसाइटी से जहां सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं, वहां ऐसा प्रतिनिधि केवल ऐसी जातियों या जनजातियों के सदस्यों में से होगा; और

(ख) किसी सोसाइटी में जहां सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों के हैं, वहां ऐसा प्रतिनिधि ऐसे वर्गों के सदस्यों में से होगा।]

(3) यदि किसी सोसाइटी की उपविधियों में उसके साधारण निकाय का गठन प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन द्वारा किए जाने का उपबंध है, तो वह सोसाइटी साधारण निकाय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए स्थानों का आरक्षण ऐसी रीति से करेगी कि प्रत्येक प्रवर्ग के लिए इस प्रकार आरक्षित स्थान, जहां तक संभव हो, उसी अनुपात में हो जो प्रत्येक प्रवर्ग के सदस्यों का, उस सोसाइटी की, कुल सदस्य संख्या के साथ है।]

48-ग. ¹[बोर्ड] की शक्तियां—किसी सोसाइटी का बोर्ड या ¹[बोर्ड] को उसकी उपविधियों के अनुसार निम्नानुसार शक्तियां होगी—

- (क) सदस्यता स्वीकृत एवं समाप्त करना;
- (ख) सभापति एवं अन्य पदधारियों को निर्वाचित करना;
- (ग) सभापति एवं पदधारियों को पद से हटाना;
- (घ) रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारीवृन्द की संख्या नियत करना;
- (ङ) निम्नलिखित के संबंध में नीतियां बनाना—
 - (एक) सदस्यों को सेवाएं देने के लिए संगठन एवं उपबंध करना;
 - (दो) रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारीवृन्द की अर्हताएं, भर्ती, सेवा शर्तें और कर्मचारीवृन्द से संबंधित अन्य विषय;
 - (तीन) निधि की अभिरक्षा और विनिधान का ढंग;
 - (चार) लेखाओं के रखे जाने की रीति;
 - (पांच) निधियों का संचालन, उपयोग एवं विनिधान;
 - (छह) फाइल की जाने वाली कानूनी विवरणियों के सहित सूचना प्रणाली की निगरानी और प्रबंध;

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

2. म.प्र. अधिनियम क्र. 22 सन 1995 द्वारा प्रतिस्थापित, म.प्र. राजपत्र (असा.) दिनांक 22-6-95 पेज 564।

- (f) place the annual report, annual financial statements, plan and budget for the approval of the general body;
- (g) consider audit and compliance reports and place the same before the general body; and
- (h) undertake such other functions as specified in the byelaws.

49. **Annual General Meeting** — (1) ¹[Every Society shall within ²[a period of six months of] the close of financial year call a general meeting of its members for the following purposes of]—

- (a) approval of the programme of the activities of the society prepared by the ³[Board] for the ensuing year;
- (b) Election, if fallen due, of the members of the ³[Board].

Explanation — Election of the ³[Board] shall be deemed to have fallen due, if the term of the ³[Board] comes to an end within a period of three months from the date of the annual general meeting.

- (c) consideration of the audit report, if received and the annual report;
- (d) disposal of the net profit;
- (e) consideration of any other matter which may be brought forward in accordance with the byelaws; and
- (f) presenting the budget for the next co-operative year;

⁴[(g) appointment of Auditor for next financial year.]

Provided that the Registrar may, save the meeting in which elections are to be held on expiration of the term of the ³[Board] specified in sub-section (7-A), extend the period for holding such meeting, by a further period not exceeding three months:

1. Subs. by M.P. Act No. 20 of 1999, w.e.f. 7-8-1999.
2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "three months before", w.e.f. 13-2-2013.
3. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
4. Added by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013, w.e.f. 13-2-2013.

- (च) साधारण निकाय के अनुमोदन हेतु वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, योजना एवं बजट प्रस्तुत करना;
- (छ) संपरीक्षा तथा अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करना और उन्हें साधारण निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना; और
- (ज) ऐसे अन्य समस्त कृत्य करना जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट हैं।

49. **वार्षिक साधारण सम्मेलन**—(1) ¹[प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के ²[छ: माह की कालावधि] के भीतर अपने सदस्यों का साधारण सम्मेलन निम्नलिखित प्रयोजन के लिए बुलाएगी] :

- (क) सोसाइटी के क्रियाकलापों के कार्यक्रम का, जो कि ³[बोर्ड] द्वारा आगामी वर्ष के लिये तैयार किया गया हो, अनुमोदन करने के लिये;
- (ख) ³[बोर्ड] के सदस्यों का निर्वाचन, यदि वो कराया जाना अपेक्षित हो गया है;

स्पष्टीकरण—³[बोर्ड] का निर्वाचन अपेक्षित हो गया है यह तब समझा जाएगा जबकि ³[बोर्ड] की अवधि वार्षिक साधारण सम्मेलन की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर समाप्त हो जाए।

- (ग) संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि प्राप्त हुई हो, तथा वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने के लिये;
- (घ) शुद्ध लाभ के व्ययन के लिये;
- (ङ) किसी अन्य विषय पर, जो कि उपविधियों के अनुसार उपस्थापित किया जाय, विचार करने के लिये; और
- (च) अगले वर्ष के लिये बजट पेश करने के लिये;

⁴[(छ) आगामी वित्तीय वर्ष हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति के लिए।] परन्तु रजिस्ट्रार उस सम्मेलन के सिवाय, जिसमें कि निर्वाचन ³[बोर्ड] के कार्यकाल का, जो कि उपधारा (7-क) में विनिर्दिष्ट किया गया है, अवसान होने पर किये जाने हैं, ऐसा सम्मेलन करने की कालावधि को तीन मास से अनधिक और कालावधि के लिये बढ़ा सकेगा।

1. म.प्र. अधिनियम क्र. 20 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 7-8-99 से प्रभावी।
2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्दों "पूर्व तीन मास" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
3. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
4. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा जोड़ा गया, दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

¹[Provided further that in respect of a society where an order of liquidation has been issued under Section 69, annual general meeting shall not be necessary to be called.]

(1-A) The election of the members of the ²[Board] Chairman, Vice-Chairman, President, Vice-President and representatives, if any shall be conducted by the Returning Officer in the prescribed manner.

(2) Notice of such meeting shall be sent to the Deputy/ Assistant Registrar of the district in which the society is situate, at least fourteen clear days before the date of the meeting.

(3) The Deputy/ Assistant Registrar may himself attend such meeting or depute any officer subordinate to him to attend it.

(4) The Deputy/ Assistant Registrar or the officer deputed by him, shall have the right to address the meeting in respect of any matter pertaining to the subjects specified in clauses (a), (c), (d) and (e) of sub-section (1).

(5) If default is made in calling general meeting within the period prescribed therefor under sub-section (1) or in complying with the requirement of subsection (1), the Registrar may, by order, declare any officer whose duty it was to call such meeting or comply with it the provisions of sub-section (1) and who without reasonable excuse failed to comply with any of the provisions of aforesaid subsection, to be disqualified for being elected or being in office for such period not exceeding three years, as he may specify in such order and if the officer is an employee of the society impose a penalty on him of any amount not exceeding five thousand rupees:

Provided that no order shall be made under this sub-section unless the person concerned is given a reasonable opportunity of being heard by an officer not below the rank of Joint Registrar of Co-operative Societies.

(6) If the byelaws of a society provides for election of all or some members of the ²[Board] on territorial basis, such members of the ²[Board] shall be elected from the area in a meeting of the members of that area in accordance with the provisions of the byelaws on a date prior to that of

1. Ins. by M.P. Act No. 20 of 1999.

2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.

¹[परन्तु यह और भी कि जहाँ किसी सोसाइटी के सम्बन्ध में धारा 69 के अधीन समापन का आदेश जारी किया गया है तो वहाँ वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाना आवश्यक नहीं होगा।]

(1-क) ²[बोर्ड] के सदस्यों, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रतिनिधियों के यदि कोई हो, निर्वाचन का संचालन रिटर्निंग आफिसर द्वारा विहित रीति में किया जाएगा।

(2) ऐसे सम्मेलन की सूचना उस जिले के, जिसमें कि सोसाइटी स्थित हो, उप-सहायक रजिस्ट्रार को, सम्मेलन की तारीख से कम से कम पूरे 14 दिन पूर्व भेजी जायगी।

(3) उप-सहायक रजिस्ट्रार ऐसे सम्मेलन में स्वयं हाजिर हो सकेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उसमें हाजिर होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(4) उप-सहायक रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग), (घ) तथा (ज) में विनिर्दिष्ट किये गये विषयों से संबंधित किसी भी मामले के बारे में सम्मेलन को संबोधित करे।

(5) यदि साधारण सम्मेलन, उपधारा (1) के अधीन उसके लिये विहित की गई कालावधि के भीतर बुलाने में या उपधारा (1) की अपेक्षा का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया गया हो, तो रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, किसी ऐसे आफिसर को, जिसका कि ऐसा सम्मेलन बुलाने का या उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने का कर्तव्य था और जिसने युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना पूर्वोक्त उपधारा के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुपालन करने में चूक की हो, पद के लिये निर्वाचित होने या पद पर रहने के लिए तीन वर्ष से अधिक ऐसी कालावधि तक के लिये जिसे कि वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करें, निरहित घोषित कर सकेगा और उस आफिसर पर, यदि वह आफिसर सोसाइटी का कर्मचारी हो, पांच हजार रुपये से अनधिक किसी भी रकम की शक्ति अधिरोपित कर सकेगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को सहकारी सोसाइटियों के संयुक्त रजिस्ट्रार की पद श्रेणी से अनिवार्य पद श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता।

(6) यदि किसी सोसाइटी की उपविधियां ²[बोर्ड] के समस्त या कुछ सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रीय (टेरीटोरियल) आधार पर किया जाने का उपबंध करती हो, तो ²[बोर्ड] के ऐसे सदस्य क्षेत्र में से, साधारण सम्मेलन के पूर्व की किसी तारीख को उपविधियों के उपबंधों के अनुसार उस क्षेत्र के सदस्यों के किसी सम्मेलन में, निर्वाचित

1. म.प्र. अधिनियम क्र. 20 सन् 1999 द्वारा अन्तः स्थापित।

2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावी।

general meeting. The results thereof shall be affixed on the notice board of the society and also at the place of the general meeting prior to the commencement of the proceedings in annual general meeting.

(7) At every annual general meeting of a society, the ¹[Board] shall lay before the society a statement showing details of loans or advances, if any, outstanding during the proceeding years, in the name of the members of the ¹[Board], their family members and near relations.

Explanation — For the purpose of sub-section (7) family members shall include wife, husband and dependent children.

(7-A) (i) The term of the ¹[Board] shall be five years from the date on which first meeting of the ¹[Board] is held :

Provided that where a ¹[Board] superseded, suspended or removed under the Act is reinstated as a result of any order of any Court or authority, the period during which the ¹[Board] remained under supersession, suspension out of office as the case may be, shall be excluded in computing the period of the term aforesaid.

²[Provided further that the board may fill a casual vacancy on the board by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of board is less than half of its original term.]

(ii) The term of the representative elected by the ¹[Board] of the society shall be co-terminus with the term of the ¹[Board] of the society for which representative is elected :

Provided that the representative of a ¹[Board] shall continue to hold his office till the expiry of the term of the ¹[Board] of which he is a member.

³[***]

⁴[***]

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
2. Ins. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013, w.e.f. 13-2-2013.
3. Sub-section (7-AA) & (7-AAA) omitted by Chhattisgarh Amendment Act No. 22 of 2004, w.e.f. 13-2-2013.
4. Sub-section (7-B) & (7-C) omitted by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988.

किये जायेंगे। उसके परिणाम सोसाइटी के सूचना फलक पर तथा वार्षिक साधारण सम्मेलन की कार्यवाहियों के प्रारम्भ होने के पूर्व साधारण सम्मेलन के स्थान पर भी लगाये जायेंगे।

(7) किसी भी सोसाइटी के प्रत्येक वार्षिक साधारण सम्मेलन में ¹[बोर्ड] सोसाइटी के सामने एक विवरण रखेगी जिसमें ¹[बोर्ड] के सदस्यों के, उनके कुटुम्ब के सदस्यों के तथा निकट नतेदारों के नाम पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान बकाया उधारों या अग्रिमों, यदि कोई हों, के ब्यौरे दर्शाये गये हों।

स्पष्टीकरण— उपधारा (7) के प्रयोजन के लिए, कुटुम्ब के सदस्यों के अन्तर्गत पत्नी, पति तथा आश्रित संतान होगी।

(7-क) (एक) ¹[बोर्ड] का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको ¹[बोर्ड] का प्रथम सम्मेलन किया जाता है, पांच वर्ष होगा:

परन्तु जहाँ किसी ¹[बोर्ड] को अतिष्ठित या निर्लंबित किया गया है, या अधिनियम के अधीन हटाया गया है किसी न्यायालय के या प्राधिकारी के आदेश के फलस्वरूप पुनः स्थापित हो जाती है वहाँ वह कालावधि जिसके दौरान वह ¹[बोर्ड] यथास्थिति अतिष्ठित, निर्लंबित या पद पर नहीं रही है, पूर्वोक्त कार्यकाल की गणना करने में अपवर्जित कर दी जाएगी।

²[परन्तु यह और कि यदि बोर्ड का कार्यकाल मूल कार्यकाल के आधे से कम है, तो बोर्ड, जिस वर्ग में आकस्मिक रिक्रिया उद्भूत हुई हैं, के संबंध में उसी वर्ग के सदस्य में से नामिती द्वारा बोर्ड की आकस्मिक रिक्रिया की पूर्ति कर सकेगा।]

(दो) सोसाइटी की ¹[बोर्ड] द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल उस सोसाइटी के, जिसके लिए ऐसा प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया है, कार्यकाल की समाप्ति के साथ समाप्त होगा:

परन्तु यह कि, ¹[बोर्ड] का प्रतिनिधि उस ¹[बोर्ड] की जिसका कि वह सदस्य है अवधि समाप्त होने तक अपने पद पर बना रहेगा।

³[***]

⁴[***]

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
3. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 22 सन् 2004 द्वारा विलोपित, छ.ग. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14-1-2005 के पृष्ठ क्र. 22 पर प्रकाशित तथा दिनांक 14-1-2005 से प्रभावी।
4. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा उपधाराएँ (7-ख) एवं (7-ग) विलोपित।

¹[(8) Notwithstanding anything contained in this Act or Rules made thereunder the election of a board shall be conducted before the expiry of the term of the board. If the elections are not held before the expiry of the term, or board of society ceases to function due to the order of any court or otherwise all the members of the board shall be deemed to have vacated their seats and the powers of the board shall be deemed to have been vested in the Registrar and the State Election Commission shall hold elections within six months, or twelve months in case of the Co-operative Banks:

Provided that the Registrar may authorize any officer to exercise the powers of the board vested in him under this sub-section and the officer so authorized shall exercise such powers from the date of such authorization.]

²[(9) (a) Every society shall record in the minutes book, the minutes of all the proceedings of every general meeting and all other meetings of its ³[Board].

(b) Such minutes shall be circulated to all the persons invited for the meeting, within thirty days from the conclusion of the meeting.

(c) The minutes so recorded shall be signed by the person who presided over the said meetings.]

(10) ⁴[***]

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the following sub-section (8), w.e.f. 13-2-2013 —

"(8) If the elections are not held before the expiry of the term specified in sub-section (7-A) or the extended term under deleted herein before sub-section (7-AA), all the members of the committee shall be deemed to have vacated their seats and the powers of the committee shall be deemed to have been vested in the Registrar and the Registrar shall hold elections as early as possible:

Provided that the Registrar may authorize any officer to exercise the powers of the committee vested in him under this sub-section and the officer so authorized shall exercise such powers from the date of such authorization."

2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

3. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.

4. Omitted by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

¹[(8) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व बोर्ड का निर्वाचन कराया जायेगा। यदि बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन नहीं कराये जाते हैं, या सहकारी सोसाइटी का बोर्ड किसी न्यायालय के आदेश के कारण या अन्यथा कार्य करने से परिवर्तित हो जाए, तो बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा अपने पद रिक्त किये गये समझे जाएंगे और बोर्ड की शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित समझी जाएंगी और राज्य निर्वाचन आयोग, छ: मास के भीतर तथा सहकारी बैंक के मामले में बारह मास के भीतर निर्वाचन करवायेगा:

परन्तु रजिस्ट्रार इस उपधारा के अधीन उसमें निहित बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी ऐसे प्राधिकृत किए जाने की तारीख से ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा।]

²[(9) (क) प्रत्येक सोसाइटी प्रत्येक साधारण सम्मेलन और उसकी ³[बोर्ड] के समस्त अन्य सम्मेलनों के समस्त कार्यवृत्त को, कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित करेगी।

(ख) ऐसा कार्यवृत्त सम्मेलन में आमंत्रित समस्त व्यक्तियों को सम्मिलन की समाप्ति के 30 दिन के भीतर परिचालित किया जाएगा।

(ग) इस प्रकार अभिलिखित किया गया कार्यवृत्त उक्त सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।]

(10) ⁴[***]

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा निम्नलिखित उपधारा (8) के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील —

"(8) यदि उपधारा (7-क) में विनिर्दिष्ट कार्यकाल या एतदपूर्व हटाई गयी उपधारा (7-कक) के अधीन बढ़ाए गये कार्यकाल का अवसान होने के पूर्व निर्वाचन नहीं होते हैं, तो समिति के समस्त सदस्यों के संबंध में यह समझा जायेगा कि सभी सदस्यों ने अपने पद रिक्त कर दिये हैं और समिति की शक्तियों रजिस्ट्रार में निहित हो गयी हैं और रजिस्ट्रार यथासंभव शीघ्र निर्वाचन करवायेगा:

परन्तु रजिस्ट्रार इस उपधारा के अधीन उसमें निहित समिति की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत किया गया उक्त अधिकारी ऐसे अधिकृत किये जाने की तारीख से ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा।"

2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।

3. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

4. म.प्र. अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा विलोपित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावी।

49-A. ¹***]

²[49-B. ³[Board] Annulment of proceedings of society by successor ³[Board] — Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder and byelaws of a society, any resolution passed by a ³[Board] shall not be modified or annulled by the successor ³[Board] without the previous sanction in writing of the Registrar.]

⁴[49-C. Government's powers to give directions in public interest, etc. — (1) If the State Government, on receipt of a report from the Registrar or otherwise is satisfied that in the public interest or for the purpose of securing proper implementation of co-operative production and other development programmes approved or undertaken by Government, or to secure the proper management of the business of the society generally, or for preventing the affairs of the society being conducted in a manner detrimental to the interests of the members or of the depositors or the creditors thereof, it is necessary to issue directions to any class of societies generally or to any society or societies in particular, the State Government may issue directions to them from time to time, and all societies or the societies concerned, as the case may be, shall be bound to comply with such directions.

(2) The State Government may modify or cancel any directions issued under sub-section (1), and in modifying or cancelling such directions may impose such conditions as it may deem fit.

(3) Where the Registrar is satisfied that any person or ³[Board] responsible for complying with any directions or modified directions issued to a society under sub-section (1) or (2) has failed without sufficient reason or justification to comply with the directions, the Registrar may—

- (i) in case of a ³[Board], proceed against such ³[Board] in accordance with the provisions of Section 53; and
- (ii) in case of a person, if the person is a member of ³[Board] of the society or an employee of the society, proceed against such person in accordance with the provisions of Section 53-B or the rules framed under subsection (1) of Section 55 as the case may be:

1. Omitted by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.
2. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.
3. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
4. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1990, w.e.f. 26-4-1990.

49-क. ¹[विलोपित]

²[49-ख. ³[बोर्ड] की कार्यवाहियों का उत्तराधिकारी ³[बोर्ड] द्वारा बातिलीकरण—इस अधिनियम में, उसके अधीन बनाये गये नियमों में या किसी सोसाइटी की उपविधियों में, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ³[बोर्ड] द्वारा पारित किया गया कोई भी संकल्प, रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना, उत्तराधिकारी ³[बोर्ड] द्वारा उपान्तरित या बातिल नहीं किया जाएगा।]

⁴[49-ग. लोकहित आदि में निदेश देने की सरकार की शक्ति—(1) यदि राज्य सरकार का, रजिस्ट्रार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या सरकार द्वारा अनुमोदित या हाथ में लिए गए सहकारी उत्पादन और अन्य विकास कार्यक्रमों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, या साधारणतः सोसाइटी के कामकाज का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिये, या सोसाइटी के कार्यकलापों का संचालन उसके सदस्यों या निक्षेपकर्ताओं या लेनदारों के हितों के लिये अपायकर रीति में किये जाने का निवारण करने के लिये यह आवश्यक है कि साधारणतः किसी वर्ग की सोसाइटियों को या विशिष्टतः किसी सोसाइटी या किन्हीं सोसाइटियों को निर्देश जारी किए जाएं तो राज्य सरकार उन्हें समय-समय पर निर्देश जारी कर सकती और यथा स्थिति सभी सोसाइटियां या संबंधित सोसाइटियां ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिये आबद्ध होंगी।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए किन्हीं निर्देशों को उपान्तरित या रद्द कर सकती, और ऐसे निर्देशों का उपान्तरित या रद्द करने में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकती, जो वह ठीक समझे।

(3) जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति या ³[बोर्ड], उपधारा (1) या (2) के अधीन किसी सोसाइटी को जारी किए गए किन्हीं निर्देशों या उपान्तरित निर्देशों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी थी, ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण या औचित्य के बिना असफल रहता है या रहती है, वहां रजिस्ट्रार—

(एक) किसी ³[बोर्ड] के मामले में, ऐसी ³[बोर्ड] के विरुद्ध कार्यवाही धारा 53 के उपबन्धों के अनुसार कर सकेगा; और

(दो) किसी व्यक्ति के मामले में, यदि वह व्यक्ति सोसाइटी की ³[बोर्ड] का सदस्य है या सोसाइटी का कोई कर्मचारी है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही यथास्थिति धारा 53-ख के उपबन्धों के अनुसार या धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन विरचित नियमों के अनुसार कर सकेगा:

1. म.प्र. अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा विलोपित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावी।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
4. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1990 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 26-4-1990 से प्रभावशील।

Provided that directions involving financial losses to the societies will be given only with prior consent of the ¹[Board], of such society and, where necessary, of National Financial Institutions, as well as after making the provision and advance allotment for compensating such losses fully.

49-D. Registrar's power to give directions to make regulations
— (1) If the Registrar is of the opinion that, having regard to the financial condition of the society and financial interest of Government therein, it is necessary to regulate the manner of carrying on its trade or business, he may, subject to any rules made in this behalf, direct such society to make regulations in that behalf and forward them to him for approval.

(2) On receipt of the regulations made by the society, the Registrar may approve them with or without modifications. On approval of such regulations, the society shall carry on its business in accordance with regulations.

(3) If any society fails to forward such regulations to the Registrar when directed by him under sub-section (1) within a period of three months from the date on which the direction is given, the Registrar shall himself make or cause to be made such regulations and require the society to carry on its business in accordance with such regulations and thereupon the society shall be bound to comply with such requirement.

²[49-E. Appointment of Managing Director and Chief Executive Officer in certain circumstances — (1) ³[(a) Notwithstanding anything contained in this Act or rules or byelaws made thereunder for every Apex Society where the State Government has contributed to it share capital or has given loans or financial assistance or has guaranteed the repayment of loans granted in any other form, there shall be a Managing Director, not below the rank of Class I Officer, who shall be selected by a ¹[Board] constituted at the State level consisting of the Agriculture Production Commissioner, Chairman of the Apex Society, Registrar Co-operative Societies and one Director nominated by the Board of Apex Society:

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
2. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1990, w.e.f. 31-7-1990.
3. Subs. by M.P. Act No. 20 of 1999, w.e.f. 7-8-1999.

परन्तु ऐसे निर्देश जिसमें सोसाइटी की वित्तीय हानि अंतर्बलित है, ऐसी सोसाइटी की ¹[बोर्ड] की, और जहां आवश्यक हो वहां राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की, पूर्व सहमति से ही, और साथ ही साथ ऐसी हानियों का पूरी तरह से प्रतिकार करने हेतु सम्यक् रूप से उपबंध और अग्रिम आबंटन करने के पश्चात् ही दिए जायेंगे।

49-घ. विनियम बनाने के निर्देश देने की रजिस्ट्रार की शक्ति—(1) यदि रजिस्ट्रार की यह राय है कि सोसाइटी की वित्तीय स्थिति और उसमें सरकार के वित्तीय हित को ध्यान में रखते हुये, यह आवश्यक है कि उसके व्यापार या कामकाज करने की रीति का विनियमन किया जाए तो वह, इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधधीन रहते हुए ऐसी सोसाइटी को निर्देश दे सकेगा कि वह उस निमित्त विनियम बनाए और उन्हें अनुमोदन हेतु उसके पास भेजे।

(2) सोसाइटी द्वारा बनाए गये विनियमों के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार उन्हें उपान्तरणों सहित या उपान्तरणों के बिना अनुमोदित कर सकेगा, ऐसे विनियमों के अनुमोदित हो जाने पर, वह सोसाइटी अपना कामकाज ऐसे विनियमों के अनुसार करेगी।

(3) यदि कोई सोसाइटी, रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (1) के अधीन निदेशित किए जाने पर, ऐसे विनियम उस तारीख से, जिसको ऐसा निदेश दिया गया है, तीन मास की कालावधि के भीतर रजिस्ट्रार को भेजने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसे विनियम स्वयं बनाएगा या बनवाएगा और उस सोसाइटी से यह अपेक्षा करेगा कि वह अपना कामकाज ऐसे विनियमों के अनुसार करें और तदुपरि वह सोसाइटी ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने के लिये आबद्ध होगी।

²[49-ङ. कतिपय परिस्थितियों में प्रबंध संचालक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति—(1) ³[(क) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी शीर्ष सोसाइटी के लिए, जहां राज्य सरकार ने उसकी अंशपूजी में अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या किसी अन्य रूप में दिए गए उधारों के प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी है, प्रथम वर्ग के अधिकारी की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक प्रबंध संचालक होगा जिसका चयन राज्य स्तर पर गठित एक ¹[बोर्ड] द्वारा किया जायेगा जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त, शीर्ष सोसाइटी का अध्यक्ष, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी और शीर्ष सोसाइटी के बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक संचालक होगा:

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1990 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 31-7-1990 से प्रभावशील।
3. म.प्र. अधिनियम क्र. 20 सन 1999 द्वारा प्रतिस्थापित, 7-8-99 से प्रभावी।

Provided that if the ¹[Board] fails to select the Managing Director unanimously, the matter shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.]

(b) The Managing Director shall be *ex-officio* member of the ¹[Board].

(c) ²[***]

(2) (a) Notwithstanding anything contained in this Act, or the Rules or byelaws made thereunder for every Central society where the State Government has contributed to its share capital or has given loans or financial assistance or has guaranteed the repayment of loans, debentures, or advances or has given grants in any other form, there shall be a Managing Director or a General Manager not below the rank of Class II Officer who shall be the Chief Executive Officer of the society and *ex-officio* member of the ¹[Board].

(b) The Chief Executive Officer shall be appointed :-

- (i) from among the Officers of the cadre maintained under Section 54 if such a cadre has been created;
- (ii) in other cases with the prior approval of the Registrar :
- (c) The Chief Executive Officer shall perform such duties and exercise such powers as may be prescribed.

50. Special General Meeting — ³[(1) The ¹[Board] may at any time, call a special general meeting of the society and shall call such meeting within one month after the receipt of a requisition in writing from the Registrar or from one-tenth of total number of members.]

(2) If a special general meeting of a society is not called in accordance with the requisition referred to in sub-section (1), the Registrar or any person authorised by him in this behalf, shall have the power to call such meeting and that meeting shall be deemed to be a meeting called by the ¹[Board].

³[(2-a) Where any officer whose duty it was to call such a meeting in accordance with the provisions of this Act, or the rules or byelaws made thereunder fails without reasonable excuse to call such meeting,

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
2. Omitted by M.P. Act No. 12 of 1994.
3. Subs. by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970.

परन्तु यदि ¹[बोर्ड], प्रबंध संचालक का चयन सर्वसम्मति से करने में असफल रहती है तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।]

(ख) प्रबंध संचालक ¹[बोर्ड] का पदेन सदस्य होगा।

(ग) ²[***]

(2) (क) प्रत्येक केन्द्रीय सोसाइटी के लिये इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में अन्तर्विष्ट, किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार ने उसकी अंशपंजी में अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या उधारों, डिबेंचरों या अग्रिमों के प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी है या किसी अन्य रूप में अनुदान दिए हैं, वहां द्वितीय श्रेणी अधिकारी की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का एक प्रबंध संचालक या महाप्रबंधक होगा जो सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और ¹[बोर्ड] का पदेन सदस्य होगा।

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति—

(एक) धारा 54 के अधीन संधारित संवर्ग के अधिकारियों में से की जाएगी, यदि ऐसा संवर्ग सृजित किया गया है;

(दो) अन्य दशाओं में, रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से की जायेगी।

(ग) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाए।]

50. विशेष साधारण सम्मिलन—³[(1) ¹[बोर्ड], किसी भी समय, सोसाइटी का विशेष साधारण सम्मिलन बुला सकेगी और वह रजिस्ट्रार से या सदस्यों की कुल संख्या के 1/10 सदस्यों से लिखित अध्यक्षपेक्षा प्राप्त होने के पश्चात् एक मास के भीतर ऐसा सम्मिलन बुलायेगी।]

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट की गई अध्यक्षपेक्षा के अनुसार किसी सोसाइटी का विशेष साधारण सम्मिलन नहीं बुलाया जाय तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति को यह शक्ति होगी कि वह ऐसा सम्मिलन बुलाये और उस सम्मिलन के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह ¹[बोर्ड] द्वारा बुलाया गया सम्मिलन है।

³[(2-क) जहां कोई ऐसा आफिसर, जिसका कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार ऐसा सम्मिलन बुलाने का कर्तव्य था, युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना ऐसा सम्मिलन बुलाने में चूक करे, वहां

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
2. म.प्र. अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा विलोपित।
3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा प्रतिस्थापित।

the Registrar may, by order, declare such officer to be disqualified for being a member of the ¹[Board] for such period not exceeding seven years as he may specify in such order and if the officer is an employee of the society impose on him a penalty not exceeding ²[five thousand rupees]:

Provided that no order shall be made under this sub-section unless the person concerned is given a reasonable opportunity of being heard.]

(3) The matters before a special general meeting may include all or any of the matters specified in Section 49.

³[50-A. Disqualification for being candidate or voter for election to ¹[Board] or representative or delegate of society — (1) No person shall be qualified to be a candidate for election as member of the ¹[Board], representative or delegate, if he is in default for a period exceeding 12 months to the society or any other society for any loan or advance taken by him as a member of such society.]

(1-A) & (1-B) ⁴[***]

(2) No person shall be entitled to vote at any election of the ¹[Board], representatives or delegates of the society, if he is in default for a period exceeding 12 months to the society or any other society for any loan or advance taken by him as a member of such society.]

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988, for the word "five hundred", w.e.f. 28-6-1988.
3. Subs. by M.P. Amendment Act No. 28 of 1982, No. 25 of 1988 and No. 14 of 1990.
4. Omitted by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the following sub-section (1-A) and (1-B), w.e.f. 13-2-2013 —

"(1-A) No person shall be qualified to be a candidate for election as a member of the committee, representative or delegate if he has more than two living children the time of whom is born on or after 26th January, 2001.

(1-B) A person elected to an office mentioned in sub-section (1-A) shall become disqualified to hold such office if on or after 26th January, 2001 a child is born which increases the number of his children to more than two."

रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, ऐसे आफिसर को ¹[बोर्ड] का सदस्य होने के लिए सात वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि तक के लिये, जिसे कि वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करे, निरहित घोषित कर करेगा और उस आफिसर पर यदि वह आफिसर सोसाइटी का कर्मचारी हो, ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो ²[पांच हजार रुपये] से अधिक न हो:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।]

(3) किसी विशेष साधारण, सम्मेलन के समक्ष के विषयों में, धारा 49 में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त विषय या उनमें से कोई विषय सम्मिलित हो सकेगा।

³[50-क. सोसाइटी की ¹[बोर्ड] या प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त के निर्वाचन में अभ्यर्थी या मतदाता होने के लिये निरर्हता—(1) कोई भी व्यक्ति ¹[बोर्ड] के सदस्य, प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने के लिये अर्हित नहीं होगा, यदि वह उस सोसाइटी या किसी अन्य सोसाइटी के प्रति, किसी ऐसे उधार या अग्रिम के लिये जो उसने ऐसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में लिया है, बारह माह से अधिक कालावधि के लिये व्यतिक्रमी रहता है।

(1-क) एवं (1-ख) ⁴[* * *]

(2) कोई भी व्यक्ति ¹[बोर्ड], सोसाइटी के प्रतिनिधियों या प्रत्यायुक्तों के किसी निर्वाचन में मत देने के लिये हकदार नहीं होगा, यदि वह उस सोसाइटी या किसी अन्य सोसाइटी के प्रति, किसी ऐसे उधार या अग्रिम के लिये जो उसने ऐसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में लिया है, बारह मास से अधिक कालावधि के लिये व्यतिक्रमी रहता है।]

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा शब्द "पाँच सौ" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 28-6-1988 से प्रभावशील।
3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 28 सन् 1982, क्र. 25 सन् 1988 एवं क्र. 14 सन् 1990 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा निम्नलिखित उपधारा (1-क) एवं (1-ख) विलोपित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील :

"(1-क) कोई भी व्यक्ति, प्रतिनिधि, प्रत्यायुक्त या समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने के लिये अर्हित नहीं होगा, यदि उसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो।

(1-ख) उपधारा (1 क) में उल्लेखित पद पर निर्वाचित कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण करने से निरहित हो जाएगा यदि 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् एक संतान का जन्म हो जाता है जिससे उसकी संतान की संख्या दो से अधिक हो जाती है।"

¹[50-B. State Election Commission — (1) State Government may by notification in the Official Gazette Authorize State Election Commission to conduct Election of co-operative Societies and preparation of electoral rolls.

(2) State Election Commission shall in consultation with State Government appoint such numbers of officers and other staff as may be required for conducting election in respect of co-operative societies.

(3) In exercise of power under this section, the State election commission shall determine the duties and responsibilities as well as the powers that may be exercised by such officers and the staff refer to in sub-section (2), as the commission may deem fit for conducting the election.

(4) The State Government shall, in consultation with the State election commission make rules for the preparation of electoral rolls for conducting elections to all co-operative societies.

(5) The process of Election to co-operative societies and the powers of returning office shall be as may be notified by the commission for the purpose.

(6) The commission shall notify the code of conduct to be followed by the candidates, others and functionaries engaged in the process of election for in enabling free and fair election.

(7) The commission shall also be empowered to requisition the services of other officers to aid and assist in the election, and such requested officers will be under the over all supervisions in control of commission during the election.

(8) (a) It shall be obligatory on the president, Chairman and Functional Director of every co-operative society to notify State election commission about election and it shall be the duty of functional director to ensure that the request for holding elections is made available to the commission in time to enable the commission to conduct election;

(b) On receipt of the request, as laid down under sub-section (3)(a) the Commission shall ensure that the election be held before the expiration of the term of existing board;

1. Sec. 50-B added by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013, w.e.f. 13-2-2013.

¹[50-ख. राज्य निर्वाचन आयोग—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग को सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन कराने एवं निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए प्राधिकृत करेगी।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को ऐसी संख्या में नियुक्त करेगा, जैसा कि ऐसी सहकारी सोसाइटीयों के निर्वाचन के संबंध में आवश्यक हो।

(3) इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों, जैसा कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट है, ऐसी शक्तियां और कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्धारण करेगा, जैसा कि ऐसे निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक समझा जाये।

(4) राज्य सरकार सभी सहकारी सोसाइटीयों का निर्वाचन कराने के लिए, निर्वाचक नामावली तैयार कराने, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से नियम बनायेगी।

(5) सहकारी सोसाइटीयों के निर्वाचन की प्रक्रिया और रिटर्निंग अधिकारी की शक्तियां ऐसी होंगी जैसा कि इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(6) आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों और अन्य सभी संबंधित लोगों के लिए जो निर्वाचन की प्रक्रिया में संलग्न हैं, के द्वारा पालन किये जाने हेतु आचार संहिता अधिसूचित करेगा।

(7) आयोग को निर्वाचन में अन्य अधिकारियों की सेवाओं की अध्यक्षता के लिए भी सशक्त किया जाएगा और ऐसे अध्यक्षित अधिकारी निर्वाचन के दौरान पूर्णरूप से आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

(8) (क) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष, सभापति और कार्यकारी संचालक के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन के संबंध में संसूचित करे और कार्यकारी संचालक यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन कराने हेतु आयोग को समय पर निवेदन कर लिया गया है, जिससे कि आयोग निर्वाचन करा सके;

(ख) उपधारा (3)(क) के अधीन यथा उल्लेखित अनुरोध प्राप्त होने पर, आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन, विद्यमान बोर्ड की अवधि के अवसान के पूर्व संचालित कर लिया जाये;

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा धारा 50-ख जोड़ा गया दिनांक 13-2-2013 से प्रभावी।

(c) It shall be the duty of the board of the society to ensure that all information, books and records are kept upto date and are being made available from time to time to the Commission or any person authorized by him in this behalf as may be required/expected by him for the purpose of election;

(d) The Board of the society shall also ensure that all such assistance is being made available to Commission by the society as may be expected by him in this regard to conduct elections.

(9) All expenses incurred in conducting the elections of the board of any society shall be borne by the society concerned.

(10) The Commission may issue such instructions to the board or its members which it may consider reasonable for conducting free and fair election. Instructions issued under this section by the Commission shall be binding on them.]

50-AA. ¹[***]

51. Validation of acts — No act of a society or of any ¹[Board] or of any officer shall be deemed to be invalid by reason only of the existence of any defect in procedure or in the constitution of the society or of the ¹[Board] or in the appointment or election of an officer or on the ground that such officer was disqualified for his appointment.

52. Power to appoint Government nominees — (1) Where the State Government—

- (a) has subscribed to the share capital of a society; or
- (b) has assisted indirectly in the formation or augmentation of the share capital of a society as provided in Section 45; or
- (c) has guaranteed the repayment of principal and payment of interest on debentures issued by a society; or
- (d) has guaranteed the repayment of principal and payment of interest on loans and advances to a society;

1. Omitted by M.P. Act No. 12 of 1994.

2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.

(ग) किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि समस्त जानकारी, पुस्तकें और अभिलेख, जिनकी आयोग निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उससे अपेक्षा करे, अद्यतन है और आयोग या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को समय-समय पर उपलब्ध करावा दिये गये हैं;

(घ) सहकारी सोसाइटी का बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि सहकारी सोसाइटी द्वारा आयोग को ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध कराए, जो कि निर्वाचन के संचालन के लिए इस संबंध में उसके द्वारा अपेक्षा की जाए।

(9) किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का निर्वाचन करवाने के लिए उपगत समस्त व्यय, संबंधित सहकारी सोसाइटी द्वारा वहन किये जायेंगे।

(10) आयोग, बोर्ड या उसके सदस्यों को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन के लिए युक्तियुक्त समझे जाएं एवं आयोग द्वारा इस धारा के अधीन जारी किए गए निर्देश उन पर बंधनकारी होंगे।]

50-कक. ¹[***]

51. कार्यों का विधिमाम्यकरण—किसी सोसाइटी या किसी ²[बोर्ड] या किसी अधिकारी का कोई कार्य केवल इस कारण से कि उस सोसाइटी या ²[बोर्ड] की प्रक्रिया में या उसके गठन में या ऐसे अधिकारी की नियुक्ति या निर्वाचन में कोई त्रुटि विद्यमान है, अथवा इस आधार पर की ऐसा अधिकारी अपनी नियुक्ति के लिये निराहित था, अविधिमाम्य नहीं समझा जायेगा।

52. सरकारी नाम निर्देशितियों को नियुक्त करने की शक्ति—जहां राज्य सरकार ने—

- (क) किसी सोसाइटी की अंशपूजी के प्रति अभिदाय किया हो; या
- (ख) किसी सोसाइटी को अंशपूजी का गठन करने में या उसकी अंशपूजी में वृद्धि करने में धारा 45 में उपबन्धित किये गये अनुसार परतः सहायता की हो; या
- (ग) मूलधन के प्रतिसंदाय को तथा किसी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों पर ब्याज के संदाय को प्रत्याभूत किया हो; या
- (घ) मूलधन के प्रतिसंदाय की तथा किसी सोसाइटी को दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज के संदाय को प्रत्याभूत किया हो।

1. म.प्र. अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा विलोपित।

2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

the State Government or any authority specified by the State Government in this behalf shall have the right to nominate such number of persons not exceeding ²[four] as it may deem fit on any or all of the ¹[Boards] of such society.

(2) A person nominated on the ¹[Board] of a society under sub-section (1) shall hold office for such period and on such conditions, as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, every person nominated on the ¹[Board] of a society under sub-section (1) shall have one vote in such ¹[Board]:

³[Provided that nominated person shall not be entitled to vote in any election of the office bearers of the ¹[Board] of the society.]

⁴[(4) When the Government has subscribed to the share capital of, or has guaranteed the repayment or principal and payment of interest on loans and advances to a society to the extent of rupees three lakhs or more and the society has incurred loss to the extent of twenty-five per cent, or more of its owned capital, the State Government may, notwithstanding anything contained in this Act, the rules made thereunder or bylaws of the society, nominate one of the members nominated by it under sub-section (1) as Chairman of the ¹[Board] of the Society and further appoint one of the nominated members as Managing Director/General Manager/Manager of the society.]

52-A. ⁵[***]

वहां राज्य सरकार को या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये गये किसी प्राधिकारी को ऐसी सोसाइटी की समस्त ¹[बोर्ड] में या उनमें से किसी ¹[बोर्ड] में ²[चार] से अनधिक उतने व्यक्तियों को, जितने कि वह ठीक समझे, नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी सोसाइटी की ¹[बोर्ड] में नामनिर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति ऐसी कालावधि के लिये तथा ऐसी शर्तों पर, जैसी कि विहित की जाय/जायें पद धारण करेगा।

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे किसी सोसाइटी की ¹[बोर्ड] में उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया हो, ऐसी ¹[बोर्ड] में एक मत देने का अधिकार होगा:

³[परन्तु नामनिर्दिष्ट व्यक्ति सोसाइटी की ¹[बोर्ड] के पदाधिकारियों के किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार नहीं होगा।]

⁴[(4) जब सरकार ने किसी सोसाइटी की अंशपूजी में अभिदाय किया हो या उस सोसाइटी को तीन लाख रुपये या उससे अधिक के दिये गये उधारों तथा अग्रिमों के मूलधन के प्रति संदाय तथा उस पर के ब्याज के संदाय को प्रत्याभूत किया हो और सोसाइटी ने अपने स्वामित्व की पूंजी के पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक की हानि उठाई हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम, उसके अधीन बनाये गये नियमों या सोसाइटी की उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये सदस्यों में से एक सदस्य को सोसाइटी की ¹[बोर्ड] के सभापति के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगी तथा नामनिर्दिष्ट किये गये सदस्यों में से एक को सोसाइटी के प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबंधक/प्रबन्धक के रूप में भी नियुक्त कर सकेगी।]

52-क. ⁵[विलोपित]

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
2. म. प्र. अधिनियम क्र. 7 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 6-1-97 से प्रभावशील।
3. म. प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. म. प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।
5. म. प्र. अधिनियम क्र. 20 सन् 1999 द्वारा धारा 52-क विलोपित, 7-8-99 से प्रभावी।

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
2. Subs. by M.P. Act No. 7 of 1997, w.e.f. 6-1-1997.
3. Ins. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988.
4. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.
5. Sec. 52-A omitted by M.P. Act No. 20 of 1999, w.e.f. 7-8-1999.

52-B. ¹[***]

53. Supersession of ²[Board] — (1) If, in the opinion of the Registrar, the ²[Board] of any society—

- (a) is negligent in the performance of the duties imposed on it by or under this Act or bye-laws of the society or by any lawful order passed by the Registrar or is unwilling to perform such duties; or
- (b) commits acts which are prejudicial to the interests of the society or its members; or
- ³[(c) violates the provisions of this Act or the rules made thereunder or byelaws of the society or any order passed by the Registrar:]

1. Omitted by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the following section 52-B, w.e.f. 13-2-2013 —

"52-B. Representation of women members on committee — If in the opinion of the State Government, it is necessary to provide adequate representation to women members on a committee of such society or class of societies, as it may, by general or special order, specify it may direct such society to provide reservation of seat for women on its committee :

Provided that the number of seats so reserved shall not exceed four in such committee :

Provided further that in the event of a society failing to elect the requisite number of women members in its committee or to elect less than such number of women members, the remaining members of the committee shall co-opt the requisite number of women members, from amongst women members of such society entitled to such representation and in the event of committee failing to co-opt requisite number of women members the Registrar shall nominate the requisite number of members from, amongst women members of such society entitled to such representation."

2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.

3. Subs. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988.

52-ख. ¹[विलोपित]

53. ²[बोर्ड] का अतिष्ठान—(1) यदि रजिस्ट्रार की राय में, किसी सोसाइटी की ²[बोर्ड]—

- (क) इस अधिनियम या उस सोसाइटी की उपविधियों द्वारा या उनके अधीन या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किये गये किसी विधिपूर्ण आदेश द्वारा उस पर अधिरोपित किये गये कर्तव्यों का पालन करने में उपेक्षवान है या ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिये रजामन्द नहीं है; या
- (ख) ऐसे कार्य करती है जो उस सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल हैं; या
- ³[(ग) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों या सोसाइटी की उपविधियों के उपबन्धों का या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश का अतिक्रमण करती है,]

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा निम्नलिखित धारा 52-ख विलोपित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावी शील—

"52-ख. समिति में स्त्री सदस्यों का प्रतिनिधित्व— यदि राज्य सरकार की राय में यह आवश्यक हो कि ऐसी सोसाइटी की या ऐसे वर्ग की सोसाइटियों की, जिन्हें/जिसे कि वह (राज्य सरकार) साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, समिति में स्त्री सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाये, तो वह (राज्य सरकार) ऐसी सोसाइटी को यह निर्देश दे सकेगी कि वह अपनी समिति में स्त्रियों के लिये स्थान के आरक्षण की व्यवस्था करे :

परन्तु इस प्रकार आरक्षित रखे गये स्थानों की संख्या ऐसी समिति में चार से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि सोसाइटी के अपनी समिति में अपेक्षित संख्या में स्त्री सदस्य निर्वाचित करने में असफल रहने या ऐसी संख्या से कम संख्या में स्त्री-सदस्यों को निर्वाचित करने की दशा में, समिति के शेष सदस्य, ऐसी सोसाइटी के उन स्त्री-सदस्यों में से, जो ऐसे प्रतिनिधित्व के हकदार हैं, अपेक्षित संख्या में स्त्री-सदस्यों को सहयोजित करेंगे, और अपेक्षित संख्या में स्त्री-सदस्यों को सहयोजित करने में समिति के असफल रहने की दशा में, रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के स्त्री-सदस्यों में से, जो ऐसे प्रतिनिधित्व के हकदार हैं, अपेक्षित संख्या में स्त्री-सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेगा।"

2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावी शील।

3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित।

the Registrar may, by order in writing, remove the ¹[Board] and appoint a person or persons to manage the affairs of the society for a specified period not exceeding ²[six months]:

³[Provided that in case of a Cooperative Bank, the order of supersession shall not be passed without previous consultation with the Reserve Bank:]

⁴[Provided further that if no communication containing the views of the Reserve Bank of India, on action proposed is received within forty-five days of the receipt by that Bank of the request soliciting consultation, it shall be presumed that the Reserve Bank of India agrees with the proposed action and the Registrar shall be, free to pass such order as may be deemed fit:]

⁵[Provided also that in case of a ⁶[***] Co-operative Bank, if so required by the Reserve Bank in the public interest or for preventing the affairs of the ⁶[***] Cooperative Bank being conducted in a manner, detrimental to the interest of the depositors or for securing the proper management of a ⁶[***] Co-operative Bank, the Registrar shall pass an order for the supersession of its ¹[Board] or managing body by whatever name called, and for appointment of an Administrator therefor for such period or periods not exceeding ²[1 year] in the aggregate, as may from time to time be specified by the Reserve Bank and on such appointment, the provisions of subsections (4), (5), (6) and (8) shall apply as if orders were passed under subsection (1):]

⁷[Provided also that if a non-official is appointed in the ¹[Board] of a primary society, he shall be from amongst the members of that society,

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the respectively words "two years in the first instance" and "5 years", w.e.f. 13-2-2013.
3. Added by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970.
4. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.
5. Ins. by M.P. Amendment Act No. 28 of 1982.
6. Omitted by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988, for the word "Central".
7. Subs. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988.

तो रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, उस ¹[बोर्ड] को हटा सकेगा और ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये, जो ²[छः माह] से अधिक नहीं होगी किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को इस हेतु से नियुक्त कर सकेगा कि वे उस सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करें:

³[परन्तु सहकारी बैंक के मामले में, अतिष्ठान का आदेश रिजर्व बैंक से पूर्व परामर्श किये बिना नहीं दिया जाएगा।]

⁴[परन्तु यह और भी कि यदि कोई ऐसी संसूचना, जिसमें कि प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के विचार अन्तर्विष्ट हो, उस निवेदन के, जिसमें कि परामर्श चाहा गया हो, उस बैंक को प्राप्त होने के पैंतालीस दिन के भीतर प्राप्त न हो, तो यह उपधारणा की जायेगी कि भारतीय रिजर्व बैंक प्रस्तावित कार्रवाई से सहमत है तथा रजिस्ट्रार ऐसा आदेश, जैसा कि उचित समझा जाये, पारित करने के लिये स्वतंत्र होगा।]

⁵[परन्तु यह और भी कि ⁶[***] सहकारी बैंक के मामले में, यदि रिजर्व बैंक लोकहित में ऐसा अपेक्षित करे या ⁶[***] सहकारी बैंक के क्रियाकलापों का ऐसी रीति में संचालित किया जाना निवारित करने के लिये जो निक्षेपकर्ताओं के हितों के लिये अपायकर हो, या किसी ⁶[***] सहकारी बैंक का प्रबंध उचित रीति में किया जाना सुनिश्चित करने के लिये रजिस्ट्रार, उसकी ¹[बोर्ड] या प्रबंध निकाय के, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, अतिष्ठान के लिये तथा उसके लिये कुल मिलाकर ²[1 वर्ष] से अनधिक ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिये, जो समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट की जाय, प्रशासक की नियुक्ति के लिये आदेश पारित करेगा और ऐसी नियुक्ति होने पर उपधारा (4), (5), (6) तथा (8) के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों कि आदेश उपधारा (1) के अधीन पारित किये गये हों।]

⁷[परन्तु यह भी कि यदि किसी प्राथमिक सोसाइटी की ¹[बोर्ड] में किसी अशासकीय व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो वह उस सोसाइटी के उन सदस्यों में से होगा जो ऐसे प्रतिनिधित्व के हकदार हैं और केन्द्रीय या शीर्ष सोसाइटी की दशा में,

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा क्रमशः शब्दों "प्रथमतः दो वर्ष" एवं "5 वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा जोड़ा गया।
4. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।
5. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 28 सन् 1982 द्वारा अन्तःस्थापित।
6. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा शब्द "केन्द्रीय" विलोपित।
7. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित।

entitled for such representation and in case of Central or Apex society, if a person is appointed in the ¹[Board] of such society, he shall be a member of one of its affiliated societies entitled for such representation.]

²[(2) No order under sub-section (1) shall be passed unless a list of allegations, documents and witnesses in support of charges leveled against it has been provided and the ¹[Board] has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order and representation, if any, made by it, is considered.]

³[(3) No such order shall remain in force for more than six months, and one year in case of Co-operative Banks.]

⁴[(4) The person or persons so appointed, shall subject to the control of the Registrar and to such instructions as he may, from time to time, give, have power to exercise all or any of the powers and to discharge all or any of the functions of the ¹[Board] or of any officer of the society, and to take all such actions, as may be required in the interest of the society.]

(5) The Registrar may fix the remuneration payable to the person or persons so appointed. The amount of such remuneration and other costs, if any, incurred in the management of the society shall be payable from its funds.

(6) The person or persons so appointed shall, ⁴[before] the expiry of the period of his or their appointment, arrange the constitution of a new ¹[Board] in accordance with the bye-laws of the society :

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
2. Subs. by M.P. Act No. 20 of 1999, w.e.f. 7-8-1999.
3. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the following sub-section (3), w.e.f. 13-2-2013 —
 "(3) The period specified in the order under sub-section (1) may, at the discretion of the Registrar, be extended, from time to time :
 Provided that no such order shall remain in force for more than three years in the aggregate."
4. Subs. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988.

यदि कोई व्यक्ति ऐसी सोसाइटी की ¹[बोर्ड] में नियुक्त किया जाता है तो वह उसकी संबद्ध सोसाइटी में से किसी सोसाइटी का ऐसा सदस्य होगा जो ऐसे प्रतिनिधित्व के लिये हकदार हों।]

²[(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस ¹[बोर्ड] को अधिकथनों, दस्तावेजों तथा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के समर्थन में साक्षियों की एक सूची तथा प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।]

³[(3) परन्तु ऐसा आदेश छः मास से अधिक के लिए तथा सहकारी बैंक के मामले में एक वर्ष से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा।]

⁴[(4) इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों को, रजिस्ट्रार के नियंत्रण के तथा ऐसे अनुदेशों के, जो वह समय-समय पर दे, अध्यक्षीन रहते हुए, ¹[बोर्ड] की या सोसाइटी के किसी अधिकारी की समस्त शक्तियों का या उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग करने तथा उसके समस्त कृत्यों या उनमें से किसी कृत्य का निर्वहन करने और समस्त ऐसी कार्रवाईयां, जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित हैं, करने की शक्ति होगी।]

(5) रजिस्ट्रार वह पारिश्रमिक नियत कर सकेगा जो इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों को देय हो, ऐसे पारिश्रमिक की रकम तथा उस सोसाइटी के प्रबंध में किये गये अन्य खर्चे, यदि कोई हो, उसकी निधियों में से देय होंगे।

(6) इस प्रकार नियुक्त किया गया/किये गये व्यक्ति, अपनी नियुक्ति की कालावधि का ⁴[अवसान हो जाने के पूर्व] उस सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार नवीन ¹[बोर्ड] के गठन के लिये व्यवस्था करेगी/करेंगे।

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
2. म.प्र. अधिनियम क्र. 20 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थापित 7-8-1999 से प्रभावशील।
3. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा निम्नलिखित उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील—
 “(3) उपधारा (1) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि, रजिस्ट्रार के विवेकानुसार, समय-समय पर बढ़ाई जा सकेगी :
 परन्तु कोई भी ऐसा आदेश कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक के लिये प्रवृत्त नहीं रहेगा।”
4. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित।

(7) Before taking action under sub-section (1) in respect of a financing Bank or in respect of a society indebted to a financing bank, the Registrar shall consult, in the former case, the Chhattisgarh State Co-operative Bank Limited and, in the latter case, the financing bank concerned, regarding such action. ¹[If the Chhattisgarh State Co-operative Bank Limited or the financing bank, as the case may be, fails to communicate its views within forty-five days of the receipt by such bank of the request soliciting consultation, it shall be presumed that the Chhattisgarh State Co-operative Bank Limited, or the financing bank concerned, as the case may be, agreed with the proposed action.]

(8) Notwithstanding anything contained in Sections 48, 49 and 50, if there is a difference of opinion between the general body of society and the person or persons appointed under sub-section (1) in respect of any matter, it shall be referred to the Registrar for decision and his decision thereon shall be final:

²[Provided that if the Registrar fails to take any decision within three months of the general body meeting, the decision of the general body of the society shall prevail.]

(9) Nothing in this section shall be deemed to affect the power of the Registrar to direct the winding up of the society.

(10) During the period between the issuance of notice and the passing of an order removing the ³[Board], the ³[Board] may be required by the Registrar to function under the supervision, and with the approval of such authority as the Registrar may specify in this behalf and no order made or resolution passed or any other act performed by the ³[Board], shall be effectual unless it is approved by such specified authority:

¹[Provided where the Registrar, while proceeding to take action under subsection (2), is of the opinion that the supersession of the ³[Board] during the period of proceeding is necessary in the interest of the society he may suspend the ³[Board], which shall thereupon cease to function and make such arrangement as he thinks fit, of the affairs of the society till the proceedings are completed and order issued under subsection (1):]

1. Added by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

2. Added by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988.

3. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.

(7) किसी वित्तदायी बैंक के संबंध में या किसी ऐसी सोसाइटी, जो किसी वित्तदायी बैंक की ऋणी हो, के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व, रजिस्ट्रार, पूर्व कथित मामले में, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित से और, पश्चात् कथित मामले में, संबंधित वित्तदायी बैंक से ऐसी कार्यवाही के संबंध में परामर्श करेगा। ¹[यदि यथास्थिति, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित या वित्तदायी बैंक अपने विचार उस निवेदन के, जिसमें कि परामर्श चाहा गया हो, ऐसे बैंक को प्राप्त होने के पैंतालीस दिन के भीतर संसूचित न करे, तो यह उपधारा की जायेगी कि यथास्थिति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित या संबंधित वित्तदायी बैंक प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है।]

(8) धारा 48, 49 तथा 50 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी मामले में सोसाइटी के साधारण निकाय तथा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्तियों या व्यक्तियों के बीच कोई मतभेद हो तो वह मामला विनिश्चय के लिये रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जायेगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा:

²[परन्तु यदि रजिस्ट्रार, साधारण निकाय के सम्मिलन के तीन मास के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है तो सोसाइटी के साधारण निकाय का विनिश्चय अंतिम होगा।]

(9) इस धारा में की किसी बात के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह सोसाइटी के परिसमापन का निदेश देने की रजिस्ट्रार की शक्ति पर प्रभाव डालती है।

(10) सूचना के जारी किये जाने तथा ³[बोर्ड] को हटाये जाने के आदेश पारित किये जाने के बीच की कालावधि के दौरान, रजिस्ट्रार द्वारा ³[बोर्ड] से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकारी के, जिसे कि रजिस्ट्रार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पर्यवेक्षण के अधीन तथा उसके अनुमोदन से कृत्य करे और ³[बोर्ड] द्वारा किया गया कोई भी आदेश या पारित किया गया संकल्प या किया गया कोई अन्य कार्य तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाये:

¹[परन्तु जहाँ उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही करने के लिये अग्रसर होते हुए रजिस्ट्रार की यह राय हो कि कार्यवाही की कालावधि के दौरान ³[बोर्ड] का निलंबन सोसाइटी के हित में आवश्यक है, तो वह ³[बोर्ड] को निलंबित कर सकेगा, जो तदुपरांत कार्य करने से परिवर्तित हो जायेगी, और ऐसा इन्तजाम कर सकेगा जैसा कि उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही पूरी होने तथा आदेश जारी होने तक सोसाइटी के कामकाज के प्रबंध के लिये वह उचित समझे:]

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा जोड़ा गया।

2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा जोड़ा गया।

3. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

¹[Provided further that the period of suspension shall not exceed six months and on the expiry of said period the suspension of the ²[Board] shall stand revoked:]

¹[Provided also that, if the ²[Board] so suspended, is not superseded after undergoing the proceeding mentioned above, it shall be reinstated and the period during which it has remained suspended shall not count towards its term:]

¹[Provided also that no order of suspension shall be made unless the ²[Board] of the society has been given a reasonable opportunity of being heard.]

³[(11) Notwithstanding anything contained in this Act, the Registrar shall, in case of Central Co-operative Banks, Urban Co-operative Banks and Primary Co-operative Land Development Banks, if the recovery continuously in three co-operative years is less than 60 per cent, of the demand or if the overdues exceed 40 per cent, pass an order for removal of the ²[Board] or the Managing ²[Board] by whatever name it is called of the Bank and for appointment of an administrator therefor for such period or periods not exceeding five years in the aggregate, as may be specified by the Registrar and on such appointment, the provisions of sub-sections (4), (5) and (6) shall apply thereto as if an order was passed under sub-section (1):

Provided that no such order shall be made unless the ²[Board] has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order and representation, if any, made by it is considered.]

⁴[(12) When a ²[Board] of a society has been superseded under sub-section (1) any member of the ²[Board], notwithstanding anything contained in this Act, rules made thereunder or byelaws of the society, shall not be eligible for contesting the election as a member of the ²[Board] nor he shall be eligible for co-option or nomination in that society for a period of seven years:]

1. Added by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988.
2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
3. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.
4. Subs. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

¹[परन्तु यह और भी कि निलम्बन की कालावधि छह मास से अधिक नहीं होगी और उक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर ²[बोर्ड] का निलम्बन प्रतिसंहत हो जाएगा:]

¹[परन्तु यह भी कि यदि इस प्रकार निलम्बित ²[बोर्ड] का अतिष्ठान ऊपर वर्णित कार्यवाहियों के किये जाने के पश्चात् नहीं किया जाता तो उसे पुनः स्थापित किया जाएगा और उस कालावधि की, जिसके दौरान वह निलम्बित रही है, गणना उसके कार्यकाल के प्रति नहीं की जाएगी:]

¹[परन्तु यह भी की कोई निलम्बन आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि सोसाइटी की ²[बोर्ड] को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।]

³[(11) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सहकारी बैंकों, नगरीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के मामले में, यदि निरन्तर तीन सहकारी वर्षों में वसूली मांग के 60 प्रतिशत से कम है या यदि अतिशोध्य (ओवरड्यूज) 40 प्रतिशत से अधिक है, उस बैंक की ²[बोर्ड] या प्रबंध ²[बोर्ड] के, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाती हो, हटाये जाने के लिये तथा कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिये, जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, उसके हेतु किसी प्रशासक की नियुक्ति के लिये आदेश देगा तथा ऐसी नियुक्ति होने पर उपधारा (4), (5) तथा (6) के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों कि आदेश उपधारा (1) के अधीन दिया गया था:

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ²[बोर्ड] को प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और उसके द्वारा किये गये अध्यावेदन पर यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।]

⁴[(12) जब किसी सोसाइटी की ²[बोर्ड] को उपधारा (1) के अधीन अतिष्ठित कर दिया गया हो तो उस ²[बोर्ड] का कोई सदस्य, इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों या उस सोसाइटी की उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सात वर्ष की कालावधि तक उस सोसाइटी की ²[बोर्ड] के सदस्य के रूप में निर्वाचन लड़ने के लिये पात्र नहीं होगा और न ही उसमें सहयोजन या नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा।]

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा जोड़ा गया।
2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।

¹[Provided that nothing in this subsection shall apply to a member of the ²[Board] of a society who was not a party of such a decision of the ²[Board] which led to the supersession of it.]

(13) ³[***]

⁴[(14) Where in the opinion of the Registrar —

- (i) the board of co-operative society is in persistent default, or negligent in the performance of its duties and has committed any act prejudicial to the interest of the co-operative societies or its member; or
- (ii) there is stalemate in the constitution or functions of the board; or
- (iii) the State Election Commission has failed to conduct election as per the Act, such board may be superseded or kept under suspension and the Registrar shall proceed to appoint administrator.

Provided further that the board of any such co-operative societies shall not be superseded or kept under suspension where there is no Government shareholding or loan or financial assistance of any guarantee by the Government.]

⁵[53-A. Taking over of charge — (1) If —

- (i) the ²[Board] of a society is reconstituted at a general meeting of the society under Section 49; or

1. Ins. by M.P. Act No. 20 of 1999, w.e.f. 7-8-1999.
2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
3. Omitted by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the following sub-section (13), w.e.f. 13-2-2013 —

"(13) Notwithstanding anything contained in this Act, or rules made thereunder or bylaws of society, if the committee of society ceases to function due to order of any Court or otherwise, the Registrar may appoint a person or committee of persons temporarily till the Court order is vacated or the new elections are held and the committee takes charge."

4. Added by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013, w.e.f. 13-2-2013.
5. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

¹[परन्तु इस धारा की कोई भी बात किसी सोसाइटी की ²[बोर्ड] के सदस्य को लागू नहीं होगी जो कि ²[बोर्ड] के ऐसे विनिश्चय का जिससे उसका अधिक्रमण हुआ हो पक्षकार नहीं था।]

(13) ³[***]

⁴[(14) जहाँ रजिस्ट्रार की राय में—

- (एक) सहकारी सोसायटी का बोर्ड लगातार चूक करता हो, अथवा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा करता हो और ऐसा कृत्य किया हो जो सहकारी सोसायटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल हो; या
- (दो) जहाँ सोसाइटी के गठन या बोर्ड के कार्य में ऐसा गतिरोध पैदा हो गया हो;
- (तीन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराने में चूक हुई हो ऐसे बोर्ड को अधिक्रमण या निलंबन के अधीन रखा जा सकेगा, और रजिस्ट्रार प्रशासक नियुक्त करने की कार्यवाही करेगा :

परन्तु यह और कि, किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड को अधिक्रमित नहीं किया जायेगा या निलंबन के अधीन नहीं रखा जाएगा जहाँ शासन की अंशधारिता या ऋण या वित्तीय सहायता या शासन द्वारा कोई प्रत्याभूति नहीं दी गई हो।]

⁵[53-क. कार्यभार ग्रहण किया जाना—(1) यदि—

- (एक) किसी सोसाइटी की ²[बोर्ड] धारा 49 के अधीन सोसाइटी के साधारण सम्मिलन में पुनर्गठित की जाती है; या

1. म.प्र. अधिनियम क्र. 20 सन् 1999 द्वारा अन्तः स्थापित, 7-8-99 से प्रभावी।
2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

3. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा निम्नलिखित उपधारा (13) विलोपित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

"(13) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों या किसी सोसाइटी की उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सोसाइटी की समिति किसी न्यायालय के आदेश के कारण या अन्यथा कार्य करने से परित्यक्त हो जाय, तो रजिस्ट्रार उस समय तक के लिये किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों की समिति को अस्थाई रूप से नियुक्त कर सकेगा। जब तक कि न्यायालय का आदेश बातिल न कर दिया जाए या नवीन निर्वाचन न हो जाए तथा समिति कार्यभार ग्रहण न कर ले।"

4. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा जोड़ा गया दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
5. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।

(ii) the term of the ¹[Board] of a society expires in pursuance of an order issued under clause (iii) of sub-section (7-A) of Section 49; or

(iii) the ¹[Board] of a society is removed or suspended or ceases to function under Section 53; or

(iv) the society is ordered to be wound up under Section 69, the person or persons entitled to receive the charge of the ¹[Board] or society, as the case may be, shall assume charge—

- (a) from the date of election of a ¹[Board] at the general meeting in case of (i) above;
- (b) from the date of order issued by the State Government under clause (iii) of sub-section (7-A) of Section 49 in case of (ii) above;
- (c) from the date of order of the Registrar appointing him/ them to manage the affairs of the society in case of (iii) above; and
- (d) from the date of order of the Registrar appointing a liquidator in case of (iv) above;

and outgoing members of the ¹[Board] shall be bound to handover charge, the records and property of the society to those assuming charge on the date as herein provided.]

(2) The person entitled to receive charge of the ¹[Board] or society, as the case may be, under sub-section (1) shall be deemed to have assumed charge of his office as from the date mentioned in sub-section (1), whether such charge has been actually handed over or not.]

²[53-B. Powers of the Registrar to remove an Officer of a society in certain circumstances — (1) If in the opinion of the Registrar, any officer of the co-operative society has been grossly negligent in the discharge of his duties imposed on him by or under this Act the rules made thereunder or bylaws or has, by a fraudulent act, caused financial loss to the society the Registrar may without prejudice to any other action

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.

2. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

(दो) किसी सोसाइटी की ¹[बोर्ड] के कार्यकाल का धारा 49 की उपधारा (7-क) के खण्ड (तीन) के अधीन जारी किए गए आदेश के अनुसरण में अवसान हो जाता है; या

(तीन) किसी सोसाइटी की ¹[बोर्ड] धारा 53 के अधीन हटा दी जाती है या निलंबित कर दी जाती है या कृत्य करने से प्रवृत्त हो जाती है; या

(चार) सोसाइटी धारा 69 के अधीन परिसमापन किए जाने का आदेश किया जाता है,

तो यथास्थिति ¹[बोर्ड] सोसाइटी का कार्यभार प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति या व्यक्तिगण द्वारा कार्यभार—

- (क) ऊपर (एक) की दशा में, साधारण सम्मेलन में ¹[बोर्ड] के निर्वाचन की तारीख से;
 - (ख) ऊपर (दो) की दशा में, धारा 49 की उपधारा (7-क) के खण्ड (तीन) के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश की तारीख से;
 - (ग) ऊपर (तीन) की दशा में, रजिस्ट्रार के उस आदेश की तारीख से जिसके द्वारा उसे/उन्हें सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त किया गया है; और
 - (घ) ऊपर (चार) की दशा में, रजिस्ट्रार के उस आदेश की तारीख से जिसके द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया है;
- ग्रहण करेगा/करेंगे और ¹[बोर्ड] के बहिर्गामी सदस्यों के लिये यह आबद्धकर होगा कि सोसाइटी के अभिलेखों और सम्पत्ति का भार, कार्य संचालने वाले व्यक्तियों को इसमें उपबंधित तारीख को सौंप दें।

(2) उपधारा (1) के अधीन यथास्थिति ¹[बोर्ड] या सोसाइटी का कार्यभार प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने अपने पद का कार्यभार उपधारा (1) में वर्णित तारीख से ग्रहण कर लिया है, चाहे ऐसा कार्यभार वस्तुतः सौंपा गया हो या न सौंपा गया हो।]

²[53-ख. कतिपय परिस्थितियों में किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी को हटाने की रजिस्ट्रार की शक्ति—(1) यदि रजिस्ट्रार की राय में, सहकारी सोसाइटी के किसी अधिकारी ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी सोसाइटी की उपविधियों द्वारा उनके/उसके अधीन अधिरोपित किए गए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर उपेक्षा की है या अपने कपटपूर्ण कार्य द्वारा सोसाइटी को वित्तीय हानि पहुंचाई है, तो रजिस्ट्रार किसी भी ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो कि उसके विरुद्ध की जाए

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।

that may or can be taken against him, call upon the society to remove within a specified period such officer from the office held by him and where necessary also to disqualify him from holding any office under that society for a period not exceeding three years, whereupon the society shall, after affording opportunity to the officer concerned of being heard, pass such orders as it deems fit.

(2) On the failure of the society to take action under sub-section (1), the Registrar may after affording opportunity to the officer of being heard and for reasons to be recorded, and communicated to the officer and the society concerned, remove or remove and disqualify for a period not exceeding three years, the officer from holding any office under that society for the period specified in the order.

(3) An officer removed under the sub-section (1) or sub-section (2) shall with effect from the date of communication of the order, cease to hold that office and if disqualified shall not be eligible to hold any office under that society for the period specified in the order.]

54. Appointment of Managers, Secretaries and other officers —
¹[(1) No society shall appoint a Manager, Secretary, Accountant or other paid officer unless he holds such qualifications as may be prescribed.]

²[(2) The Apex and Central Societies shall maintain such cadres of officers and other servants as the State Government may, by order, direct and the conditions of service of members of such cadre shall be such as the Registrar may, by order, determine.

(3) The State Government may, by notification, specify the class of societies which shall employ officers from such cadres maintained by the Apex or Central Societies under sub-section (2) as may be specified therein] ³[and it shall be obligatory on the part of such class of societies to accept and appoint such cadre officers on the cadre posts as and when deputed by the Apex or Central Societies.]

1. Numbering by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970, for the Sec. 54 his sub-section (2).
2. Ins. by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970.
3. Added by M.P. Amendment Act No. 28 of 1982.

या की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सोसाइटी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी को उसके द्वारा धारित पद से किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर हटा दे और जहां आवश्यक हो वहां से उस सोसाइटी के अधीन कोई पद धारण करने के लिए तीन वर्ष से अनधिक कालावधि तक के लिए निरहित कर दे, तदनन्तर सोसाइटी, संबंधित अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित करेगी, जैसे कि वह उचित समझे।

(2) सोसाइटी द्वारा उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई न की जाने पर, रजिस्ट्रार उस अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसे कारणों से, जो कि अभिलिखित किये जायेंगे तथा संबंधित अधिकारी एवं सोसाइटी को संसूचित किये जायेंगे, उस अधिकारी को हटा सकेगा या हटाने के साथ ही साथ उस आदेश में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि तक के लिये उस सोसाइटी के अधीन कोई पद धारण करने के लिये तीन वर्ष से अनधिक कालावधि तक के लिये निरहित कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन हटाया गया अधिकारी उस आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से उस पद का धारणकर्ता नहीं रह जायेगा और यदि वह निरहित कर दिया गया हो तो वह इस बात के लिये पात्र नहीं होगा कि वह, उस आदेश में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के दौरान, उस सोसाइटी के अधीन कोई पद धारण करें।]

54. प्रबंधकों, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति—¹[(1) कोई भी सोसाइटी किसी प्रबंधक, सचिव, लेखापाल या किसी भी अन्य वैधानिक अधिकारी को तब तक नियुक्त नहीं करेगी जब तक कि वह ऐसी अर्हताएं न धारण करता हो, जैसी कि विहित की जायें।]

²[(2) शीर्ष सोसाइटियां तथा केन्द्रीय सोसाइटियां, आफिसरों तथा अन्य सेवकों के ऐसे संवर्ग (काडर) बनाये रखेंगी जिसका कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निर्देश दे और ऐसे संवर्ग के सदस्यों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा अवधारित करें।]

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उन सोसाइटियों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो कि उपधारा (2) के अधीन शीर्ष सोसाइटियों या केन्द्रीय सोसाइटियों द्वारा बनाये गये ऐसे संवर्गों में से, जैसे कि उसमें (अधिसूचना में) विनिर्दिष्ट किये जायें, आफिसरों को नियोजित करेगी] ³[और उन सोसाइटियों के वर्ग के लिये यह बाध्यताकारी होगा कि वह ऐसे संवर्ग के अधिकारियों को जब कभी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटियों द्वारा उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाय, स्वीकार करे तथा उन्हें उन संवर्ग पदों पर नियुक्त करें।]

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा धारा 54 को उसकी उपधारा (2) के रूप में क्रमांकित किया गया।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 28 सन् 1982 द्वारा जोड़ा गया।

¹[55. Registrar's power to determine conditions of employment in societies — (1) The Registrar, may, from time to time, frame rules governing the terms and conditions of employment in a society or class of societies and the society or class of societies to which such terms and conditions of employment are applicable shall comply with the order that may be issued by the Registrar in this behalf:]

²[(2) Where a dispute, including a dispute regarding terms of employment, working conditions and disciplinary action taken by a society, arises between a society and its employees, the Registrar or any officer appointed by him not below the rank of Assistant Registrar shall decide the dispute and his decision shall be binding on the society and its employees:]

Provided that the Registrar or the officer referred to above shall not entertain the dispute unless presented to him within thirty days from the date of order sought to be impugned:

Provided further that in computing the period of limitation under the foregoing proviso, the time requisite for obtaining copy of the order shall be excluded.]

¹[56. Registrar's power to enforce performance of obligation — (1) Every society shall maintain such records, registers and books of accounts and shall furnish to the Registrar such information and such returns as may be required by him from time to time.

³[(1-A) Every society shall file returns within six months of the close of every financial year to the Registrar or any person authorized by him on his behalf pertaining to the following, namely:—

- (i) Annual report of its activities;
- (ii) Its audited statements of accounts;
- (iii) Plan for surplus disposal as approved by the general body of the society;
- (iv) List of amendments to the bylaws of the society, if any;

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 28 of 1982.

3. Ins. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013, w.e.f. 13-2-2013.

¹[55. सोसाइटीयों में के नियोजनों की शर्तों का अवधारण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति—(1) रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी में के या किसी वर्ग की सोसाइटीयों में के नियोजन के निबन्धनों तथा शर्तों को शासित करने वाले नियम-समय पर बना सकेगा और वह सोसाइटी या उस वर्ग की सोसाइटीयां जिनको/जिसको कि नियोजन के ऐसे निबन्धन तथा शर्तें लागू होती हों, उस आदेश का पालन करेगी/करेगी जो कि उस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाय।]

²[(2) जहां कोई ऐसा विवाद, जिसमें नियोजन के निबन्धनों, कामकाज की शर्तें तथा किसी सोसाइटी द्वारा की गई अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित विवाद है, किसी सोसाइटी तथा उसके कर्मचारियों के बीच उठे, वहां उस विवाद का विनिश्चय रजिस्ट्रार या ऐसे किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जो सहायक रजिस्ट्रार से निम्न पद श्रेणी का न हो, किया जायेगा और उसका विनिश्चय उस सोसाइटी तथा उसके कर्मचारियों को आबद्धकर होगा:]

परन्तु रजिस्ट्रार या ऊपर निर्दिष्ट किया गया अधिकारी उस विवाद को तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि वह (विवाद) उस आदेश को, जिसका कि आक्षेप किया जाना चाहा गया है, तारीख से तीस दिन के भीतर उसके समक्ष पेश न किया जाय:

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन परिसीमा काल की संगणना करने में, आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जायेगा।]

¹[56. बाध्यता का पालन कराने की रजिस्ट्रार की शक्ति—(1) प्रत्येक सोसाइटी ऐसे अभिलेख, रजिस्ट्रार तथा लेखा पुस्तकें संधारित करेगी तथा रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी तथा ऐसी विवरणियां देगी जिनकी कि उसके द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये।

³[(1-क) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को विवरणी फाइल करेगी जो निम्नलिखित विषयों से संबंधित होगी, अर्थात्:—

- (एक) सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन;
- (दो) सहकारी सोसाइटी के लेखों का संपरिक्षित विवरण;
- (तीन) सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अधिशेष व्ययन के लिए योजना;
- (चार) सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन की सूची, यदि कोई हो तो;

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 28 सन् 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

(v) Declaration regarding date of holding of its general body meeting and conduct of election when due; and

(vi) Any other information required by the Registrar in pursuance of any provision of this Act.]

(2) Every society shall fix specific responsibility on the officer or employee of, the society to maintain such records, registers, books of accounts and to furnish to the Registrar such information and such returns as may be required by order by him, from time to time within the period specified in such order.

(3) If any officer or the employee of the society, on whom specific responsibility has been fixed under sub-section (2), fails to maintain the records, registers, books of accounts and to furnish to the Registrar, such information and such returns as may be required by the Registrar within the specified time, the Registrar may, by order, declare such officer to be disqualified for being a member of the ¹[Board] for such period not exceeding three years as he may specify in such order and if the officer is an employee of the society, impose on him a penalty not exceeding ²[fifty thousand] rupees:

Provided that no order shall be made under this sub-section unless the person concerned is given a reasonable opportunity of being heard.]

57. Registrar's power to seize records, etc. — ³[(1) Where the Registrar is satisfied that—

(a) the records, registers or the books of accounts of a society are likely to be tampered with or destroyed and the funds and property of a society are likely to be misappropriated or misapplied; or

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "fifty thousand", w.e.f. 13-2-2013.
3. Numbering by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970, for the Sec. 57 his sub-section (1).

(पांच) सहकारी सोसाइटी के साधारण सभा की बैठक का दिनांक तथा निर्वाचन शोध्य (ड्यू) होने पर, उसके आयोजन संबंधी घोषणा;

(छ:) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।]

(2) प्रत्येक सोसाइटी किसी अधिकारी या कर्मचारी पर इस बात का विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व निरोपित करेगी कि वह ऐसे अभिलेख, रजिस्टर, तथा लेखा-पुस्तकें संधारित करे और रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी तथा ऐसी विवरणियां, जैसी कि रजिस्ट्रार आदेश द्वारा समय-समय पर अपेक्षित करे, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर दे।

(3) यदि सोसाइटी का कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी, जिस पर कि विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व उपधारा (2) के अधीन निरोपित किया गया हो, अभिलेख, रजिस्टर तथा लेखा-पुस्तकें नहीं बनाये रखता है और रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी तथा ऐसी विवरणियां, जैसी कि रजिस्ट्रार अपेक्षा करे, विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं देता है, तो रजिस्ट्रार आदेश द्वारा, ऐसे अधिकारी के बारे में यह घोषित कर सकेगा कि वह तीन वर्ष के अनधिक ऐसी कालावधि के दौरान जैसी कि वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करे, ¹[बोर्ड] का सदस्य होने के लिये निरहित रहेगा और यदि वह अधिकारी सोसाइटी का कर्मचारी है तो उस पर ऐसी शास्ति जो ²[पचास हजार] रुपये से अधिक की न हो, अधिरोपित कर सकेगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय।]

57. अभिलेखों आदि के अभिग्रहण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति—³[(1) जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि—

(क) किसी सोसाइटी के अभिलेखों, रजिस्ट्रों या लेखा-पुस्तकों का बिगाड़ा जाना या नष्ट किया जाना संभाव्य है तथा किसी सोसाइटी की निधियों एवं संपत्ति का दुर्विनियोग या दुरुपयोगन किया जाना संभाव्य है; या

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "पांच हजार" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा धारा 57 को उसकी उपधारा (1) के रूप में क्रमांकित किया गया।

- (b) if the ¹[Board] of a society is reconstituted at a general meeting of the society or the ¹[Board] of a society is removed by the Registrar under Section 53 or if the society is ordered to be wound up under Section 69 and the outgoing members of the ¹[Board] refuse to handover charge of the records and property of the society to those having to, or entitled to, receive such charge;

the Registrar may issue an order directing a person duly authorised by him in writing to seize and take possession of such books and records, funds and property of the society and the officer or officers of the society responsible for the custody of such books, records, funds and property shall give delivery thereof to the person so authorised.

²[2] In order to secure compliance of the orders under clause (b) of subsection (1) the Registrar may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used such minimum force including Police Force as may be considered necessary.]

³[57-A. Taking possession of record and property — (1) Where the Registrar is satisfied that the books and records of a society are likely to be suppressed, tampered with or destroyed, or the funds and property of a society are likely to be misappropriated or misapplied, the Registrar or the person authorised by him may apply to the Executive Magistrate within whose jurisdiction the society is functioning, for seizing and taking possession of the records and property of the society.

(2) On receipt of the application under sub-section (1), the Magistrate may authorise any police officer not below the rank of a sub-inspector to enter and search any place where the records and property are kept or likely to be kept and to seize them and handover possession thereof to the Registrar or the person authorised by him, as the case may be.]

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
2. Ins. by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970.
3. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

- (ख) उस दशा में, जब कि किसी सोसाइटी की ¹[बोर्ड] उस सोसाइटी के साधारण अधिवेशन में पुनर्गठित की गई हो अथवा सोसाइटी की ¹[बोर्ड] रजिस्ट्रार द्वारा धारा 53 के अधीन हटा दी गई हो, अथवा धारा 69 के अधीन सोसाइटी का समापन कर दिया जाने का आदेश दिया गया हो, ¹[बोर्ड] के बहिर्गामी सदस्य सोसाइटी के अभिलेख तथा उसकी संपत्ति का भार उन व्यक्तियों को, जिन्हें कि ऐसा भार लेना हो या जो ऐसा भार प्राप्त करने के लिये हकदार है, सौंपने से इन्कार करते हैं,

वहां रजिस्ट्रार उस व्यक्ति को, जो कि उसके द्वारा लिखित में सम्यकरूपेण प्राधिकृत किया गया हो उस सोसाइटी की ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों, निधियों एवं सम्पत्ति को अभिग्रहित करने तथा कब्जे में लेने का निर्देश देते हुए, आदेश जारी कर सकेगा और उस सोसाइटी का वह अधिकारी या वे अधिकारी, जो ऐसी पुस्तकों, अभिलेखों, निधियों तथा संपत्ति की अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी हों, उनका परितान उस व्यक्ति को, जो इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, कर देगा/देंगे।

²[(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये, रजिस्ट्रार ऐसी कार्यवाही कर सकेगा या करवा सकेगा और पुलिस बल को सम्मिलित करते हुए, ऐसे न्यूनतम बल का उपयोग कर सकेगा या करवा सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाये।]

³[57-क. अभिलेख तथा संपत्ति का कब्जा लेना—(1) जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि किसी सोसाइटी की पुस्तकों तथा अभिलेखों का दबा दिया जाना, बिगाड़ा जाना या नष्ट किया जाना या किसी सोसाइटी की निधियों तथा संपत्ति का दुर्विनिर्माण या दुरुपयोग किया जाना संभाव्य है, वहां रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसकी कि अधिकारिता के भीतर सोसाइटी कार्य कर रही हो, सोसाइटी के अभिलेखों तथा संपत्ति का अभिग्रहण करने तथा कब्जा लेने के लिये आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, वह मजिस्ट्रेट उप-निरीक्षक की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी को इस बात के लिये प्राधिकृत कर सकेगा कि वह किसी ऐसे स्थान में जहां कि वे अभिलेख तथा संपत्ति रखी हुई हों या जहां कि उन अभिलेखों तथा संपत्ति का रखा जाना संभाव्य हो, प्रवेश करे और उसकी तलाशी ले तथा उनका अभिग्रहण करके उनका कब्जा यथास्थिति रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति को सौंप दें।]

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।

¹CHAPTER V-A**PROVISION REGARDING SHORT TERM CO-OPERATIVE CREDIT STRUCTURE SOCIETIES**

57-B. Management of short term Co-operative Credit Structure Societies — (1) Notwithstanding anything contained in this Act or Rules framed thereunder or bylaws of any registered society or orders issued thereunder, the provisions of this chapter shall have overriding effect.

(2) In this Chapter, unless the context otherwise requires,—

- (i) "Affiliating Society" means a society of which another society or co-operative is a member;
- (ii) "Co-operative" means a co-operative as defined under Section 2(f) of Chhattisgarh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No. 2 of 2000);
- (iii) "National Bank" means the National Bank for Agriculture and Rural Development established under Section 3 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981);
- (iv) "Secondary Co-operative" means a co-operative registered under Chhattisgarh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No. 2 of 2000) of which another co-operatives or society is a member;
- (v) "Short term co-operative credit structure society" includes the State Co-operative Bank, a Central Co-operative Bank and a Primary Agricultural Credit Co-operative Society.

(3) (a) Short term co-operative credit structure society shall be eligible to be a member of a secondary co-operative.

(b) A co-operative registered under Chhattisgarh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No. 2 of 2000) may become the member of an affiliating society registered under this Act.

(4) A short term co-operative credit structure society may become a member of an affiliating society or a secondary co-operative of its choice or leave the membership of such society or co-operative.

1. New Chapter V-A and Sec. 57-B ins. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013, w.e.f. 13-2-2013.

¹[पांच-क अध्याय**अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटियों के संबंध में प्रावधान**

57-ख. अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटियों का प्रबंधन—(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी की उपविधियों या उसके अधीन जारी आदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के प्रावधानों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

(2) इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (एक) "सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसमें अन्य सहकारी सोसाइटी या सहकारिता सदस्य हैं;
- (दो) "सहकारिता" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) की धारा 2(च) के अधीन यथा परिभाषित सहकारिता;
- (तीन) "राष्ट्रीय बैंक" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक;
- (चार) "सहायक सहकारिता" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारिता, जिसमें अन्य सहकारिता या सहकारी सोसाइटी सदस्य हैं;
- (पाँच) "अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सहकारी सोसाइटी" में सम्मिलित है राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी।

(3) (क) एक अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी, सहायक सहकारिता के सदस्य बनने हेतु पात्र होगी।

(ख) छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारिता इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी की सदस्य हो सकती है।

(4) एक अल्पकालीन साख संरचना सहकारी सोसाइटी एक सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी या एक सहायक सहकारिता की सदस्य अपनी इच्छानुसार बन सकती है या ऐसी सहकारी सोसाइटी या सहकारिता की सदस्यता से अलग हो सकती है।

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा नया अध्याय पांच-क एवं धारा 57-ख अन्तःस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावी।

(5) (a) The bylaws or any amendment to the bylaws of a short term co-operative credit structure society shall be registered by the Registrar within thirty days from the date of receipt of the application.

(b) If the Registrar is satisfied that the proposed bylaws or the amendments to the bylaws are contrary to the provisions of the Act and the rules made thereunder he shall reject the same duly recording his reasons thereon within thirty days from the date of receipt of the application.

(6) (a) Every depositor in a primary agricultural credit co-operative society, subject to the criteria of minimum deposit amount and period, as prescribed by Registrar from time to time, shall be eligible to be a member of the society under sub-section (1) of Section 19 after subscribing the minimum share capital specified in the bylaws of the society and shall have full voting rights of a member.

(b) An individual or a group of borrower shall have the right to become member of a primary agricultural credit co-operative society under sub-section (1) of Section 19.

(c) Every group of depositor or a group of borrower admitted, as member under sub-section (1) of Section 19, shall be entitled to vote through a delegate nominated by such group.

(7) The short term co-operative credit structure society shall be autonomous in all financial and internal administrative matters especially in the following areas:—

- (i) interest rates on deposits and loans in conformity with and subject to Reserve Bank's guidelines,
- (ii) borrowings and investments,
- (iii) loan policies and individual loan decisions.
- (iv) personnel policy, staffing, recruitment, posting and remuneration to staff, and
- (v) internal control systems, appointment of auditors and compensation for the audit.

(8) The State Government's subscription in the share capital of any short term co-operative credit structure society shall not exceed twenty five percent and the State Government or such society may reduce the State Government's subscription further at its choice.

(5) (क) एक अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की उपविधियाँ उपविधियों में कोई संशोधन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(ख) यदि, रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि प्रस्तावित उपविधियों या उपविधियों में संशोधन अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के विरुद्ध हैं तो वह आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिवस के भीतर उस पर सम्यक् रूप से कारणों को अभिलिखित करते हुए उसे निरस्त करेगा।

(6) (क) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक अमानतदार न्यूनतम अमानत राशि एवं अवधि संबंधी मानदण्ड, जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये, के अधधीन रहते हुए, सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अंशपूजी के अंशदान करने के पश्चात् धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी के सदस्य बनने हेतु पात्र होंगे एवं उन्हें एक सदस्य के रूप में पूर्ण मताधिकार होगा।

(ख) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति या उधारकर्ता समूह को प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी का सदस्य बनने का अधिकार होगा।

(ग) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन सदस्य के रूप में स्वीकृत प्रत्येक समूह जमाकर्ता या उधारकर्ता समूह को समूह द्वारा नामित एक प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान का अधिकार होगा।

(7) अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामलों, विशेषतः निम्नांकित क्षेत्रों में स्वशासी होगी—

(एक) रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप और उसके अध्यक्षीन अमानतों एवं ऋणों पर ब्याज दर,

(दो) उधार ग्रहण एवं विनियोग,

(तीन) ऋण नीतियों एवं व्यक्तिगत ऋण निर्णयों,

(चार) कार्मिक नीति, स्टाफिंग, भर्ती, कर्मचारियों की पदस्थापना और पारिश्रमिक, और

(पांच) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं अंकेक्षण के लिए प्रतिकर।

(8) किसी भी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की अंशपूजी में राज्य सरकार का अभिदाय 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और राज्य सरकार अथवा ऐसी सहकारी सोसाइटी अपनी इच्छानुसार राज्य सरकार का अभिदाय कम कर सकती है।

(9) (a) There shall be only one nominee of the State Government in the board of the State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank if the State Government has subscribed to its share capital:

Provided that the nominee of the State Government in the board of the State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank shall not take part in election nor shall have any voting right in such election.

(b) (i) There shall be only one nominee of the State Government in the board of a primary agricultural credit co-operative society if the State Government has subscribed to its share capital:

Provided that the nominee of the State Government in a board in the primary agriculture credit society shall not take part in election nor shall have any voting right in such election.

(ii) A short term co-operative credit structure society shall have full freedom to transact with other societies registered under this Act or co-operatives registered under the Chhattisgarh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No. 2 of 2000).

(10) A short term co-operative credit structure society shall have the freedom of entry and exit at any tier and there shall be no mandatory restrictions of geographical boundaries for its operations.

(11) A short term co-operative credit structure society may, subject to the guidelines of the Reserve Bank, invest or deposit its funds in any bank regulated by the Reserve Bank and not necessarily in the affiliating society to which it is affiliated.

(12) A short term co-operative credit structure society may obtain loans from any bank regulated by the Reserve Bank and refinance from the National Bank and not necessarily from the affiliating society to which it is affiliated.

(13) A primary agricultural credit co-operative society may pay dividend in accordance with the guidelines framed by the Registrar in consultation with the National Bank.

(14) No person shall be elected, nominated or co-opted or allowed to continue as a member of the board of a short term co-operative credit structure society, if he—

(9) (क) राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक की बोर्ड में राज्य सरकार का केवल एक नामिती होगा, यदि राज्य सरकार ने उसकी अंश पूंजी में अभिदाय किया हो :

परन्तु यह कि राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक की बोर्ड में राज्य सरकार के नामिती न तो निर्वाचन में भाग लेंगे और न ही ऐसे निर्वाचन में मताधिकार होगा।

(ख) (एक) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड में राज्य सरकार का केवल एक नामिती होगा यदि बोर्ड की अंशपूंजी में राज्य सरकार ने अभिदाय किया हो :

परन्तु प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड में राज्य सरकार के नामिती न तो निर्वाचन में भाग लेंगे और न ही ऐसे निर्वाचन में मतदान का अधिकार होगा।

(दो) किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी को, इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत अन्य सहकारी सोसाइटी अथवा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारी अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) के अधीन रजिस्ट्रीकृत अन्य सहकारिता के साथ संयवहार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।

(10) किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी को किसी भी स्तर की संरचना में प्रवेश करने तथा उससे बाहर होने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, और इसके प्रचालन के लिए भौगोलिक सीमाओं का आज्ञापक निर्बन्धन नहीं होगा।

(11) कोई अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी, रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अध्वधीन रहते हुए, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी बैंक में अपना फंड विनियोजित अथवा निक्षेप कर सकेगी तथा यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा निवेश अथवा निक्षेप उसी संबद्ध सहकारी सोसाइटी में करे जिससे वह संबद्ध है।

(12) कोई अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी बैंक से ऋण ले सकती है तथा राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त ले सकती है तथा यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा ऋण अथवा पुनर्वित्त उसी संबद्ध सहकारी सोसाइटी से ले जिससे वह संबद्ध है।

(13) कोई प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी राष्ट्रीय बैंक की सलाह से रजिस्ट्रार द्वारा बनाये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान कर सकती है।

(14) कोई व्यक्ति अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की बोर्ड में निर्वाचित, नामांकित या सहयोजित या एक सदस्य के रूप में निरंतर रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि वह—

(i) is a person who represents a society other than a primary agricultural credit co-operative society on the board of a Central Co-operative Bank or the State Co-operative Bank, if the society he represents has committed a default towards the payments of such bank for a period exceeding ninety days;

(ii) is a person who committed a default towards the payments to a primary agricultural credit co-operative society or represents a primary agricultural credit co-operative society on the board of a Central Co-operative Bank or the State Co-operative Bank, if the society he represents has committed a default towards the payments of such bank for a period exceeding one year unless the default has been cleared;

(iii) is a person, who represents a society whose board is superseded.

(15) (a) The board of the State Co-operative Bank and the Central Co-operative Banks shall not be superseded without prior consultation with the Reserve Bank.

(b) The board of a primary agricultural credit co-operative society may be superseded only on any of the following grounds, if—

- (i) the society incurs losses for three consecutive years;
- (ii) serious financial irregularities as proven in enquiry for the purpose;
- (iii) fraud has been identified;
- (iv) lack of quorum in three consecutive meetings.

(16) (a) The State Election Commission shall conduct elections to a short term co-operative credit structure society before the expiry of the term of the existing board.

(b) The State Election Commission shall conduct elections to a short term co-operative credit structure society within six months in case of Primary Agricultural Credit Co-operative Society and twelve months in case of State Co-operative Banks and Central Co-operative Banks from the date of its supersession:

Provided that in circumstances beyond control, the Government may allow holding of such elections within a period not exceeding six months from the date of supersession.

(एक) ऐसा व्यक्ति है जो केन्द्रीय सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक की बोर्ड में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है, यदि ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है वह ऐसे बैंक के भुगतान में 90 दिनों से अधिक अवधि का चूक करती हो;

(दो) ऐसा व्यक्ति है जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के शोध्यों के संदाय में चूक करता है या जो केन्द्रीय सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक की बोर्ड में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है, यदि ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है ऐसे बैंक के भुगतान में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए चूक करती है, जब तक चूक मुक्त नहीं हो जाती;

(तीन) ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसी सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी बोर्ड अतिष्ठित हो गई है।

(15) (क) राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों की बोर्ड रिजर्व बैंक के पूर्व परामर्श के बिना अतिष्ठित नहीं की जाएगी।

(ख) किसी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर ही अतिष्ठित की जाएगी, यदि—

- (एक) कोई सहकारी सोसाइटी लगातार तीन वर्षों तक हानि उपगत करती हो;
- (दो) गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ जो इस प्रयोजन हेतु हुई जांच में प्रमाणित पायी गयी हों;
- (तीन) धोखाधड़ी/कपट पाया गया हो;
- (चार) लगातार तीन बैठकों में गणपूर्ति की कमी रही हो।

(16) (क) राज्य निर्वाचन आयोग किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी का निर्वाचन वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व कराएगा।

(ख) राज्य निर्वाचन आयोग किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी का निर्वाचन अधिक्रमण की तारीख से, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के मामले में छः माह तथा राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के मामले में बारह माह के भीतर कराएगा :

परन्तु यह कि परिस्थितियाँ नियंत्रण से परे होने पर, शासन अधिक्रमण की तारीख से छः माह से अनधिक अवधि के भीतर ऐसे निर्वाचन कराने की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

(c) A member of the board of a primary agricultural credit co-operative society which has been superseded under this Act shall not be entitled to contest the election again for a period of three years from the date of supersession :

Provided that where the supersession is owing to the grounds contained in Section 15(b)(iv), the lack of quorum is not due to the absence of such member.

(17) The members of the board and Chief Executive Officers of the State Co-operative Bank or the Central Co-operative Banks who do not fulfill the criteria stipulated by the Reserve Bank shall be removed by the Registrar or the Appointing Authority, as the case may be, on the recommendation of the Reserve Bank or the National Bank.

(18) (a) Where the number of elected members on the board of a State Co-operative Bank or Central Co-operative Bank does not, in the opinion of National Bank, possess special knowledge or experience in such fields as may be stipulated by the National Bank, the State Co-operative Bank or the Central Co-operative Bank, as the case may be, shall co-opt such number of professional in such field, not exceeding two and the professionals so co-opted shall have full voting rights except the election irrespective of whether such professional is a member of the Society or not.

(b) If any person who, in the opinion of the Reserve Bank, has been co-opted as a member of the board under clause (a) of this subsection without having requisite knowledge or experience as stipulated by the Reserve Bank, he shall on being advised by the Reserve Bank or the National Bank, be removed from the office after giving him a reasonable opportunity of being heard.

(19) The Chief Executive Officer of the State Co-operative Bank and a Central Co-operative Bank, shall be appointed by the members of the board of the State Co-operative Bank or the Central Co-operative Bank, as the case may be, from among a panel of names not exceeding three persons eligible to hold the office of Chief Executive Officer in accordance with the criteria stipulated by Reserve Bank; and the aforesaid panel shall be recommended by a selection board consisting of the following persons all of whom shall be the members of the board of the State Co-operative Bank or the Central co-operative Bank as the case may be :—

- (i) The nominee of State Government on the board.
- (ii) The nominee of the National Bank on the board.
- (iii) One other member of the board whether elected or co-opted.

(ग) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत अधिक्रमित किया गया है, का कोई सदस्य अधिक्रमण की तारीख से तीन वर्षों की कालावधि के लिए पुनः निर्वाचन में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि जहां धारा 15(ख)(चार) में अंतर्विष्ट आधारों पर अधिक्रमण किया जा रहा है, वहां गणपूर्ति का अभाव ऐसे सदस्य की अनुपस्थिति के कारण नहीं है।

(17) राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंकों की बोर्ड के सदस्य तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति नहीं करते हैं, को रजिस्ट्रार अथवा नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, के द्वारा राष्ट्रीय बैंक अथवा रिजर्व बैंक की सिफारिश पर हटाया जायेगा।

(18) (क) राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों की बोर्ड में ऐसे क्षेत्रों में जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा नियत किया जाए, विशिष्ट ज्ञान या अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों की संख्या दो से अधिक न हो तथा ऐसे क्षेत्रों में जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा नियत किया जाए रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक की राय में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले निर्वाचित संचालकों की ऐसी संख्या न होने की दशा में राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंकों, यथास्थिति, की बोर्ड, ऐसे क्षेत्र में पेशेवर (वृत्तिक व्यक्ति) ऐसी संख्या में सहयोजित करेगी और ऐसे सहयोजित पेशेवरों को निर्वाचन को छोड़कर पूर्ण मताधिकार होगा चाहे, ऐसा वृत्तिक (पेशेवर) बोर्ड का सदस्य हो अथवा नहीं।

(ख) यदि किसी व्यक्ति को रिजर्व बैंक की राय में, रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षित ज्ञान अथवा अनुभव के बिना इस उपधारा के खण्ड (क) के अधीन बोर्ड में सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया है, तो उसे रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक द्वारा दी गई सलाह पर, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् पद से हटाया जायेगा।

(19) राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक, यथास्थिति, की बोर्ड के सदस्यों के द्वारा राज्य सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी, जो तीन व्यक्तियों से अनाधिक के नामों के पैल में से होगा जो रिजर्व बैंक द्वारा नियत मानदण्ड के अनुसार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद धारण करने हेतु पात्र हो और उपर्युक्त पैल की अनुशंसा चयन बोर्ड द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे जिसमें से सभी राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक, जैसी भी स्थिति हो, के सदस्यों में से होंगे—

- (एक) बोर्ड में राज्य शासन का नामिती।
- (दो) बोर्ड में राष्ट्रीय बैंक का नामिती।
- (तीन) बोर्ड का एक अन्य सदस्य जो या तो निर्वाचित हो या सहयोजित हो।

(20) No primary agricultural credit co-operative society or its federation or association (except those which are permitted to act as a bank under Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949)) shall be registered with the term 'bank' or any other derivative of the term 'bank' in its registered name or shall use the same as a part of its name:

Provided that where any primary agricultural credit co-operative society or its federation or association (except those which has permitted as a bank under Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949)) has been registered using the term "bank" before the coming into force of this Act, the term "bank" along with its derivatives term shall be omitted within three months from the date of enforcement of this Act:

Provided further that where any such society fails to comply with the above provisions within the period specified therein, the Registrar shall order the winding up of such society after giving a reasonable opportunity of being heard.

(21) The financial accounts of the State Co-operative Bank or Central Co-operative Bank, as the case may be, audited and certified by an auditor or auditing firms from among the panel of such auditors approved by the Registrar and appointed by the General Body in this behalf.

(22) Where the Reserve Bank so requires, the Registrar shall conduct a special audit of the financial accounts of the State Co-operative Bank or the Central Co-operative Banks, as the case may be, conduct the special audit and furnished the report of such audit in such manner and within such time as may be stipulated by the Reserve Bank.

(23) No authority other than the board of the short term co-operative credit structure society shall have the power to direct the society that a contribution to be made to any fund other than that required for improving its net worth or the financial position of such society.

(24) The prudential norms, stipulated by the Reserve Bank including norms for capital to risk weighted assets ratio, shall be prescribed by the Registrar in consultation with the National Bank in respect of all primary agricultural credit co-operative societies.

(25) (i) Where the Reserve Bank prescribes any regulation, including a recommendation of supersession of board or the winding up of State Co-operative Bank or Central Co-operative Banks, as the case may be, the Registrar shall comply with the same within one month from the date of such communication.

(20) कोई भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी या इसका परिसंघ या संघ (उनके अलावा जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अंतर्गत बैंक के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञात है) "बैंक" शब्द या बैंक शब्द के किसी अन्य व्युत्पन्न शब्द के साथ रजिस्ट्रीकृत नहीं होंगे तथा अपने रजिस्ट्रीकृत नाम या अपने नाम के भाग के रूप में इसका प्रयोग नहीं करेंगे।

परन्तु यह कि कोई प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी या इसका परिसंघ या संघ (उन संस्थाओं के अलावा जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अंतर्गत बैंक के रूप में अनुज्ञात है) इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व "बैंक" शब्द का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रीकृत है, शब्द "बैंक" अथवा इसके व्युत्पन्नों सहित, इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से तीन माह के भीतर विलोपित किये जायेंगे।

परन्तु यह और कि जहां ऐसी कोई सहकारी सोसाइटी उपरोक्त प्रावधानों का उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसी सहकारी सोसाइटी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसके परिसमापन का आदेश देगा।

(21) राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय लेखा पुस्तिकाओं का, यथास्थिति, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित ऐसे संपरीक्षकों के पैनल में से संपरीक्षक या संपरीक्षक फर्म द्वारा संपरीक्षा एवं सत्यापन किया जाएगा।

(22) जहां रिजर्व बैंक यह आवश्यक समझे, राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक यथास्थिति, के वित्तीय लेखाओं का विशेष अंकेक्षण रजिस्ट्रार करेगा और ऐसे विशेष अंकेक्षण का संचालन तथा ऐसे अंकेक्षण की रिपोर्ट को प्रस्तुती ऐसी रीति में तथा ऐसी समयवधि के भीतर की जायेगी, जैसी रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाये।

(23) अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की बोर्ड के अलावा किसी भी प्राधिकारी को इसके निवल मूल्य (नेट वर्थ) या ऐसी सहकारी सोसाइटी की वित्तीय स्थिति के सुधार हेतु उन अपेक्षित निर्धारों को छोड़कर किसी निधि में किए जाने वाले अंशदान हेतु सहकारी सोसाइटी को निर्देशित करने की शक्तियां नहीं होंगी।

(24) सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के मामले में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्ड जिसमें पूंजी के लिए जोखिम भांति आस्तियों के मानदण्ड (रिस्क वेटेड असेट्स रेश्यो) भी सम्मिलित है रजिस्ट्रार द्वारा राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से विहित किये जायेंगे।

(25) (एक) जहां रिजर्व बैंक कोई विनियम विहित करता है, जिसमें राज्य सहकारी बैंक या सहकारी केन्द्रीय बैंक, यथास्थिति, की लेखों के अतिरिक्त परिसमापन की अनुशंसा भी शामिल है, तब रजिस्ट्रार ऐसी संसूचना के एक माह के भीतर अनुपालन करेगा।

(ii) The Registrar shall ensure that the Liquidator or the Administrator, as the case may be, is appointed within one month of being so advised by the Reserve Bank for winding up or supersession.

(iii) Where in the opinion of the Reserve Bank, the functioning of the Chief Executive Officer of the State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank, as the case may be, is such that it is not desirable in the interest of the bank to continue the person as the Chief Executive Officer of the bank, it may require the registrar to remove the Chief Executive Officer; and the registrar shall proceed forthwith to remove such Chief Executive Officers after giving a reasonable opportunity of being heard.

(iv) Where in the opinion of the Reserve Bank, a person does not possess the requisite special knowledge specified by it, the Registrar shall on being advised by the Reserve Bank, proceed forthwith to remove such co-opted member after giving a reasonable opportunity of being heard.

(26) Every employee of short term co-operative credit structure society shall be borne on the cadre of such Society and the Society shall have the full powers in all matters of appointment, promotion, disciplinary action, in respect of such employees:

Provided that the terms and conditions of an employee who is there on the date of this Act coming in to force, shall be protected.

(27) Where short term co-operative credit structure society is required to be exempted from any of the provisions of this Chapter in the public interest, the State Government shall do so with the prior approval of Reserve Bank.

(28) No authority shall do anything or act in any manner which may have the effect of abridging the power of any short term credit structure society under the provisions of this Chapter.]

(दो) रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सलाह के एक माह के भीतर रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि परिसमापन या अधिक्रमण के लिए परिसमापक अथवा प्रशासक, यथास्थिति, नियुक्ति हो गया है।

(तीन) जहां रिजर्व बैंक की यह राय हो कि राज्य सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक, यथास्थिति, के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कृत्य ऐसे हैं कि ऐसे व्यक्ति का बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में निरंतर बने रहना बैंक के हित में वांछनीय नहीं है, तब रजिस्ट्रार से मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पद से हटाये जाने की अपेक्षा कर सकेगी तथा रजिस्ट्रार ऐसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसे हटाये जाने हेतु तत्काल अग्रसर होगा।

(चार) यदि कोई व्यक्ति रिजर्व बैंक की राय में, रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट ज्ञान नहीं रखता है, तो रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सलाह पर, ऐसे सहयोजित सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसे पद से हटाये जाने हेतु तत्काल अग्रसर होगा।

(26) अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के प्रत्येक कर्मचारी ऐसी सहकारी सोसाइटी के संवर्ग से होंगे तथा सहकारी सोसाइटी को ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाही के समस्त विषयों में पूर्ण शक्तियां होंगी :

परन्तु यह कि कोई कर्मचारी जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि पर वहां है, के निबंधन एवं शर्तों को संरक्षित किया जायेगा।

(27) जहां अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी को इस अध्याय के किसी उपबंधों में लोकहित में छूट दिया जाना अपेक्षित हो, तो राज्य सरकार रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से ऐसा करेगी।

(28) कोई भी प्राधिकारी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा अथवा ऐसे तरीके से ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करेगा जिसके प्रभाव से किसी भी अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी की शक्तियों में इस अध्याय के उपबंधों के अंतर्गत कमी होती हो।]

CHAPTER VI

AUDIT, INQUIRY, INSPECTION AND SUPERVISION

¹[58. Audit of Accounts — (1) Every co-operative society shall maintain books of accounts of its income, expenditure pertaining to the society's in the form to be prescribed by the Registrar and shall present the profit and loss accounts for each co-operative year and the balance sheet as on the last day of the co-operative year.

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the following section 58, w.e.f. 13-2-2013 —

¹58. Audit and Audit fee — (1) The Registrar shall audit or cause to be audited by a person authorised by him in writing by general or special order in this behalf, the accounts of every society once at least every year and shall recover from such society such fees as may be, prescribed :

Provided that—

- (i) the State Government may, by notification, for reasons to be specified, therein, exempt any class of societies;
- (ii) the Registrar may for reasons to be recorded in writing, exempt any society from the payment of fees or part thereof, under this sub-section;

Provided further that a Central Society or an Apex Society or an Urban Co-operative Bank may get the accounts audited, by a Chartered Accountant approved by the Registrar :

Provided also that if there is a complaint of financial irregularities or embezzlement after the completion or issuance of the audit report, the Registrar may order special audit for the purpose.

- (2) The audit under sub-section (1) shall include an examination of the accounts and the overdue debts, if any, compliance of the instructions and orders of the Registrar issued under this Act, Rules made thereunder and bylaws of the society, the verification of cash balance and securities and valuation of the assets and liabilities of the societies and such other items as may be specified by the Registrar.

- (3) The Registrar or the authorised person shall at all times have access to all the books, accounts, documents, papers, securities, cash and other properties belonging to, or in the custody of, the society and may summon any person in possession of, or responsible for, the custody of any such books, accounts, documents, papers, securities, cash or other properties, to produce the same at any place at the headquarters of the society or any branch thereof.

- (4) Every person who is, or has at any time been, an officer or employee of the society, and every member and past member of a society shall furnish information in regard to the transactions and working of the society to the Registrar or the person authorised by him may, require."

छठवाँ अध्याय

संपरीक्षा, जांच निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण

¹[58. लेखाओं की संपरीक्षा—(1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, संबंधित आय, व्यय के लेखों का संधारण ऐसे प्रारूपों में करेगा जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा विहित किया जाए और प्रत्येक सहकारी वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखे तथा सहकारी वर्ष के अंतिम दिवस की स्थिति पर तुलन पत्र प्रस्तुत करेगी।

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा निम्नलिखित धारा 58 के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावी शील।

¹58. संपरीक्षा तथा संपरीक्षा फीस—(1) रजिस्ट्रार, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार प्रत्येक सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा करेगा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे उसने, संधारण या विशेष आदेश द्वारा, लिखित में इस निमित्त प्राधिकृत किया हो, करवायेगा और ऐसी सोसाइटी से ऐसी फीस वसूल करेगा जो कि विहित की जायः

परन्तु—

- (एक) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कारणों से, सोसाइटियों के किसी वर्ग को छूट दे सकेगी;

- (दो) रजिस्ट्रार, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, किसी सोसाइटी को इस उपधारा के अधीन फीस या उसके भाग के भुगतान से छूट दे सकेगा;

परन्तु यह और भी कि कोई केन्द्रीय सोसाइटी या कोई शीर्ष सोसाइटी या कोई नगरीय सहकारी बैंक अपने लेखाओं की संपरीक्षा रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करवा सकेगी।

परन्तु यह और भी कि यदि वहां संपरीक्षा रिपोर्ट पूर्ण होने या जारी होने के पश्चात्, कोई वित्तीय अनियमितता या गबन की शिकायत होनी है तो रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिये विशेष संपरीक्षा हेतु आदेश दे सकेगा।

- (2) उपधारा (1) के अधीन की संपरीक्षा में लेखाओं की तथा अतिशोध्य ऋणों की, यदि कोई हो, परीक्षा रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और सोसाइटी की उपविधियों के अधीन दिए गए अनुदेशों तथा आदेशों का अनुपालन की परीक्षा रोकड़ बाकी तथा प्रतिभूतियों का सत्यापन तथा सोसाइटियों की आस्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन एवं ऐसी अन्य मंजूर कि रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सम्मिलित हैं।

- (3) रजिस्ट्रार या प्राधिकृत व्यक्ति की समस्त समर्थों पर सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा में की समस्त पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, कागज पत्रों, प्रतिभूतियों, रोकड़ तथा अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच होगी और वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके कि कब्जे में कोई ऐसी पुस्तक, लेख, दस्तावेजों, कागज पत्र, प्रतिभूतियां, रोकड़ या अन्य सम्पत्तियां हो या जो उनकी अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी हों, उन्हें उस सोसाइटी के मुख्यालय के या उसकी किसी शाखा पर के किसी स्थान पर पेश करने के लिये समन कर सकेगा।

- (4) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी सोसाइटी का अधिकारी या कर्मचारी हो अथवा किसी समय रह चुका है, तथा किसी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्य उस सोसाइटी के संव्यवहारों एवं कार्यकरण के बारे में ऐसी जानकारी देगा जैसी कि रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति अपेक्षित करे।"

(2) Every co-operative society shall submit its books of accounts and record of all transactions and pertaining to all affairs for the purpose of audit by an auditor or auditing firm to be authorized by General Body from a panel approved by the Registrar.

(3) The Registrar shall not include a person who is not a member of the institute of Chartered Accountant of India or auditing firm which is not duly authorized by the said institute to conduct such audit :

Provided that in case of Co-operative society with Government share holding or loan or financial assistance or any guarantee by the Government, the Registrar may include the auditor in the panel.

(4) Every society shall get its accounts audited by a Auditors or group of Auditors authorized by Registrar in this behalf once at least every financial year and shall pay such fees for auditing as may be prescribed by the registrar in this regard:

Provided that—

- (i) the State Government may, by notification, for reasons to be specified therein exempt any class of societies to pay such fees;
- (ii) the Registrar shall lay down the minimum qualification and experience of such Auditor of auditing firms referred to in sub-section (1);
- (iii) the accounts of every society shall be audited within six months of the close of the financial year to which such accounts relate and the accounts of the societies shall be maintained by the societies concerned in such a manner as may be prescribed by the Registrar in this regard;
- (iv) the Auditors, to conduct the audit of the accounts of the society referred to in sub-section (1) shall be appointed by the general body of the society concerned amongst the panel of Auditor or auditing firms approved by the Registrar in this behalf:

Provided further that if there is a complaint of financial irregularities or embezzlement after the completion or issuance of the audit report, the Registrar may order special audit for the purpose.

(2) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी अपने लेखा पुस्तकों और समस्त संव्यवहारों जो उसके कारोबार से संबंधित हैं के अभिलेखों को संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म से जो साधारण निकाय द्वारा इस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल में से, प्राधिकृत किया गया है, को प्रस्तुत करेगी।

(3) रजिस्ट्रार, ऐसे व्यक्ति को जो भारत के सनदी लेखाकारों की संस्था अथवा संपरीक्षा फर्म का सदस्य नहीं है और जो उक्त संस्था द्वारा ऐसी संपरीक्षा करने हेतु सम्यक् रूप से प्राधिकृत नहीं किया गया हो, शामिल नहीं करेगा :

परन्तु यह कि ऐसे सहकारी सोसाइटी के मामले में जिसमें सहकारी अंशधारिता अथवा ऋण अथवा कोई शासकीय प्रतिभूति या वित्तीय सहायता दी गयी है, रजिस्ट्रार पैनल में संपरीक्षक को शामिल कर सकेगा।

(4) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी अपने लेखाओं की संपरीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत संपरीक्षकों अथवा परीक्षकों के समूह द्वारा कराएगी और संपरीक्षा के लिए ऐसी फीस देय होगी जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में विहित की जाए :

परन्तु यह कि —

- (एक) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से सोसायटियों के किसी वर्ग को ऐसा शुल्क भुगतान करने में छूट दे सकेगी;
- (दो) रजिस्ट्रार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे संपरीक्षकों अथवा संपरीक्षा फर्म के न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव का निर्धारण करेगा;
- (तीन) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष जिससे ऐसे लेखे संबंधित हो, की समाप्ति के छः माह के भीतर कराई जाएगी और सहकारी सोसाइटी की लेखाओं का साधारण संबंधित सहकारी सोसाइटी द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में विहित किया जाएगा;

(चार) संपरीक्षक, जिसके द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट सहकारी सोसाइटी के लेखाओं का संपरीक्षण किया जाना है, की नियुक्ति इस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों अथवा संपरीक्षा फर्म के पैनल में से सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि वहां संपरीक्षा रिपोर्ट पूर्ण होने या जारी होने के पश्चात् कोई वित्तीय अनियमितता या गबन की शिकायत होती है तो रजिस्ट्रार, इस प्रयोजन के लिए विशेष संपरीक्षा हेतु आदेश दे सकेगा।

(5) The audit under sub-section (4) shall include examination of the accounts and the overdue debts, if any, compliance of the instructions and orders of the Registrar issued under this Act, rules made thereunder and bylaws of the society, the verification of cash balance and securities and valuation of the assets and liabilities of the societies and such other items as may be specified by the Registrar.

(6) The Auditors or Auditing firms shall at all times have access to all the books, accounts, documents, papers, securities, cash and other properties belonging to, or in the custody of the society and may summon any person in possession of or responsible for, the custody of any such books, accounts, documents, papers, securities, cash or other properties, to produce the same at any place at the headquarters of the society or any branch thereof.

(7) Every person who is or has at any time been, an officer or employee of the society and every member and past member of a society shall furnish such information in regard to the transactions and working of the society as the Auditors or Auditing firms may, require:

Provided that the audit report of accounts of an Apex Society shall be, laid before the State legislature in such a manner, as may be prescribed by the State Government.]

¹[58-A. Audit Board — For the purpose of conducting audit and supervision of any society or class of societies, the State Government may constitute an Audit Board which may exercise such powers of the Registrar as the State Government may, by notification specify in this behalf and the Audit Board shall exercise these powers to the exclusion of the Registrar.]

²[58-B. Procedure for making good losses caused to a society — (1) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules or the bylaws of a society where the State Government has contributed to its share capital or has given loans or financial assistance or has guaranteed the repayment of loans, debentures or advances or has given grants in any other form and if in the course of an audit, inquiry, inspection or the winding up of a society or otherwise, it is found that any person who is

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 28 of 1982.

2. Sec. 58-B ins. by M.P. Act No. 20 of 1999, w.e.f. 7-8-1999.

(5) उपधारा (1) के अधीन संपरीक्षा में लेखाओं तथा अतिशोध्य ऋणों, यदि कोई हो, की परीक्षा, रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के अधीन जारी किए गए निर्देशों तथा आदेशों के अनुपालन की परीक्षा, रोकड़ अधिशेष तथा प्रतिभूतियों का सत्यापन तथा सोसाइटियों की आस्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन एवं ऐसी अन्य मंद् जो कि रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सम्मिलित हैं।

(6) संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म की समस्त समयों पर सहकारी सोसाइटी की या उसकी अभिपक्षा की समस्त पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, कागज-पत्रों, प्रतिभूतियों, रोकड़ तथा अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच होगी और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके कब्जे में कोई ऐसी पुस्तक, लेखे, दस्तावेजों, कागज-पत्र, प्रतिभूतियां, रोकड़ या अन्य सम्पत्तियां हों, या जो उनकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हों, उन्हें उस सहकारी सोसाइटी के मुख्यालय के या उसकी किसी शाखा के किसी स्थान पर पेश करने के लिए समन कर सकेगा।

(7) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी सहकारी सोसाइटी का अधिकारी या कर्मचारी हो अथवा किसी समय रह चुका हो, तथा किसी सहकारी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्य उस सहकारी सोसाइटी के संयवहारों एवं कार्यकरण के बारे में ऐसी जानकारी देगा, जैसा कि संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म अपेक्षित करें :

परन्तु यह कि शीर्ष सोसायटियों के लेखाओं का संपरीक्षा प्रतिवेदन, राज्य विधान सभा के समक्ष ऐसी रीति में रखा जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये।]

¹[58-क. संपरीक्षा बोर्ड—किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग की संपरीक्षा तथा उसके पर्यवेक्षण का संचालन करने के प्रयोजन से, राज्य सरकार एक संपरीक्षा बोर्ड का गठन कर सकेगी जो रजिस्ट्रार की ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और इन शक्तियों का प्रयोग संपरीक्षा बोर्ड, रजिस्ट्रार को अपवर्जित करते हुए करेगा।]

²[58-ख. किसी सोसाइटी को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए प्रक्रिया— (1) इस अधिनियम या नियमों में या किसी सोसाइटी की उप विधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उसकी अंशपूजी में राज्य सरकार ने अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या किसी अन्य रूप में दिए गए उधारों, डिबेंचरों या अग्रिमों के प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी है या किसी अन्य रूप में अनुदान दिया है और यदि किसी सोसाइटी की संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण या परिसमापन के दौरान या अन्यथा यह

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 28 सन् 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. म.प्र. अधि. क्र. 20 सन् 1999 द्वारा धारा 58-ख अन्तः स्थापित, दिनांक 7-8-99 से प्रभावी।

or was entrusted with organisation or management of such society or any deceased, past or present Chairman, Secretary, Member of the ¹[Board], Officer or employee of the society has made any payment contrary to the provisions of this Act or the rules made thereunder or byelaws of a society or has caused any deficiency or loss by gross negligence or misconduct or has misappropriated or fraudulently retained any money or other property belonging to such society, the Registrar may on his own motion or on the application of the ¹[Board], liquidator or any creditor, enquire himself or direct some person authorised by him, by an order in writing in this behalf, to enquire into the conduct of such person within two years of the date of the report of audit, enquiry or inspection, or winding up, as the case may be:

Provided that no such enquiry shall be instituted against a person unless the person concerned is given a reasonable opportunity of being heard.

(2) If, on enquiry made under subsection (1), the Registrar is satisfied that there are good grounds for an order under this sub-section, he may make an order requiring such person, or in the case of a deceased person, his legal representative who inherits his estate, to repay or restore the money or property or any part thereof, with interest at such rate, or to pay contribution and costs or compensation to such extent as the Registrar may consider just and equitable :

Provided that no order under this sub-section shall be made unless the person concerned is given a reasonable opportunity of being heard in the matter:

Provided further that the liability of a legal representative of the deceased shall be to the extent of the property of the deceased which has come to the hands of such legal representative.

(3) Any person aggrieved by the order made under sub-section (2) may within thirty days from the date of communication of the order to him, appeal to the ²[State Government]:

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 20 of 2003 for the word "Tribunal", w.e.f. 9-9-2003.

पाया जाए कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिसे ऐसी सोसाइटी के संगठन या प्रबंध का कार्य सौंपा गया है, या सौंपा गया था, या ¹[बोर्ड] के किसी मृत, भूतपूर्व या वर्तमान सभापति, सचिव, सदस्य, सोसाइटी के अधिकारी या कर्मचारी ने इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के या किसी सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों के प्रतिकूल कोई भुगतान किया है या घोर उपेक्षा या अवचार द्वारा कोई कमी घटित की है या कोई हानि पहुंचाई है या ऐसी सोसाइटी के किसी धन या अन्य संपत्ति का दुर्विनियोग किया है या उस धन या अन्य संपत्ति को कपटपूर्वक रख छोड़ा है, तो रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या ¹[बोर्ड], समापक या किसी लेनदार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ऐसे व्यक्ति के आचरण की जांच यथास्थिति, संपरीक्षा, जांच या निरीक्षण की रिपोर्ट की तारीख के दो वर्ष के भीतर स्वयं कर सकेगा या अपने द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति को इस संबंध में लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के आचरण की जांच, यथास्थिति संपरीक्षा, जांच या निरीक्षण या परिसमापन की रिपोर्ट की तारीख के दो वर्ष के भीतर करे:

परन्तु किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जांच तब तक संस्थित नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का व्यक्तिगुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन की गई जांच पर, रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि इस उपधारा के अधीन आदेश देने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह, ऐसे व्यक्ति से या, किसी मृत व्यक्ति की दशा में, उसके विधिक प्रतिनिधि से जो कि उसकी सम्पदा विरासत में प्राप्त करे, यह अपेक्षा करते हुए आदेश कर सकेगा कि वह ऐसी दर से, जैसी कि रजिस्ट्रार न्यायसंगत तथा सम्यक् समझे, संगणित किये गये ब्याज सहित उस धन या संपत्ति या उसके किसी भाग का प्रतिसंदाय या प्रत्यावर्तन करे या अभिदाय खर्चों का प्रतिकर या भुगतान ऐसी सीमा तक करे जैसी कि रजिस्ट्रार न्यायसंगत तथा साम्यिक समझे:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को उस मामले में सुने जाने का व्यक्तिगुक्त अवसर न दे दिया जाय:

परन्तु यह और भी कि मृतक के किसी विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की उस संपत्ति, जो कि ऐसे विधिक प्रतिनिधि के हाथ में आई हो, की सीमा तक ही होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति उसे आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर ²[राज्य सरकार] को अपील कर सकेगा:

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावी।
2. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्र. 20 सन् 2003 द्वारा शब्द "अधिकरण" के स्थान पर प्रतिस्थापित (दिनांक 9-9-2003 से प्रभावी)।

(ii) to the applicants or the person designated by the applicants to receive such a report;

(iii) any member of a society;

(iv) federation of which the society is a member;

(v) creditor; on payment of the prescribed fee.]

¹[59-A. Duty of certain persons to assist enquiry — (1) All officers, members and past members of the society in respect of whom an inquiry is held, and any other person who, in the opinion of the officer holding the inquiry is in possession of the information, books and papers relating to the society, shall furnish such information as is in their possession and produce all books and papers relating to the society which are in their custody or power, and otherwise give to the officer holding an inquiry all assistance in connection with the enquiry which they can reasonably give.

(2) If any such person refuses to produce before the Registrar or any person authorised by him under sub-section (1) of Section 59 any book or papers which it is his duty under sub-section (1) to produce or to answer any question which is put to him by the Registrar or the person authorised by the Registrar in pursuance of sub-section (1), the Registrar or the person authorised by the Registrar may certify the refusal and the Registrar may, after hearing, any statement which may be offered in defence punish the defaulter with a penalty not exceeding ²[one thousand] rupees. Any sum imposed as penalty under this section shall, on the application by the Registrar or the person authorised by him, to a Magistrate, having jurisdiction, be recoverable by the Magistrate as if it were a fine imposed by himself.]

60. Inspection of books of society — ³[(1) The Registrar may on his own motion, or on the application of creditor of a society inspect or direct any person authorised by him by general or special order in writing in this behalf, to inspect the books of the society:

1. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.
2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988, for the word "five hundred".
3. Subs. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

(दो) आवेदकों या ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदकों द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है;

(तीन) सोसाइटी के किसी सदस्य को;

(चार) ऐसे परिसंघ को, जिसकी की सोसाइटी सदस्य है;

(पांच) लेनदार को;

उसके द्वारा विहित फीस का संदाय किए जाने पर, संसूचित करेगा।]

¹[59-क. जांच में सहायता करने का कतिपय व्यक्तियों का कर्तव्य—(1) सोसाइटी के समस्त अधिकारी, सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्य जिनके कि सम्बन्ध में जांच की जा रही हो, तथा कोई अन्य व्यक्ति जो जांच करने वाले अधिकारी की राय में, सोसाइटी से संबंधित जानकारी, पुस्तकों तथा कागज-पत्रों का कब्जा रखे हुए हों, जांच करने वाले अधिकारी को ऐसी जानकारी, जो कि उनके कब्जे में हो, देंगे तथा सोसाइटी से संबंधित समस्त पुस्तकें एवं कागज-पत्र, जो उनकी अभिरक्षा में हो, तथा उनकी शक्ति के अधीन हों, पेश करेंगे तथा जांच के संबंध में अन्य प्रकार से वह समस्त सहायता देंगे जो कि वे व्यक्तियुक्त रूप से दे सकते हों।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रार के समक्ष या किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष जो कि रजिस्ट्रार द्वारा धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किया गया हो, कोई ऐसी पुस्तक या कोई ऐसे कागज-पत्र जिन्हें पेश करना उपधारा (1) के अधीन उस व्यक्ति का कर्तव्य है, पेश करने से इंकार करे या किसी ऐसे प्रश्न का जो कि उससे रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति द्वारा किया जाये, उत्तर देने से इंकार करे, तो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति उस इन्कार को प्रमाणित कर सकेगा और रजिस्ट्रार कोई ऐसा कथन, जो कि प्रतिवाद में दिया जाय, सुनने के पश्चात् व्यतिक्रमी को शास्ति से, जो ²[एक हजार] रुपये से अधिक नहीं होगी, दण्डित कर सकेगा। इस धारा के अधीन शास्ति के रूप में अधिरोपित की गई राशि, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाने पर, मजिस्ट्रेट द्वारा उसी प्रकार वसूलीय होगी मानों कि वह स्वयं उस मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित किया गया जुर्माना हो।]

60. सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण—³[(1) रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या किसी सोसाइटी के लेनदार का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकेगा या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण करने के लिये निर्देश दे सकेगा:

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा शब्द “पांच सौ” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

Provided that no such inspection shall be made on the application of a creditor unless the applicant—

- (a) satisfies the Registrar that the debt is a sum then due and that he has demanded payment thereof and has not received satisfaction within a reasonable time; and
- (b) deposits with the Registrar such sum as security for the costs of the proposed inspection as the Registrar may require.]

(2) The Registrar shall communicate the results of any such inspection—

- (a) where the inspection is made of his own motion, to the society; and
- (b) where the inspection is made on the application of a creditor, to the creditor and the society.

61. Rectification of defects — (1) If the result of the audit held under Section 58 or an inquiry held under Section 59 or an inspection held under Section 60 discloses any defects in the constitution, working or financial condition or the books of a society, the Registrar may bring such defects to the notice of the society and if the society is affiliated to another society also to the notice of that other society.

(2) The Registrar may make an order directing the society or its officers or the society to which it is affiliated to take such action as may be specified in the order within the time mentioned therein to remedy the defects disclosed in the audit, inquiry or inspection.

62. Costs of inquiry — Where an inquiry is held under Section 59 or an inspection is made under Section 60 on the application of a creditor, the Registrar may apportion the costs, or such part of the costs as he may deem fit, between the society to which the society concerned is affiliated, the society concerned, the members or creditors demanding an inquiry or inspection, and the officers or former officers of the society :

Provided that—

परन्तु कोई भी ऐसा निरीक्षण, लेनदार के आवेदन-पत्र पर से तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक—

- (क) रजिस्ट्रार का यह समाधान न कर दे कि ऋण वह राशि है जो तभी शोध्य है और यह कि उसने, उसके भुगतान की मांग की है तथा युक्तियुक्त समय के भीतर चुकारा (सेटिस्फेक्शन) प्राप्त नहीं किया है; और

- (ख) प्रस्थापित निरीक्षण के खर्च के लिये प्रतिभूति के रूप में ऐसी राशि, जैसी कि रजिस्ट्रार अपेक्षित करें, रजिस्ट्रार के पास निक्षिप्त न कर दें।]

(2) रजिस्ट्रार किसी ऐसे निरीक्षण के परिणाम,

- (क) जहां वह निरीक्षण उसकी स्वप्रेरणा से किया गया हो, वहां सोसाइटी को; और
- (ख) जहां निरीक्षण किसी लेनदार के आवेदन पर किया गया हो, वहां उस लेनदार को तथा सोसाइटी को,

सं सूचित करेगा।

61. त्रुटियों की परिशुद्धि—(1) यदि धारा 58 के अधीन की गई संपरीक्षा या धारा 59 के अधीन की गई किसी जांच या धारा 60 के अधीन किये गये किसी निरीक्षण के परिणामस्वरूप किसी सोसाइटी के गठन, कार्यकरण या उसकी वित्तीय स्थिति या उसकी लेखा-पुस्तकों में कोई त्रुटियां प्रकट हों तो रजिस्ट्रार ऐसी त्रुटियां उस सोसाइटी की जानकारी में ला सकेगा और यदि वह सोसाइटी किसी अन्य सोसाइटी से सम्बद्ध हो तो उस अन्य सोसाइटी की जानकारी में भी ला सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी या उसके अधिकारियों को या उस सोसाइटी को, जिससे कि वह सम्बद्ध हो, यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा कि वह उन त्रुटियों का, जो कि संपरीक्षा, जांच या निरीक्षण में प्रकट हुई हों, उपचार करने के लिए ऐसी कार्यवाही, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे समय के भीतर करे, जो कि उस आदेश में उल्लिखित हो।

62. जांच के खर्च—जहां धारा 59 के अधीन कोई जांच की जाय या लेनदार के आवेदन पर से धारा 60 के अधीन कोई निरीक्षण किया जाय, वहां रजिस्ट्रार खर्च या खर्चों का ऐसा भाग, जैसा कि वह उचित समझे, उस सोसाइटी के, जिससे कि संबंधित सोसाइटी सम्बद्ध हो, संबंधित सोसाइटी के जांच या निरीक्षण की, मांग करने वाले सदस्यों या लेनदारों के, तथा सोसाइटी के अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों के बीच प्रभाजित कर सकेगा:

परन्तु —

- (a) no order of apportionment of the costs shall be made under this section unless the society or the person sought to be made liable to pay the costs thereunder has had a reasonable opportunity of being heard;
- (b) the Registrar shall state in writing the grounds on which the costs are apportioned.

63. ¹[***]

²[63-A. Expenditure on proceedings, etc. — No expenditure from the funds of a society shall be incurred for the purpose of defraying the costs of any proceedings filed or instituted in any Court by any officer or ³[Board] of a society against any order made or purporting to have been made by the Registrar under Section 19-AA, Chapter V or Chapter VI:

Provided that where the case is finally decided in favour of the officer or the ³[Board], as the case may be, such cost as may be approved by the Registrar shall be reimbursed by the society.]

CHAPTER VII

DISPUTES AND ARBITRATION

64. Disputes — (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, ⁴[any dispute touching the constitution, management or business, terms and conditions of employment of a society or the liquidation of a society shall be referred to the Registrar] by any of the parties to the dispute if the parties thereto are among the following:

- (a) a society, its ³[Board], any past ³[Board], any past or present officer, any past or present agent, any past or present servant or a nominee, heirs or legal representatives of any deceased agent or deceased servant of the society, or the liquidator of the society;

1. Omitted by M.P. Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.
2. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1990, w.e.f. 31-7-1990.
3. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
4. Subs. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

- (क) खर्चों के प्रभाजन का कोई आदेश इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस सोसाइटी या उस व्यक्ति को, जिसे कि उसके (आदेश के) अधीन खर्चों का संदाय करने के लिये दायी बनाना चाहा गया है, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न मिल चुका हो;
- (ख) रजिस्ट्रार उन आधारों को, जिन पर कि खर्चों का प्रभाजन किया गया हो, लिखित में कथित करेगा।

63. ¹[***]

²[63-क. कार्यवाहियों आदि पर व्यय—सोसाइटी की निधियों में से कोई व्यय, रजिस्ट्रार द्वारा धारा 19-कक, अध्याय 5 या अध्याय 6 के अधीन किए गए या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी आदेश के विरुद्ध सोसाइटी के किसी अधिकारी या ³[बोर्ड] द्वारा किसी न्यायालय में फाइल या संस्थित की गई किसी कार्यवाही के खर्चों का चुकारा करने के प्रयोजन के लिए उपगत नहीं किया जाएगा:

परन्तु जहां मामला यथास्थिति अधिकारी या ³[बोर्ड] के पक्ष में अंतिम रूप से विनिश्चित किया जाता है वहां ऐसे खर्च की, जो रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जाए, सोसाइटी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।]

सातवां अध्याय

विवाद तथा माध्यस्थम

64. विवाद—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ⁴[किसी सोसाइटी के गठन, प्रबंध या कारबार से, किसी सोसाइटी के नियोजन के निबंधन और शर्तों से या किसी सोसाइटी के समापन से संबंधित कोई विवाद,] विवाद के पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार द्वारा रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जाएगा यदि उसके पक्षकार निम्नलिखित में से हों—

- (क) कोई सोसाइटी, उसकी ³[बोर्ड], कोई भूतपूर्व ³[बोर्ड], कोई भूतपूर्व या वर्तमान अधिकारी, कोई भूतपूर्व या वर्तमान अधिकर्ता, कोई भूतपूर्व या वर्तमान सेवक या नाम निर्देशिती, सोसाइटी के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्ता या मृत सेवक का कोई नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि या सोसाइटी का समापक;

1. म.प्र. अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा विलोपित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावी।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1990 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 31-7-1990 से प्रभावशील।
3. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
4. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।

- (b) a member, past member or a person claiming through a member, past member or deceased member of a society or of a society which is a member of the society;
- (c) a person other than a member of the society who has been granted a loan by the society or with whom the society has or had business transactions and any person claiming through such a person;
- (d) a surety of a member, past member or deceased member or a person other than a member who has been granted a loan by the society, whether such a surety is or is not a member of the society;
- (e) any other society or the liquidator of such a society; and
- (f) a creditor of a society.

(2) For the purposes of sub-section (1), a dispute shall include—

- (i) a claim by a society for any debt or demand due to it from a member, past member or the nominee, heir or legal representative of a deceased member, whether such debt or demand be admitted or not;
- (ii) a claim by a surety against the principal debtor where the society has recovered from the surety any amount in respect of any debt or demand due to it from the principal debtor as a result of the default of the principal debtor, whether such debt or demand be admitted or not;
- (iii) a claim by a society for any loss caused to it by a member, past member or deceased member, any officer, past officer or deceased officer, any agent, past agent or deceased agent, or any servant, past servant or deceased servant, or its ¹[Board], past or present, whether such loss be admitted or not;

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.

(ख) कोई सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या किसी सोसाइटी के या किसी ऐसी सोसाइटी के, जो उस सोसाइटी की सदस्य हो, किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की मारफत दावा करने वाला कोई व्यक्ति;

(ग) किसी सोसाइटी के सदस्य से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सोसाइटी द्वारा उधार मंजूर किया गया हो या जिसके साथ सोसाइटी के कारोबारी संव्यवहार हों या थे तथा ऐसे व्यक्ति की मारफत दावा करने वाला कोई व्यक्ति;

(घ) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, मृत सदस्य का या किसी सदस्य से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति का, जिसे सोसाइटी द्वारा उधार मंजूर किया गया हो, प्रतिभू चाहे ऐसा प्रतिभू सोसाइटी का सदस्य हो या न हो;

(ङ) कोई अन्य सोसाइटी या ऐसी किसी सोसाइटी का समापक; और

(च) किसी सोसाइटी का लेनदार।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये, विवाद के अन्तर्गत निम्नलिखित आयेंगी—

(एक) किसी सोसाइटी द्वारा किसी ऐसे ऋण या ऐसी मांग के लिये, जो किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या किसी मृत सदस्य के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि द्वारा उस सोसाइटी को शोध्य हो, कोई दावा, चाहे ऐसे ऋण या मांग को स्वीकार किया जाय या नहीं;

(दो) किसी प्रतिभू द्वारा मूल ऋणी के विरुद्ध उस दशा में कोई दावा जबकि सोसाइटी ने किसी ऐसे ऋण या मांग की बाबत, जो कि मूल ऋणी के व्यतिक्रम के परिणाम-स्वरूप मूल ऋणी द्वारा सोसाइटी को शोध्य हो, कोई रकम प्रतिभू से वसूल कर ली हो, चाहे ऐसे ऋण या मांग को स्वीकार किया जाय या नहीं;

(तीन) किसी ऐसी हानि के लिये, जो कि किसी सोसाइटी के किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य किसी अधिकारी, भूतपूर्व अधिकारी या मृत अधिकारी, किसी अधिकर्ता, भूतपूर्व अधिकर्ता या मृत अधिकर्ता, या किसी सेवक, भूतपूर्व सेवक या मृत सेवक, या उसकी भूतपूर्व या वर्तमान ¹[बोर्ड] द्वारा पहुंचाई गई हो, उस सोसाइटी द्वारा कोई दावा, चाहे ऐसी हानि को स्वीकार किया जाय या नहीं;

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

- (iv) a question regarding rights, etc., including tenancy rights between a housing society and its tenants or members; and

¹[(v) any dispute arising in connection with the election of any officer of the society or representative of the society or of composite society :

Provided that the Registrar shall not entertain any dispute under this clause during the period commencing from the announcement of the election programme till the declaration of the results.]

(3) If any question arising whether a dispute referred to the Registrar is a dispute, the decision thereon of the Registrar shall be final and shall not be called in question in any Court.

65. Limitation — (1) Notwithstanding anything contained in the Indian Limitation Act, 1908 (IX of 1908), and subject to the specific provisions made in this Act, the period of limitation for referring the disputes mentioned below to the Registrar under Section 64 shall—

- (a) when the dispute relates to the recovery of any sum including interest thereon due to a society by a member thereof, be six years from, the date on which such member dies or ceases to be a member of the society;
- (b) when the dispute is between a society or its ²[Board] and any past ²[Board], any past or present officer, or past or present agent, or past or present servant or the nominee, heir or the legal representative of a deceased officer, deceased agent or deceased servant of a deceased or a member or past member or the nominee, heir or the legal representative of a deceased member and when the dispute relates to any act, or omission on the part of either party to the dispute, be six years from the date on which the act or omission with reference to which the dispute arose, took place;

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.
2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.

(चार) अधिकारों आदि के बारे में कोई प्रश्न जिसमें किसी गृह निर्माण सोसाइटी तथा उसके अभिधारियों या ऐसी सोसाइटी और उसके सदस्यों के बीच अभिवृत्ति अधिकार सम्मिलित है; और

¹[(पांच) सोसाइटी के किसी अधिकारी के निर्वाचन के संबंध में या सोसाइटी के या संयुक्त सोसाइटी के प्रतिनिधि के निर्वाचन के संबंध में उठने वाला कोई विवाद :

परन्तु रजिस्ट्रार उस कालावधि के, जो कि निर्वाचन कार्यक्रम के आख्यान से प्रारंभ होकर परिणामों की घोषणा तक की हो, दौरान इस खण्ड के अधीन कोई भी विवाद ग्रहण नहीं करेगा।]

(3) यदि कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत हो कि क्या रजिस्ट्रार को निर्देशित किया गया कोई विवाद, विवाद है तो उस पर रजिस्ट्रार का विनिश्चय अन्तिम होगा तथा उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

65. परिसीमा—(1) इण्डियन लिमिटेशन एक्ट, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 9) में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए इस अधिनियम में किये गये विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अधधीन रहते हुए, उन विवादों को, जो कि नीचे वर्णित हैं, धारा 64 के अधीन रजिस्ट्रार को निर्देशित करने के लिये परिसीमा कालावधि,—

(क) जब विवाद किसी सोसाइटी को उसके किसी सदस्य द्वारा शोध्य किसी राशि, जिसके कि अन्तर्गत उस पर का ब्याज भी आता है, की वसूली के संबंध में हो, तब उस तारीख से, जिसको जिसके कि ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाय या जिसको कि वह उस सोसाइटी का सदस्य न रह जाय, छह वर्ष होगी;

(ख) जब विवाद किसी सोसाइटी या उसकी ²[बोर्ड] के तथा किसी भूतपूर्व ²[बोर्ड], किसी भूतपूर्व या वर्तमान अधिकारी, या भूतपूर्व या वर्तमान अभिकर्ता, या भूतपूर्व या वर्तमान सेवक या सोसाइटी के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्ता या मृत सेवक के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि, या किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य, या किसी मृत सदस्य के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि के बीच हो और जब विवाद, विवाद के किसी भी पक्षकार की ओर से किये गये किसी कार्य या कार्यलोप, के संबंध में हो, तब उस तारीख से छः वर्ष होगी जिसको कि वह कार्य या कार्यलोप, जिसके कि संबंध में विवाद उद्भूत हुआ है, हुआ हो;

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

(c) when the dispute is in respect of any matter touching the constitution, management or business of a society which has been ordered to be wound up under Section 69 or in respect of which a nominated ¹[Board] or a person or persons has or have been appointed under Section 53, be six years from the date of the order issued under Section 69 and Section 53, as the case may be;

²[(d) when the dispute is in connection with the election of any officer of a society, be forty-five days from the date of declaration of the result of such election.]

(2) The period of limitation in the case of any other dispute except those mentioned in sub-section (1) which are required to be referred to the Registrar under Section 64 shall be regulated by the provisions of the Indian Limitation Act, 1908 (IX of 1908), as if the dispute were a suit and the Registrar a Civil Court.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2) the Registrar may admit a dispute after the expiry of the limitation period if the applicant satisfies the Registrar that he had sufficient cause for not referring the dispute within such period.

66. Settlement of dispute — (1) The Registrar may, on receipt of the reference of dispute under Section 64 decide the dispute himself, or transfer it for disposal to a nominee or board of nominees to be appointed by the Registrar.

(2) When a dispute is transferred under sub-section (1) for disposal by a nominee or a board of nominees, the Registrar may at any time, for reasons to be recorded in writing, withdraw such dispute from such nominee or board of nominees and may decide the dispute himself or transfer it again to any other nominee or board of nominees appointed by him for decision.

(3) The decision of a nominee or a board of nominees to whom any dispute is transferred for decision under this section shall, for the purposes of this Act, be deemed to be the decision of the Registrar.

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
2. Ins. by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970.

(ग) जब विवाद किसी ऐसी सोसाइटी, जिसका कि धारा 69 के अधीन परिसमापन किया जाने का आदेश किया जा चुका हो या जिसके कि संबंध में किसी नामनिर्दिष्ट ¹[बोर्ड] या व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति धारा 53 के अधीन कर दी गई हो, के गठन, प्रबंध या कारबार से संबंधित किसी मामले के बारे में हो, तब यथास्थिति धारा 69 तथा धारा 53 के अधीन जारी किये गये आदेश की तारीख से छह वर्ष होगी;

²[(घ) जब विवाद किसी सोसाइटी के किसी आफिसर के निर्वाचन के संबंध में हो, तब ऐसे निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से पैंतालीस दिन होगी।]

(2) उपधारा (1) में वर्णित विवादों को छोड़कर जिनका रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जाना धारा 64 के अधीन अपेक्षित है, किसी भी अन्य विवाद की दशा में परिसीमा काल इण्डियन लिमिटेशन एक्ट, 1908 के उपबन्धों द्वारा इस प्रकार विनियमित होगा मानो वह विवाद एक वाद है और रजिस्ट्रार सिविल न्यायालय है।

(3) उपधारा (1) तथा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार किसी विवाद को परिसीमा कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा यदि आवेदक रजिस्ट्रार का यह समाधान कर देता है कि उस विवाद को ऐसी कालावधि के भीतर निर्देशित न करने के लिये उसके पास पर्याप्त कारण था।

66. विवाद का निपटारा—(1) रजिस्ट्रार, धारा 64 के अधीन विवाद का निर्देश प्राप्त होने पर, उस विवाद को स्वयं विनिश्चित कर सकेगा अथवा निपटारे जाने के हेतु उसे किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड को, जो कि रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया जायेगा, अन्तरित कर सकेगा।

(2) जहाँ कोई विवाद किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी बोर्ड द्वारा निपटारे जाने के लिये उपधारा (1) के अधीन अन्तरित कर दिया गया हो, वहाँ रजिस्ट्रार, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, उस विवाद को ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड से किसी भी समय प्रत्याहृत कर सकेगा और उस विवाद को स्वयं विनिश्चित कर सकेगा अथवा विनिश्चय के हेतु उसे अपने द्वारा नियुक्त किये गये किसी अन्य नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड को पुनः अन्तरित कर सकेगा।

(3) किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड का, जिसको कि कोई विवाद विनिश्चय के हेतु इस धारा के अधीन अंतरित किया गया हो, विनिश्चय इस धारा के प्रयोजनों के लिये, रजिस्ट्रार का विनिश्चय समझा जायेगा।

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावी।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा अन्तःस्थापित।

67. Procedure for settlement of disputes and power of Registrar, his nominee or board of nominees — (1) The Registrar or his nominee or board of nominees shall have the power of making interlocutory orders including grant of a temporary injunction. In exercising, this power, the Registrar or his nominee or board of nominees, as the case may be, shall follow the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908), for the purpose of making such orders and granting an injunction.

(2) No party shall be represented at the hearing of the dispute by any legal practitioner, except with the permission of the Registrar or his nominee or board of nominees, as the case may be :

Provided that where the permission is so granted, the other party to the dispute shall be entitled to be represented by a legal practitioner.

¹[(3) The Registrar or his nominee, as the case may be, shall record a note in Hindi of the evidence of the parties and witnesses who attend and upon the evidence so recorded and after consideration of any documentary evidence produced by either side, shall give a decision or award, as the case may be, which shall be reduced in writing. If the applicant duly summoned is absent, the case may be dismissed in default. If the non-applicant is absent, the case can be decided *ex-parte*. In cases, where three nominees are appointed, the majority shall prevail :

Provided that where a dispute has been decided against any party in default and if such party satisfies the Registrar within thirty days from the date of such default, that there was sufficient cause for its non-appearance, the Registrar shall make an order setting aside the decision and shall appoint a date for proceeding with case.]

68. Attachment before award — Where the Registrar or a nominee or, board of nominees, as the case may be acting under Section 66 is satisfied on affidavit, enquiry or otherwise that a party to any reference with intent to delay or obstruct the execution of any award that may be made—

- (a) is about to dispose of the whole or any part of his property;
or
- (b) is about to remove the whole or any part of his property from the jurisdiction of the Registrar; the Registrar,

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988.

67. विवादों के निपटारे के लिये प्रक्रिया तथा रजिस्ट्रार, उसके नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड की शक्ति—(1) रजिस्ट्रार या उसके नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड को अन्तर्वर्ती आदेश करने, जिसके कि अन्तर्गत अस्थायी व्यादेश का दिया जाना आता है, की शक्ति होगी। इस शक्ति का प्रयोग करने में, यथास्थिति रजिस्ट्रार या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों का बोर्ड उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कि ऐसे आदेश करने तथा व्यादेश देने के प्रयोजन के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यक 5) में अधिकथित की गई है।

(2) विवाद की सुनवाई में किसी विधि व्यवसायी द्वारा किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व यथास्थिति रजिस्ट्रार या उसके नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड की अनुज्ञा से ही किया जायेगा अन्यथा नहीं :

परन्तु जहां इस प्रकार अनुज्ञा दे दी जाती है, वहां विवाद का दूसरा पक्षकार इस बात का हकदार होगा कि उसका प्रतिनिधित्व विधि व्यवसायी द्वारा किया जाय।

¹[(3) यथास्थिति रजिस्ट्रार या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, उन पक्षकारों और साक्षियों के, जो हाजिर होते हैं, साक्ष्य का टिप्पण हिन्दी में अभिलिखित करेगा और इस प्रकार अभिलिखित किये गये साक्ष्य पर दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा पेश किए गए किसी दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, यथास्थिति विनिश्चय या अधिनिर्णय देगा जो लेखबद्ध किया जाएगा। यदि सम्यक् रूप से समन किया गया आवेदक अनुपस्थित रहता है तो मामला व्यतिक्रम के कारण खारिज किया जा सकेगा। यदि अनावेदक अनुपस्थित रहता है तो मामला एक पक्षीय रूप से विनिश्चित किया जा सकेगा। उन मामलों में, जहां तीन नामनिर्दिष्ट व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, बहुसंख्या की राय अभिभावी होगी:

परन्तु जहां कोई विवाद, व्यतिक्रम के कारण किसी पक्षकार के विरुद्ध विनिश्चित किया गया है और ऐसा पक्षकार ऐसे व्यतिक्रम की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार का यह समाधान कर देता है कि उसके उपसंज्ञात न होने के लिये पर्याप्त हेतु था, वहां रजिस्ट्रार विनिश्चय को अपास्त करते हुये आदेश करेगा और मामले में कार्यवाही हेतुक एक तारीख नियत करेगा।]

68. अधिनिर्णय के पूर्व कुर्की—जहां यथास्थिति रजिस्ट्रार, किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी बोर्ड का, जो धारा 66 के अधीन कार्य कर रहा है, शपथ पत्र या जांच के आधार पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि किसी निर्देश का कोई पक्षकार किसी ऐसे अधिनिर्णय के, जो कि किया जा सकता है, निष्पादन में विलम्ब करने या बाधा पहुंचाने के आशय से—

- (क) अपनी संपूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग को व्ययनित करने वाला है; या
- (ख) अपनी संपूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग को रजिस्ट्रार की अधिकारिता से हटाने वाला है,

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित।

a nominee or board of nominees may unless adequate security is furnished, direct the conditional attachment of the said property or such part thereof as he thinks necessary through such agency authorised by him as he may deem fit and such attachment shall have the same effect as if it had been made by a competent Civil Court.

CHAPTER VIII

LIQUIDATION

69. Winding up of Societies — (1) If the Registrar, after an inquiry has been held under Section 59, or an inspection has been made under Section 60 or on receipt of an application made by not less than three-fourths of the members of a society, is of opinion that the society ought to be wound up, he may issue an order directing it to be wound up.

(2) The Registrar may of his own motion make an order directing the winding up of a society—

- (a) where the society has not commenced working within a reasonable time of its registration or has ceased to work; or
- (b) where in the opinion of the Registrar the Society has been working mainly for promoting the interest of any individual or group of individuals and not of the members generally; or
- (c) where the society has ceased to comply with any conditions as to registration or management under this Act, rules or bye-laws; or

¹[(d) Where the primary credit society continues to be in default by not recovering its full overdue demand from members for continuous three co-operative years and even after supersession, it fails to recover full overdue demand.]

(3) No order under sub-section (1) or sub-section (2) shall be passed unless the society concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order and representation, if any made by it is considered.

1. Added by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

तो रजिस्ट्रार, कोई नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों का बोर्ड, जब तक कि पर्याप्त प्रतिभूति न दे दी गई हो उक्त संपत्ति की या उसके ऐसे भाग की, जिसे वह आवश्यक समझे, सशर्त कुर्की अपने द्वारा प्राधिकृत किये गये ऐसे अधिकरण, जिसे वह उचित समझे, द्वारा की जाने का निर्देश दे सकेगा और ऐसी कुर्की का इसी प्रकार प्रभाव होगा मानों वह सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा की गई हो।

आठवां अध्याय

समापन

69. सोसाइटियों का परिसमापन—(1) यदि, धारा 59 के अधीन जांच की जा चुकने या धारा 60 के अधीन निरीक्षण किया जा चुकने के पश्चात् या किसी सोसाइटी के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों द्वारा किये गये आवेदन के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार की यह राय हो कि सोसाइटी का परिसमापन कर दिया जाना चाहिये, तो वह उसका परिसमापन कर दिया जाने का निर्देश देते हुए आदेश जारी कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, स्वप्रेरणा से, किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुये आदेश कर सकेगा—

- (क) जहां उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहां उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो; या
- (ख) जहां रजिस्ट्रार की राय में वह सोसाइटी मुख्यतः किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के समूह के हित को न कि साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करती रही हो; या
- (ग) जहां उस सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन किन्हीं ऐसी शर्तों का, जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हों, अनुपालन करना बन्द कर दिया हो; या

¹[(घ) जहां कोई प्राथमिक उधार सोसाइटी सदस्यों से अपनी पूरी अतिशोध्य मांग लगातार तीन सहकारी वर्षों तक वसूल न करके व्यक्तिक्रम करती रहे तथा अतिष्ठान के पश्चात् भी सोसाइटी पूरी अतिशोध्य मांग वसूल करने में असफल रहे।]

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर संबंधित सोसाइटी को न दे दिया गया हो और उसके द्वारा किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न कर लिया गया हो।

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा जोड़ा गया।

(4) रजिस्ट्रार, किसी सोसाइटी के परिसमापन संबंधी किसी आदेश को, उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द होने के पूर्व किसी भी समय, उस दशा में रद्द कर सकेगा जबकि, उसकी राय में, उस सोसाइटी का अस्तित्व में बना रहना आवश्यक है।

¹[(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी सहकारी बैंक का परिसमापन रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की लिखित पूर्व मंजूरी से ही किया जायेगा अन्यथा नहीं।]

¹[69-क. सहकारी बैंक का परिसमापन—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, रजिस्ट्रार किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिये आदेश जारी करेगा, यदि ²[डिपॉजिट इश्योरेंस एण्ड क्रेडिट गारंटी] कारपोरेशन एक्ट, 1961 (क्रमांक 47 सन् 1961) की धारा 13 डी में वर्णित परिस्थितियों में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय।]

²[69-ख. बीमाकृत बैंक के मामले में डिपॉजिट इश्योरेंस कारपोरेशन की प्रतिपूर्ति—जहां किसी ऐसे सहकारी बैंक का, जो कि डिपॉजिट इश्योरेंस कारपोरेशन एक्ट 1961 (क्रमांक 47 सन् 1961) के अर्थ के अन्तर्गत बीमाकृत बैंक हो, परिसमापन कर दिया गया हो या जो समापनाधीन कर दिया गया हो और डिपॉजिट इश्योरेंस कारपोरेशन बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं के प्रति, उस एक्ट की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन दायित्वाधीन हो गया हो, वहां डिपॉजिट इश्योरेंस कारपोरेशन को उन परिस्थितियों में प्रतिपूर्ति उस सीमा तक तथा उस रीति में की जायेगी जो कि डिपॉजिट इश्योरेंस कारपोरेशन एक्ट 1961 क्रमांक 47 सन् 1961) की धारा 21 में उपबन्धित है।]

70. समापक की नियुक्ति—(1) जहां रजिस्ट्रार ने किसी सोसाइटी के परिसमापन के लिये धारा 69 के अधीन कोई आदेश किया हो, वहां वह उस प्रयोजन के लिये एक समापक नियुक्त कर सकेगा तथा उसका पारिश्रमिक नियत कर सकेगा और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो समापक के रूप में नियुक्त किया गया हो, किसी भी समय हटा भी सकेगा और उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा:

³[परन्तु यह कि किसी ऐसे सहकारी बैंक के सम्बन्ध में, जिसका कि रिजर्व बैंक की अध्यक्षता प्राप्त होने पर समापन किया जाने के लिये आदेश दिया गया हो, समापक को रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना न तो नियुक्त किया जायेगा और न हटाया जायेगा।]

(2) कोई समापक, नियुक्त हो जाने पर, ऐसी समस्त सम्पत्ति, चीजबस्त तथा उन अनुरोध्य दायों को, जिनके लिये कि सोसाइटी हकदार हो या हकदार प्रतीत होती हो, अपनी अभिरक्षा में या अपने नियंत्रण में ले लेगा और ऐसी सम्पत्ति, चीजबस्त तथा दायों की हानि या उनके क्षय या उनको होने वाले नुकसान को रोकने के लिये ऐसे उपाय करेगा जैसे कि वह आवश्यक या समीचीन समझे।

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा जोड़ा गया।

(4) The Registrar may cancel an order for the winding up of a society, at any time prior to the cancellation of its registration in any case where, in his opinion; the society should continue to exist.

¹[(5) Notwithstanding anything contained in this section, no co-operative bank shall be wound up, except with the previous sanction in writing of the Reserve Bank of India.]

¹[69-A. Winding up of Cooperative Bank — Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the Registrar shall make an order for winding up of a Co-operative Bank, if so required by the Reserve Bank of India in the circumstances mentioned in Section 13-D of the ²[Deposit Insurance and Credit Guarantee] Corporation Act, 1961 (No. 47 of 1961).]

²[69-B. Reimbursement of Deposit Insurance Corporation in case of Insured Bank — Where a co-operative Bank, being an insured bank within the meaning of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 (No. 47 of 1961), is wound up, or taken into liquidation, and the Deposit Insurance Corporation has become liable to the depositors of the insured bank under sub-section (1) of Section 16 of that Act, the Deposit Insurance Corporation shall be reimbursed in the circumstances, to the extent and in the manner provided in Section 21 of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 (No. 47 of 1961).]

70. Appointment of Liquidator —(1) Where the Registrar has made an order under Section 69 for the winding up of a society, he may appoint a liquidator for the purpose and fix his remuneration and may also remove at any time any person appointed as liquidator and appoint another instead :

³[Provided that in respect of a co-operative bank ordered to be wound up on requisition from the Reserve Bank, the liquidator shall not be appointed or removed without the previous sanction of Reserve Bank.]

(2) A liquidator shall, on appointment, take into his custody or under his control all the property, effects and actionable claims to which the society is or appears to be entitled and shall take such steps as he may deem necessary or expedient, to prevent loss deterioration of, or damage to such property, effects and claims.

1. Ins. by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970.
2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988.
3. Added by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970.

¹[(3) Where an appeal is preferred under Section 78 an order of winding up of a society made under Section 69 shall not be operated thereafter until the order is confirmed in appeal:]

Provided that the liquidator shall continue to have custody of or control over the property, effects and actionable claims mentioned in sub-section (2) and have authority to take the steps referred to in that sub-section.]

(4) Where an order of winding up of a society is set aside in appeal, the property, effects and actionable claims of the society shall revert in the society.

²[70-A. Control of liquidator — After the appointment of the liquidator, all powers of the ³[Board] of a Society, whether elected or nominated, shall cease and the employees of the Society shall thereafter work under the control and supervision of the liquidator.]

71. Powers of liquidator — (1) Subject to any rules made in this behalf the whole of the assets of a society in respect of which an order for winding up has been made, shall vest in the liquidator appointed under Section 70 from the date on which the order takes effect and the liquidator shall have power to realise such assets by sale or otherwise.

(2) Such liquidator shall also have power, subject to the control of the Registrar—

- (a) to institute and defend suits and other legal proceedings on behalf of the society by the name of his office;
- (b) to determine from time to time the contribution (including debts due) to be made or remaining to be made by the members or past members or by the estates or nominees, heirs or legal representatives of deceased members or by any officers or former officers, to the assets of the society;

1. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

2. Ins. by M.P. Act No. 20 of 1999, w.e.f. 7-8-1999.

3. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.

¹[(3) जहाँ कोई अपील धारा 78 के अधीन की जाय, वहाँ किसी सोसाइटी के परिसमापन का धारा 69 के अधीन किया गया आदेश तत्पश्चात् तब तक प्रवर्तित नहीं किया जायेगा जब तक कि आदेश की पुष्टि अपील में न कर दी जाय:]

परन्तु समापक उपधारा (2) में वर्णित सम्पत्ति, चीजबस्त तथा अनुयोज्य दावों को अभिपक्षा में रखे रहेगा या उन पर नियंत्रण बनाये रखेगा और उसे वे उपाय करने का प्राधिकार होगा जो कि उस उपधारा में विनिर्दिष्ट किये गये हैं।]

(4) जहाँ किसी सोसाइटी के परिसमापन का कोई आदेश अपील में अपास्त कर दिया जाय, वहाँ उस सोसाइटी की सम्पत्ति, चीजबस्त तथा अनुयोज्य दावे उस सोसाइटी में पुनर्निहित हो जायेंगे।

²[70-क. समापक का नियंत्रण—समापक की नियुक्ति के पश्चात्, किसी सोसाइटी की ³[बोर्ड] की समस्त शक्तियाँ चाहे वह निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट हो, समाप्त हो जाएगी और इसके पश्चात्, सोसाइटी के कर्मचारी, समापक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे।]

71. समापक की शक्तियाँ—(1) इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्वधीन रहते हुए, किसी ऐसी सोसाइटी की, जिसकी कि बाबत् परिसमापन का आदेश कर दिया गया है, समस्त आस्तियाँ धारा 70 के अधीन नियुक्त किये गये समापक में उस तारीख से निहित हो जायेगी जिसको कि वह आदेश प्रभावशील हो और समापक को यह शक्ति होगी कि वह ऐसी आस्तियाँ विक्रय द्वारा या अन्यथा वसूल करे।

(2) ऐसे समापक को, रजिस्ट्रार के नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए, निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी—

(क) सोसाइटी की ओर से वाद एवं अन्य विधिक कार्यवाहियाँ अपने पदनाम से संस्थित करना तथा वादों एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों में सोसाइटी की ओर से प्रतिरक्षा अपने पदनाम से करना।

(ख) सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों द्वारा मृत या सदस्यों की सम्पदाओं या उनके नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों, वारिसों, या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा या किन्हीं अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा सोसाइटी की आस्तियों के प्रति किये जाने वाले या किये जाने के लिये शेष रहे अभिदाय (जिसके अन्तर्गत शोध्य ऋण आते हैं) का समय समय पर अवधारण करना।

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. म.प्र. अधिनियम क्र. 20 सन् 1999 द्वारा अन्तः स्थापित, दिनांक 7-8-99 से प्रभावशील।

3. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

- (c) to investigate all claims against the society, and, subject to the provisions of this Act, to decide questions of priority arising between claimants;
- (d) to pay claims against the society including interest up to the date of winding up according to their respective priorities, if any, in full or ratably, as the assets of the society may permit; the surplus, if any, remaining after payment of the claims being applied in payment of interest from the date of such order of winding up at a rate fixed by him but not exceeding the contract rate in any case;
- (e) to determine by what persons and in what proportions the costs of the liquidation are to be borne;
- (f) to determine whether any person is a member, past member or nominee of deceased member;
- (g) to give such directions in regard to the collection and distribution of the assets of the society as may appear to him to be necessary for winding up the affairs of the society;
- (h) to carry on the business of the society so far as may be necessary for the beneficial winding up of the same;
- (i) to make any compromise or arrangement with creditors or persons claiming to be creditors or having or alleging to have any claim, present or future, whereby the society may be rendered liable; and
- (j) to compromise all calls or liabilities to calls and debts and liabilities capable of resulting in debts, and all claims, present or future, certain or contingent, subsisting or supposed to subsist between the society and a contributory or alleged contributory or other debtor or person apprehending liability to the society and all questions in any way relating to or affecting the assets or the winding up of the society on such terms as may be agreed and take any security for the discharge of any such call, liability, debt or claim and give a complete discharge in respect thereof:

- (ग) उन समस्त दावों का, जो सोसाइटी के विरुद्ध हों, अन्वेषण करना तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए, पूर्विकता के उन प्रश्नों को, जो दावेदारों के बीच उद्भूत हों, विनिश्चित करना।
- (घ) सोसाइटी के विरुद्ध दावों का, जिनमें समापन की तारीख तक का ब्याज सम्मिलित है, उनकी पूर्विकता, यदि कोई हो, के अनुसार पूर्णतः या अनुपाततः जैसी किसी सोसाइटी की आस्तियों में गुंजाइश हो, भुगतान करना; दावों का भुगतान करने के पश्चात् बचा हुआ अधिशेष, यदि कोई हो, समापक के आदेश की तारीख से ब्याज के भुगतान में उपयोजित किया जायेगा जो ऐसी दर से होगा जो रजिस्ट्रार द्वारा नियत की जाए किन्तु जो किसी भी दशा में संविदा दर से अधिक न होगा;
- (ङ) यह अवधारित करना कि समापन के खर्चों का वहन किन व्यक्तियों द्वारा तथा किस अनुपात में किया जाना है;
- (च) यह अवधारित करना कि क्या कोई व्यक्ति सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति है;
- (छ) सोसाइटी की आस्तियों के संग्रहण तथा वितरण के बारे में ऐसे निर्देश देना जो कि सोसाइटी के कामकाज का परिसमापन करने के लिये उसे आवश्यक प्रतीत हो;
- (ज) सोसाइटी का कारबार उस सीमा तक चलाना जहां तक कि वह उसके फायदाप्रद परिसमापन के लिये आवश्यक हो;
- (झ) लेनदारों के साथ या उन व्यक्तियों के, जो लेनदार होने का दावा करते हों, या जो कोई ऐसा वर्तमान या भावी दावा, जिसके कि द्वारा सोसाइटी को दायी बनाया जा सकता हो, रखते हों या यह अभिकथित करते हो कि वे ऐसा दावा रखते हैं, साथ कोई समझौता या ठहराव करना; और
- (ञ) समस्त मांगों या मांगों तथा ऋणों के दायित्वों का और ऋणों में परिणित होने योग्य दायित्वों का, तथा वर्तमान या भावी, निश्चित या समाश्रित समस्त ऐसे दावों का, जो सोसाइटी तथा किसी अभिदायी या अभिकथित अभिदायी या अन्य ऋणी या ऐसे व्यक्ति, जो सोसाइटी के प्रति अपना दायित्व समझता है, के बीच अस्तित्व में है, या जिनका अस्तित्व में होना माना जाता है और ऐसे समस्त प्रश्नों का, जो सोसाइटी की आस्तियों या उसके परिसमापन से किसी भी रूप में संबंधित है या जो उन पर प्रभाव डालने वाले हैं, समझौता ऐसे निबन्धनों पर करना जैसे कि तय पाये जाएं, तथा किसी ऐसी मांग, दायित्व ऋण या दावे के उन्मोचन के लिये कोई प्रतिभूति लेना और उसकी बाबत पूर्ण उन्मोचन करना:

Provided that no liquidator shall determine the contribution, debt or dues to be recovered from a member or a past member or the nominee, heir or legal representative of a deceased member unless opportunity has been given to such member or past member or to such nominee, heir or legal representative to explain his position.

(3) When the affairs of a society have been wound up, the liquidator shall make a report to the Registrar and deposit the records of the society in such place as the Registrar may direct.

72. Disposal of surplus assets of liquidated societies — After all the liabilities including the paid-up share capital of a wound up society have been met, the surplus assets shall not be divided amongst its members but they shall be applied to any object described in the bye-laws of the society and when no object is so described, to any object of public utility determined, by the general meeting of the society and approved by the Registrar or they may, in consultation with them either be assigned by the Registrar in whole or in part to any or all of the following—

- (a) an object of public utility or local or civic interest; or
- (b) the Chhattisgarh Co-operative Union Ltd., or any other institution or Union; or
- (c) may be placed on deposit with a Central Co-operative Bank until such time as a new society with similar conditions is registered when with the consent of the Registrar such surplus may be credited to the Reserve Fund of such new society; or
- (d) a charitable purpose as defined in Sec. 2 of the Charitable Endowments Act, 1890 (VI of 1890);¹[or
- ¹[(e) to each existing member in proportion to his paid up share capital.]

CHAPTER IX

OFFENCES AND PENALTIES

73. Prohibition of use of word "Co-operative" — (1) No person other than a society registered under this Act and a person or his successor in his interests of any name or title under which he traded or carried on

1. Ins. by M.P. Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

परन्तु कोई समापक किसी सदस्य या किसी भूतपूर्व सदस्य से या किसी मृत सदस्य के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि से वसूल किये जाने वाले अभिदाय, ऋण या शोध्यों का तब तक अवधारण नहीं करेगा जब तक कि ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य को या ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) जब किसी सोसाइटी के कामकाज का परिसमापन कर दिया गया हो तब समापक रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेगा और सोसाइटी के अभिलेख ऐसे स्थान पर जमा करेगा, जैसा कि रजिस्ट्रार निर्देशित करे।

72. समापित सोसाइटीयों की अधिशेष आस्तियों का व्ययन— किसी परिसमापित सोसाइटी के समस्त दायित्वों की, जिनके कि अन्तर्गत समादत्त अंश-पूँजी है, पूर्ति हो जाने के पश्चात् अधिशेष रही आस्तियाँ उसके सदस्यों में विभाजित नहीं की जायेगी अपितु वे किसी ऐसे उद्देश्य, जो कि सोसाइटी की उपविधियों में वर्णित हों, के लिये उपयोजित की जायेगी और कोई उद्देश्य इस प्रकार वर्णित न हो तब किसी ऐसे लोकोपयोगी उद्देश्य, जो कि सोसाइटी के साधारण सम्मेलन द्वारा अवधारित किया जाय तथा रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जाय, के लिये उपयोजित की जायेगी या वे उनके परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी के भी लिये या तो सम्पूर्णतः या भागतः समनुद्देशित की जा सकेंगी—

- (क) कोई लोकोपयोगी उद्देश्य या स्थानीय या नागरिक हित का कोई उद्देश्य; या
- (ख) छत्तीसगढ़ सहकारी संघ मर्यादित या कोई अन्य संस्था या संघ; या
- (ग) किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक में उतने समय तक के लिये निक्षिप्त रखी जा सकेंगी जब तक कि वैसी ही शर्तों सहित कोई नवीन सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत न हो जाय और तब ऐसा अधिशेष, रजिस्ट्रार की सम्मति से, ऐसी नवीन सोसाइटी की रक्षित निधि में निक्षिप्त किया जा सकेगा;
- (घ) पूर्त वित्त्यास अधिनियम, 1890 (1890 का अधिनियम सं. 6) की धारा 2 में यथापरिभाषित कोई पूर्त प्रयोजन;¹[या]
- ¹[(ङ) प्रत्येक विद्यमान सदस्य को उसका समादत्त अंशपूँजी के अनुपात में।]

नवां अध्याय

अपराध तथा शास्तियाँ

73. शब्द 'सहकारी' के प्रयोग का प्रतिषेध— (1) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई किसी सोसाइटी से तथा किसी ऐसे व्यक्ति या उसके हित उत्तराधिकारी से, जिसका कि नाम या अभिधान वह है जिसके कि अधीन

1. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा अन्तः स्थापित, दिनांक 8-5-94 से प्रभावी।

business at the date on which this Act came into force, shall, without the sanction of the State Government, function, trade or carry on business under any name or title of which the word "Co-operative" or its equivalent in any Indian Language forms part.

(2) Every person who is a member of a society formed in contravention of subsection (2) of Sec. 14 and every person contravening the provisions of subsection (1) shall be punishable with a fine which may extend to two hundred rupees and in the case of a continuing offence with further fine of five rupees for each day on which the offence is continued after conviction therefor.

74. Offences — It shall be an offence under this Act, if—

- (a) a '[Board] or an officer or member thereof wilfully makes a false report or furnishes false information or dishonestly fails to maintain accounts or dishonestly maintains false accounts; or
- (b) any person collecting share money for a society in formation does not deposit the same in the Chhattisgarh State Co-operative Bank Ltd., a Central Co-operative Bank, an Urban Co-operative Bank or a Postal Savings Bank, within fourteen days of its receipt; or
- (c) a person collecting the share money for a society in formation makes use of the funds so raised for conducting any business or trading in the name of a society to be registered or otherwise; or
- (d) any officer of a society wilfully recommends or sanctions for his own personal use or benefit or for the use or benefit of a person in whom he is interested loan in the name of any other person; or
- (e) an officer or any member destroys, mutilates, alters, falsifies or secrets or is privy to the destruction, mutilation, alteration, falsification or secreting of any books, papers or securities, or makes or is privy to the making of any false or fraudulent entry in any register, book of account or document belonging to the society; or

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.

वह इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को व्यापार या कारबार करता रहा हो, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना, किसी ऐसे नाम या अधिधान से, जिसका भागरूप शब्द 'सहकारी' या किसी भारतीय भाषा में, उसका पर्यायवाची शब्द हो, कृत्य नहीं करेगा व्यापार नहीं करेगा, या कारबार नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो धारा 14 की उपधारा (2) के उल्लंघन में बनाई गई किसी सोसाइटी का सदस्य है तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, और चालू रहने वाले अपराध की दशा में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसको कि ऐसे अपराध के लिये दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसा अपराध चालू रहता है, पांच रुपये अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा।

74. अपराध— इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा यदि—

- (क) कोई '[बोर्ड]' या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर कोई मिथ्या रिपोर्ट करता है या मिथ्या जानकारी देता है या लेखे रखने में बेईमानी से चूक करता है या मिथ्या लेखे बेईमानी से रखता है; या
- (ख) किसी निर्माणधीन सोसाइटी के लिये अंशदान संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति उस अंशदान को, उसकी प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित, केन्द्रीय सहकारी बैंक, किसी नगरीय सहकारी बैंक या किसी डाकघर बचत बैंक में जमा नहीं करता है; या
- (ग) किसी निर्माणधीन सोसाइटी के लिये अंशधन संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार एकाग्रित की गई निधियों का उपयोग, रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली किसी सोसाइटी के नाम से करता है या अन्यथा कोई कारबार करने में या व्यापार करने में करता है; या
- (घ) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी अपने स्वयं के उपयोग या फायदे के लिये या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसमें कि वह हितबद्ध है, उपयोग या फायदे के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के नाम उधार की जानबूझकर सिफारिश करता है या उसे उधार मंजूर करता है; या
- (ङ) कोई अधिकारी या कोई सदस्य किन्हीं पुस्तकों कागज-पत्रों या प्रतिभूतियों को नष्ट करता है, विकृत करता है, परिवर्तित करता है, उनका मिथ्याकरण करता है या उनको गुप्त रखता है या उनको नष्ट किये जाने, विकृत किये जाने, परिवर्तित किये जाने, उनका मिथ्याकरण किया जाने या उनके गुप्त रखे जाने में संसर्गी है या सोसाइटी के किसी रजिस्टर, लेखा-पुस्तक या दस्तावेज में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्टि करता है या ऐसा किया जाने में संसर्गी है; या

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

(f) an officer or a member who is in possession of information, books and records, wilfully fails to furnish such information or produce such books and papers or does not give assistance to a person appointed or authorised by the Registrar under Sections 53, 58, 59, 60, ¹[***] 67 and 70; or

(g) an officer wilfully fails to hand over custody of books, records, cash, security and other property belonging to the society of which he is an officer, to a person appointed under Sec. 53 or 70; or

(h) a member fraudulently disposes of property over which the society has a prior claim or a member or officer or employee or any person disposes of his property by sale, transfer, mortgage, gift or otherwise with the fraudulent intention of evading the dues of the society; or

(i) any employer and other director, manager, secretary or other officer or agent acting on behalf of such employer who, without sufficient cause, fails to comply with provisions of sub-section (2) of Sec. 42; or

(j) any person acquires or abets in the acquisition of any property which is subject to a charge under sub-section (1) of Sec. 40; or

(k) an officer or member of a society or any person does any act or is guilty of omission declared by the rules to be an offence ²[; or]

³[(l) any person willfully or without any reasonable excuse disobeys any summons, requisition or lawful written order issued under the provisions of this Act or rules made thereunder except as provided under sub-section (2) of section 59 of the Act; or

1. "Sec. 63" omitted by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994.

2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the full stop (.), w.e.f. 13-2-2013.

3. Added by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013, w.e.f. 13-2-2013.

(च) कोई अधिकारी या कोई सदस्य, जिसके पास तथा जानकारी, पुस्तकें तथा अभिलेख हों, ऐसी जानकारी जानबूझकर नहीं देता या ऐसी पुस्तकें कागजपत्र पेश नहीं करता है या रजिस्ट्रार द्वारा धारा, 53, 58, 59, 60, ¹[***] 67 तथा 70 के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करता है; या

(छ) कोई अधिकारी उस सोसाइटी की, जिसका कि वह अधिकारी है, पुस्तकों, अभिलेखों, नादी, प्रतिभूति तथा अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षण धारा 53 या 70 के अधीन नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को जानबूझकर नहीं सौंपता है; या

(ज) कोई सदस्य ऐसी सम्पत्ति का, जिस पर कि सोसाइटी का पूर्विक दावा है, कपटपूर्ण व्ययन करता है या कोई सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या कोई व्यक्ति विक्रय, अन्तरण, बन्धक, दान द्वारा या अन्यथा अपनी संपत्ति का व्ययन सोसाइटी के शोध्यों का अपवंचन करने के कपटपूर्ण आशय से करता है; या

(झ) कोई नियोजक तथा ऐसे नियोजक की ओर से कार्य करने वाला अन्य निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी या अधिकर्ता धारा 42 की उपधारा (2) के उपबन्धों का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना चूक करता है; या

(ञ) कोई व्यक्ति किसी ऐसी संपत्ति का, जो धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन भार के अध्वधीन है, अर्जन करता है या उसके अर्जन में दुष्टरेण करता है; या

(ट) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है, जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया है या ऐसे कार्य लोप का दोषी है जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया है ²[; या]

³[(ठ) अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई व्यक्ति जानबूझकर अथवा बिना कोई युक्तियुक्त कारण के, कोई समंस, अध्यपेक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन जारी किया गया हो, की अवहेलना करता हो; या

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा "धारा 63" को विलोपित किया गया।

2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा पूर्ण विराम (।) के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

3. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा जोड़ा गया दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

(m) any employer who is authorized to make deduction from his salary and other dues for remitting the same to such co-operative society without sufficient clause; or

(n) any person, before, during or after the election of members of the board or office hearers, adopts any corrupt practice, so declared by the state election commission.]

Explanation — For the purposes of this section an officer or a member referred to in this section shall include past officer or past member, as the case may be.

75. Penalties for offences.— Every ¹[Board], officer or past officer or member or past member or an employee or past employee of a society or any other person shall, without prejudice to any action that may be taken against him under any law for the time being in force, be liable to be punished—

- (a) with fine not exceeding Rs. ²[50,000], provided that he is convicted of an offence referred to in Section 74 (a);
- (b) with fine not exceeding Rs. ³[25,000], provided that he is convicted of an offence referred to in Section 74 (b); or
- (c) with fine not exceeding Rs. ³[25,000], provided that he is convicted of an offence referred to in Section 74 (c); or
- (d) with fine not exceeding Rs. ²[50,000], provided that he is convicted of an offence referred to in Section 74 (d); or

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the figure "2000", w.e.f. 13-2-2013.
3. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the figure "1000", w.e.f. 13-2-2013.

(ड) कोई नियोजक जो बिना कोई पर्याप्त कारण के अपने कर्मचारियों से कटौती की गई धन राशि, ऐसी कटौती किए जाने के दिनांक से चौदह दिवस की कालावधि के भीतर सहकारी सोसाइटी को संदाय करने में विफल रहता हो; या

(ढ) बोर्ड के सदस्यों अथवा पदाधिकारियों के निर्वाचन के दौरान, पूर्व अथवा पश्चात् कोई व्यक्ति, ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण करता हो, जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित किया गया हो।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिये, ऐसे अधिकारी या सदस्य के, जो इस धारा में निर्दिष्ट किया गया है, अन्तर्गत यथास्थिति भूतपूर्व अधिकारी या भूतपूर्व सदस्य भी आवेगा।

75. अपराधों के लिये शास्त्रियाँ— किसी सोसाइटी की प्रत्येक ¹[बोर्ड], उसका प्रत्येक अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या कोई कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति, किसी ऐसी कार्यवाही पर, जो कि तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना—

- (क) जुर्माने से, जो ²[50,000] रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (क) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या
- (ख) जुर्माने से, जो ³[25,000] रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ख) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या
- (ग) जुर्माने से, जो ³[25,000] रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ग) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या
- (घ) जुर्माने से, जो ²[50,000] रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (घ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा अंक "2000" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
3. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा अंक "1000" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

- (e) with fine not exceeding Rs. ¹[50,000], provided that he is convicted of an offence referred to in Section 74 (e); or
- (f) with fine not exceeding Rs. ²[25,000], provided that he is convicted of an offence referred to in Section 74(f); or
- (g) with fine not exceeding Rs. ²[25,000], provided that he is convicted of an offence referred to in Section 74 (g); or
- (h) with fine not exceeding Rs. ¹[50,000], provided that he is convicted of an offence referred to in Section 74 (h); or
- (i) with fine not exceeding Rs. ³[25,000], provided that he is convicted of an offence referred to in Section 74 (i); or
- (j) with fine not exceeding Rs. ⁴[25,000], provided that he is convicted of an offence referred to in Section 74 (j); or
- (k) with fine not exceeding Rs. ²[25,000], provided that he is convicted of an offence referred to in Section 74 (k) ⁵[; or]

⁶[(l) with fine not exceeding Rs. 50,000, provided that he is convicted of an offence referred to in Section 74 (l); or

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the figure "2000", w.e.f. 13-2-2013.
2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the figure "250", w.e.f. 13-2-2013.
3. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the figure "500", w.e.f. 13-2-2013.
4. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the figure "1000", w.e.f. 13-2-2013.
5. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the full stop (.), w.e.f. 13-2-2013.
6. Added by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013, w.e.f. 13-2-2013.

(ङ) जुमाने से, जो ¹[50,000] रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ङ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(च) जुमाने से, जो ²[25,000] रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (च) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(छ) जुमाने से, जो ²[25,000] रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (छ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ज) जुमाने से, जो ¹[50,000] रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ज) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(झ) जुमाने से, जो ³[25,000] रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (झ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ञ) जुमाने से, जो ⁴[25,000] रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ञ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ट) जुमाने से, जो ²[25,000] रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ट) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो ⁵[; या]

⁶[(ठ) जुमाने से, जो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ठ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा अंक "2000" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा अंक "250" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
3. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा अंक "500" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
4. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा अंक "1000" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
5. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा पूर्ण विराम () के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।
6. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा जोड़ा गया दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

(m) with fine not exceeding Rs. 50,000, in each case, provided that he is convicted of an offence referred to in Section 74 (m); or

(n) as prescribed by State Election Commission.]

76. Cognizance of offences — (1) No Court inferior to that of a Magistrate of the First Class shall try any offence under this Act.

(2) No prosecution shall be instituted under this Act without the previous sanction in writing of the Registrar and such sanction shall not be given without giving to the person concerned an opportunity to represent his case.

¹[CHAPTER X

CONSTITUTION OF TRIBUNAL

77. Chhattisgarh State Co-operative Tribunal — (1) The State Government shall, by notification, constitute a Tribunal called the

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the following Chapter X (Sec. 77 to 80-F), w.e.f. 13-2-2013 —

"CHAPTER X

APPEALS, REVISION AND REVIEW

77. Appeal — (1) Save where it has been otherwise provided, an appeal shall lie from every original order under this Act or the rules made thereunder—

- (i) if such order is passed by an officer other than Registrar, Additional Registrar or Joint Registrar, whether or not the Officer passing the order is invested with the powers of the Registrar, to the Joint Registrar;
- (ii) if such order is passed by Joint Registrar, whether or not invested with the powers of Registrar, to the Registrar or the Additional Registrar authorised by Registrar;
- (iii) if such order is passed by Registrar or Additional Registrar, to the State Government.

(2) Save as otherwise provided a second appeal shall lie against every order passed in first appeal under this Act or the rules made thereunder—

- (i) by the Joint Registrar to the Registrar or the Additional Registrar authorised by the Registrar;

(ड) जुर्माने से, जो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, प्रत्येक मामले में दंडनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ड) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धोप तहराया गया हो; या

(ढ) जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए।]

76. अपराधों का संज्ञान—(1) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा और ऐसी मंजूरी सम्बंधित व्यक्ति को अपना मामला अध्यावेदित करना का अवसर दिये बिना नहीं दी जायेगी।

¹[दसवां अध्याय

अधिकरण का गठन

77. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा एक अधिकरण का गठन करेगी जिसे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण कहा

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा निम्नलिखित दसवां अध्याय (धारा 77 से 80-च) के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील—

“दसवां अध्याय

अपीलें, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन

77. अपील—(1) जहां इसके संबंध में अन्यथा उपबन्धित है उसे छोड़कर, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित किये गये प्रत्येक मूल आदेश की अपील,—

(एक) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न किसी अधिकारी के द्वारा पारित किया गया है, चाहे आदेश पारित करने वाला अधिकारी रजिस्ट्रार की शक्तियों से विनिहित हो या न हो, संयुक्त रजिस्ट्रार को होगी;

(दो) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश संयुक्त रजिस्ट्रार के द्वारा पारित किया गया हो, चाहे उसमें रजिस्ट्रार की शक्तियां विनिहित हो या न हो, रजिस्ट्रार को अथवा रजिस्ट्रार के द्वारा प्राधिकृत अपर रजिस्ट्रार को होगी;

(तीन) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार अथवा अपर रजिस्ट्रार के द्वारा पारित किया गया हो, राज्य सरकार को होगी;

(2) जहां इसके संबंध में अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रथम अपील के प्रत्येक आदेश की द्वितीय अपील,—

(एक) संयुक्त रजिस्ट्रार के विरुद्ध रजिस्ट्रार अथवा रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत अपर रजिस्ट्रार को होगी;



Chhattisgarh State Co-operative Tribunal to exercise the powers and to discharge the functions conferred or imposed on the Tribunal by or under this Act and the Chhattisgarh Swayatta Sahkarita Adhiniyam, 1999 (No 2 of 2000).

⇒ (ii) by the Registrar or Additional Registrar, to the State Government.

(3) A second appeal shall lie on any of the following grounds, and no other, namely :—

- (i) that the order is contrary to law; or
 - (ii) that the order has failed to determine some material issue of law; or
 - (iii) that there has been a substantial error or defect in the procedure as prescribed by this Act which may have produced error or defect in the decision of the case on merits.
- (4) Every appeal shall be presented in the prescribed manner to the appellate authority concerned, within thirty days of the date on which the order appealed against was communicated to the party affected by the order :

Provided that in computing the period of limitation under this subsection the time requisite for obtaining a copy of the order appealed against shall be excluded.

78. Revision — (1) The State Government or the Registrar may at any time on its/his motion or on the application made by any party for the purpose of satisfying itself/himself as to the legality or propriety of the followings may pass such order in reference thereto as it/he think fit—

- (i) any inquiry or proceedings or any order passed by any officer subordinate to it/him;
- (ii) any proceedings or decision or resolution or any order passed by the society or committee or sub-committee of society;
- (iii) any inquiry or proceedings or decision or any order passed by any officer of any society :

Provided that no order shall be varied or reversed in revision unless notice has been served on the parties interested and opportunity given to them of being heard.

(2) No such application shall be entertained unless presented within thirty days from the date of order and in computing the period aforesaid time requisite for obtaining a copy of the said order shall be excluded.

⇒

जायेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो कि अधिकरण को इस अधिनियम और छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्रमांक 2 सन् 2000) द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किये जाएं या उस पर अधिरोपित किये जाएं।

⇒ (दो) रजिस्ट्रार या अपर रजिस्ट्रार के विरुद्ध राज्य सरकार को होगी।

(3) द्वितीय अपील निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर होगी, न कि अन्य आधारों पर, अर्थात्—

- (एक) यह कि आदेश विधि के प्रतिकूल है; या
- (दो) यह कि आदेश में विधि के कतिपय तात्विक विवादक का अवधारण नहीं हो पाया है; या
- (तीन) यह कि इस अधिनियम द्वारा यथाविहित प्रक्रिया का पालन करने में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है जिससे कि गुणावगुण पर मामले का विनिश्चय करने में गलती या त्रुटि हो गई हो;

(4) प्रत्येक अपील विहित रीति में संबंधित अपील प्राधिकारी को उस तारीख के जिसको कि वह आदेश, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, उस आदेश से प्रभावित हुए पक्षकार को संसूचित किया गया था, तीस दिन के भीतर पेश की जाएगी:

परन्तु इस उपधारा के अधीन परिसीमाकाल की संगणना करने में उस आदेश को, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा।

78. पुनरीक्षण—(1) राज्य सरकार या रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा किये गए किसी आवेदन पर, किसी भी समय, निम्नलिखित की वैधता या औचित्य के संबंध में या उसकी कार्यवाहियों की नियमितता के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, उसकी वैधता या औचित्य के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे,—

(एक) किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गई जांच या कार्यवाही या पारित किया गया कोई आदेश;

(दो) किसी सोसाइटी या किसी सोसाइटी की समिति या उप-समिति के द्वारा की गई कोई कार्यवाही या विनिश्चय या संकल्प या पारित किया गया कोई आदेश;

(तीन) किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी द्वारा की गई जांच या कार्यवाही या विनिश्चय या पारित किया गया कोई आदेश;

परन्तु, किसी भी आदेश या विनिश्चय या कार्यवाही आदि को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित या उल्टा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(2) कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, और पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में उक्त आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय छोड़ दिया जाएगा।

⇒

(2) The Tribunal shall consist of the Chairman and two other members.

(3) (a) No person shall be qualified to be the Chairman of the

⇒ 79. No appeal or revision in certain cases — Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, where with previous sanction in writing or on the requisition of the Reserve Bank of India—

- (i) an order for the winding up of a co-operative bank is made; or
- (ii) a scheme of compromise or arrangement or reconstruction or reorganisation or amalgamation is made or is given effect to; or
- (iii) an order for the supersession or suspension of the committee by whatever name called of a Cooperative Bank and the appointment of an Officer Incharge etc. therefor, has been made :

no appeal, revision or review there against shall lie or be permissible, and such order or the sanction or requisition of the Reserve Bank of India shall not be liable to be called in question.

80. Review — The State Government or Registrar may, on its/his own motion, or on the application of any party interested, review its/his own order in any case and pass such order in reference thereto as it/he thinks just :

Provided that, no such application made by the party interested shall be entertained, nor such a case be taken *suo motu*, unless the State Government or Registrar is satisfied that there has been the discovery of new and important matter of evidence which, after the exercise of due diligence was not within the knowledge of the applicant or could not be produced by him at the time when the order was made, or that there has been mistake or error apparent on the face of the record, or there is any other sufficient reason :

Provided that no such order shall be varied, amended or revised, unless notice has been given to the parties interested to appear and such interested parties have been heard :

Provided further that application for review of any order, by the parties interested shall not be entertained, unless the application is filed within ninety days from the passing of the order.

80A. Extension of period of limitation by appellate authority in certain cases — In all cases in which it is provided under this Act that an appeal may be filed against any decision or order within a specified period,

⇒

(2) अधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे।

(3) (क) कोई भी व्यक्ति अधिकरण का अध्यक्ष होने के लिए अर्हित नहीं

⇒ 79. कतिपय मामलों में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से या उसकी अध्यक्षता प्राप्त होने पर,—

- (एक) किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश किया गया हो; या
 - (दो) समझौता या ठहराव की अथवा पुनर्निर्माण या पुनर्गठन या संविलियन की कोई स्कीम बनाई गई हो या प्रभावशील की गई हो; या
 - (तीन) किसी सहकारी बैंक की समिति के, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाती हो, अतिष्ठान या निलम्बन के लिये आदेश दिया गया हो तथा उसके प्रबन्ध के लिए प्रभारी अधिकारी आदि की नियुक्ति की गई हो,
- वहां उसके विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नहीं होगा और भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसा आदेश या मंजूरी या अध्यक्षता प्रश्नगत किये जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी।

80. पुनर्विलोकन—राज्य सरकार, अथवा रजिस्ट्रार स्वरेणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर किसी भी मामले में अपने स्वयं के आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह न्यायसंगत समझे:

परन्तु, हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया कोई भी आवेदन-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा और न ही किसी मामले को स्वरेणा से लिया जाएगा, जब तक यथास्थिति राज्य सरकार या रजिस्ट्रार का यह समाधान न हो जाय कि साक्ष्य की नयी तथा महत्वपूर्ण ऐसी बात का पता लगा लिया गया है, जो कि सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के पश्चात् भी उनकी या आवेदक की जानकारी में नहीं थी या वह उसके द्वारा उस समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी जबकि उसका आदेश किया गया था, या यह कि कोई ऐसी भूल या गलती हुई है जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट हो जाती है, या यह कि कोई अन्य पर्याप्त कारण रहा है:

परन्तु यह कि, किसी ऐसे आदेश में तब तक कोई परिवर्तन, संशोधन, या उपान्तरण नहीं किया जायेगा या उसका तब तक पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंज्ञात होने के लिये तथा सुने जाने के लिए सूचना न दे दी गई हो:

परन्तु यह और कि, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन-पत्र पर किसी आदेश का पुनर्विलोकन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि वह आवेदन उस आदेश के पारित किए जाने के नब्बे दिवस के भीतर न किया गया हो।

80-क. कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा परिसीमाकाल का बढ़ाया जाना—उन समस्त मामलों में, जिनमें इन अधिनियमों के अधीन यह उपबंध किया गया है कि किसी भी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध, अपील किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर

⇒

Tribunal unless he had been a Judge of a High Court or has held the office of a Distt. Judge for not less than five years.

(b) Of the other two members, one shall be an officer of co-operative department not below the rank of Additional Registrar and the other

→ the appellate authority may admit an appeal after the expiry of such period if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.

80-B. Transfer or withdrawal of cases — Subject to the provisions of section 77 and 78, the Registrar, Additional Registrar, Joint Registrar, or the Deputy Registrar may make over any case or class of cases arising under the provisions of this Act, for decision from his own file to any officer subordinate to him competent to decide such case or class of cases or may withdraw any case or class of cases from any such officer and may deal with such case or class of cases himself or refer the same for disposal to any other officer subordinate to him and competent to decide such case or class of cases.

80-C. Power to make interlocutory orders — When an application for appeal, revision or review is made to State Government, or Registrar under this Act, it may in order to prevent the ends of justice being defeated, make such interlocutory orders pending the decision of the appeal or application, as the case may be, as may appear to it/him to be just and convenient, or make such orders as may be necessary for the ends of justice; or to prevent the abuse of the legal procedure.

80-D. Stay of execution of orders — (1) An officer who has passed any order or his successor in office may, at any time before the expiry of the period prescribed for appeal or revision, direct the execution of such order to be stayed for such time as may be required for filing an appeal or revision and obtaining a stay order from the appellate or revisional authority.

(2) The authority exercising the powers conferred by section 77, section 78 or section 80 may direct the execution of the order under appeal or revision or review to be stayed for such time as it may think fit.

(3) The officer or authority directing the execution of an order to be stayed may impose such conditions or order such security to be furnished as he or it thinks fit.

→

होगा, यदि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रह चुका हो या कम से कम पांच वर्ष तक जिला न्यायाधीश का पद धारण न कर चुका हो।

(ख) अन्य दो सदस्यों में एक सदस्य सहकारिता विभाग का ऐसा अधिकारी होगा, जो अपर रजिस्ट्रार की श्रेणी में निम्न का न हो और दूसरा सदस्य कोई ऐसा

→ फाइल की जा सकेगी, अपील प्राधिकारी ऐसी कालावधि का अवसान होने के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि ऐसी कालावधि के भीतर अपील न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था।

80-ख. मामलों का अन्तरण या प्रत्याहरण—धारा 77 एवं 78 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को विनिश्चय के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले, या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चय करने के लिए सक्षम हो, अपनी स्वयं की फाइल में से अन्तर्गत कर सकेगा या वह किसी भी ऐसे अधिकारी से किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को प्रत्याहृत कर सकेगा तथा ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों के संबंध में स्वयं कार्यवाही कर सकेगा या उन्हें अपने अधीनस्थ किसी अन्य ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चय करने के लिए सक्षम हो, निर्दिष्ट कर सकेगा।

80-ग. अन्तर्वर्ती आदेश करने की शक्ति—जहां कोई अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन या कोई अन्य आवेदन इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या रजिस्ट्रार को किया गया हो, वहां यथास्थिति राज्य सरकार या रजिस्ट्रार, न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए, यथास्थिति अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के आवेदन-पत्र पर विनिश्चय लंबित रहने की अवधि में ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा जो कि उसे न्यायसंगत एवं सुविधापूर्ण प्रतीत हो, या ऐसे आदेश कर सकेगा जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या उसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हों।

80-घ. आदेशों के निष्पादन का रोकना जाना—(1) अधिकारी या प्राधिकारी जिसने कोई आदेश पारित किया हो या उसका पद-उत्तरवर्ती, अपील या पुनरीक्षण के लिए विहित की गई कालावधि का अवसान होने के पूर्व, किसी भी समय, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे आदेश का निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जो अपील या पुनरीक्षण फाइल करने तथा अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी से रोक आदेश (स्टे आर्डर) अभिप्राय करने के लिए अपेक्षित हो।

(2) वह प्राधिकारी, जो धारा 77 या धारा 78 या धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, यह निदेश दे सकेगा कि उस आदेश का, जो अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के अधीन है, निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जैसा कि वह समझे।

(3) किसी आदेश का निष्पादन रोक दिए जाने का निदेश देने वाला अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा या ऐसी प्रतिभूति दिये जाने का आदेश दे सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

→

shall be non-official closely associated with the co-operative movement or an Advocate or a Pleader having practical experience in the co-operative movement for a period of not less than fifteen years :

Provided that if the State Government thinks fit, the Tribunal may consist of a single person.

Explanation :—For the purpose of this sub-section "non-official" shall mean a person who on the date of his appointment as a member, does not hold any office of profit under the Government of India or the Government of any State.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a person shall be disqualified for being appointed as, or for being a Chairman or a Member of the Tribunal, if he is a member of the Board of any society other than a general body of a society.

(5) (a) The Chairman and other members of the Tribunal shall hold office ordinarily for a period of not less than two years and not more than five years as the State Government may, by notification specify in this behalf.

(b) A person who has held office as the Chairman or a member, for a period mentioned in clause (a) shall be eligible for reappointment.

(c) The Chairman or member of the Tribunal may, at any time, resign his office.

(d) The Chairman or a member of Tribunal may with the permission of the State Government held any other office appointment of not in consist with his position on the Tribunal.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), the State Government may terminate at anytime, the appointment of the Chairman or a member if, in its opinion, such Chairman or member is unable or unfit to continue to perform the duties of his office:

⇒ **80-E. Transfer of pending cases** — Every appeal or revision or any other proceeding pending before the Madhya Pradesh State Co-operative Tribunal under the Principal Act, shall stand transferred to the State Government on the date on which the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2003 comes into force.

80-F. Any officer or any authority shall exercise such powers, delegated to the State Government by or under this Act, in such areas and in such cases as the State Government may direct by special or general order."

अशासकीय व्यक्ति होगा, जो सहकारी आंदोलन से घनिष्ठतः सम्बद्ध हो या कोई ऐसा अधिवक्ता या प्लीडर होगा, जिसे सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो :

परन्तु यदि राज्य सरकार उचित समझे तो अधिकरण का गठन एक व्यक्ति से कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "अशासकीय व्यक्ति" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण न करता हो।

(4) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने या अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य होने के लिए उस दशा में निरहित होगा, यदि वह किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड जो कि किसी सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय से भिन्न हो, का सदस्य हो।

(5) (क) अधिकरण का अध्यक्ष और अन्य सदस्य सामान्यतः कम से कम दो वर्ष और अधिक से अधिक पांच वर्ष की ऐसी कालावधि के लिए पद धारण करेगा, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेंगे।

(ख) कोई व्यक्ति जिसने खण्ड (क) में उल्लिखित की गई कालावधि के लिये अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण किया हो, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(ग) अधिकरण का कोई भी सभापति या कोई सदस्य, किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(घ) अधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार की अनुज्ञा से कोई ऐसा अन्य पद की नियुक्ति या नियोजन धारण कर सकेगा, जो कि अधिकरण में उसकी स्थिति से असंगत न हो।

(6) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्य को नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त कर सकेगी। यदि उसकी राय में, ऐसा अध्यक्ष या सदस्य अपने पद के कर्तव्यों का पालन करते रहने में असमर्थ या अयोग्य हो :

⇒ **80-ड. लंबित मामलों का अंतरण—**मूल अधिनियम के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के समक्ष छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रभावशाली होने की तारीख पर लंबित प्रत्येक अपील या पुनरीक्षण या कोई अन्य कार्यवाही राज्य सरकार को अंतरित हो जाएगी।

80-च. कोई अधिकारी या कोई प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त की गई ऐसी शक्तियों का जैसा कि राज्य सरकार विशेष या साधारण आदेश से, प्रत्यायोजित होकर ऐसे क्षेत्रों के भीतर तथा ऐसे प्रकरणों में प्रयुक्त करेगा, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।"

Provided that no appointment shall be terminated under this sub-section unless the person whose appointment is proposed to be terminated is given a reasonable opportunity of showing cause against such termination.

(7) (a) If any vacancy occurs in the office of the Chairman or member by leave, absence, deputation, death, resignation, expiry of the term of appointment, termination of the appointment or for any other cause, whatsoever, such a vacancy shall be filled by appointment of a person qualified for appointment under this Section.

(b) Till the vacancy in the office of the Chairman is filled under sub-section (1), the senior most member shall act as the Chairman of the Tribunal.

(8) The headquarters of the Tribunal shall be at such place as may be notified by the State Government in the Gazette.

(9) The powers and functions of the Tribunal may be exercised and discharged by Benches constituted by the Chairman from amongst the members of the Tribunal including himself :

Provided that, any interlocutory application may be heard by one of more members to may be present.

(10) Such Benches shall consist of two or more members.

(11) Where a matter is heard by three members the opinion of the majority shall prevail, and the decision shall be in accordance with the opinion of the majority. Where a matter is heard by an even number of members, and the members are equally divided in the Chairman be one of the members, the opinion of the Chairman shall prevail and in other cases the matter he referred for hearing to the Chairman and shall be decided in accordance his decision.

(12) Subject to the previous sanction of the State Government, the Tribunal shall frame regulations consistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder, for regulating its procedure and the disposal of its business.

(13) The regulations made under sub-section (12), shall be published in the Official Gazette.

(14) The Tribunal may *suo motu* or on the application of the party, call for and examine the records of any proceedings in which no appeal lies to it, for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any decision or order passed. If in any case, it appears to the Tribunal that any such decisions or orders should be modified, annulled or reversed, the Tribunal may pass such order thereon as it may deem just.

परन्तु कोई भी नियुक्ति इस उपधारा के अधीन तब तक समाप्त नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसी समाप्ति के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर उस व्यक्ति को, जिसकी नियुक्ति का समाप्त किया जाना प्रस्तावित है, न दे दिया गया हो।

(7) (क) यदि सभापति या सदस्य का पद छुट्टी, अनुपस्थिति, प्रतिनियुक्ति, मृत्यु, पद-त्याग, नियुक्ति की अवधि के अवनान, नियुक्ति की समाप्ति के कारण या किसी भी अन्य कारण चाहे जो भी हो, से रिक्त हो जाए तो ऐसी रिक्ति ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी, जो इस धारा के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित हो।

(ख) जब तक कि अध्यक्ष के पद की रिक्ति उपधारा (1) के अधीन भरी न जाए, तब तक ज्येष्ठतम सदस्य अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(8) अधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए।

(9) अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का निर्वहन ऐसे न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा, जिनका गठन अध्यक्ष द्वारा अधिकरण के सदस्यों में से, जिनमें वह स्वयं सम्मिलित है, किया गया हो :

परन्तु कोई अंतर्वर्ती आवेदन उपस्थित होने वाले दो या अधिक सदस्यों द्वारा सुना जा सकेगा।

(10) ऐसे न्यायपीठों में दो या दो से अधिक सदस्य होंगे।

(11) जहां किसी मामले की सुनवाई तीन सदस्यों द्वारा की जाए, वहां बहुमत की राय अभिभावी होगी तथा विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार होगा, जहां किसी मामले की सुनवाई समसंख्यक सदस्यों द्वारा की जाए और वे सदस्य अपनी-अपनी राय में बराबर बंटें हुए हों, वहां यदि अध्यक्ष उन सदस्यों में से एक सदस्य हो तो अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी और अन्य मामलों में वह विषय सुनवाई के लिए अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसके विनिश्चय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा।

(12) अधिकरण अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए तथा अपने कामकाज के निपटारे के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अधधीन रहते हुए ऐसे विनियम विरचित करेगा, जो इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से संगत हों।

(13) उपधारा (12) के अधीन बनाये गये विनियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

(14) अधिकरण स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर किसी ऐसी कार्यवाही के, जिसमें कि कोई अपील उसको न होती हो, अभिलेख में किए गए किसी विनिश्चय या पारित किए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन से मंगा करेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा, यदि किसी मामले में अधिकरण को यह प्रतीत हो कि कोई ऐसा विनिश्चय या आदेश उपात्तरित किया जाना चाहिए, तो अधिकरण उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह न्याय संगत समझे।

(15) Where an appeal or application is made to the Tribunal under this Act, it may, in order to prevent the ends of justice being defeated, make such interlocutory orders pending the decision of the appeal or applications, as the case may be, as may appear to it to be just and convenient, or such orders as may be necessary for the ends of justice, or to prevent the abuse of the process of the Tribunal.

(16) An order in appeal, or revision or review passed under this Act by the Tribunal, shall be final and conclusive, and shall not be called in question in any Civil or Revenue Court.

(17) The Tribunal hearing an appeal under this Act shall exercise all the powers conferred upon an appellate court by section 96 and order XLI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

77-A. Review — (1) The Tribunal or Registrar may on the application of any party interested, review its own order in any case and pass such order in reference thereto as it thinks just:

Provided that no such application made by the party interested shall be entertained, unless the Tribunal or the Registrar as the case may be is satisfied that there has been the discovery of new and important matter of evidence, which after the exercise of due diligence was not within the knowledge of the applicant or could not be produced by him at the time when its order was made, or that there has been mistake or error apparent on the face of the record, or there is any other sufficient reason:

Provided further that no such order shall be varied, amended or revised unless notice has been given to the parties interested to appear and be heard in support of such order.

(2) An application for review of any order, by the parties interested shall not be entertained, unless the application is filed within ninety days from the date of passing of the order.

77-B. Tribunal to exercise powers of a civil court — (1) In exercising the powers conferred on it by or under this Act, the Tribunal shall have all the powers as are vested in Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters, namely:—

(15) जहां कोई अपील या आवेदन इस अधिनियम के अधीन अधिकरण को किया गया हो, वहां वह अधिकरण न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए यथास्थिति अपील या आवेदन-पत्र का विनिश्चय लेबित रहने की अवधि में ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा, जो कि उसे न्याय संगत एवं सुविधापूर्ण प्रतीत हों या ऐसे आदेश कर सकेगा, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या अधिकरण की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हों।

(16) इस अधिनियम के अधीन अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में अधिकरण द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और वह किसी सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(17) इस अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने वाला अधिकरण उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो कि किसी अपील न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता (क्रमांक 5 सन् 1908) की धारा 97 तथा उस संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 41 द्वारा प्रदत्त की गई हैं।

77-क. पुनर्विलोकन—(1) अधिकरण अथवा रजिस्ट्रार किसी हितबद्ध पक्षकार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, किसी भी मामले में अपने स्वयं के आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेंगे और उसके संदर्भ में ऐसा आदेश पारित कर सकेंगे, जैसा कि वह न्यायसंगत समझे :

परन्तु हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया कोई भी ऐसा आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक अधिकरण या रजिस्ट्रार, यथास्थिति, का यह समाधान न हो जाये कि साक्ष्य की नई तथा महत्वपूर्ण ऐसी बात का पता लगा लिया गया है, जो कि सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के पश्चात् भी उनकी या आवेदक की जानकारी में नहीं थी या वह उसके द्वारा उस समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी जबकि उसका आदेश किया गया था, या यह कि कोई ऐसी भूल या गलती हुई है जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट हो जाती है, या कोई अन्य पर्याप्त कारण रहा है :

परन्तु यह और कि ऐसा आदेश तब तक परिवर्तित, संशोधित या पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंज्ञात होने के लिए सूचना न दे दी गई हो और ऐसे आदेश के समर्थन में सुना न गया हो :

(2) किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किसी आदेश के पुनर्विलोकन का आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदन उस आदेश के पारित किये जाने की तिथि से नब्बे दिवस के भीतर फाइल न किया गया हो।

77-ख. अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करना—(1) इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में अधिकरण को निम्नलिखित बातों के संबंध में वे समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

- (a) proof of facts by affidavits;
- (b) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (c) compelling discovery or the production of any document; and
- (d) issuing commissions for the examination of witnesses.

(2) In the case of any such affidavit, any officer appointed by the Tribunal in this behalf may administer oath to the deponent.

78. Appeals before the Registrar and Tribunal — (1) Save where it has been otherwise provided, an appeal shall lie from every original order under this Act or the rules made thereunder:—

- (a) If such order is passed by any officer subordinate to Registrar other than Additional Registrar or Joint Registrar, whether or not the officer passing the order is invested with the powers of the Registrar, to the Registrar;
- (b) If such order is passed by the Registrar, Additional Registrar or Joint Registrar, to the Tribunal.

(2) A second Appeal shall lie against any order passed in the first appeal by the registrar, to the Tribunal on any of the following grounds only, namely:—

- (i) that the order is contrary to law; or
- (ii) that the order has failed to determine some material issue of law; or
- (iii) that there has been a substantial error or defect in the procedure as prescribed by this Act which may have produced error or defect in the decision of the case upon merits.

(3) Every appeal shall be presented in the prescribed manner to the appellate authority concerned within sixty days from the date on which the order appealed against was communicated to the party affected by the order:

Provided that in computing the period of limitation under this sub-section the time required for obtaining a copy of the order appealed against shall be excluded.

- (क) शपथ पत्रों द्वारा तथ्यों का सबूत;
- (ख) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ग) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण या पेश किये जाने के लिए विवश करना; और
- (घ) साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना।

(2) किसी भी ऐसे शपथ पत्र की दशा में, कोई ऐसा अधिकारी जो अधिकरण द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया गया हो, अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा।

78. रजिस्ट्रार तथा अधिकरण के समक्ष अपीलें—(1) जहां इसके संबंध में अन्यथा उपबंधित है को छोड़कर, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित किये गये प्रत्येक मूल आदेश की अपील—

- (क) रजिस्ट्रार को तब होगी जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार के अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी, जो अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न हो, के द्वारा पारित किया गया हो, चाहे ऐसा आदेश पारित करने वाला अधिकारी रजिस्ट्रार की शक्तियों से निहित हो या न हो;
- (ख) अधिकरण को तब होगी जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया हो।

(2) प्रथम अपील में रजिस्ट्रार द्वारा पारित किये गये किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अधिकरण को मात्र निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर होगी, अर्थात्—

- (एक) यह कि आदेश विधि के प्रतिकूल है; या
- (दो) यह कि आदेश में विधि के कतिपय तात्त्विक विवाद्यक का अवधारण नहीं हो पाया है; या
- (तीन) यह कि इस अधिनियम द्वारा यथाविहित प्रक्रिया में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है जिससे कि गुणागुण पर मामले का विनिश्चय करने में गलती या त्रुटि हो सकती है।

(3) प्रत्येक अपील विहित रीति में संबंधित अपील प्राधिकारी को उस तारीख के जिसको कि वह आदेश, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, उस आदेश से प्रभावित हुए पक्षकार को संसूचित किया गया था, साठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी :

परन्तु इस उपधारा के अधीन परिसीमा काल की संगणना करने में उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जायेगा।

78-A. Extension of period of limitation by appellate authority in certain cases — In all cases in which it is provided under this Act that an appeal may be filed against any decision or order within a specified period, the appellate authority may admit an appeal after the expiry of such period if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.

79. No appeal or review in certain cases — Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, where with previous sanction in writing or on the requisition of the Reserve Bank of India—

- (i) an order for the winding up of a co-operative bank; or
- (ii) for a scheme of compromise or arrangement or reconstruction or re-organisation or amalgamation; or
- (iii) an order of supersession or suspension of the Board by whatever name called of a Co-operative Bank and the appointment of an officer-in-charge therefore, has been made.

No appeal or review shall lie or be permissible against that, and such order or the sanction or requisition of the Reserve Bank of India shall not be liable to be called in question where such order, scheme of compromise, arrangement, reconstruction, re-organisation or amalgamation is passed or made.

80. Transferor withdrawal of cases — Subject to the provision of section 78, the Registrar, Additional Registrar or Joint Registrar may make over any case or class of cases arising under the provisions of this Act, for decision before him to any officer subordinate to him competent to decide such case or, class of cases or may withdraw any case or class of cases for decisions before any such officer and may proceed to deal with such case or class of cases himself or refer the same to any other officer subordinate to him and competent to decide such case or class of cases.

80-A. Power of Registrar to call for proceedings of subordinate officers and board of a society and to pass order thereon — The Registrar may, at any time on his own motion or on the application made by any party, call for and examine the record of any enquiry or the proceedings by any subordinate officer or a decision of board of a society for the

78-क. कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा परिसीमा-काल का बढ़ाया जाना—वे समस्त मामले जिनमें इस अधिनियम के अधीन यह उपबंध किया गया है कि किसी भी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध, अपील किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी, अपील प्राधिकारी ऐसी कालावधि का अवसान होने के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि ऐसी कालावधि के भीतर अपील न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था।

79. कतिपय मामलों में कोई अपील या पुनर्विलोकन न होना—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति से या उसकी अध्यक्षता प्राप्त होने पर,—

- (एक) किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश किया गया हो; या
- (दो) समझौता या ठहराव की अथवा पुनर्निर्माण या पुनर्गठन या संविलियन की कोई योजना बनाई गई हो; या
- (तीन) किसी सहकारी बैंक की बोर्ड के, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो, के अतिष्ठान या निलम्बन के लिए आदेश किया गया हो तथा इसके लिए प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई हो,

वहां उसके विरुद्ध कोई अपील या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नहीं होगा और भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसा आदेश या स्वीकृति या अध्यक्षता प्रश्नगत किये जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी जहां ऐसा आदेश, योजना समझौता, प्रबंध, निर्माण, पुनर्निर्माण या संविलियन के लिए पारित किया गया हो या बनाया गया हो।

80. मामलों का अन्तरण या प्रत्याहरण—धारा 78 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को विनिश्चय के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले, या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चय करने के लिए सक्षम हो, अंतरित कर सकेगा या वह किसी भी ऐसे अधिकारी से उसके समक्ष विनिश्चय हेतु लंबित किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को प्रत्याहृत कर सकेगा तथा या तो वह स्वयं कार्यवाही करने हेतु अग्रसर होगा या उसे अपने अधीनस्थ किसी अन्य ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चित करने के लिए सक्षम हो, निर्दिष्ट कर सकेगा।

80-क. बोर्ड एवं अधीनस्थ अधिकारियों की कार्यवाहियां मंगाने और उन पर आदेश पारित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति—रजिस्ट्रार किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा किए गए किसी आवेदन पर किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गई किसी जांच या कार्यवाहियों का अभिलेख या किसी सहकारी सोसाइटी की बोर्ड के किसी विनिश्चय को, किए गए किसी विनिश्चय या पारित किए गए किसी आदेश की

purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any decision or order passed and as to the regularity of the proceedings of such officer or board. If in any case, it appears to the Registrar that any decision or order or proceedings so called for should be modified, annulled or reversed, the Registrar, may pass such order thereon as he may deem fit:

Provided that no order under this Section shall be made to the prejudice of any party unless such party has had an opportunity of being heard:

Provided further that the powers conferred on the Registrar under this Section, shall not be delegated to any officer below the rank of Joint Registrar.

80-B. Power to make interlocutory orders — When an application for appeal or review is made to Tribunal, or Registrar under this Act, it may in order to prevent the ends of justice being defeated, make such interlocutory orders pending the decision of the appeal or application, as the case may be, as may appear to it / him to be just and convenient, or make such orders as may be necessary for the ends of justice, or to prevent the abuse of legal process.

80-C. Stay of execution of orders — (1) An officer appointed under section 3 who has passed any order or his successor in office may, at any time before the expiry of the period prescribed for appeal direct the execution of such order to be stayed for such time as may be required for filing an appeal and obtaining a stay order from the appellate authority.

(2) The authority exercising the powers conferred by section 78 or section 80 may direct the execution of the order under appeal or review to be stayed for such time as it may think fit.

(3) The officer or authority directing the execution of an order to be stayed may impose such conditions or order such security to be furnished as he or it thinks fit.

80-D. Transfer of pending cases — Every appeal or any other proceeding pending before the State Government, immediately before the date of constitution of Chhattisgarh State Co-operative Tribunal under this Act, shall stand transferred to the Tribunal from the date of notifications by Government of Chhattisgarh.]

वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अधिकारियों या बोर्ड की कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकेगा और उसकी जांच कर सकेगा। यदि किसी मामले में रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार मंगाए गए किसी विनिश्चय या आदेश या कार्यवाहियों को उपान्तरित किया जाना चाहिए, बातिल (शून्य) किया जाना चाहिए या उलटा जाना चाहिए तो रजिस्ट्रार उसमें ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो कि वह ठीक समझे :

परन्तु इस धारा के अधीन किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे पक्षकार को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर न मिल चुका हो :

परन्तु यह और कि इस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां संयुक्त रजिस्ट्रार से निम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी।

80-ख. अन्तर्वर्ती आदेश करने की शक्ति— जहां कोई अपील या पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन इस अधिनियम के अधीन अधिकरण या रजिस्ट्रार को किया गया हो, वहां यथास्थिति, अधिकरण या रजिस्ट्रार, न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए, यथास्थिति अपील या आवेदन पर विनिश्चय लंबित रहने की अवधि में ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा जो कि उसे न्यायसंगत एवं सुविधापूर्ण प्रतीत हो, या ऐसे आदेश कर सकेगा जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या उसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो।

80-ग. आदेशों के निष्पादन का रोका जाना— (1) धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी जिसने कोई आदेश पारित किया हो या उसका पद उत्तरवर्ती, अपील के लिए विहित की गई कालावधि का अवसान होने के पूर्व, किसी भी समय, यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे आदेश का निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जो अपील फाइल करने तथा अपील प्राधिकारी से स्थगन आदेश अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो।

(2) वह प्राधिकारी, जो धारा 78 या धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, यह निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का, जो अपील या पुनर्विलोकन के अधीन है, निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जैसा कि वह उचित समझे।

(3) किसी आदेश का निष्पादन रोक दिए जाने का निर्देश देने वाला अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा या ऐसी प्रतिभूति दिए जाने का आदेश दे सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

80-घ. लंबित मामलों का अंतरण— इस अधिनियम के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के गठन के अधिसूचना की तारीख के तत्काल पूर्व राज्य सरकार के समक्ष लंबित प्रत्येक अपील या कोई अन्य कार्यवाही अधिकरण को अंतरित हो जाएगी।]

CHAPTER XI

MISCELLANEOUS

81. Recovery of sums due to Government — (1) All sums due from a society or from an officer, member or past member or a deceased member of a society as such to State Government including any costs awarded to Government under any provisions of this Act, may, on a certificate issued by the Registrar in this behalf, be recovered in the same manner as arrears of land revenue.

(2) Sums due from a society to the State Government and recoverable under sub-section (1) may be recovered—

- (a) firstly, from the property of the society;
- (b) secondly, in the case of a society the liability of the members of which is limited, from the members, past members, or estates of the deceased members subject to the limit of their liability :

Provided that the liability of a legal representative of the deceased shall be to the extent of the property of the deceased which has come to the hands of such legal representative; and

- (c) thirdly, in the case of other societies, from the members or past members, or estates of the deceased members:

Provided that the liability of past members or estate of deceased members in all cases shall be subject to the provisions of Section 29.

¹[81-A. Power of financing bank to proceed against defaulting members of co-operative society — (1) If a co-operative society is unable to pay its debts to a financing bank from which it has borrowed, by reasons of its members committing default in the payment of money due by them, the financing bank may direct the ²[Board] of such society to proceed against such members by taking action under Section 64.

(2) If the ²[Board] of the Co-operative society fails to proceed against its defaulting members within a period of ninety days from the date of

1. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.

ग्यारहवां अध्याय

प्रकीर्ण

81. सरकार को शोध्य राशियों की वसूली—(1) वे समस्त राशियाँ, जो किसी सोसाइटी या किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी, सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या किसी मृत सदस्य द्वारा उस हैसियत में राज्य सरकार को शोध्य हों, जिनके अंतर्गत कोई ऐसे खर्च भी आते हैं जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन सरकार को दिलवाये गये हों, रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में जारी किये गये प्रमाण पत्र पर, उसी रीति में वसूल किये जा सकेंगे जिस रीति में कि भू-राजस्व के बकाया वसूल किये जाते हैं।

(2) वे राशियाँ, जो किसी सोसाइटी द्वारा राज्य सरकार को शोध्य हों तथा उपधारा (1) के अधीन वसूली योग्य हों,—

- (क) प्रथमतः; सोसाइटी की संपत्ति से,
- (ख) द्वितीयतः; किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में, जिसके कि सदस्यों का दायित्व सीमित हो, सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों से, या मृत सदस्यों की सम्पदाओं से, उनके दायित्व की सीमा के अधधीन रहते हुए, वसूल की जा सकेंगी :

परन्तु मृतक के किसी विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की उस सम्पत्ति की सीमा तक ही होगा जो कि ऐसे विधिक प्रतिनिधि के हाथ में आई हो, और

- (ग) तृतीयतः; अन्य सोसाइटियों की दशा में, सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों से या मृत सदस्यों की संपदाओं से वसूल की जा सकेंगी :

परन्तु भूतपूर्व सदस्यों का या मृत सदस्यों की संपदा का दायित्व समस्त मामलों में धारा 29 के उपबन्धों के अधधीन होगा।

¹[81-क. सहकारी सोसाइटी के व्यतिक्रमी सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने की किसी वित्तदायी बैंक की शक्ति—(1) यदि कोई सहकारी सोसाइटी अपने ऋण उस वित्तदायी बैंक को, जिससे कि उसने वे ऋण लिये हैं, चुकाने में इस कारण असमर्थ हो कि उसके सदस्यों ने उनके द्वारा शोध्य धन का भुगतान करने में व्यतिक्रम किया है, तो वह वित्तदायी बैंक ऐसी सोसाइटी की ²[बोर्ड] को निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे सदस्यों के विरुद्ध धारा 64 के अधीन कार्यवाही करके अग्रसर हो।

(2) यदि सहकारी सोसाइटी की ²[बोर्ड] वित्तदायी बैंक से ऐसा निर्देश प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन की कालावधि के भीतर अपने व्यतिक्रमी सदस्यों के विरुद्ध

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित। दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

receipt of such direction from the financing bank, the financing bank itself may proceed against such defaulting members in which event, the provisions of this Act, the rules and byelaws made thereunder shall apply as if all references to the society or its ¹[Board] in the said provisions, rules and byelaws were references to the financial bank.

(3) Where a financing bank has obtained a decree or award against a society indebted to it, the bank may proceed to recover such moneys from the assets of the society to the extent of debts due from the society.]

82. Bar of jurisdiction of Courts — (1) Save as provided in this Act, no civil or revenue Court shall have any jurisdiction in respect of—

- (a) the registration of a society or of bye-laws or of an amendment of a bye-law;
- (b) the removal of a ¹[Board] and the management of the society after such removal;
- (c) any dispute, required to be referred to the Registrar or his nominee or board of nominees;
- (d) any matter concerning the winding up and the dissolution of a society.

(2) While a society is being wound up, no suit or other legal proceedings relating to the business of such society shall be proceeded with, or instituted against, the liquidator as such or against the society or any member thereof, except by leave of the Registrar and subject to such terms as he may impose.

(3) Save as provided in this Act, no order, decision or award made under this Act shall be questioned in any Court on any ground whatsoever.

83. Recovery of costs — Any sum awarded by way of costs under Section 62, may be recovered, on an application by the Registrar to a

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.

कार्यवाही न करे, तो वित्तदायी बैंक स्वयं ऐसे व्यक्तिक्रमी सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा और उस दशा में इस अधिनियम के उपबन्ध और उसके अधीन बनाये गये नियम तथा उपविधियाँ उसी प्रकार लागू होंगी/होंगे मानो कि उक्त उपबन्धों, नियमों तथा उपविधियों में सोसाइटी या उसकी ¹[बोर्ड] के प्रति किये गये समस्त निर्देश वित्तदायी बैंक के प्रति निर्देश हों।

(3) जहाँ किसी वित्तदायी बैंक ने अपनी ऋणी किसी सोसाइटी के विरुद्ध कोई डिक्री या अधिनियम अधिप्राप्त किया हो, वहाँ बैंक ऐसे धनों को उस सोसाइटी की आस्तियों से उन ऋणों की सीमा तक जो कि सोसाइटी द्वारा शोध्य हों, वसूल करने की कार्यवाही कर सकेगा।]

82. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन—(1) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी सिविल या राजस्व न्यायालय को निम्नलिखित के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी—

- (क) किसी सोसाइटी का या उपविधियों का या किसी उपविधि के किसी संशोधन का रजिस्ट्रीकरण;
- (ख) किसी ¹[बोर्ड] का हटाया जाना तथा इस प्रकार हटाये जाने के पश्चात् सोसाइटी का प्रबंध;
- (ग) कोई ऐसा विवाद जिसका कि रजिस्ट्रार को या उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड को निर्देशित किया जाना अपेक्षित हो;
- (घ) किसी सोसाइटी के परिसमापन तथा उसके विघटन से संबंधित कोई मामला।

(2) जब किसी सोसाइटी का परिसमापन किया जा रहा है, तो ऐसी सोसाइटी के कारबार के संबंध में समापक के विरुद्ध उस हैसियत में, या उस सोसाइटी के या उसके किसी सदस्य के विरुद्ध कोई बाद या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ रजिस्ट्रार की अनुमति से तथा ऐसे निबन्धनों के जैसे कि वह अधिरोपित करे, अध्यधीन रहते हुए ही अग्रसर की जायेगी या संस्थित की जायेगी अन्यथा नहीं।

(3) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश, विनिश्चय या अधिनियम किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

83. खर्चों की वसूली—कोई राशि, जो धारा 62 के अधीन खर्च के रूप में अधिनियम की गई हो, रजिस्ट्रार द्वारा, किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जाने पर

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

Magistrate having jurisdiction in the place where person from whom the money is claimable resides, or carries on business, by sale of any property within the limits of the jurisdiction of such Magistrate, belonging to such person, and such Magistrate shall proceed to recover the same, in the same manner as if it were a fine imposed by himself.

¹[84. Enforcement of charge — Notwithstanding anything contained in Chapter VII or any other law for the time being in force, but without prejudice to any other mode of recovery provided in this Act, the Registrar or any person empowered by the Registrar in this behalf, may on an application of the society and subject to such rules as State Government may make in this behalf, make an order directing the payment of any debt or outstanding demand due to the society by any member or past or deceased member by attachment and sale or transfer by any other mode for such period and subject to such terms and conditions as the Registrar or such other person may specify, of the property or any interest therein which is subject to a charge under ²[sub-section (1) of Section 40, sub-section (1) of Section 41], and sub-sections (1), (2) and (3) of Section 42 :

Provided that no order shall be made under this section unless the member, past member or nominee, heir or legal representative of the deceased member has been served with a notice of the application and has failed to pay the debt or outstanding demand within ³[thirty] days from the date of such service.]

⁴[84-A. ⁵[Recovery of sums due to certain societies] — (1) Notwithstanding anything contained in Sections 64, 69 and 78, on an application made by a co-operative housing society or Chhattisgarh State Co-operative Housing Federation ¹[or primary urban Co-operative

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970.
2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 28 of 1982.
3. Subs. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988, for the word "Fourteen days".
4. Ins. by M.P. Amendment Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.
5. Subs. by M.P. Amendment Act No. 20 of 1999, w.e.f. 7-8-1999.

जो उस स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखता है जहां कि वह व्यक्ति, जिससे कि वह रकम दावा की जाने योग्य हैं, निवास करता है या कारबार करता है, ऐसे व्यक्ति की किसी ऐसी संपत्ति को, जो कि ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की सीमाओं के भीतर हो, बेचकर वसूल की जा सकेगी और ऐसा मजिस्ट्रेट उसे वसूल करने के लिए उसी रीति में कार्यवाही करेगा मानों कि यह राशि स्वयं उसके द्वारा अधिरोपित किया गया जुर्माना हो।

¹[84. **भार का प्रवर्तन**—सातवें अध्याय में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु वसूली की किसी अन्य रीति पर, जो कि इस अधिनियम में उपबंधित है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, सोसाइटी का आवेदन प्राप्त होने पर तथा ऐसे नियमों के अधधीन रहते हुए जैसे कि राज्य सरकार इस संबंध में बनाये, किसी सदस्य या भूतपूर्व या मृत सदस्य द्वारा सोसाइटी को शोध्य किसी ऋण या परादेय मांग का, उस सम्पत्ति या उसमें के किसी हित की, जो ²[धारा 40 की उपधारा (1), धारा 41 की उपधारा (1)] तथा धारा 42 की उपधारा (1), (2) तथा (3) के अधीन किसी भार के अधधीन हो, कुर्की तथा विक्रय द्वारा या ऐसी कालावधि के लिये तथा ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों के अधधीन रहते हुए जैसी कि रजिस्ट्रार या ऐसा अन्य व्यक्ति विनिर्दिष्ट करे, किसी अन्य रीति में उसके अन्तरण द्वारा भुगतान किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि सदस्य पर, भूतपूर्व सदस्य पर या मृत सदस्य के नामनिर्देशित व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि पर आवेदन की सूचना की तामील न कर दी गई हो और उसने ऐसी तामील की तारीख से ³[तीस दिन] के भीतर ऋण या परादेय मांग का भुगतान करने में चूक न की हो।]

⁴[84-क. ⁵[**कतिपय सोसाइटियों को शोध्य राशियों की वसूली**]—(1) धारा 64, 69 और 78 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ ¹[या प्राथमिक शहरी

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 28 सन् 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा शब्द "चौदह दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।
5. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 20 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थापित दिनांक 7-8-1999 से प्रभावशील।

Bank] for recovery of arrears of its dues, the Registrar may, after making such enquiry as he deems fit, grant a certificate for the recovery of the amount stated therein to be due as an arrear.

(2) The certificate granted by the Registrar shall be final and conclusive proof of the arrears stated therein, and the same shall be recoverable as arrears of land revenue.]

¹[85. Execution of orders, etc. — ²[Every order or award passed or decision given by the Registrar under any provision of this Act, every order passed by the Appellate or Revisional Authorities and every order made, decision given by the Liquidator, if not carried out—]

- (a) on a certificate signed by the Registrar or any person authorised by him in this behalf be deemed to be decree of a Civil Court and shall be executed in the same manner as a decree of such Court; or
- (b) be executed according to the law and under the rules for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue; or
- (c) be executed by the Registrar or any other person empowered by the Registrar in this behalf, by the attachment and transfer in the manner as may be prescribed or sale or sale without attachment of any property of the person or a society against whom the order, decision or award has been obtained or passed :

Provided that any application for the recovery under clause (b) shall be made—

- (i) to the Collector and shall be accompanied by a certificate signed by the Registrar or by any person authorised in this behalf; and
- (ii) within five years from the date fixed in the order, decision or award and if no such date is fixed, from the date of order, decision or award, as the case may be.]

1. Subs. by M.P. Amendment Act No. 8 of 1970.

2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 28 of 1982.

सहकारी बैंक] द्वारा अपनी बकाया शोध्य राशि की वसूली के लिए आवेदन किया जाने पर, रजिस्ट्रार ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे उसमें कथित रकम की वसूली के लिए उसके बकाया के रूप में शोध्य होने का प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र उसमें कथित बकाया का अंतिम एवं निश्चयक सबूत होगा और वह भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा।]

¹[85. आदेशों आदि का निष्पादन — ²[इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया प्रत्येक आदेश या किया गया प्रत्येक अधिनियम या किया गया प्रत्येक विनिश्चय, अपीली या पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा पारित किया गया प्रत्येक आदेश और समापक द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश या विनिश्चय, यदि कार्यान्वित न किया गया हो, —]

- (क) रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र के दे दिये जाने पर, सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा और उस रीति में निष्पादित किया जायेगा जिस रीति में कि ऐसे न्यायालय की डिक्री निष्पादित की जाती है; या
- (ख) उस विधि के अनुसार तथा उन नियमों के अधीन, जो कि भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिये तत्समय प्रवृत्त हों, निष्पादित किया जायेगा; या
- (ग) रजिस्ट्रार द्वारा या इस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा सशक्त किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति या सोसाइटी की, जिसके कि विरुद्ध आदेश, विनिश्चय या पंचाट अभिप्राप्त किया गया हो या पारित किया गया हो, किसी संपत्ति को ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, कुर्क करके तथा अन्तर्गत करके या बेचकर या कुर्क किये बिना बेचकर निष्पादित किया जायेगा:

परन्तु खण्ड (ख) के अधीन वसूली के लिये कोई भी आवेदन—

- (एक) कलेक्टर को किया जायेगा और उसके साथ रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र संलग्न होगा; और
- (दो) आदेश, विनिश्चय या पंचाट में नियत की गई, तारीख से पांच वर्ष के भीतर और यदि ऐसी कोई तारीख नियत न की गई हो, तो यथास्थिति आदेश, विनिश्चय या पंचाट की तारीख से पांच वर्ष के भीतर किया जायेगा।]

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 8 सन् 1970 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 28 सन् 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) An acknowledgment purporting to be signed by such person or an endorsement by a postal employee that the person refused to take delivery may be deemed to be *prima facie* proof of service:

¹[Provided that if service of the notice cannot be effected by any manner provided under this Act, or rules made thereunder, or bye-laws of the society, a copy thereof shall be affixed at the last known place of residence of the person noticed or at some place of public resort in such place.]

²[87. Registrar and other officers etc. to be public servants — Every officer or person as well as employee of a Co-operative Bank or a co-operative society or an authority exercising or authorised to exercise the powers under this Act or the Rules or bye-laws made thereunder shall be deemed to be a public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (XLV of 1860).]

88. Indemnity for acts done in good faith — No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Registrar or any person subordinate to him or acting under his authority, in respect of anything done or purporting to have been done by him in good faith under this Act.

89. Powers of civil courts — (1) In exercising the powers conferred on him by or under this Act, the Registrar, his nominee or board of nominees, or any other person deciding a dispute and the liquidator of a society shall have all the powers of a civil court while trying a suit, under the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908), in respect of the following matters, namely:—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) proof of facts by affidavits; and
- (d) issuing commissions for examination of witnesses.

1. Ins. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988.

2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 28 of 1982.

(2) कोई अधिस्वीकृति, जिसका कि ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित हो, या किसी डाक कर्मचारी द्वारा किया गया इस आशय का पृष्ठांकन कि उस व्यक्ति ने परिदान लेने से इन्कार कर दिया है, तामील का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य समझा जा सकेगा:

¹[परन्तु यदि सूचना की तामील इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों, या सोसाइटी की उपविधियों के अधीन उपबंधित किसी रीति में नहीं की जा सकती हो तो उसकी एक प्रति उस व्यक्ति के, जिसे सूचना दी जानी है, अंतिम ज्ञात निवास पर या ऐसे स्थान में लोक समागम के किसी स्थान पर लगाई जायेगी।]

²[87. रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी आदि, लोक सेवक होंगे—ऐसा प्रत्येक अधिकारी या व्यक्ति तथा साथ ही किसी सहकारी बैंक या किसी सहकारी सोसाइटी का प्रत्येक कर्मचारी या प्रत्येक प्राधिकारी जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों, उपविधियों के अधीन की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत हो, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।]

88. सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों के लिये परित्राण—रजिस्ट्रार या किसी ऐसे व्यक्ति के, जो उसका अधीनस्थ हो या उसके प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहा हो, विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो कि उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका कि उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

89. सिविल न्यायालयों की शक्तियाँ—(1) रजिस्ट्रार उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो किसी विवाद का विनिश्चय कर रहा हो, तथा किसी सोसाइटी के समापक को, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते समय, निम्नलिखित बातों के संबंध में वे समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय को होती है, अर्थात्—

- (क) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण तथा उसे पेश किये जाने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ-पत्रों द्वारा तथ्यों का सबूत; और
- (घ) साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना।

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 28 सन् 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) किसी शपथ-पत्र की दशा में, यथास्थिति रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी, उसका नामनिर्देशित व्यक्ति या नामनिर्देशित व्यक्तियों का बोर्ड या समापक अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा।

90. रजिस्ट्रार या उसके द्वारा सशक्त किया गया व्यक्ति कतिपय प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय होगा—रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस संबंध में सशक्त किये गये किसी व्यक्ति को जबकि वह किसी संपत्ति को कुर्क करके तथा बेचकर या कुर्क किये बिना बेचकर कोई रकम वसूल करने के लिये इस अधिनियम के अधीन की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या जबकि वह किसी ऐसे आवेदन पर, जो कि ऐसी वसूली करने के लिये या ऐसी वसूली करने के हेतु सहायक कदम उठाने के लिये उसको किया गया हो, कोई आदेश पारित कर रहा हो, इण्डियन लिमिटेशन एक्ट, 1908 (1908 का संख्यांक 9) की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 182 के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

91. ¹[***]

92. कम्पनी अधिनियम लागू नहीं होगा—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 1) के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई सोसाइटियों को लागू नहीं होंगे।

93. कतिपय अन्य अधिनियम सहकारी सोसाइटियों को लागू नहीं होंगे—छत्तीसगढ़ दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958), छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल वर्कमेन (स्टेण्डिंग आर्डर्स) एक्ट, 1959 (क्रमांक 19 सन् 1959) तथा छत्तीसगढ़ औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई किसी सोसाइटी को लागू नहीं होगी।

94. वादों में सूचना देना आवश्यक होगा—किसी सोसाइटी या उसके अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी के विरुद्ध किसी भी ऐसे कार्य के संबंध में, जो उस सोसाइटी के गठन, प्रबंध या कारबार से संबंधित हो, कोई भी वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी लिखित सूचना, जिसमें कि वाद हेतुक, वादी का नाम, विवरण तथा उसका निवास स्थान एवं वह अनुतोष, जिसका कि वहा दावा करता हो, कथित किया गया हो, रजिस्ट्रार को परित्त कर दी जाने या उसके कार्यालयों में छोड़ दी जाने के पश्चात् से आगामी दो मास का अवसान न हो गया हो और वाद पत्र में यह कथन अन्तर्विष्ट होगा कि ऐसी सूचना इस प्रकार परित्त की जा चुकी है या छोड़ी जा चुकी है।

1. म.प्र. अधिनियम क्र. 12 सन् 1994 द्वारा विलोपित दिनांक 8-5-1994 से प्रभावशील।

(2) In the case of any affidavit, any officer appointed by the Registrar, his nominee or board of nominees or the liquidator, as the case may be, may administer oath to the deponent.

90. Registrar or person empowered by him to be a civil court for certain purposes — The Registrar or any person empowered by him in this behalf shall be deemed, when exercising any powers under this Act for the recovery of any amount by the attachment and sale or by sale without attachment of any property, or when passing any orders on any application made to him for such recovery or for taking a step in aid of such recovery, to be a civil court for the purposes of Article 182 of the First Schedule to the Indian Limitation Act, 1908 (IX of 1908).

91. ¹[***]

92. Companies Act not to apply — The provisions of the Companies Act, 1956 (I of 1956) shall not apply to societies registered under this Act.

93. Certain other Acts not to apply to Co-operative Societies — Nothing contained in the Chhattisgarh Shops and Establishments Act, 1958 (25 of 1958), the Chhattisgarh Industrial Workmen (Standing Orders) Act, 1959 (19 of 1959) and the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (27 of 1960) shall apply to a society registered under this Act.

94. Notice necessary in suits—No suit shall be instituted against a society or any of its officers in respect of any act touching the constitution, management or business of the society until the expiration of two months next after notice in writing has been delivered to the Registrar or left at his office, stating the cause of action, the name, description and place of residence of the plaintiff and the relief which he claims, and the plaintiff shall contain a statement that such notice has been so delivered or left.

1. Omitted by M.P. Act No. 12 of 1994, w.e.f. 8-5-1994.

95. Power to make rules—(1) The Government may, for the whole or any part of the State and for any society or class of societies, make rules for the conduct and regulation of the business of such society or class of societies and for carrying out all or any of the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may—

- (a) subject to the provisions of Section 3 prescribe the delegation of powers vested in the Registrar to persons appointed to assist the Registrar ¹and prescribe the manner of forwarding the copies of the proposed amendment of the bye-laws to the Registrar;
- (b) prescribe the forms to be used and the conditions to be complied with in the making of applications for the registration of a society and the procedure in the matter of such applications;
- (c) prescribe the matters in respect of which a society may make or the Registrar may direct a society to make, bye-laws and the procedure to be followed in making, altering and abrogating bye-laws and the conditions to be satisfied prior to such making, alteration or abrogation;

²[(c-1) prescribe the period for the training of a member of a society and the manner of calling upon a member of a society to attend the course of training;

(c-2) prescribe the manner of regulating the voting right of individual member of a federal society;]

(d) prescribe the procedure to be followed and conditions to be observed for change of name or liability, reorganisation or reconstruction of society;

1. Added by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.
2. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

95. नियम बनाने की शक्ति—(1) सरकार, संपूर्ण राज्य के लिये या उसके किसी भाग के लिये तथा किसी सोसाइटी या किसी वर्ग को सोसाइटियों के लिये, नियम ऐसी सोसाइटी के या ऐसे वर्ग की सोसाइटियों के कामकाज के संचालन या विनियमन के हेतु तथा इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उनमें से किसी भी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वागामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम—

(क) धारा 3 के उपबन्धों के अधधीन रहते हुये, उन शक्तियों को, जो कि रजिस्ट्रार में निहित हैं, रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिये नियुक्त किये गये व्यक्तियों को प्रत्यायोजन विहित कर सकेंगे, ¹[तथा रजिस्ट्रार को उपविधियों के प्रस्थापित संशोधन की प्रतिलिपियां भेजने की रीति विहित कर सकेंगे;]

(ख) किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करने में प्रयोग में लाये जाने वाले प्ररूप तथा अनुपालन की जाने वाली शर्तें एवं ऐसे आवेदनों के विषय में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे;

(ग) वे विषय, जिनके संबंध में कोई सोसाइटी उपविधियां बना सकेगी अथवा जिनके संबंध में उपविधियां बनाने के लिये रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी को निदेश दे सकेगा, तथा वह प्रक्रिया, जिसका कि अनुसरण उपविधियां बनाने, उनमें परिवर्तन करने तथा उन्हें निराकृत करने में किया जायेगा एवं वे शर्तें जिनको कि उपविधियों के इस प्रकार बनाये जाने, परिवर्तित किये जाने या निराकृत किये जाने के पूर्व पूरा किया जायेगा, विहित कर सकेंगे;

²[(ग-1) किसी सोसाइटी के किसी सदस्य के प्रशिक्षण के लिये कालावधि विहित कर सकेंगे तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में हाजिर होने के लिये किसी सोसाइटी के किसी सदस्य से अपेक्षा करने की रीति विहित कर सकेंगे;

(ग-2) किसी संघीय सोसाइटी के वैयक्तिक सदस्य के मतदान संबंधी अधिकार का विनियमन करने की रीति विहित कर सकेंगे;]

(घ) सोसाइटी का नाम या उसका दायित्व तब्दील करने के लिये तथा उसके पुनर्संगठन या पुनर्गठन के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा अनुपालन की जाने वाली शर्तें विहित कर सकेंगे;

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा जोड़ा गया।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।

(e) prescribe the conditions to be complied with by a person applying for admission or admitted as a member and provide for the election and admission of members and the payment to be made and the interest to be acquired before the exercise of the right of membership;

(f) subject to the provisions of Section 24, prescribe the maximum number of shares or portion of the capital of a society which may be held by a member;

¹[(g) provide for the withdrawal or removal of members and for the payments to them;]

(h) provide for the nomination of person to whom the share or the interest of a deceased member may be paid or transferred;

(i) provide for ascertaining the value of a share or interest of a past member or deceased member;

(j) prescribe the payments to be made and the conditions to be complied with by members applying for loans, the period for which loans may be made, and the amount which may be lent to an individual member;

¹[(j-1) prescribe the proportions for reservation of seats for members belonging to scheduled castes, scheduled tribes and economically weaker sections on the ²[Board] of a resource society and provide for holding of an office of President/Chairman or Vice President/Vice-Chairman of resource society by a member belonging to the aforesaid castes, tribes or section;]

(k) provide for the inspection of documents in the office of the Registrar or of any other officer or authority and the levy of fees for granting certified copies of the same;

(l) provide for the formation and maintenance of a registrar of members and where the liability of the members is limited by shares, of a register of shares and a list of members;

1. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

2. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.

(ङ) वे शर्तें, जिनका अनुपालन सदस्य के रूप में प्रवेश के लिये आवेदन करने वाले या सदस्य के रूप में प्रविष्ट किये गये व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, विहित कर सकेंगे तथा सदस्यों के निर्वाचन एवं प्रवेश के लिये तथा सदस्यता के अधिकार का प्रयोग करने के पूर्व किये जाने वाले भुगतान एवं अर्जित किये जाने वाले हित के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(च) धारा 24 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुये, किसी सोसाइटी के अंशों की वह अधिकतम संख्या या उसकी पूंजी का वह भाग, जो कि किसी सदस्य द्वारा धारण किया जा सकेगा, विहित कर सकेंगे;

¹[(छ) सदस्यों के वापिस लिये जाने या हटाने जाने तथा उनको संदाय करने के लिये उपबंध कर सकेंगे;]

(ज) उस व्यक्ति के, जिसे कि किसी मृत सदस्य का अंश या हित संदत्त या अंतरित किया जा सकेगा, नामनिर्देशन के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(झ) किसी भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के अंश या हित का मूल्य अभिनिश्चित करने के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(ञ) उधार के लिये आवेदन करने वाले सदस्यों को किये जाने वाले भुगतान तथा उनके द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तें, वह कालाबाधि जिसके लिये उधार दिये जा सकेंगे तथा वह रकम, जो किसी एक सदस्य को उधार दी जा सकेगी, विहित कर सकेंगे;

¹[(ज-1) किसी संसाधन ²[बोर्ड] में अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सदस्यों के लिये स्थानों के आरक्षण के लिये अनुपात विहित कर सकेंगे तथा यह उपबंध कर सकेंगे कि उपर्युक्त जातियों, जनजातियों या वर्गों का कोई सदस्य किसी संसाधन सोसाइटी के अध्यक्ष/सभापति या उपाध्यक्ष/उपसभापति का पद धारण करेगा;]

(ट) रजिस्ट्रार के या किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी के कार्यालय में दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये तथा उन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां दी जाने के लिये फीस के उद्ग्रहण के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(ठ) सदस्यों को रजिस्टर और जहां सदस्यों का दायित्व अंशों द्वारा परिसीमित हो, वहां अंशों का रजिस्टर तथा सदस्यों की सूची बनाई जाने तथा रखी जाने के लिये उपबंध कर सकेंगे;

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावी।

(m) provide for securing that the share capital of any society shall be variable in such a way as may be necessary to secure that the share shall not appreciate in value and the necessary capital shall be available for the society as required;

(n) prescribe the terms and conditions on which Government may make share capital contribution or give assistance, financial or other, to societies and the terms and conditions on which Government may guarantee the payment of the principal of and interest on debentures issued by societies or loans raised by them;

(o) regulate the manner in which funds may be raised by a society or a class of societies by means of shares or debentures or otherwise and the quantum of funds so raised;

¹[(p) prescribe the manner of giving intimation to the Tahsildar about the details of the debt or outstanding demand owing to the society from a member, past member or deceased member;]

(q) prescribe the procedure by which a society shall calculate and write off bad debts;

(r) provide for the formation and maintenance of reserve funds, and the objects to which such funds may be applied and for the investment and use of any fund including reserve fund under the control of a society;

(s) prescribe the rate at which a society shall contribute towards the Chhattisgarh State Co-operative Union;

(t) prescribe the mode of investment of funds of a society under Section 44 and the proportion of investment in any security or class of securities;

(u) provide for the payment of contribution to any provident fund which may be established by a society for the benefit of officers and servants employed by them and for the administration of such provident fund;

1. Ins. by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.

(ड) यह सुनिश्चित करने के लिये उपबन्ध कर सकेंगे कि किसी सोसाइटी की अंशपूजी यह सुनिश्चित करने के लिये कि अंश के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी और आवश्यकतानुसार सोसाइटी के लिये आवश्यक पूंजी उपलब्ध रहेगी, आवश्यकतानुसार परिवर्तित की जा सकेगी;

(ढ) वे निबन्धन तथा शर्तें जिन पर कि सरकार सोसाइटियों को अंशपूजी अभिदाय कर सकेगी या उन्हें वित्तीय या अन्य सहायता दे सकेगी, और वे निबन्धन तथा शर्तें, जिन पर कि सरकार सोसाइटी द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों या लिये गये उधारों के मूलधन या उन पर के ब्याज के भुगतान के लिये प्रतिभूति दे सकेंगी, विहित कर सकेंगे;

(ण) वह रीति, जिसमें किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी वर्ग द्वारा अंशों के या डिबेंचरों के आधार पर या अन्यथा निधियां इकट्ठी की जा सकेंगी और इस प्रकार इकट्ठी की गई निधियों की मात्रा विनियमित कर सकेंगे;

¹[(त) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, या मृत सदस्य द्वारा सोसाइटी को देय ऋण या बकाया मांग के ब्यौरे के बारे में तहसीलदार को संसूचना देने की रीति विहित कर सकेंगे;]

(थ) वह प्रक्रिया, जिसके द्वारा कोई सोसाइटी इबन्त ऋणों की संगणना करेगी तथा उन्हें बट्टे खाते डालेगी, विहित कर सकेंगे;

(द) आरक्षित निधियां बनाई जाने तथा रखी जाने एवं उद्देश्यों, जिनके कि लिये ऐसी निधियां उपयोगित की जा सकेंगी, के लिये तथा सोसायटी के नियंत्रणाधीन किसी निधि, जिसके अंतर्गत आरक्षित निधि आती है, के विनियोजन तथा उपयोग के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(ध) वह दर, जिस पर कि कोई सोसाइटी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के लेखे अभिदाय करेगी, विहित कर सकेंगे;

(न) धारा 44 के अधीन किसी सोसाइटी की निधियों के विनिहित किये जाने का प्रकार तथा किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के किसी वर्ग में विनिधान का अनुपात विहित कर सकेंगे;

(प) किसी ऐसी भविष्य निधि के प्रति, जो कि किसी सोसाइटी द्वारा उन अधिकारियों या कर्मचारियों के, जो कि उनके द्वारा नियोजित किये गये हों, फायदे के लिये स्थापित की गई हों अभिदाय के संदाय के लिये तथा ऐसी भविष्य निधि के प्रशासन के लिये उपबंध कर सकेंगे;

1. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित।

(v) provide for general meetings of the members and the procedure at such meetings and the powers to be exercised by such meetings;

(w) provide for the appointment, suspension and removal of the members of the ¹[Board] and other officers and for the appointment of a person or persons under Section 53 and prescribe procedure at meetings of the ¹[Board] and for the powers to be exercised and the duties to be performed by the ¹[Board], person or persons and other officers;

(x) prescribe ²[qualification and disqualification] for members of the ¹[Board] and employees of a society or class of societies and the conditions of service subject to which persons may be employed by societies;

(y) prescribe the returns to be submitted by society to the Registrar and provide for the person by whom and the form in which such returns shall be submitted;

(z) provide for the person by whom and the form in which copies of documents and entries in books of societies may be certified and the charges to be levied for the supply of copies thereof;

(aa) prescribe the accounts and books to be kept by a society and provide for the audit of such accounts and the charges, if any, to be made for such audit, and for the periodical publication of a balance sheet showing the assets and liabilities of a society;

(bb) provide for appointment of Registrar's nominee or board of nominees, procedure to be followed in proceedings before the Registrar or his nominee or board

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013 for the word "Committee", w.e.f. 13-2-2013.
2. Subs. by M.P. Amendment Act No. 25 of 1988.

(फ) सदस्यों के साधारण सम्मिलनों के लिये तथा ऐसे सम्मिलनों में की प्रक्रिया तथा ऐसे सम्मिलनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(ब) ¹[बोर्ड] के सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, उनके निलंबन एवं उनके हटाये जाने के लिये तथा धारा 53 के अधीन किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये उपबंध कर सकेंगे और ¹[बोर्ड] के सम्मिलनों में की प्रक्रिया विहित कर सकेंगे तथा ¹[बोर्ड], व्यक्ति या व्यक्तियों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों तथा पालन किये जाने वाले कर्तव्यों के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(भ) किसी सोसाइटी या किसी वर्ग की सोसाइटियों की ¹[बोर्ड] के सदस्यों तथा किसी सोसाइटी या किसी वर्ग की सोसाइटियों के कर्मचारियों के लिये ²[अर्हताएं और निरर्हताएं] तथा सेवा की वे शर्तें, जिनके कि अध्यधीन व्यक्तियों की सोसाइटियों द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी, विहित कर सकेंगे;

(म) सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां विहित कर सकेंगे तथा ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा तथा ऐसे प्ररूप जिसमें ऐसी विवरणियां प्रस्तुत की जायेंगी, के संबंध में उपबंध कर सकेंगे;

(य) ऐसे व्यक्ति, जिसके द्वारा तथा ऐसे प्ररूप जिसमें दस्तावेजों तथा सोसाइटी की पुस्तकों में की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां प्रमाणित की जा सकेंगी, के संबंध में तथा उनकी प्रतिलिपियों का प्रदाय किया जाने के लिये उद्ग्रहित किये जाने वाले प्रभारों के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(कक) वे लेखे तथा पुस्तकें, जो सोसाइटी द्वारा रखी जाना हों, विहित कर सकेंगे तथा ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा एवं ऐसी संपरीक्षा के लिये किये जाने वाले प्रभारों, यदि कोई हों, के लिये तथा किसी सोसाइटी की आस्तियां तथा उसका दायित्व दर्शाने वाले तुलनपत्र के नियतकालिक प्रकाशन के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(खख) रजिस्ट्रार के नामनिर्देशित व्यक्ति या नामनिर्देशित व्यक्तियों के बोर्ड की नियुक्ति के लिये, उन कार्यवाहियों में, जो रजिस्ट्रार उसके नामनिर्देशित व्यक्ति या नामनिर्देशित व्यक्तियों के बोर्ड के समक्ष

1. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा शब्द "समिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावी।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 25 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित।

of nominees, and for fixing and levying the expenses for determining the dispute and for enforcing the decisions or executing awards in such proceedings;

- (cc) provide for the issue and service of processes;
- (dd) prescribe the procedure for and the method of recovery of any sums due under this Act or the rules;
- (ee) prescribe the procedure to be followed for the custody of property attached under Section 68;
- (ff) prescribe the procedure and conditions for the exercise of the powers conferred under Section 71 and the procedure to be followed by a liquidator and provide for the disposal of surplus assets;

¹[gg) prescribe the procedure to be followed in presenting and disposal of appeals, revision and review;]

(hh) ²[***]

(ii) prescribe the method of communicating or publishing any order, decision or award required to be communicated or published under this Act or the rules; and

(jj) provide for all matters required or allowed by this Act to be prescribed by rules.

(3) All rules made under this Act shall be laid on the table of Legislative Assembly.

³[95-A. Removal of difficulties — (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may pass such order not inconsistent with the provisions of this Act, as it may deem necessary to remove such difficulty:

1. Subs. by Chhattisgarh Amendment Act No. 20 of 2003, w.e.f. 9-9-2003.
2. Omitted by M.P. Amendment Act No. 14 of 1976.
3. Ins. by Chhattisgarh Amendment Act No. 6 of 2013, w.e.f. 13-2-2013.

हो, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिये तथा विवाद के अवधारण के लिये व्ययों के नियत तथा उद्ग्रहित किये जाने के लिये और ऐसी कार्यवाहियों में विनिश्चयों को प्रवृत्ति या अधिनिर्णयों को निष्पादित करने के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(गग) आदेशिकाओं के जारी किये जाने तथा उनकी तामील के लिये उपबंध कर सकेंगे;

(घघ) इस अधिनियम या नियमों के अधीन शोध्य किन्हीं राशियों की वसूली के लिये प्रक्रिया तथा उसकी पद्धति विहित कर सकेंगे;

(ङङ) धारा 68 के अधीन कुर्क की गई संपत्ति की अभिरक्षा के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे;

(चच) धारा 71 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिये प्रक्रिया तथा शर्तें एवं किसी समापक द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे और अधिशेष आस्तियों के व्ययन के लिये उपबंध कर सकेंगे;

¹[(छछ) अपीलों, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन पेश करने तथा निपटारे में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे;]

(जज) ²[****]

(झझ) किसी ऐसे आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय के, जिसका संसूचित या प्रकाशित किया जाना इस अधिनियम या नियमों के अधीन अपेक्षित है, संसूचित किये जाने या प्रकाशित किये जाने की पद्धति विहित कर सकेंगे;

(ञञ) समस्त ऐसे विषयों के लिये, जिनका कि नियमों द्वारा विहित किया जाना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात हो, उपबंध कर सकेंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।

³[95-क. कठिनाईयों का निराकरण—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह ऐसी कठिनाई के निराकरण करने के लिए आवश्यक समझे :

1. छत्तीसगढ़ अधिनियम क्र. 20 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित, दिनांक 9-9-2003 से प्रभावी।
2. म.प्र. संशोधन अधिनियम क्र. 14 सन् 1976 द्वारा विलोपित।
3. छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम क्र. 6 सन् 2013 द्वारा अन्तःस्थापित दिनांक 13-2-2013 से प्रभावशील।

परन्तु यह कि ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रभावशील होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश विधानसभा के पटल पर यथाशीघ्र रखा जाएगा और जो किसी भी दशा में आदेश की तारीख के ठीक आगामी सत्र के अंतिम दिवस के पश्चात् नहीं होगा।]

96. निरसन तथा व्यावृत्तियाँ—(1) महाकौशल क्षेत्र को लागू हुये रूप में को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1912 (क्रमांक 2 सन् 1912), मध्यभारत सहकारी संस्था विधान, 1955 (क्रमांक 9 सन् 1955), विन्ध्य प्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटीज ऑर्डिनेन्स, 1949 (क्रमांक 21 सन् 1949), भोपाल स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1937 (क्रमांक 11 सन् 1937) तथा सिरोंज क्षेत्र को लागू हुये रूप में राजस्थान को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1953 (क्रमांक 4 सन् 1953) एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी—

(एक) किसी भी ऐसी सोसाइटी के, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई अधिनियमितियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है या रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाती है, संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है और उसकी उपविधियों के, जहां तक कि वे इस अधिनियम के अधीन उपबंधों से असंगत न हो, संबंध में यह समझा जायेगा कि वे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है और तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि परिवर्तित या विखंडित न कर दी जाए।

(दो) उक्त अधिनियमितियों में से किसी भी अधिनियमित के अधीन की गई समस्त नियुक्तियों, बनाये गये नियमों, किये गये आदेशों, जारी की गई अधिसूचनाओं तथा सूचनाओं एवं संस्थित किये गये वादों तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में यावत्कय यह समझा जायेगा कि वे इस अधिनियम के अधीन क्रमशः की गई है, बनाये गये हैं, किये गये हैं, जारी की गई तथा संस्थित की गई है।

Provided that no such order shall be passed after the expiry of the period of two years from the date of coming into force of this Act.

(2) The order passed under sub-section (1) shall be laid on the table of the legislative assembly, as soon as may be, and in any case, not later than the last day of session next following the date of the order.]

96. Repeal and savings —(1) The Co-operative Societies Act, 1912 (II of 1912), in its application to Mahakoshal region, the Madhya Bharat Co-operative Societies Act, 1955 (9 of 1955), the Vindhya Pradesh Co-operative Societies Ordinance, 1949 (XXI of 1949), the Bhopal State Co-operative Societies Act, 1937 (XI of 1937) and the Rajasthan Co-operative Societies Act, 1953 (IV of 1953) in its application to the Sironj region are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal—

(i) any society registered or deemed to have been registered under the enactments specified in sub-section (1) shall be deemed to be registered under this Act and its bye-laws shall, so far as the same are not inconsistent with the provisions of this Act be deemed to be registered under this Act and continue in force until altered or rescinded;

(ii) all appointments, rules and orders made, notifications and notices issued and suits and other proceedings instituted under any of the said enactments shall so far as may be, be deemed to have been respectively made, issued and instituted under this Act.